कार्यालय उप–निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 फैजाबाद

प्रेषक,

उप–निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
फैजाबाद मण्डल, 880–ख्वासपुरा, फैजाबाद

R-405
11.3.16

सेवा में,

1. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बहराइच
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच

संख्या : फै0मं0 / एल0ए0 - 18 दिनांक : 29-2-16

विषय : पालिका लेखे की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ एवं अनुपालन कार्यवाही हेतु प्रेषण के सम्बंध में।

महोदय,

आपके नियंत्रणाधीन नगर पालिका परिषद, बहराइच लेखे की वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम–1984 की धारा 9(1) के अंतर्गत इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठायी गयी आपत्तियों / महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अधिकतम तीन माह के अंदर अनुपालन कार्यवाही पूर्ण कर लेखा परीक्षा में उठायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कराने का कष्ट करें। लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में आगे पत्र व्यवहार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से किया जाय।

संलग्नक : लेखा परीक्षा रिपोर्ट

भवदीय

(डा. संजीव कुमार)
सहायक निदेशक

पृष्ठांकन संख्या : फै0मं0 / एल0ए0 दिनांक

प्रतिलिपि–उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि रिपोर्ट में इंगित आपत्तियों का निस्तारण कराए जाने के सम्बन्ध में कृपया संस्था के प्रधान अधिकारी को प्रभावी निदेश देने का कष्ट करें–

1. सचिव, नगर विकास अनुभाग–4 उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, ओ0ए0डी0 स्पेशल सेल, इलाहाबाद।
3. आयुक्त, देवी पाटन मण्डल गोण्डा
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, आठवां तल, इंदिरा भवन, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक (प्रतिवेदन) मुख्यालय, इलाहाबाद।
6. जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बहराइच
7. स्थल पत्र प्रति

संलग्नक–यथोपरि

(डा. संजीव कुमार)
सहायक निदेशक

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद

लेखा परीक्षा विभाग

संस्था का नामः– नगर पालिका परिषद, बहराइच।

लेखा परीक्षा अवधिः– वर्ष 2014–15।

लेखा परीक्षा की तिथिः– लेखा परीक्षा का दिनाँक 19–08–2015 को प्रारम्भ व दिनाँक 30–11–2015 को समापन किया गया।

लेखा परीक्षा का स्वरूपः– उपलेखा परीक्षा।

प्रस्तावनाः– यह रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण तथा उनके द्वारा निर्धारित सम्परीक्षा मापदण्ड एवं लेखा प्रमाणन के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य अधिनियम/नगर पालिका लेखा नियमावली के अन्तर्गत तैयार की गयी है।

संस्था के प्रमुख व आहरण–वितरण अधिकारी के नाम :– संस्था का प्रशासन बोर्ड में निहित था। संस्था के प्रमुख/अध्यक्ष के पद पर आलोच्य अवधि में श्री हाजी मोहम्मद रेहान खाँ आसीन रहे। अधिशासी अधिकारी के पद पर श्रीमती संगीता कुमारी आलोच्य अवधि में कार्यरत् रहीं। पालिका निधि के आहरण–वितरण का दायित्व अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा रहा था।

सम्परीक्षा आख्याः भाग–क
वर्तमान लेखा परीक्षा

(क) वित्तीय एवं सामान्य महंत्व की अनियमितताएँ :–

1. निधियों और सम्पत्ति की हानि और दुर्विनियोजन :–

(क) नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित, मोबाइल टॉवरों से अनुज्ञा शुल्क न लिए जाने से लगभग रु० 3 लाख की हानि :– शासन द्वारा पालिका परिषदों की आय में वृद्धि हेतु यह निर्देश दिए गए थे कि पालिका सीमान्तर्गत स्थित विभिन्न दूर संचार कम्पनियों के टॉवरों से रु० 5,000/– प्रति टॉवर अनुज्ञा शुल्क लिया जाय, परन्तु पालिका परिषद द्वारा नहीं लिया जा रहा था। सम्परीक्षा के समय चर्चा के मध्य स्पष्ट हुआ कि पालिका सीमान्तर्गत लगभग 60 टॉवर स्थित हैं। अतएव शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में प्रति टॉवर रु० 5,000/– अनुज्ञा शुल्क न लिए जाने से प्रतिवर्ष 60×5,000/– = रु० 3,00,000=00 के आय की हानि हो रही थी। इस सम्बन्ध में यह अपेक्षित है कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अनुज्ञा शुल्क की वसूली करायी जाय।

(ख) प्राइवेट वाहन अड्डों की नीलामी न किए जाने से पालिका परिषद को प्रतिवर्ष लगभग रु० 1.00 करोड़ की आर्थिक हानि :– पालिका सीमान्तर्गत बहराइच से निम्नलिखित मार्गों पर प्राइवेट वाहन अड्डा स्थापित है, जहाँ से वाह्य स्थलों हेतु सवारियॉ चढ़ाते व उतारते हैं, परन्तु इन वाहन अड्डों की न तो नीलामी की जाती है और न ही पालिका परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों से वाहन शुल्क ही वसूल किया जाता है। जिसके कारण पालिका परिषद को वर्षानुवर्ष लगभग रु 1.00 करोड़ की आर्थिक हानि पहुँचायी जा रही है।

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

1— बहराइच से गोण्डा मार्ग हेतु
2— बहराइच से बलरामपुर मार्ग हेतु
3— बहराइच से जरवल/लखनऊ रोड
4— बहराइच से महसी रोड
5— बहराइच से हूजूरपुर
6— बहराइच से रिसिया
7— बहराइच से नानपारा प्राइवेट बस
8— बहराइच से भिनगा प्राइवेट बस
9— बहराइच से टेम्पो अड्डा (शहर के विभिन्न मार्गो हेतु)
10— बहराइच से मल्लीपुर

उपर्युक्त स्थिति के कारण पालिका परिषद आय के मुख्य स्रोत से वंचित रह जा रही है। अतएव पालिका के आर्थिक हितों के परिप्रेक्ष्य वाहन अड्डों के नीलामी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(ग) नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित ट्रान्सफॉर्मर का किराया वसूल न किए जाने से लगभग रु० 92,30,000=00 की आर्थिक हानि :— नगर विकास अनुभाग—9, उ०प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या— 406/नौ—9—1997—95जनरल/1996 दिनाँक 10 फरवरी 1997 द्वारा स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सुझाव व निर्देश दिए गए थे, परन्तु नगर पालिका परिषद की उदासीनता के कारण लाभदायक कार्यवाही नहीं की गयी। नगर विकास अनुभाग—9, उ०प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या— 2285/नौ—9—2005—150द्वि०रा०वि०आ०/04 दिनाँक 29 जून 2005 द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुति संख्या— 160 के अनुपालन सुनिश्चित करने तथा नगर विकास अनुभाग—9, उ०प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या— 2282/नौ—9—2005—133 द्वि०रा०वि०आ०/04 दिनाँक 13 जुलाई 2005 द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे, कि विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत उपकेन्द्रों एवं अन्य निर्माण स्थलों के लिए अधिष्ठापित भूमि पर कर वसूल करने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु पालिका परिषद द्वारा उक्त दिए गए निर्देशों का कोई अनुपालन नहीं किया गया था। पुनः नगर विकास अनुभाग—9, उ०प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या— 3665/नौ—9—2006—150द्वि०रा०आ०/04 दिनाँक 23 अगस्त 2006 द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि स्थानीय निकायों की भूमि पर स्थापित ट्रान्सफॉर्मर व विद्युत उपकेन्द्र पर बाजार दर पर किराए का निर्धारण करते हुए वसूली की जाय। उक्त के सन्दर्भ में निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ के पत्रांक—8/280/द्वि०रा०वि०आ० संस्तुति संख्या— 160/2006—07 दिनाँक 05 फरवरी 2007 द्वारा उक्त का अनुपालन करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए थे। पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी के पद पर समय—समय पर तैनात रहे अधिशासी अधिकारियों द्वारा बरती गयी उदासीनता के कारण इसका कोई क्रियान्वयन वर्तमान स्थिति तक नहीं किया गया था। वर्तमान सम्परीक्षा में एवद् विषयक पत्रावली की मॉग किए जाने पर अवर अभियन्ता (प्रकाश) द्वारा एक पत्रावली उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार 07—03—2003 को 53 ट्रान्सफॉर्मर फाउण्डेशन पर तथा 36 ट्रान्सफॉर्मर पोल पर लगे होने की सूची संलग्न थी। फाउण्डेशन पर अधिष्ठापित ट्रान्सफॉर्मर का किराया रु० 10,000/— प्रतिवर्ष एवं पोल पर रखे रु० 5,000/— प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया था। उक्त दर से प्रतिवर्ष फाउण्डेशन व पोल पर रखे ट्रान्सफॉर्मरों का कुल किराया क्रमशः रु० 5,30,000/— तथा रु० 1,80,000/— अर्थात कुल रु० 7,10,000/— तैयार किया गया था, परन्तु इसके वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। अतएव उक्त दी गयी स्थिति के परीप्रेक्ष्य में वर्ष 2002—03 आधार वर्ष मान लिया जाय तो निम्नानुसार आर्थिक हानि पालिका परिषद को हुई थी—

xecutive Officer
unicipal Board
BAHR CH

वर्ष	धनराशि
2002–03	7,10,000/–
2003–04	7,10,000/–
2004–05	7,10,000/–
2005–06	7,10,000/–
2006–07	7,10,000/–
2007–08	7,10,000/–
2008–09	7,10,000/–
2009–10	7,10,000/–
2010–11	7,10,000/–
2011–12	7,10,000/–
2012–13	7,10,000/–
2013–14	7,10,000/–
2014–15	7,10,000/–
योग	92,30,000/–

अतएव शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किराए की वसूली करायी जाय अन्यथा स्थिति में नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 की धारा 81 के अनुसार अधिभार की कार्यवाही संस्थापित करने हेतु सम्परीक्षा की बाध्यता होगी।

(2) वर्तमान स्थिति में नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित ट्रान्सफॉर्मरों के स्थल का क्षेत्रफल सहित विवरण उपलब्ध कराया जाय तथा वर्तमान बाज़ार दर के अनुसार वसूली सुनिश्चित करायी जाय।

(घ) विद्युत उपकेन्द्रों से किराया न लिए जाने के कारण पालिका परिषद को आवर्ती रूप से लगभग रु० 15 लाख की वर्षानुवर्ष आर्थिक हानि :– सम्परीक्षा आख्या के प्रस्तर उपर्युक्त ''ग'' में जैसा की वर्णन किया गया है, के अनुसार शासन द्वारा पालिका सीमान्तर्गत स्थित विद्युत उपकेन्द्रों से भी किराया लिए जाने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण पालिका परिषद को आर्थिक हानि पहुँचायी गयी थी। अवर अभियन्ता (प्रकाश) द्वारा उपलब्ध करायी गयी पत्रावली के अनुसार पालिका सीमान्तर्गत निम्नलिखित विद्युत उपकेन्द्र स्थित थे–

क्रमांक	स्थिति का विवरण
1–	फ्रीगंज/पॉवर हाऊस
2–	बख्शीपुरा/हाइड्रोलिक सहायक विद्युत भण्डार केन्द्र
3–	बख्शीपुरा/कार्यालय सहायक विद्युत भण्डार केन्द्र
4–	बख्शीपुरा/ट्रान्सफॉर्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप
5–	केवानागंज/पॉवर सब–स्टेशन हाइड्रिल
6–	मंसूरगंज/सब पॉवर स्टेशन
7–	गुलाम अलीपुरा/पॉवर एवं सब–स्टेशन

उक्त स्थिति वर्ष 2003 की थी। कर अधिकारी से सम्यक स्थिति उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार अनुरोध किया गया, परन्तु उनके द्वारा पालिका की भूमि पर स्थित विद्युत सबस्टेशन/विद्युत उपकेन्द्र की स्थिति उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। पालिका परिषद के अन्य कर्मचारियों से चर्चा करने पर यह ज्ञात हुआ कि लगभग 25 विद्युत उपकेन्द्र होना बताया गया। अतएव इन 25 विद्युत उपकेन्द्रों को ही आधार माना जाय और न्यूनतम रु० 5,000/– प्रति उपकेन्द्र प्रति माह दर से किराए की प्रभार्यता मानी

Executive Officer
Municipal Board
BAHR..CH

तो प्रति उपकेन्द्र प्रति वर्ष रु० 60,000/– की आर्थिक हानि होती है। इस प्रकार प्रति वर्ष रु० 000×25=15,00,000/– की कम से कम आर्थिक हानि हो रही है।

उक्त के अतिरिक्त इन विद्युत उपकेन्द्रों पर कर भी आरोपणीय/उद्ग्रहणीय है। इस प्रकार पालिका परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बरती गयी उदासीनता के कारण लाभदायक आय के स्रोत से वंचित हो जा रही है। अतएव पालिका परिषद के आर्थिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत सब–स्टेशनों पर बाजार की दर से किराए का आरोपण सुनिश्चित किया जाय एवं जो भी इनके कार्यालय/आवास हैं उन पर भी गृहकर व जलकर का आरोपण व समाहरण किया जाय।

टिप्पणी :–

(1) नगर पालिका सीमान्तर्गत इसकी भू–सम्पत्ति पर स्थित विद्युत उपकेन्द्रों का क्षेत्रफल सहित विवरण उपलब्ध कराया जाय।

(ङ) <u>1.88 करोड़ की प्राप्तियों की वसूली न किए जाने से पालिका परिषद को आर्थिक हानि सम्भावित</u> :– पालिका परिषद के मुख्य कर एवं करेत्तर राजस्व के आय के जो स्रोत थे, उनकी प्राप्तियों की वसूली न किए जाने से एक भारी धनराशि बकाए के रूप में पड़े होने से पालिका परिषद की आर्थिक सुदृढ़ता प्रभावित हो रही थी। इस स्थिति से जहाँ एक ओर कर्मचारियों की उगाही के प्रति शिथिलता परिलक्षित होती थी, दूसरी ओर पर्यवेक्षणीय अधिकारियों, अधिशासी अधिकारी, कर अधिकारी व कर अधीक्षक की भी पालिका परिषद के आय के दोहन के प्रति पूर्ण शिथिलता परिलक्षित हो रही थी। 31 मार्च 2015 को निम्नलिखित मुख्य मदों की बकाया की स्थिति व इन मदों के वर्ष में वसूली का प्रतिशत निम्नवत था–

क्रमांक	मद का नाम	31 मार्च 2015 का बकाया	वर्ष 2014–15 में वसूली का प्रतिशत
1–	दुकान किराया	15,73,390/–	49.81%
2–	शो टैक्स	74,640/–	12.00%
3–	जलमूल्य	59,53153/–	03.71%
4–	गृहकर	51,87,390/–	45.11%
5–	जलकर	59,69,597/–	33.88%
	योग	1,87,58,170/–	

अतएव उक्त बकायों के वसूली के प्रति पालिका के प्रमुख का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(च) <u>विज्ञापन पट्टों व डिस्क ऐन्टिना पर शुल्क न लिए जाने से पालिका परिषद को आर्थिक हानि</u> :– नगर विकास अनुभाग–9, उ०प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–406/नौ–9–1997–95जनरल/1996 दिनाँक 10 फरवरी 1997 द्वारा स्थानीय निकायों को यह निर्देश दिए गए थे कि नगर पालिका सीमा में अनेक कम्पनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा बड़े व छोटे विज्ञापन पट्ट लगाए जाते हैं तथा खम्भों पर भी छोटे विज्ञापन पट्ट लगाए जाते हैं, परन्तु इन पर कोई किराया न वसूल किए जाने से पालिका परिषद को आर्थिक हानि होती है। इसी प्रकार नगरों में केबल आपॅरेटर द्वारा डिस्क ऐन्टिना लगाए जाते हैं और कनेक्शन देने के लिए सड़कों पर लकड़ी के खम्भे लगाकर तार बाँधे जाते हैं, परन्तु इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जबकि स्थानीय निकाय के सड़को का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कनेक्शनों की संख्या के आधार पर शुल्क के आरोपण एवं समाहरण के निर्देश दिए गए थे। उक्त स्थिति के कारण पालिका परिषद को आर्थिक हानि हो रही थी।

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

...का के आर्थिक हितों के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त मदों पर किराया/शुल्क लिए जाने ...ध्यक्ष का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

...रोकड़बही अवशेष से बैंक अवशेष कम होने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की ...पालिका परिषद द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अर्थात 31 मार्च को कभी भी बैंक ...विवरण बनाकर नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय–8 के नियम 103 में वर्णित ...कार न तो 31 मार्च 2015 को रोकड़बही के अवशेष का विघटन तैयार किया गया था और न ...समाधान विवरण तैयार किया गया था। इस स्थिति के कारण रोकड़बही के अवशेष एवं बैंक ...में निरन्तर अन्तर व्याप्त चला आ रहा था। वर्तमान सम्परीक्षा में उपलब्ध रोकड़बही व अन्य ...लेखों के आधार पर सुनिश्चित की गयी स्थिति के अनुसार इस सम्परीक्षा आख्या के भाग "ख" के ...– 2(क) में दी गयी वित्तीय स्थिति के अनुसार बैंक समाधान विवरण तैयार किए जाने पर रोकड़बही ...का अवशेष रु० 13,91,57,733=84 होता है तथा बैंक खातों का अवशेष कुल रु० 12,67,06,939=48 है। इस प्रकार बैंक खाते का अवशेष रोकड़बही के अवशेष से रु० (13,91,57,733=84–12,67,06,939=48)= रु० 1,24,50,794=36 कम है। उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि–

(1) कतिपय ऐसी प्राप्तियाँ जो रोकड़बही में तो हैं परन्तु बैंक खाते में जमा नहीं किए गए हैं, फिर भी यह सम्भावना क्षीण है। क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि हस्तगत् नहीं है। या
(2) ऐसे व्यय जो रोकड़बही के व्यय पक्ष में दर्शित नहीं हो पाए हैं और बैंक खाते से आहरित हो गए हैं। या
(3) रोकड़बही के लेखांकन पद्धति के दोष के कारण उत्पन्न विसंगतियाँ।

अतएव बैंक खातों का अवशेष रु० 1,24,50,794=00 कम होने के औचित्य को विभागीय जॉच कराकर स्पष्ट किया जाय। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा अधियाचन संख्या–99 दिनॉक 11–09–2015 द्वारा अधिशासी अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया, परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया।.

3. **इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की मरम्मत पर आवर्ती रूप से व्यय किए जाने से कुल रु० 2,81,810=00 का अनियमित व्यय** :– व्यय प्रमाणकों की जॉच में स्पष्ट हुआ कि इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की मरम्मत पर प्रति माह निम्नानुसार व्यय/भुगतान किया गया था–

क्र०	व्यय प्रमाणक संख्या/दिनॉक	कार्य का नाम	हैण्डपम्प की संख्या	मरम्मत अवधि	भुगतान की गयी धनराशि
1–	19/13–06–14	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या–4,5/11–04–14	27	01–04–14 से 11–04–14	11,350/–
2–	20/13–06–14	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या–1,2,3/15–04–14	50	01–04–14 से 15–04–14	19,350/–
3–	21/13–06–14	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या–6,7,8/15–04–14	52	01–04–14 से 15–04–14	19,950/–

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

—	22/13—06—14	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— 9,10,11/30—04—14	48	16—04—14 से 30—04—14	19,350/—
5—	146/23—07—14	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— 12,13,14/15—05—14	52	01—05—14 से 15—05—14	19,450/—
6—	147/23—07—14	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— 16,17,18/31—05—14	51	16—05—14 से 31—05—14	19,650/—
7—	148/23—07—14	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— 19,20,21/15—06—14	53	01—06—14 से 15—06—14	19,885/—
8—	02/01—11—14	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— 37,38,39/15—08—14	46	01—08—14 से 15—08—14	17,700/—
9—	03/01—11—14	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— 42,43,44/30—08—14	46	16—08—14 से 30—08—14	14,900/—
10—	150/20—12—14 चेक—2851/20—12—14	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— 49,50/15—09—14	46	01—09—14 से 15—09—14	17,750/—
11—	151/20—12—14 चेक—2851/20—12—14	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— 51,52,53/(बिल संख्या हाथ से लिखि गयी थी।)	48	16—09—14 से 30—09—14	18,350/—
12—	12/07—01—15 चेक—2892/07—01—15	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— शून्य/30—10—14	40	16—10—14 से 30—10—14	15,850/—
13—	13/07—01—15 चेक—2892/07—01—15	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— शून्य/15—10—14	46	01—10—14 से 15—10—14	17,975/—
14—	360/31—03—15	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— 42,43,14/20—01—15	45	01—01—15 से 20—01—15	17,050/—
15—	361/31—03—15	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— 12/31—01—15	21	20—01—15 से 30—01—15	8,850/—
16—	362/31—03—15	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— 3,4/14—02—15	25	01—02—15 से 14—02—15	12,150/—
17—	363/31—03—15	नौशाद अली, जल निगम ठेकेदार, बिल संख्या— 343,346/28—02—15	29	14—02—15 से 18—02—15	12,250/—
		योग	725		2,81,810/—

xecutive Officer
unicipal Board
BAHR..ICH

उपर्युक्त इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के मरम्मत बिलों/व्यय प्रमाणकों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ

(1) जल निगम विभाग द्वारा नगर पालिका को हैण्डओवर किए गए इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों के विवरण बतौर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
(2) नगर पालिका की सम्पत्ति रजिस्टर उपलब्ध कराकर नगर पालिका सीमान्तर्गत लगे हैण्डपम्पों का सत्यापन भी नहीं कराया गया।
(3) मरम्मत कराए जाने के पूर्व अवर अभियन्ता (जल) द्वारा खराब नलों का सर्वे करके उनकी संख्या तथा उनके मरम्मत पर होने वाले अनुमानित व्यय का अनुमान तैयार करके उच्च अधिकारी से अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था।
(4) नौशाद अली हैण्डपम्प मैकेनिक द्वारा/जल निगम ठेकेदार द्वारा मौखिक आदेश के आधार पर उक्त कार्य कराया गया था, जबकि इसके लिए न तो कोई टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित किया गया था और न ही कार्य कराए जाने के निमित्त कोई कार्यादेश ही दिया गया था।
(5) बिल से यह स्पष्ट था कि प्रत्येक हैण्डपम्प पर रु० 300/- ही मरम्मत व्यय दर्शाया गया था, जिससे इस तथ्य की सबल पुष्टि होती है कि सभी नलों में खराबी एक ही प्रकृति की थी जो असम्भव था। वास्तविकता तो यह परिलक्षित होती है कि मरम्मत कार्य कृत्रिम रूप से दर्शा कर बिल तैयार कराया गया था।
(6) उपर्युक्त दी गयी तथ्यपरक स्थिति से यह भी स्पष्ट है कि कार्य पाक्षिक रूप से दर्शा कर काल्पनिक मरम्मत कराए जाने की पुष्टि होती है।
(7) उपर्युक्त व्यय आवर्ती प्रकृति का ही परिलक्षित है।

अतएव उपर्युक्त बिन्दुओं में उल्लिखित कमियों/विसंगतियों व त्रुटियों के कारण किया गया व्यय अनियमित/अमान्य था। इससे स्पष्ट होता है कि अवर अभियन्ता (जल) व अधिशासी अधिकारी की दुःरभि सन्धि से कपटपूर्ण ढंग से काल्पनिक बिलों के आधार पर उक्त व्यय किया गया था। अतः इसकी वसूली उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों से कराकर पालिका निधि में प्रस्तुत की जाय।

4. **निर्माण कार्यों के अनुबन्ध पत्रों पर निर्धारित स्टॉम्प शुल्क के मूल्य पर अनुबन्ध न कराए जाने के कारण रु० 1,65,230=00 के राजस्व की हानि** :- महानिरीक्षक निबन्धन एवं स्टॉम्प आयुक्त उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-119/शि०का०लख०/2002 दिनाँक 14-08-2002 द्वारा विभिन्न प्रकार के विलेखों पर स्टॉम्प प्रभार्यता सम्बन्धी मार्गदर्शिका जारी की गयी थी, जिसके प्रस्तर-6 के अनुसार लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/स्थानीय निकायों व अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विकास कार्य आदि के लिए दिए गए ठेकों पर प्रतिभूति धनराशि के अनुबन्ध पत्रों पर शेड्यूल-1-बी आर्टिकल 40 के अन्तर्गत यथोचित स्टॉम्प अदा कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। शासनादेश संख्या-क०स०वि०-5-714/11-99 दिनाँक 12-04-1999 तथा क०नि०-5-3283/11-2001-500(60)/2001 दिनाँक 18-09-2001 द्वारा स्टॉम्प अदायगी के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए थे। यह स्पष्ट निर्देश थे कि कार्य निविदा के अनुबन्ध में प्रतिभूति धनराशि नकद जमा किए जाने पर अनुच्छेद 40(क) के अधीन रु० 125/- प्रति हज़ार की दर से तथा फिक्स डिपॉज़िट रसीद एन०एस०सी०, किसान विकास पत्र आदि के रूप में प्रतिभूति दिए जाने की दशा में अनुच्छेद 40(ख) के अधीन रु० 70/- प्रति हज़ार की दर से अनुबन्ध किया जाना था। सम्परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि सम्परीक्षाधीन माहों में कराए गए कार्यों के अनुबन्ध पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि अनुबन्ध मात्र रु० 100/- के स्टॉम्प पेपर पर कराए गए थे। इस स्थिति के कारण निर्धारित दर के स्टॉम्प पेपर के मूल्य पर अनुबन्ध न कराए जाने से परिशिष्ट "चार" में दी गयी स्थिति के अनुसार मात्र 56 प्रकरणों के सम्बन्ध में रु० 1,65,230=00 के राजकीय

xecutive Officer
unicipal Board

राजस्व की हानि हुई थी। इसकी सम्बन्धित ठेकेदार से प्रतिपूर्ति कराकर चालान के माध्यम से राजस्व के सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कराया जाय तथा वर्षान्तर्गत उपर्युक्त प्रकार के ऐसे जो प्रकरण हो उनकी भी गणना कराकर हुए राजस्व की क्षति की प्रतिपूर्ति कराकर राजकोष में जमा कराया जाय एवं कृत् कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

5. विशेष परियोजना हेतु प्राप्त अनुदानों की उपयोगिता :-

(क) रु० 12.52 करोड़ के विकास कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान अनुपयुक्त :- 31 मार्च 2015 को निम्नानुसार धनराशियाँ उपभोग हेतु अवशेष थी-

(1) राज्य वित्त आयोग	:- 8,78,46,623 /-
(2) 13वाँ वित्त आयोग	:- 3,10,65,195 /-
(3) 2% हस्तान्तरण विलेख शुल्क धनराशि	:- 30,27,477 /-
(4) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	:- 32,71,061 /-
योग	:- 12,52,10,356 /-

उपर्युक्त दी गयी स्थिति के अनुसार विकास हेतु प्राप्त अनुदान अनभुक्त रहे, दूसरी ओर नागरिक जन सुविधाओं से भी वंचित रहे। पालिका परिषद द्वारा कोषागार से राज्यानुदान की धनराशि आहरित करके बैंक खातों में रख लिया गया, जो शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन था। इस स्थिति के कारण राज्य सरकार के आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता प्रभावित होती है। अतएव इन्हें राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षक में वापस किया जाय एवं कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

(ख) संगठित विकास योजना की धनराशि रु० 53.55 लाख अनियमित ढंग से सावधि जमा खाते में विनियोजित किया जाना :- संगठित विकास योजनान्तर्गत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु तथा पालिका परिषद के आय के स्रोतों को बढ़ाने हेतु दुकानें/व्यावसायिक काम्प्लैक्स/मैरिज हॉल आदि प्रकार की परिसम्पत्तियाँ सृजित की जाती हैं ताकि पालिका परिषद को आवर्ती रूप से आय के संसाधन उपलब्ध हो सके, परन्तु प्राप्त अनुदान की धनराशियाँ सावधि जमा खाते में फिक्स किए जाने से अनुदान की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

क्रमांक	विनियोजन का विवरण	विनियोजित धनराशियाँ	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य
1-	पी०एन०बी०, बहराइच खाता सं०-007200PR00004201, दिनाँक 20-07-2009 (नवीनीकृत मूल्य व तिथि) ब्याज दर 9%	1,44,188 /-	07-03-2015	1,57,609 /-
2-	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बहराइच सावधि जमा रसीद सं०-0500635, दिनाँक 08-11-2011 (नवीनीकृत सं०-0608481) ब्याज दर 8.25%	1,54,286 /-	08-11-2013	1,81,659 /-
3-	इलाहाबाद बैंक, डिगिहा, बहराइच सावधि जमा रसीद सं०-022232, दिनाँक 21-12-2011 (संगठित विकास योजना सब्सिडी) ब्याज दर 8.9%	4,21,448 /-	24-12-2015	5,73,149 /-
4-	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बहराइच	2,92,656 /-	05-04-2013	4,24,669 /-

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

	सावधि जमा रसीद सं०–0608485 दिनॉक 05–04–2008 ब्याज दर 7.25%			
5–	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बहराइच सावधि जमा रसीद सं०–0408736 दिनॉक 09–07–2008 ब्याज दर 8.50%	43,42,483 / –	09–07–2013	66,12,711 / –

योग 53,55,061 / –

अतएव उपर्युक्त धनराशियों को वित्त पोषक संस्था को वापस किया जाय।

(ग) 10वें, 11वें, 12वें व 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त धनराशि पर प्राप्त ब्याज की धनराशि रु० 43.30 लाख राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराने के सम्बन्ध में :– इसका खाता पी०एन०बी०, बहराइच, में खाता संख्या– 0072000106097563 में था। इस खाते की बैंक पासबुक / बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार निम्नलिखित ब्याज की धनराशियाँ प्राप्त हुई थीं–

वर्ष	दिनॉक	ब्याज की धनराशि
2008–09	01–03–2009	30,918 / –
2009–10	02–09–2009	68,560 / –
2009–10	06–03–2010	27,517 / –
2010–11	05–09–2010	46,875 / –
2010–11	04–03–2011	1,43,062 / –
2011–12	07–09–2011	1,14,411 / –
2011–12	08–03–2012	1,03,076 / –
2012–13	06–09–2012	37,967 / –
2012–13	07–03–2013	4,82,513 / –
2013–14	17–08–2013	6,69,670 / –
2013–14	08–03–2014	8,79,922 / –
2014–15	06–09–2014	9,08,282 / –
2014–15	05–03–2015	8,16,721 / –
	योग	43,29,494 / –

नगर विकास अनुभाग–09 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश सं०– 1036 / 9–9–14–247ज / 05 दिनॉक 02 सितम्बर 2014 द्वारा ब्याज की धनराशि को राजकोष के निम्नलिखित लेखा शीर्षक में जमा किए जाने के निर्देश दिए गए थे–

0217 – शहरी विकास
60 – अन्य शहरी विकास योजनाएँ
800 – अन्य प्रतियाँ
01 – प्रकीर्ण प्रतियाँ

अतएव उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष के उक्त लेखा शीर्षक में जमा कराकर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

6. क) वित्तीय स्रोतों का प्रबन्धन / बजट की समीक्षा :– पालिका परिषद का वर्ष 2014–15 का आय–व्यय बोर्ड के प्रस्ताव संख्या– 01 दिनॉक 02 जून 2014 द्वारा पारित किया गया था। वर्ष 2014–15 की अनुमानित प्राप्तियाँ रु० 5737 लाख तथा अनुमानित व्यय रु० 5665 लाख था। उक्त अनुमानित

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

	सावधि जमा रसीद सं०–0608485 दिनाँक 05–04–2008 ब्याज दर 7.25%			
5–	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बहराइच सावधि जमा रसीद सं०–0408736 दिनाँक 09–07–2008 ब्याज दर 8.50%	43,42,483/–	09–07–2013	66,12,711/–
	योग	53,55,061/–		

अतएव उपर्युक्त धनराशियों को वित्त पोषक संस्था को वापस किया जाय।

(ग) 10वें, 11वें, 12वें व 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त धनराशि पर प्राप्त ब्याज की धनराशि रु० 43.30 लाख राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराने के सम्बन्ध में :– इसका खाता पी०एन०बी०, बहराइच में खाता संख्या– 0072000106097563 में था। इस खाते की बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार निम्नलिखित ब्याज की धनराशियाँ प्राप्त हुई थीं–

वर्ष	दिनाँक	ब्याज की धनराशि
2008–09	01–03–2009	30,918/–
2009–10	02–09–2009	68,560/–
2009–10	06–03–2010	27,517/–
2010–11	05–09–2010	46,875/–
2010–11	04–03–2011	1,43,062/–
2011–12	07–09–2011	1,14,411/–
2011–12	08–03–2012	1,03,076/–
2012–13	06–09–2012	37,967/–
2012–13	07–03–2013	4,82,513/–
2013–14	17–08–2013	6,69,670/–
2013–14	08–03–2014	8,79,922/–
2014–15	06–09–2014	9,08,282/–
2014–15	05–03–2015	8,16,721/–
	योग	43,29,494/–

नगर विकास अनुभाग–09 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश सं०–1036/9–9–14–247ज/05 दिनाँक 02 सितम्बर 2014 द्वारा ब्याज की धनराशि को राजकोष के निम्नलिखित लेखा शीर्षक में जमा किए जाने के निर्देश दिए गए थे–

0217 – शहरी विकास
60 – अन्य शहरी विकास योजनाएँ
800 – अन्य प्रतियाँ
01 – प्रकीर्ण प्रतियाँ

अतएव उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष के उक्त लेखा शीर्षक में जमा कराकर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

6. **क) वित्तीय स्रोतों का प्रबन्धन/बजट की समीक्षा :–** पालिका परिषद का वर्ष 2014–15 का आय–व्यय बोर्ड के प्रस्ताव संख्या– 01 दिनाँक 02 जून 2014 द्वारा पारित किया गया था। वर्ष 2014–15 की अनुमानित प्राप्तियाँ रु० 5737 लाख तथा अनुमानित व्यय रु० 5665 लाख था। उक्त अनुमानित,

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

यों एव व्यय के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में वास्तविक प्राप्तियाँ व व्यय क्रमशः रु० 3677.58 लाख व
834.26 लाख थी। उपर्युक्त स्थिति से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए।

(1) उपर्युक्त प्राप्तियों व व्यय के सापेक्ष बजट का वर्णनात्मक विवरण नहीं था और न ही पालिका
परिषद द्वारा नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष कार्य योजना ही तैयार की गयी
थी।

(2) वर्ष 2014–15 में अनुमानित प्राप्तियों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियाँ रु० 2059.42 लाख कम थी
अर्थात वास्तविक प्राप्तियाँ 35.89 प्रतिशत कम थी। इससे स्पष्ट है कि पालिका परिषद आय के
संशाधनों के वृद्धि व संवर्धन तथा दोहन के प्रति सचेत नहीं है। इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों
की पूर्ण उदासीनता परिलक्षित होती है।

(3) वर्ष 2014–15 का अनुमानित व्यय रु० 5665 लाख था जबकि वास्तविक व्यय रु० 3834.28 लाख है
जो अनुमानित व्यय की सीमा के अन्तर्गत है। व्यय का भी कोई तथ्यपरक वर्णनात्मक विवरण तैयार
नहीं किया गया था।

(4) कर एवं करेत्तर राजस्व की प्राप्तियों का अनुमान रु० 431.50 लाख व रु० 103.20 लाख था जबकि
उक्त के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियाँ रु० 193.14 लाख व 75.58 लाख थी। इससे स्पष्ट है कि
पालिका परिषद के आय के वसूली के प्रति कृत प्रयास की आवश्यकता थी।

(5) बजट की समीक्षा में यह भी स्पष्ट हुआ कि आय के नवीनतम स्रोतों के कोई विवेचन नहीं किया
गया था। अवएव उपर्युक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में पालिका परिषद के आय के स्रोतों में संवर्धन व
दोहन हेतु संस्था के प्रमुख का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

6. ख) **पालिका परिषद की घाटे की स्थिति** :– वर्ष 2014–15 में पालिका परिषद के कर्मचारियों/
अधिकारियों द्वारा कर एवं करेत्तर राजस्व कुल रु० 1,28,60,263=00 वसूल किए गए थे जबकि इन
कर्मचारियों के अधिष्ठान पर कुल रु० 2,54,05,753=00 का व्यय भारित हुआ था। अधिष्ठान पर व्यय के
सापेक्ष प्राप्त प्रतिफल मात्र 50.61% ही है। इससे स्पष्ट है कि पालिका परिषद के आय के दोहन के
प्रति अधिकारी एवं कर्मचारी सचेष्ठ नहीं है। दूसरी ओर वेतन का प्रतिफल भी नहीं प्राप्त हो रहा है
जिसके कारण पालिका परिषद की स्थिति घाटे की थी। अतएव पालिका परिषद के प्रमुख का ध्यान इस
ओर विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है।

7. **चल एवं अचल सम्पत्तियों का स्टॉक लेखा** :– चल एवं अचल सम्पत्तियों का स्टॉक लेखा उपलब्ध नहीं
कराया गया। और न ही निष्प्रयोग सामग्रियों की भण्डार पंजी ही बनाई गयी थी। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ
लेखा परीक्षक द्वारा अधियाचन संख्या– 99 दिनाँक 11–09–2015 द्वारा अधिशासी अधिकारी का ध्यान
आकृष्ट किया गया परन्तु उक्त अधियाचन अनुत्तरीत रहा। अतएव नगर पालिका लेखा नियमावली
नियम– 78 के अनुसार स्टॉक लेखा तैयार कराकर प्रस्तुत किया जाय।

8. **मूल्यवान उपकरणों की उपयोगिता** :– पालिका परिषद के सफाई, जलकल, प्रकाश विभागों के मूल्यवान
उपकरणों की पंजी उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही 31 मार्च 2015 को इनकी भौतिक सत्यापन
आख्या ही उपलब्ध करायी गयी। इससे इसकी स्थिति स्पष्ट न हो सकी। वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा
अधियाचन संख्या– 99 दिनाँक 11–09–2015 द्वारा निर्गत किया गया जो अनुत्तरीत रहा।

(ख) हानि, अपव्यय, दुरुपयोग और अनियमित व्ययों, अधिक भुगतानों इत्यादि से सम्बन्धित प्रकरण :–

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

राज्य वित्त आयोग मद से नाला की सफाई पर निकले मलबा की लोडिंग व अनलोडिंग पर किया गया व्यय रु० 11,96,671=13 की अपव्यय :— सम्परीक्षा में व्यय प्रमाणकों की जाँच में विदित हुआ कि निम्नलिखित नालों की सफाई पर उनके सम्मुख अंकित स्थिति के अनुसार व्यय हुआ था—

क्र०	व्यय प्रमाणक संख्या / दिनाँक	विवरण	कुल धनराशि	मलबा के निस्तारण पर किया गया व्यय
1—	06 / 07—01—15	केवानागंज में बालार्क प्रेस से नानपारा बस स्टैण्ड तक नाला सफाई का कार्य	1,05,078=75	60,966=00
2—	09 / 07—01—15	कृषि फॉर्म रोड पर डी०एम० कालोनी पुलिया से के०डी०सी० छात्रावास के पास पुलिया तक नाला सफाई का कार्य	1,41,266=99	45,314=64
3—	07 / 07—01—15	स्टेडियम के बगल से जेलरोड पुलिया होते हुए नये नाले तक नाला सफाई का कार्य	4,02,064=46	1,97,663=67
4—	05 / 07—01—15	नाजिरपुरा पूर्वी में गुलाम कसाई जावेद ड्राइवर के मकान से बाईपास होते हुए अली हुसैन के मकान तक, श्रीमती जाहिदा खातून पूर्व अध्यक्ष के घर के पीछे का नाला सफाई का कार्य	1,26,759=50	53,389=77
5—	165 / 29—12—14	इसहाक दूध वाले से नगर पालिका के पीछे जिला जज आवास के पीछे श्री एहतिशान अली पूर्व विधायक के पीछे होते हुए नाला तक नाला सफाई का कार्य	4,68,442=28	2,11,645=95
6—	166 / 29—12—14	छावनी से दरगाह मार्ग पर पुलिया से गतैय्या तक, सालारगंज होतु हुए ईदगाह पुलिया तक नाला सफाई का कार्य	4,05,017=28	2,45,033=33
7—	168 / 29—12—14	नानपारा बस स्टैण्ड पर स्थित किंगडम हेयर कटिंग सैलून से अज़मल के मकान तक नाला सफाई का कार्य	4,22,016=01	2,62,873=82
8—	169 / 29—12—14	कानूनगोपुरा दक्षिणी महौलीपुरा में अस्पताल से छोटीपुरा बाज़ार रोड पर पुलिया से महाराज सिंह स्कूल के पीछे होते हुए सनावीर सिंह के घर के पास मेनरोड पर पुलिया तक नाला सफाई का कार्य	2,08,708=97	1,11,466=39
9—	158 / 27—01—15	मुहल्ला मोहलीपुरा में जगदीश प्रसाद के मकान से पुलिया तक डीप ड्रेन के सफाई का कार्य	1,57,114=43	8,301=56
			योग	11,96,671=13

उपर्युक्त दी गयी स्थिति के अनुसार क्रमांक 1 से 9 पर उल्लिखित नालों की सफाई से निकले मलबा के निबटारण पर कुल रु० 11,96,671=13 का भुगतान किया गया था, अर्थात उक्त भुगतान लोडिंग—अनलोडिंग करके निकले मलबा को बाहर फेकवानें के लिए किया गया था। उल्लेखनीय यह है कि नगर पालिका परिषद के सफाई विभाग में ट्रैक्टर ट्रॉली, लोडर, डम्पर, पम्पिंग सेट, सीवर, सॅक्शन मशीन, जे०सी०बी० आदि विभिन्न प्रकार के उपकरण कूड़ो—कचरों के

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

निस्तारण हेतु हैं। इसी स्थिति के कारण ठेके पर दे कर कूड़े–कचरों का निस्तारण कराने कोई औचित्य ही नहीं था। यह भी दृष्टव्य है कि नालों की सफाई के निमित्त सफाई निरीक्षक की कोई रिपोर्ट/आख्या भी नहीं थी, फिर भी उक्त कार्य कराया गया था। अतएव उपर्युक्त तथ्यपरक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नालों की सफाई से निकले कूड़े–कचरों/मलबा के निस्तारण पर किया गया व्यय पालिका निधि का अपव्यय था। इसकी प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से कराकर पालिका निधि में जमा कराया जाय।

(2) **सेवा प्रदाता (आउट सोर्सिंग) के माध्यम से सफाई व्यवस्था हेतु नियोजित सफाई कर्मियों को प्रतिदिन प्रतिमजदूर रु० 30/– का अधिक पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने से रु० 20,15,520=00 का अधिक/अनियमित भुगतान** :– सफाई व्यवस्था हेतु सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रतिमाह लगभग 185 श्रमिक/सफाईकर्मी नियोजित किए जा रहे थे और उन्हें पारिश्रमिक के रूप में प्रतिदिन रु० 280/– की दर से भुगतान किया जा रहा था। नगर विकास अनुभाग–1 उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनदेश संख्या– 2076/9–1–15–66सा/2001 दिनाँक 09 जून 2014 एवं उक्त क्रम में जारी शासनादेश संख्या– 2296/9–1–15–36रिट०/2001 दिनाँक 24 जून 2015 द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नियोजित सफाई कर्मियों को रु० 250/– प्रतिदिन की दर से ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, जबकि शासन द्वारा निर्धारित दर से उच्च दर अर्थात् रु० 280/– प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जा रहा था। उक्त शासनादेश में निर्दिष्ट दरों से उच्च दरों पर भुगतान किए जाने के कारण सम्परीक्षाधीन माहों में निम्नानुसार अधिक भुगतान हुआ था–

क्र०	व्यय प्रमाणक संख्या/दिनाँक	अवधि	धनराशि	अभ्युक्ति
1–	49/03–12–2014	27–10–2014 से 25–11–2014	15,49,520/–	16 श्रमिक अनुपस्थित थे तथा माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या:– 185×30=5550 तथा 16 दिन अनुपस्थित कार्यरत कुल दिवस:– 5534, भुगतान योग्य धनराशि:– 5534×250=13,83,500/– अधिक भुगतान:– 15,49,520–13,83,500=1,66,020/–
2–	231/30–12–2014	26–11–2014 से 25–12–2014	15,50,920/–	11 दिवस अनुपस्थित, माह में कुल कुल कार्य दिवसों की संख्या:– 185×30=5550 कार्यरत दिवसों की संख्या:– 5550–11=5539, भुगतान योग्य धनराशि:– 5539×250=13,84,750/– अधिक भुगतान:– 15,50,920–13,84,750=1,66,170/–
3–	198/27–01–2015	26–12–2014 से 25–01–2015	16,02,440/–	12 कर्मचारी अनुपस्थित, माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या:– 185×31=5735–12=5723, भुगतान योग्य धनराशि:– 5723×250=14,30,750/– अधिक भुगतान–16,02,440–14,30,750 =1,71,690/–

xecutive Officer
unicipal Board

उपर्युक्त की भाँति वर्ष के अन्य 9 माहों में भी भुगतानित किया गया था। उपर्युक्त 3 माहों में हुए भुगतानों का औसत लिया जाय तो प्रतिमाह रु० (1,66,020+1,66,170+1,71,690)/3= 1,67,960/– होता है। इस प्रकार वर्ष में हुए अधिक भुगतानों की गणना निम्नवत है–

3 माहों में हुआ कुल अधिक भुगतानः–	1,66,020+1,66,170+1,71,690 =	5,03,880/–
9 माहो में हुआ कुल अधिक भुगतानः–	1,67,960×9	= 15,11,640/–
योगः–		= 20,15,520/–

अतएव उपर्युक्त अधिक भुगतानित धनराशि की प्रतिपूर्ति तत्कालिक अधिशासी अधिकारी/कर्मचारी से कराया जाना अपेक्षित है।

टिप्पणी :–

(1) नगर पालिका व सेवा प्रदाता/ठेकेदार के मध्य कोई स्टॉम्प युक्त विधि सम्बद्ध अनुबन्ध नहीं था।

(2) सेवा प्रदाता का व उसके द्वारा आपूर्ति किए गए श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीयन कोई साक्ष्य नहीं था।

(3) सेवा प्रदाता व श्रमिकों के बीच में भी कोई अनुबन्ध नहीं था।

(4) श्रमिकों का कोई बैंक खाता भी नहीं था।

(5) संस्था/फर्म द्वारा ई०एस०आई० नम्बर नहीं दिया गया था।

(6) ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थानीय निकाय में काम करने का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं था।

(7) सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त सफाई कर्मियों के नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था।

(3) **इण्टरलॉकिंग के कार्य की मात्रा वास्तविक से अधिक दर्शा कर कार्य कराए जाने से रु० 52,326=00 का अधिक भुगतान** :– स्टेशन तिराहा से छावनी चैराहा मार्ग पर श्री विश्वनाथ सैनी के मकान से बेंचू दयाल के मकान तक सड़क पटरी पर इण्टरलॉकिंग के कार्य का अनुमान रु० 7,49,004=54 का तैयार किया गया था और उक्त कार्य का टेण्डर मेसर्स गुलफाम कॉन्ट्रक्शन का 0.22% कम दर पर स्वीकृत किया गया था। तैयार किए गए अनुमान के अनुसार अर्थ वर्क 98.35 मी०^3 का रु० 237.65 की दर से रु० 23,372=87 का तैयार किया गया था। आईटम–5 पर पी/एल 80 एम०एम० की रबड़ मॉल्डेड जिग–जैग इण्टरलॉकिंग का कार्य 491.77 मी०^2 अनुमान में दर्शाया गया था, जिसमें ग्रे बेस का क्षेत्रफल 245.88 मी०^2 एवं रेड बेस का क्षेत्रफल 245.88 मी०^2 का था। ग्रे बेस व रेड बेस का अनुमान क्रमशः 1017.90 व 1061.40 प्रति मी०^2 की दर से क्रमशः रु० 2,50,281=25 व 2,60,977=03 का तैयार किया गया था। व्यय प्रमाणक संख्या–293/06–01–2015 के अन्तर्गत सम्बन्धित बिल व माप पुस्तिका से स्पष्ट हुआ कि अर्थ वर्क 86.49 मी०^3 अर्थात 86.49/0.20=432.45 मी०^3 हुआ था।

उल्लेखनीय यह है कि इण्टरलॉकिंग का कार्य 482.78 मी०^2 बिल में कृत कार्य दर्शित किया गया था और ग्रे वेस के कार्य का मूल्य 241.39 × 1017.90 = 2,45,710=88 एवं रेड वेस के कार्य का मूल्य 241.39 × 1061.40 = 2,56,211=34 का बिल तैयार किया गया था। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य यह है कि जब अर्थ वर्क 432.45 मी०^2 पर ही हुआ था तो इण्टरलॉकिंग का कार्य 482.78 मी०^2 पर किया जाना सम्भव ही नहीं था। इस स्थिति के कारण ग्रे वेस व रेड वेस के इण्टरलॉकिंग पर क्रमशः 25.17 व 25.17 मी०^2 का कार्य अधिक दर्शाये जाने से निम्नानुसार अधिक भुगतान हुआ था :–

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

1– ग्रे बेस के इण्टलॉकिंग पर हुआ अधिक भुगतान

=> 241.39 – 216.22 = 25.17 × 1017.90 = 25,620=54

2– रेड बेस के इण्टलॉकिंग पर हुआ अधिक भुगतान

=> 241.39 – 216.23 = 25.16 × 1061.40 = 26,704=82

योग: = 52,325=36

अतएव उपर्युक्त हुए अधिक भुगतान रु० 52,325=36 की वसूली उत्तरदायी अवर अभियन्ता,सहायक अभियन्ता व अधिशासी अधिकारी से करायी जाय एवं कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

(4) **अनुमानित कार्य की मात्रा में वृद्धि करके कार्य कराए जाने से रु० 39,798=75 का अधिक भुगतान:–** मुहल्ला सलारगंज में मोहम्मद उमर के मकान से रहमान के मकान से आगे तक कच्ची गली में इण्टलॉकिंग के कार्य का अनुमान रु० 5,34,195=00 का तैयार किया गया था। कार्य का टेण्डर मेसर्स आर०के० ट्रेडर्स को 0.23% कम पर स्वीकृत किया गया था तथा आइटम नम्बर–4 पर ब्रिक्स वर्क 1:4 फाउण्डेशन व फिलिंग्स का कार्य 26.76 मी०^3 का अनुमान रु० 1,33,800=00 का तैयार किया गया था, जबकि कृत कार्य के एम०बी० एवं बिल के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि उक्त आईटम के कार्य को 33.75 मी०^3 करके रु० 5,000/– प्रति मी०^3 की दर से रु० 1,68,750=00 का भुगतान किया गया था। इस स्थिति के कारण 6.99 मी०^3 अधिक कार्य की मात्रा को दर्शा कर रु० 5,000/– प्रति मी०^3 की दर उक्त आईटम के सापेक्ष रु० 34,950=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

(2) आईटम संख्या– 5 पर 12 एम०एम० का प्लास्टर की मात्रा 144.97 मी०^2 का अनुमान रु० 125/– प्रति मी०^2 की दर से अनुमान रु० 18,121=25 का तैयार किया गया था, जबकि एम०बी० व भुगतान बिल के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कृत कार्य 183.67 मी०^2 दर्शाया गया था और रु० 125/– प्रति मी०^2 की दर से रु० 22,970=00 का भुगतान किया गया था। इस प्रकार 38.79 मी०^2 का कार्य अधिक दर्शा कर रु० 4,848=75 का अधिक भुगतान हुआ था।

उल्लेखनीय यह भी है कि नगर पालिका लेखा नियामावली के भाग–5 के नियम–70 के अनुसार तात्विक भिन्नताओं को, यदि कोई हो, स्पष्टीकरण दिया जाना था और जिसका उल्लेख मूल अनुमान/योजना में किया जाना चाहिए और रेखाचित्र में भी उसका उल्लेख होना चाहिए, परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। अतएव उक्त विसंगति एवं अनियमितता के कारण बिन्दु 1, 2 पर उल्लिखित स्थिति के अनुसार कुल रु० 39,798=75 का अधिक व अनियमित भुगतान हुआ था। इसकी वसूली उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी से समान रूप से करायी जाय एवं कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय। उक्त भुगतान व्यय प्रमाणक संख्या– 20/06–01–2015 के अन्तर्गत जमा था।

(5) **पेवर ब्लॉक से आच्छादित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल दर्शित करके 19.67 मी०^2 पेवर ब्लॉक का कार्य अधिक दर्शाए जाने के कारण रु० 16,640=82 का अधिक भुगतान :–** मुहल्ला ढपालीपुरवा में मदन मौर्या के घर से चुनमुन एवं बाल गोविन्द अवस्थी से जय किशन तक होते हुए सत्येन्द्र सिंह तक गली में इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के कार्य का अनुमान रु० 9,16,807=00 तैयार किया गया था। इसके सापेक्ष रु० 7,96,298=35 का भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान व्यय प्रमाणक संख्या– 41/13–01–2015 के अन्तर्गत किया गया था। तैयार किए गए अनुमान को देखने से स्पष्ट हुआ कि 80 एम०एम० के पेवर ब्लॉक इण्टरलॉकिंग कार्य का अनुमान रु० 846/– प्रति मी०^2

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

की दर से रु० 4,20,250=00 का तैयार किया गया था। भुगतान बिल में देखा गया कि आईटम–2 के अनुसार 496.75 मी०^2 एरिया ही आच्छांदित हो सकता था। भुगतान बिल में 516.42 मी०^2 दर्शित कर के अर्थात 19.67 मी०^2 के पेवर ब्लॉक का अधिक कार्य दर्शा कर रु० 19.67×846= 16,640=82 का अधिक भुगतान हुआ था।

नगर पालिका लेखा नियमावली के भाग–5 के नियम–70 के अनुसार तात्विक भिन्नताओं को, यदि कोई हो, स्पष्टीकरण किया जाना था और जिसका उल्लेख मूल अनुमान/योजना में किया जाना चाहिए और रेखाचित्र में भी उसका उल्लेख होना चाहिए, परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। उक्त स्थिति के कारण अधिक भुगतान की धनराशि रु० 16,640=82 की वसूली उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी से समान रूप से करायी जाय एवं कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(6) **विभिन्न निर्माण कार्यों में बिना किसी स्पष्टीकरण के अनुमानित लागत से अधिक का भुगतान किए जाने से रु० 66,350=00 का अधिक भुगतान** :– निम्नलिखित कार्यों का जो अनुमानित लागत तैयार की गयी थी एवं सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गयी थी, उससे अधिक का उसके सम्मुख अंकित स्थिति के अनुसार अधिक भुगतान किया गया था–

क्रमांक	कार्य का नाम	वाउचर संख्या/ तिथि	अनुमानित लागत	भुगतानित धनराशि	अधिक भुगतान
1–	नगर पालिका परिषद कार्यालय में दो पहिया वाहन स्टैण्ड का कार्य	167/29–12–2014	1,81,969/	2,13,381/–	31,412/–
2–	मुहल्ला नेवरैय्या (मानपुरवा) में लियाकत अली के मकान से होते हुए तौफीक के मकान तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	146/27–01–2015	4,19,631/–	4,54,569/–	34,938/–
				योग	66,350/–

अनुमानित लागत जो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित थी, उससे अधिक के भुगतान के सम्बन्ध में नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम–70 के अनुसार वांछित स्पष्टीकरण दिया जाना था, जिसका उल्लेख मूल रेखाचित्र में भी किया जाना था, परन्तु ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इस प्रकार अनुमानित लागत से अधिक का भुगतान अनियमित/अमान्य था।

अतएव उपर्युक्त हुए अधिक भुगतान की वसूली उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी से समान रूप से करायी जाय एवं कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(7) **विभिन्न निर्माण कार्यों में अतिरिक्त कार्य (ऐक्स्ट्रा वर्क) दर्शित करके रु० 17,15,443=65 का अनियमित एवं अमान्य भुगतान** :– सम्परीक्षा में सम्परीक्षाधीन माहों में यह देखा गया कि निम्नलिखित कार्यों पर उनके सम्मुख अंकित स्थिति के अनुसार कतिपय आईटम का अतिरिक्त कार्य दर्शित करके भुगतान किया गया था–

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

क्रमांक	व्यय प्रमाणक संख्या/दिनाँक	मूल कार्य का विवरण	अतिरिक्त कार्य का विवरण, मात्रा	भुगतानित धनराशि
1–	127/ 22–01–2015	पीपल तिराहे से घण्टाघर जाने वाले मुख्य मार्ग पर बाँयी पटरी पर संगम होटल तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	21.14 मी०^3 स्टोन ब्लास्ट का कार्य	49,706=48
2–	128/ 22–01–2015	मुहल्ला इमामगंज में मैकू साहू के मकान से राजू तक इण्टरलॉकिंग व नाली का कार्य	41.40 मी०^3 नींव खुदाई का कार्य	3,312=00
3–	116/ 22–01–2015	मुहल्ला जोशियापुरा में राजेन्द्र ग्वालिया के मकान से चन्द्र के मकान तक नाली व सड़क का कार्य	159.28 मी० दोनों (प्रत्येक) ग्रे बेस – रेड बेस – 15.92 मी०^3 मलबा का निस्तारण –	1,60,490=52 1,67,482=92 2,225=60 3,30,199=04
4–	76/ 17–01–2015	काज़ीकटरा में चाँदपुरा चौराहे के पास से पुलिया तक दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य एवं शराफ़त से राकेश के मकान तक सड़क का कार्य	24.60 मी०^3 अर्थ वर्क एवं डिस्पोज़ल का कार्य	4,999=66
5–	78/ 17–01–2015	मुहल्ला नौरय्या में मानपुरवा मेन रोड से हाजी सहादत के मकान के पीछे तक नाली में इण्टरलॉकिंग का कार्य	14.14 मी०^3 अर्थ वर्क एवं डिस्पोज़ल का कार्य	1,286=74
6–	80/ 17–01–2015	मुहल्ला जोशियापुरा में छोटी बाज़ार रोड पर श्री मथुरा प्रसाद के मकान से ओंकार सैनी के मकान तक नाली व सड़क का कार्य	113.75 मी०^2 (प्रत्येक) ग्रे बेस – रेड बेस –	1,14,614=00 1,19,608=12 2,34,222=12
7–	40/ 13–01–2015	मुहल्ला ब्राह्मणीपुरा में भगौती होटल के बगल से राधारमण के घर के आगे तक सड़क का कार्य	62.17 मी०^2 दोनों (प्रत्येक) ग्रे बेस – रेड बेस –	62,642=49 65,371=75 1,28,014=24
8–	147/ 27–01–2015	मुहल्ला बक्शीपुरा में कब्रिस्तान के सामने शिव मंगल सत्यनारायण वर्मा के बगल गलियों में इण्टरलॉकिंग का कार्य	5.54 मी०^3 बालू की भराई– 184.70 मी०^3 पेवर ब्लॉक कार्य–	2,770=00 1,58,103=20 1,60,873=20
9–	157/ 27–01–2015	बशीरगंज उत्तरी में हनुमान मन्दिर (झिंगहाघाट) के पास इण्टरलॉकिंग, टाइल्स एवं बालू का कार्य	44.47 मी०^3 22.14 से 53 एम०एम० स्टोन ब्लास्ट का कार्य	1,06,363=34
10–	153/ 27–01–2015	नाज़िरपुरा में स्व० सुल्तान अली के सामने से अनीस सिद्दकी तक इण्टरलॉकिंग, टाइल्स द्वारा सुधार कार्य	98.58 मी०^2 (प्रत्येक) ग्रे बेस – रेड बेस –	99,329=20 1,03,656=87 2,02,986=07
11–	71/ 17–01–2015	डी०एम० चौराहे से महिला थाने के सामने से प्रभात फोटोकॉपी तक साइड पटरी का कार्य	0.30×0.375×0.15 मी०^3 सप्लाई एण्ड पी०सी०सी० डिवाइडर ब्लॉक	53,226=60

xecutive Officer
unicipal Board
BAHR ICH

12–	70 / 17–01–2015	डी०एम० चौराहे से तहसील रोड पर प्रभात फोटोकॉपी से पी०डब्ल्यू०डी० कार्यालय तक साइड पटरी का सुधार कार्य	सप्लाई व फिक्सिंग ऑफ पी०सी०सी० डिवाइडर ब्लॉक 65. 10 मी०	44,072=00
13–	81 / 17–01–2015	मुहल्ला अकबरपुरा में कृषि फॉर्म रोड पर श्री मिज्जन ठेकेदार के मकान से बी० प्रसाद के मकान तक इण्टरलॉकिंग एव नाली निर्माण का कार्य	(i) 449.19 मी०^2 उखाड़ने का कार्य– (ii) 17.96 मी०^3 बालू भराई का कार्य– (iii) 449.19 मी०^2 पेवर ब्लॉक का कार्य–	8,085=42 8,062=00 3,80,014=74 3,96,162=16
			महायोग	17,15,443=65

उपर्युक्त दी गयी स्थिति के अनुसार अतिरिक्त कार्य जो दर्शित किया गया था, न तो उसका रेखाचित्र तैयार किया गया था और न ही अनुमान तैयार किया गया था। साथ ही अतिरिक्त कार्य का अनुमोदन बोर्ड से भी नहीं प्राप्त किया गया था। अतिरिक्त कार्य के कार्यों का विशेष विवरण देते हुए सक्षम अधिकारी से इसकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृतियाँ भी नहीं प्राप्त की गयी थी। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI (सार्वजनिक कार्य लेखा नियमावली) के नियम–316 व 317 में वर्णित स्थिति के अनुसार अतिरिक्त कार्यों पर किया गया भुगतान अनियमित/अमान्य था।

अतएव उपर्युक्त अतिरिक्त कार्य के निमित्त किया गया भुगतान रु० 17,15,443=65 अनियमित व अमान्य होने के कारण इसकी प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है। इस कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

(8) **जलकल विभाग के विद्युत मोटरों के मरम्मत आदि पर व्यय की गयी धनराशि रु० 1,13,050=00 का संदिग्ध भुगतान** :– विद्युत मोटरों की रिपेयरिंग/बाइन्डिंग आदि पर निम्नानुसार भुगतान किया गया था। समस्त भुगतान मिज्जन रिपेयरिंग वर्कशॉप, बहराइच को किया गया था–

क्रमांक	वाउचर संख्या/तिथि	कार्य की बिल संख्या/तिथि	धनराशि	अभ्युक्ति
1–	34 / 01–12–2014	477 / 21–08–2014	16,600 /–	ईदगाह घोसियाना नलकूप 25 हॉर्सपावर के रिवाइन्डिंग समस्त सामग्री, लेबर चार्ज, शाफ्ट बुश बनाना तथा माल डलवाकर टर्निंग किया जाना
2–	35 / 01–12–2014	478 / 27–08–2014	16,600 /–	संधारन मन्दिर डिगिहा नलकूप —तदैव—
3–	36 / 01–12–2014	479 / 05–09–2014	16,600 /–	विकास भवन प्लानिंग कालोनी स्थित नलकूप —तदैव—
4–	37 / 01–12–2014	480 / 16–09–2014	16,600 /–	बड़ीहाट स्थित 25 हॉर्सपावर नलकूप —तदैव—
5–	38 / 01–12–2014	481 / 30–09–2014	18,250 /–	सलारगंज ईदगाह नलकूप —तदैव—
6–	39 / 01–12–2014	483 / 12–08–2014	7,100 /–	ईदगाह घोसियाना नलकूप 25 हॉर्सपावर, पम्प शाफ्ट बुश, स्टील इम्पेलर माल भरवाई। हौजिंग बुश 05 ऑफसील हौजिंग, चूड़ी साफ करवाई, मजदूरी,

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

7–	40/ 01–12–2014	484/ 12–08–2014	7,100/–	खरादी बनावाई बड़ीहाट नलकूप 25 हॉर्सपावर ––तदैव––
8–	41/ 01–12–2014	485/ 19–08–2014	7,100/–	सलारगंज ईदगाह पर स्थित पेयजल के पम्प खराब होने के सम्बन्ध में ––तदैव––
9–	42/ 01–12–2014	486/ 27–08–2014	7,100/–	संधारन मन्दिर का 20 हॉर्सपावर पम्प खराब होने पर इसके रिपेयर कराने हेतु भुगतान ––तदैव––
		योग	1,13,050/–	

उपर्युक्त मोटरों के मरम्मत के व्यय प्रमाणकों को देखने से निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट हुई–

(1) क्रमांक 1 से 5 पर उल्लिखित फर्म के जो बिल लगे थे वे क्रमशः 477/21–08–2014, 478/27–08–2014, 479/05–09–2014, 480/16–09–2014, 481/30–09–2014 को जारी किया गया था तथा क्रमांक 6 से 9 पर उल्लिखित उसी फर्म के बिल संख्या 483/12–08–2014, 484/12–08–2014, 485/19–08–2014, 486/27–08–2014 को जारी हुए थे। इस प्रकार बिलों के जारी होने की तिथियों में व्युत्क्रम था। इस प्रकार इन बिलों की स्थिति काल्पनिक हो जाती है।

(2) उल्लेखनीय यह है कि विद्युत मोटरों के रिबाइन्डिंग के बाद निष्प्रयोज सामग्री अर्थात कॉपर वायर के मूल्य का समायोजन भी नहीं दर्शित था और न डेड स्टॉक में लिया गया था।

(3) इन विद्युत मोटरों के खराब होने की कोई सूचना सम्बन्धित पम्प ऑपरेटरों द्वारा दिए जाने का कोई साक्ष्य नहीं था।

(4) अवर अभियन्ता (जल) की कोई सर्वे रिपोर्ट भी नहीं थी, जिससे की यह स्पष्ट होता कि कौन–कौन से पार्ट्स खराब हो गये हैं।

(5) क्रमांक 1 व 6 पर उल्लिखित बिलों का भुगतान एक ही पम्प के मरम्मत के लिए था और सूक्ष्म अन्तराल में ही खराब हुआ था।

(6) क्रमांक 4 व 7 पर उल्लिखित बिलों का भुगतान एक ही मोटर पम्प के मरम्मत के लिए था और सूक्ष्म अन्तराल में ही खराब हुआ था।

(7) क्रमांक 5 व 8 पर उल्लिखित बिलों का भुगतान एक ही मोटर पम्प के मरम्मत के लिए था और ये भी सूक्ष्म अन्तराल में ही खराब हुआ था।

(8) क्रमांक 2 व 9 पर उल्लिखित बिलों का भुगतान एक ही मोटर पम्प के मरम्मत के लिए था और ये भी सूक्ष्म अन्तराल में ही खराब हुआ था। प्रथम बार 20–08–2014 को खराब बताकर रू० 16,600=00 का भुगतान किया गया था पुनः 21–08–2014 को फिर खराब बताकर रू० 7,100=00 भुगतान किया गया था।

उपर्युक्त बिन्दु 1 से 8 पर उल्लिखित त्रुटियों व अनियमितताओं के कारण कपटपूर्ण ढंग से तैयार किए गए बिलों का भुगतान होने की पुष्टि होती है।

इस स्थिति के कारण उपर्युक्त किया गया समस्त भुगतान अनियमित व अमान्य था। इसकी वसूली उत्तरदायी अवर अभियन्ता (जल) व अधिशासी अधिकारी से कराया जाना अपेक्षित है एवं कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय। उपर्युक्त स्थिति मात्र सम्परीक्षाधीन माहों की है। यदि अन्य माहों में उपर्युक्त प्रकार के भुगतान किए गए हों, तो उसकी भी वसूली करायी जाय।

xecutive Officer
unicipal Board
BAHR/ICH

जलकल विभाग के विभिन्न प्रकृति के कसए गए कार्यों का मापन करके माप पुस्तिका में अंकित न किए जाने के कारण एवं कार्यस्थल का बोध न होने कारण रु० 2,97,700—00 का अनियमित व अमान्य भुगतान :— जलकल विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य कराया गया था—

क्रमांक	वाउचर संख्या/तिथि	कार्य का विवरण	फर्म का बिल क्रमांक/तिथि	धनराशि
1—	80/ 06—12—2014	पी०वी०सी० पाइप विद कॅपलर 110mm×4kg/cm² आपूर्ति करके 1 मी० गहरा ट्रेन्च खोदकर पाइप का बिछाना एवं ट्रेन्च को पाटना व पी०वी०सी० पाइप 110 mm से पी०वी०सी० पाइप 110 mm में इण्टरकनेक्शन कर आदि मय लेबर चार्जेज़	शून्य/ 13—11—2014	48,600/—
2—	81/ 06—12—2014	—तदैव—	शून्य/ 12—11—2014	78,300/—
3—	82/ 06—12—2014	—तदैव—	शून्य/ 14—11—2014	29,700/—
4—	83/ 06—12—2014	—तदैव—	शून्य/ 15—11—2014	40,500/—
5—	84/ 06—12—2014	पी०वी०सी० पाइप विद कॅपलर 90mm×4kg/cm² आपूर्ति करके 1 मी० गहरा ट्रेन्च खोदकर पाइप का बिछाना एवं ट्रेन्च को पाटना व पी०वी०सी० पाइप 90 mm से पी०वी०सी० पाइप 110 mm में इण्टरकनेक्शन कर आदि मय लेबर चार्जेज़	शून्य/ 17—11—2014	28,050/—
6—	85/ 06—12—2014	पी०वी०सी० पाइप विद कॅपलर 90mm×4kg/cm² आपूर्ति करके 1 मी० गहरा ट्रेन्च खोदकर पाइप का बिछाना एवं ट्रेन्च को पाटना व पी०वी०सी० पाइप 90 mm से ए०सी० पाइप 150 mm में इण्टरकनेक्शन कर आदि मय लेबर चार्जेज़	शून्य/ 18—11—2014	34,675/—
7—	86/ 06—12—2014	पी०वी०सी० पाइप विद कॅपलर 90mm×4kg/cm² आपूर्ति करके 1 मी० गहरा ट्रेन्च खोदकर पाइप का बिछाया एवं ट्रेन्च को पाटना व पी०वी०सी० पाइप 90 mm.से पी०वी०सी० पाइप 90 mm में इण्टरकनेक्शन कर आदि मय लेबर चार्जेज़	शून्य/ 19—11—2014	37,875/—
			योग	2,97,700/—

उपर्युक्त समस्त कार्य एक ही प्रकृति के थे, इसलिए इन कार्यों का अनुमान तैयार कराकर इसका अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए और वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जानी चाहिए तथा तत्पश्चात् टेण्डर की कार्यवाही की जानी चाहिए, परन्तु ऐसा न करके उक्त कार्य खण्डों में विभक्त करके कराया गया था, जो नगर पालिका लेखा नियमावली मे वर्णित व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन था। फर्म को कोई कार्यादेश भी नहीं दिया गया था। उपर्युक्त कार्य सिविल एवं मॅकैनिकल प्रकृति का होने के कारण इसका कार्य का मापन करते हुए माप पुस्तिका में अंकित किया जाना चाहिए, परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि कार्य पालिका परिषद के किस वार्ड या स्थल पर हुआ था, का कोई बोध नहीं था। इस स्थिति के कारण काल्पनिक कार्य दिखा करके उपर्युक्त बिलों को तैयार किया गया था और इसका भुगतान किया गया था। इस स्थिति के कारण किया गया भुगतान अनियमित एवं अमान्य था। इसकी वसूली उत्तरदायी से कराकर पालिका कोष में जमा कराया जाय। कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय। उपर्युक्त समस्त भुगतान मेसर्स नदीम प्लम्बरिंग वर्क्स, बहराइच को किया गया था।

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

जलकल विभाग में पानी की पाइप लाइन की मरम्मत व अन्य विविध कार्य के लिए रु० 56,000=00 का अनियमित/अमान्य भुगतान :- मिज्जन वर्क रिपेयरिंग शॉप से उनके सम्मुख अंकित स्थिति के अनुसार निम्नानुसार भुगतान किया गया था-

क्रमांक	वाउचर संख्या/तिथि	फर्म की बिल संख्या/तिथि	धनराशि	अभ्युक्ति
1-	08/06-01-2015	319/23-09-2014	12,000/-	भिनगा स्टैण्ड के पास पानी की पाइप लाइन फट जाने के कारण मरम्मत का कार्य
2-	09/06-01-2015	322/22-11-2014	12,000/-	प्लानिंग कालोनी में स्थित ट्यूबवेल कवरवाल, नट की चूड़ी, रिफलैक्ट वाट में फिल्ड वाल की मशीन दोनों तरफ लैन्थ पर बनवाना
3-	10/06-01-2015	323/27-10-2014	16,000/-	वशीरगंज पुलिस चौकी पर स्थित नलकूप में पाइपों को फ्लैन्च से जुड़वाने का कार्य
4-	11/06-01-2015	325/15-11-2014	16,000/-	वशीरगंज पुलिस चौकी स्थित नलकूप में 4 पाइप लाइनों का फ्लैन्च से जुड़वाने का कार्य
		योग	56,000/-	

उपर्युक्त दी गयी स्थिति से स्पष्ट है कि-

(1) क्रमांक 2, 3 व 4 पर अंकित फर्म के बिलों में व्युत्क्रम है अर्थात् बिल आरोही क्रम में नहीं हैं। इस स्थिति के कारण बिलों की स्थिति काल्पनिक व फ़र्जी हो जाती है।

(2) कराए गए कार्यों का कोई एम०बी० नहीं थी, साथ ही क्रमांक 3 व 4 पर उल्लिखित कार्य एक ही स्थल होने के कारण सूक्ष्म अन्तराल में ही कराए जाने से एक ही कार्य की पुनरावृत्ति हो रही है।

(3) फर्म को कोई कार्यादेश भी जारी नहीं हुआ था।

उक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कार्य कृत्रिम रूप से तैयार करके भुगतान किए जाने की पुष्टि होती है। अतएव तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्य की स्थिति काल्पनिक व संदिग्ध हो जाने के कारण किया गया कार्य अनियमित/अमान्य है। अतः उपर्युक्त भुगतानित धनराशि रु० 56,000=00 की वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से कराकर पालिका कोष में जमा कराया जाय एवं कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(11) दोहरा लेखा प्रणाली व्यवस्थान्तर्गत भुगतानित धनराशि रु० 75,000=00 का परफॉर्मेन्स शून्य :- व्यय प्रमाणकों की जाँच में स्पष्ट हुआ कि व्यय प्रमाणक संख्या- 01/01-01-2015 द्वारा मेसर्स मार्ग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, लखनऊ को दोहरा लेखा प्रणाली के अन्तर्गत हाउस, वॉटर टैक्स, वॉटर चार्जेज़, मृत्यु एवं जन्म, वेतन, ग्रे वान्सेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन व वेबसाइट मेन्टिनेन्स सिस्टम के मेन्टिनेन्स से भुगतान किया गया था। सम्परीक्षा में पालिका परिषद के उपर्युक्त अभिलेखों से स्पष्ट

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

हुआ कि पालिका के कोई भी अभिलेख कम्प्यूटराइज़ नहीं थे, अपितु हस्तलिपि थी। इस स्थिति के कारण कार्य की स्थिति वास्तविकता से परे होने के कारण भुगतान की उपादेयता शून्य हो जाती है।

अतएव उक्त भुगतानित धनराशि अनियमित/अमान्य थी। इसकी प्रतिपूर्ति उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से कराया जाना अपेक्षित है।

(12) **आपूर्तिकर्ता फर्म को बिल की धनराशि भुगतान न करके श्री प्रमोद कुमार, पौण्ड कीपर को रु० 1,08,871=00 का अनियमित/अमान्य भुगतान** :- निम्नलिखित व्यय प्रमाणकों की धनराशि उनके सम्मुख अंकित स्थिति के अनुसार सम्बन्धित फर्म को भुगतान न करके नगर पालिका के कर्मचारी श्री प्रमोद कुमार, पौण्ड कीपर की को किया गया था। यह व्यवस्था नगर पालिका लेखा नियमावली के भाग-1 के नियम-5(क)(ख) में उल्लिखित रीति के अनुसार भुगतान किया जाना था अर्थात् अकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से होना था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। उल्लेखनीय यह भी है कि वर्तमान में समस्त भुगतान ई-मेल व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था/फर्म को उसके बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाना चाहिए। उपर्युक्त वर्णित स्थिति में नकदी के रूप में पालिका के उक्त कर्मचारी द्वारा भुगतान हेतु फर्म को प्राप्त करायी गयी धनराशि का विधिसम्मत कोई प्राप्ति रसीद भी नहीं थी, और न ही सम्बन्धित बिल वाउचरों पर उक्त कर्मचारी द्वारा *"पेमेन्ट बाइ मी"* की प्रमाण-पत्र ही दिया गया था।

अतएव उक्त दी गयी तथ्यपरक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में किया गया भुगतान अनियमित/अमान्य था। इसकी प्रतिपूर्ति श्री प्रमोद कुमार, पौण्ड कीपर से कराकर फर्म को भुगतान कराया जाय और यह भुगतान ई-मेल माध्यम से कराकर साक्ष्य उपलब्ध कराया जाय। भुगतानों का विवरण निम्नवत् है-

क्र०	व्यय प्रमाणक संख्या/तिथि	फर्म का नाम		कार्य का विवरण	धनराशि
1-	95/ 10-12-2014	जे० के० टेन्ट हाउस		6 अदद स्वागत द्वार बनाए जाने के सम्बन्ध में भुगतान	18,000/-
2-	96/ 10-12-2014	माँ महाकाली टेन्ट हाउस		गणेश पूजा, विसर्जन हेतु पंडाल व कुर्सी की व्यवस्था	19,507/-
3-	97/ 10-12-2014	(i)	प्रकाश स्वीट्स	चाय, नाश्ता, पानी	9,380/-
		(ii)	थम्स अप ड्रिंकिंग वाटर	चाय, नाश्ता, पानी	4,800/-
		(iii)	जय माँ महाकाली टेन्ट हाउस	चाय, नाश्ता, पानी	4,280/-
				योग	18,460/-
4-	98/ 10-12-2014	राशिद इलेक्ट्रिक साउण्ड सर्विसेज़		आवारा जानवरों के लाइसेंस बनाने हेतु	4,000/-
5-	99/ 10-12-2014	जय माँ महाकाली टेन्ट हाऊस		दीवाली के अवसर पर 6 अदद स्वागत द्वार बनाने हेतु	18,000/-
6-	100/ 10-12-2014	जय माँ महाकाली टेन्ट हाऊस		मोहर्रम के अवसर पर 6 अदद स्वागत द्वार बनाने हेतु	18,000/-
7-	101/ 10-12-2014	जय माँ महाकाली टेन्ट हाऊस		मोहर्रम के अवसर पर घण्टाघर के बाहर कुर्सी व पण्डाल की व्यवस्था हेतु	12,904/-
				योग	1,08,871/-

टिप्पणी :-

(1) उपर्युक्त भुगतान धनराशि रु० 1,75,828=00 चेक संख्या- 2844 व दिनाँक 10-12-2014 के अन्तर्गत किया गया था।

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

(13) रु० 33.74 लाख लेखे से बाहर हो जाने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता :— इस सम्परीक्षा आख्या के भाग—'ख' के पैरा—2(ख) में वर्णित स्थिति के अनुसार 31 जनवरी 2015 को सामान्य रोकड़बही के अवशेष रु० 19,41,69,369=84 में से रु० 33,74,234=00 कम करके अवशेष रु० 19,07,95,135=84 अग्रेनित किया गया था। इस स्थिति के कारण रु० 33,74,234=00 लेखे से बाहर हो गया था। कम किए जाने का स्पष्टीकरण भी रोकड़बही में नहीं दिया गया था। उक्त स्थिति के कारण यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में है। इसकी विभागीय जाँच कराकर परिणाम से अवगत कराया जाय।

(14) लेखाकार/लेखा लिपिक द्वारा बरती गयी चूक के कारण रु० 10,000=00 का अधिक भुगतान :— व्यय प्रमाणक संख्या— 48 दिनाँक 17—01—2015 की जाँच में स्पष्ट हुआ कि प्रपत्र एम०ए०सी०—5 की 200 बुक राघवेन्द्र प्रेस, बहराइच से छपाई गयी थी। उक्त प्रपत्र के आपूर्ति का बिल प्रेस के बिल संख्या— 319 दिनाँक 30—12—2014 द्वारा रु० 13,000=00 का प्रस्तुत किया गया था। लेखाकार/लेखा लिपिक की आख्या दिनाँक 13—01—2015 द्वारा अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष के समक्ष यह आख्या प्रस्तुत की गयी कि "अंकित आख्यानुसार सम्बन्धित बिल की जाँच कर दी गयी है तद्नुसार रु० 3,000=00 भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।"

उक्त आख्या के आधार पर अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा क्रमशः दिनाँक 15—01—2015 व 16—01—2015 को लेखाकार/लेखा लिपिक के द्वारा दी गयी आख्यानुसार वांछित भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी जबकि उक्त व्यय प्रमाणक के अनुसार भुगतान रु० 13,000=00 किया गया था, यद्यपि भुगतान की स्वीकृति मात्र रु० 3,000=00 ही थी। अतएव स्वीकृति की धनराशि से रु० 10,000=00 का अधिक भुगतान किया गया था। इसकी वसूली उत्तरदायी से कराकर पालिका कोष में जमा कराया जाय।

(15) पालिका परिषद द्वारा काल्पनिक रुप से रु० 20.55 लाख की आय की वसूली दर्शित करके रु० 57,24,642=00 की धनराशि राज्य वित्त आयोग मद से 2% प्रोत्साहन के रूप में वसूली के आँकड़ों में हेरा—फेरी करके प्राप्त किया जाना :— पालिका परिषद में अनुरक्षित वर्गीकृत सारपंजी के अनुसार निम्नलिखित कर एवं करेत्तर राजस्व की प्राप्तियाँ दर्शायी गयी थी—

क्रमांक	मद का नाम	वसूली
1—	गृहकर	46,55,232/—
2—	जलकर	33,57,910/—
3—	नकल फीस	27,540/—
4—	कीमत फार्म	1,32,980/—
5—	जल मूल्य	2,00,556/—
6—	किराया दुकान	15,61,819/—
7—	सफाई शुल्क, घण्टाघर पार्किंग शुल्क	77,405/—
8—	मजबा वधशाला मृत पशु	44,774/—
9—	खड़खड़ा ठेला	3,09,378/—
10—	बियर शॉप	75,000/—
11—	लकड़ी सोख्ता	1,280/—
12—	मछली बाज़ार	55,744/—
13—	नवीनीकरण/पंजीकरण	1,40,125/—
14—	प्रदर्शनी मेला कर	99,560/—
15—	कोयला	360/—

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

16–	जुर्माना इंजन	1,000/–
17–	बिक्री कर/वैट	4,935/–
18–	पेट्रोलियम मिट्टी तेल	1,330/–
19–	पानी टैंकर, मैला टैंकर	1,55,000/–
20–	आवंटन मैरिज हॉल	29,800/–
21–	जल संयोजन/विच्छेदन	29,258/–
22–	निविदा टेण्डर मूल्य निर्माण	10,00,313/–
23–	लॉज/होटेल	30,000/–
24–	पॉवर मोटर	15,542/–
25–	कूड़ा व गन्दा पानी	शून्य
26–	दुकान प्रान्गण नाली शुल्क	शून्य
27–	पैथालॉजी	10,000/–
28–	लाउड स्पीकर	2,000/–
29–	अन्य रोड कटिंग विविध	8,41,422/–
30–	2% स्टाम्प शुल्क से आय	1,11,81,867/–
31–	शो टैक्स	99,920/–
32–	2% विकास शुल्क (विनियमित क्षेत्र)	57,51,997/–
	योग	2,98,93,047/–

क्रमांक 30, 31 व 32 पर उल्लिखित आय वर्गीकृत सारपंजी में दर्शित नहीं थी।

पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2014–15 के कर एवं करेत्तर राजस्व के वसूली की स्थिति प्रपत्र–21 पर शासन/निदेशालय को भेजी गयी थी, उसके अनुसार कर एवं करेत्तर राजस्व की क्रमशः रु० 187.90 लाख तथा 131.58 लाख अर्थात् कुल रु० 319.48 लाख की वसूली की स्थिति सूचित की गयी थी। शासन द्वारा वसूली का लक्ष्य रु० 390.50 लाख निर्धारित किया गया था और वसूली का प्रतिशत 81.81 था। वर्गीकृत सारपंजी व रोकड़बही के अनुसार कर एवं करेत्तर राजस्व की कुल वसूली रु० 298.93 लाख उपर्युक्तानुसार दिए गए विवरण के अनुसार होती है तथा निर्धारित लक्ष्य रु० 390.50 के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत 76.55 ही है। इस प्रकार रु० 20.55 लाख की काल्पनिक वसूली दिखाकर राज्य वित्त आयोग मद से सम्परीक्षा आख्या के भाग–'ख' के प्रस्तर–4(क) के क्रमांक–(6) पर उल्लिखित स्थिति के अनुसार रु० 57,24,642=00 2% प्रोत्साहन की धनराशि शासन से काल्पनिक रूप से आय में वृद्धि कर के प्राप्त की गयी थी। 2% प्रोत्साहन की धनराशि राज्य वित्त आयोग मद से 80 या 80 प्रतिशत से निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अधिक वसूली करने वाले स्थानीय निकायों को ही प्राप्त होती हैं।

अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति के परीप्रेक्ष्य में कपटपूर्ण ढंग से आय में वृद्धि करके प्राप्त की गयी अनुदान की धनराशि को वापस/समर्पित की जाय एवं कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

सम्परीक्षा आख्याः भाग–ख

गत सम्परीक्षा रिपोर्ट

1. गत–विगत लेखा परीक्षा रिपोर्ट :– अनुलग्नक "दो" में दी गयी स्थिति के अनुसार वर्ष 1970–71 से 2013–14 तक सम्परीक्षा आख्या के कुल 2106 अनुच्छेद अनिस्तारित चले आ रहे हैं। नगर पालिका लेखा नियमावली के भाग–1 के नियम–12(2) के अनुसार वर्तमान सम्परीक्षा में निर्गत आपत्तियों की अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मूल रूप में वापस किया जाना चाहिए, परन्तु सम्परीक्षा समाप्ति तक किसी भी आपत्ति का उत्तर देते हुए मूल रूप में वापस नहीं किया गया। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा पूर्व वर्षों की निर्गत की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उ०प्र० स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम–1984 की धारा–9(1) के अन्तर्गत अनुपालन कार्यवाही हेतु पालिका परिषद का ध्यान आकृष्ट किया गया, परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा अधियाचन संख्या– 99 दिनाँक 11–09–2015 निर्गत किया गया, जो निष्प्रभावी एवं अनुत्तरित रहा।

अतएव गत–विगत वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु पालिका परिषद के प्रमुख/अध्यक्ष का ध्यान विशिष्ट रूप से आकृष्ट किया जाता है।

2. क) वित्तीय स्थिति :– उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार परिशिष्ट "एक" में दिया गया है।

टिप्पणी :–

(1) रोकड़बही नगर पालिका लेखा नियमावली के प्रपत्र–34 पर अनुरक्षित नहीं की जा रही है। इसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त निर्धारित प्रपत्र पर ही रोकड़बही अनुरक्षित करके आगामी सम्परीक्षा पर दिखाया जाय।

(2) नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय–8 के नियम 90 से 96 में वर्णित व्यवस्थानुसार रोकड़िया की रोकड़बही प्रपत्र– 'क' व 'ख' पर भाग– 1 व 2 नहीं बनाया गया था तथा प्रपत्र 'ग' पर दैनिक इतिशेषों का विवरण दिया जाना चाहिए, परन्तु इसे भी नहीं बनाया गया था। इस स्थिति के कारण रोक़ड़बही के अन्तिम अवशेषों, योग आदि में विभिन्न त्रुटियाँ परिलक्षित हुई। अतएव उक्त निर्धारित प्रपत्र पर रोकड़बही अनुरक्षित किया जाय एवं आगामी सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

(3) शासन द्वारा अप्रैल 2008 से ही स्थानीय निकायों के रोकड़बही व अन्य समस्त अभिलेख दोहरा लेखा प्रणाली पर बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु वर्तमान स्थिति तक इसका अनुपालन नहीं किया गया था।

(4) 31 मार्च 2015 को रोकड़बही व बैंक खाते के अवशेष का मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था जबकि नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय– 8 के नियम–103 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार बैंक समाधान विवरण बनाया जाना चाहिए तथा अंतिम अवशेष का विघटन देते हुए मिलान किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था।

(5) अनकैश चेकों के स्थिति का विवरण भी नहीं तैयार किया गया था। सम्परीक्षा द्वारा मार्च 2015 में निर्गत चेकों का बैंक खातों से मिलान किए जाने पर राज्य वित्त आयोग, 13वाँ वित्त आयोग व 2% स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित अनकैश चेकों का विवरण परिशिष्ट "तीन" पर दिए जाने के अनुसार रु० 1,28,94,894=00, 1,98,85,286=00 व 1,03,21,579=00 के चेक अनकैश थे। अप्रैल 2014 से 28 फरवरी 2015 के मध्य के अनकैश चेकों का विवरण उपलब्ध कराया जाय।

(6) क्रमांक 5, 6 व 7 पर उल्लिखित बैंक खाता व कोषागार खातों के 31 मार्च 2015 के अवशेष के सत्यापन हेतु बैंक खाते का बैंक स्टेटमेन्ट व कोषागार सीट उपलब्ध करायी जाय।

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

(7) सम्परीक्षा द्वारा बैंक समाधान विवरण स्वतः बनाए जाने पर अर्थात् उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जो बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया उसके अनुसार 31 मार्च 2015 को बैंक खाते का अवशेष रोकड़बही के अवशेष से रु० 1,24,50,794=36 कम है। यह स्थिति गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। विस्तृत विवरण इस सम्परीक्षा आख्या के भाग–'क' के पैरा क(2) में दिया गया है।

(8) वर्ष 2014–15 के रोकड़बही के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि 31 मार्च 2014 / 1 अप्रैल 2014 को रोकड़बही का अन्तिम / प्रारम्भिक अवशेष रु० 11,39,35,187=84 था, जिसे वर्ष 2014–15 के निमित्त अग्रेनित भी किया गया था, परन्तु प्रत्येक मास के अन्तिम अवशेष को काटते हुए रु० 33,74,234=00 कम करते हुए अग्रेनित किया गया था। इस कम किए जाने का उचित टीका–टिप्पणी / बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था। इसका औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(9) आय–व्यय का संहत विवरण प्रपत्र एल०ए०ओ०–104 में दिया गया है। (संलग्नक–6)

2. (ख) **<u>रु० 33.74 लाख की धनराशि माह के अन्त में कम करके अग्रेनित किए जाने से गम्भीरतम वित्तीय अनियमितता</u>** :– वर्ष 2014–15 के रोकड़बही के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि 31–03–2014 / 01–04–2014 को रोकड़बही का अंतिम / प्रारम्भिक अवशेष रु० 11,39,35,167=84 ही था और इसी प्रारम्भिक अपशेष के आधार पर 31 जनवरी 2015 तक रोकड़बही में अंकना भी की गयी थी। कालान्तर में प्रत्येक माह का जो मासिक प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण तैयार किया गया था, माह के अंतिम अवशेष में रु० 33,74,233=00 31 जनवरी 2015 तक किया गया था। 31 जनवरी 2015 को काटने के पूर्व रोकड़बही का अवशेष रु० 19,41,69,369=84 था, जिसमें से उक्त बताई गयी रीति के अनुसार रु० 33,74,234=00 कम करके फरवरी माह का प्रारम्भिक अवशेष रु० 19,07,95,135=00 अग्रेनित किया गया था। उक्त कटिंग को अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापित / प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया था। इस प्रकार बिना किसी उचित टीका–टिप्पणी एवं बैंक समाधान विवरण बिना बनाए ही रु० 33,74,234=00 कम कर दिए जाने के कारण लेखे से बाहर हो गयी थी। यह स्थिति गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ लेखा परीक्षक का अधियाचन संख्या– 99 दिनाँक 11–09–2015 द्वारा निर्गत किया गया, परन्तु इसका कोई उत्तर / समाधान विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया।

अतएव रु० 33,74,233 की धनराशि उपर्युक्त कारण बताए बिना ही कम कर दिए जाने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होती है। इसकी विभागीय जाँच कराकर वास्तविकता से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

3. क) **<u>नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का लेखा वांछित</u>** :– पालिका परिषद द्वारा 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के निमित्त नकद परिसम्पत्तियों एवं दायित्व का लेखा तैयार नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ लेखा परीक्षक का अधियाचन संख्या– 99 दिनाँक 11–09–2015 द्वारा जारी किया गया, परन्तु इसका कोई तर्क नहीं दिया गया और न ही इसे तैयार कराकर प्रस्तुत कराया गया। इसे तैयार कराकर आगामी सम्परीक्षा को दिखाया जाय।

3. ख) **<u>31. मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की बैलेन्स शीट वांछित</u>** :– पालिका परिषद द्वारा 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की बैलेन्स शीट तैयार नहीं की गयी थी। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ लेखा परीक्षक का अधियाचन संख्या– 99 दिनाँक 11–09–2015 द्वारा जारी किया गया, परन्तु इसका कोई तर्क नहीं दिया गया और न ही इसे तैयार कराकर प्रस्तुत कराया गया। इसे तैयार कराकर आगामी सम्परीक्षा को दिखाया जाय।

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

पालिका परिषद द्वारा बजट में न्यूनतम अन्त अतिशेष की व्यवस्था न किया जाना :– नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 की धारा–101 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार बजट में न्यूनतम अन्त अतिशेष की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। उक्त धारा में दी गयी स्थिति के अनुसार बजट तैयार करने में नगर पालिका परिषद को राज्य सरकार से न्यूनतम अन्त अतिशेष की अनुमोदन कराते हुए इसकी व्यवस्था बजट में की जानी चाहिए। अतएव इसकी व्यवस्था न किए जाने कारण स्पष्ट करते हुए इसकी व्यवस्था करायी जाय।

4. **राजकीय अनुदान** :– प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त अनुदानों का उपभोग सम्परीक्षा आख्या में यथास्थान उल्लिखित अभ्यूक्तियों/टिप्पणियों के अतिरिक्त निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार किया गया था।

आलोच्य अवधि में निम्नलिखित राजकीय अनुदान/शासकीय सहायता प्राप्त हुई थी–

(क) **राज्य वित्त आयोग** :– तृतीय राज्य वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर निदेशक स्थानीय निकाय उ० प्र० लखनऊ से निम्नलिखित धनराशियाँ प्राप्त हुई थीं–

क्रमांक	स्वीकृति पत्र संख्या/दिनाँक	धनराशि	अभ्यूक्ति
1.	8/5579/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2013–14 दिनाँक 05–05–2014	4,28,94,617/–	माह अप्रैल–मई 2014 के वेतन भत्तों हेतु
2.	8/79/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014–15 दिनाँक 19–06–2014	4,33,90,256/–	माह जून व जुलाई 2014 के वेतन भत्तों हेतु
3.	8/5843/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014–15 दिनाँक 14–08–2014	17,58,14,252/–	अगस्त 2014 से मार्च 2015 के वेतन भत्तों हेतु
4.	8/5844/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014–15 दिनाँक 14–08–2014	4,38,65,445/–	व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष
5.	8/3353/37/रिवाल्विंग फण्ड वापसी/2014–15 दिनाँक 02–03–2015	10,36,440/–	2014–15 की रिवाल्विंग फण्ड के वापसी के सम्बन्ध में
6.	8/3382/29/2 प्रतिशत/2012–13/2014–15 दिनाँक 20–03–2015	57,24,642/–	प्रोत्साहन की 2% धनराशि
7.	8/3383/मानक तृ०रा०वि०आ०/1 प्रतिशत/2014–15 दिनाँक 20–03–2015	28,96,278/–	1% मलिन बस्ती के सुधार हेतु
8.	8/7087/तृ०रा०वि०आ० आर०एफ० /2014–15 दिनाँक 11–12–2014 (बैंक ड्राफ्ट सं० 800457 दिनाँक 03–11–2014)	10,36,440/–	वर्ष 2013–14 के रिवाल्विंग फण्ड की किए गए कटौतियों के वापसी के सम्बन्ध में
		योग रु० 31,66,58,370/–	

टिप्पणी :–

(1) पालिका परिषद द्वारा जिलाधिकारी, बहराइच पत्रांक– 71 राज्य वित्त आयोग/बिल/प्रति०/लेखा/2014–15 दिनाँक 25–03–2015 द्वारा यह अवगत कराया गया था कि स्वीकृति पत्र दिनाँक 05–05–2014, 19–06–2014, 14–08–2014, 02–03–2015, 20–03–2015, को लेखा शीर्षक– 301 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशियों के सापेक्ष रु०

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

4,79,64,205=00 उपभोग हेतु अवशेष है और इसे राजकोष से आहरित करके पदेन संचालित पालिका निधि के खाते में अन्तरण हेतु आहरित किया गया था।

(2) लेखा शीर्षक– 302 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि 4,38,65,445=00 के सापेक्ष रु० 9,23,079=00 उपभोग हेतु अवशेष बताया गया था और इसे आहरित करके पालिका निधि खाते में जमा कर दिया गया।

(3) क्रमांक 8 पर उल्लिखित अनुदान रु० 10,36,440=00 जो बैंक ड्राफ्ट से पालिका परिषद को प्राप्त हुआ था, वह पालिका निधि खाते में जमा हुआ था। परन्तु उपभोग हेतु वर्तमान स्थिति तक अवशेष है। इसके सापेक्ष कोई बिल भुगतान हेतु नहीं दिया गया।

(4) टिप्पणी 2 व 3 पर उल्लिखित स्थिति के अनुसार रु० 4,88,87,284=00 के सापेक्ष 31 मार्च 2015 को रु० 27,67,506=00 व्यय/उपभोग किया गया था। इस प्रकार उक्त के सापेक्ष रु० 4,61,19,778=00 अनुपभुक्त थी, साथ ही क्रमांक 8 पर उल्लिखित धनराशि रु० 10,36,440=00 भी अनुपभुक्त थी। अतएव अनुपभुक्त कुल धनराशि रु० 4,71,56,218=00 राजकोष को समर्पित/वापस किया जाय एवं कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

(5) पुष्टि किया जाय कि राज्य वित्त आयोग मद से उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी।

4. (ख) <u>13वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान</u> :– आलोच्य अवधि में 13वें वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर सर्विस लेबिल बेन्च मार्क से सम्बन्धित 04 सेवा क्षेत्रों यथा जलपूर्ति, मलजल, व्यवस्था, वर्षा जल की निकासी तथा ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबन्धन में निर्धारित सेवा मानकों के निमित्त निम्नलिखित धनराशियाँ प्राप्त हुई थी। उक्त धनराशियाँ निदेशक स्थानीय निकाय लखनऊ के निम्नलिखित पत्रों द्वारा स्वीकृत की गयी थी–

क्रमांक	स्वीकृति पत्र संख्या/दिनाँक	धनराशि	अभ्युक्ति
1.	संख्या 8/5542/92(1)/13वाँ वित्त आयोग /2012–13 व 2013–14 दिनाँक 31–03–2014	74,81,071/–	----
2.	संख्या 8/6017/92(1)/13वाँ वित्त आयोग (सामान्य बुनियादी अनुदान प्रथम किश्त) वित्तीय वर्ष 2014–15 दिनाँक 20–10–2014	1,11,90,332/–	----
	योग	1,86,71,403/–	

टिप्पणी :–

(1) वर्ष 2014–15 में पी०एन०बी० नोडल खाता संख्या– 0072000106097563 ब्याज स्वरूप रु० 17,25,003=00 प्राप्त हुआ था।

(2) 31 मार्च 2015 को उक्त खाते का अवशेष रु० 3,10,64,194=00 था। इस अवशेष के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाय कि उक्त अवशेष धनराशि में किन–किन वर्षों की अनुपभुक्त धनराशियाँ सम्मिलित हैं।

(3) वर्ष 2014–15 में पूर्व से अनुपभुक्त और प्राप्त धनराशियों के सापेक्ष कितना व्यय हुआ है, का विवरण उपलब्ध कराया जाय।

(4) उक्त अनुदान के उपभोग की तिथि 31 दिसम्बर 2015 थी।

(5) पुष्टि किया जाय कि उक्त अनुदानों के अतिरिक्त अन्य कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था।

(6) प्राप्त अनुदानों का विवरण प्रपत्र एल०ए०ओ०–105 में दिया गया है, जो परिशिष्ट–"7" पर सन्दर्भित है।

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

राजकीय ऋण :– पुष्टि किया जाय कि आलोच्य अवधि में न तो कोई राजकीय ऋण प्राप्त हुआ था और न ही गत्–विगत वर्षों का कोई ऋण प्रतिदान हेतु अवशेष था।

6. **नजूल** :– इससे सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत रहे, आगामी सम्परीक्षा में इसको दिखाया जाय।

7. **कर एवं करेत्तर राजस्व के प्राप्तियों एवं समाहरण की स्थिति** :– कर एवं करेत्तर राजस्व की प्राप्तियों एवं समाहरण की स्थिति प्रपत्र एल०ए०ओ०–106 में दिया गया है। (संलग्नक–5)

(क) **2% हस्तान्तरण विलेख शुल्क की प्राप्ति** :– निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश, लखनऊ से निम्नलिखित धनराशियाँ प्राप्त हुई थीं।

क्रमांक	स्वीकृति पत्र संख्या/दिनाँक	धनराशि
1.	संख्या 8/3358/122–2%/स्टाम्प शुल्क/2014–15 दिनाँक 03–03–15	1,01,06,668/–
2.	संख्या 8/7934/122–2%/स्टाम्प शुल्क/2014–15 दिनाँक 27–03–15	10,75,199/–
	योग	**1,11,81,867/–**

उक्त प्राप्त धनराशि इलाहाबाद बैंक डिगिहा खाता संख्या– 21152946220 में जमा/आहरित हुई थी।

टिप्पणी :–

(1) पालिका स्तर पर कोई ऐसा अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि नगर पालिका सीमान्तर्गत ऐसी कौन–कौन सी सम्पत्तियों का क्रय–विक्रय हुआ है जिस पर हस्तान्तरण विलेख शुल्क की प्रभार्यता है और उसके सापेक्ष देय धनराशि प्राप्त हो गयी है। इसे अनुरक्षित कराकर सम्परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

(2) 2% स्टाम्प हस्तान्तरण विलेख शुल्क की पूर्व में प्राप्त धनराशि कोषागार के पी०एल०ए० खाता संख्या– 8448003 में जमा की जाती थी। उपलब्ध करायी गयी कोषागार सीट के अनुसार स्थिति निम्नवत थी–

1 अप्रैल 2014 को कोषागार खाते का अवशेष :–	1,62,94,191=52
प्राप्तियाँ :–	----
योग :–	1,62,94,191=52
आहरण/भुगतान :–	1,32,66,715=00
31 मार्च 2015 को अवशेष :–	30,27,476=52

31 मार्च 2015 को उक्त अवशेष का सत्यापन कोषागार सीट उपलब्ध कराकर, कराया जाय।

(ख) **विनियमित क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क की धनराशि** :– नियत प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, बहराइच से विकास शुल्क के मद से स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु निम्नलिखित धनराशियाँ प्राप्त हुई थीं–

क्रमांक	स्वीकृति पत्र संख्या/तिथि	चेक संख्या	धनराशि
1–	पत्रांक 2621/आर०ए०सी०/वि०क्षे०/2014–15 दिनाँक 12–01–2015	ए०59/100 592941 दिनाँक 29–12–2014	14,90,910/–
2–	पत्रांक 294/आर०ए०सी०/वि०क्षे०/2014–15 दिनाँक 20–03–2015	ए०59/100 592942 दिनाँक 02–02–2015	42,61,087/–
		योग	**57,51,997/–**

उक्त प्राप्त धनराशि के सापेक्ष तैयार की गयी कार्योजना एवं उपभोग की स्थिति उपलब्ध करायी जाय।

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

) गृहकर व जलकर :–

(1) गृहकर व जलकर की माँग व समाहरण पंजी जो अनुरक्षित की गयी है, उसका योग व सन्तुलन तथा मासिक व वार्षिक लेखाबन्दी भी नहीं की गयी है तथा अधिशासी अधिकारी व कर अधिकारी द्वारा तैयार की गयी माँग व समाहरण पंजी हस्ताक्षरित व प्रमाणित भी नहीं है।

(2) गृहकर व जलकर वार्षिक किराया मूल्य का 7% की दर से ही आरोपित किया जा रहा है। इस प्रकार गृहकर व जलकर की माँग समान होनी चाहिए, परन्तु आलोच्य अवधि में गृइकर व जलकल की माँग क्रमशः रु० 71,74165=00 व रु० 39,02,132=00 स्थापित की गयी है। इस प्रकार जलकर की माँग रु० 32,72,033=00 की माँग कम स्थापित किए जाने के कारण पालिका परिषद को उक्त सीमान्तर्गत आर्थिक हानि पहुँचायी गयी है। उक्त विसंगति एवं अनियमितता का अभिलेखिय के परिप्रेक्ष्य में औचित्य स्पष्ट किया जाय।

Municipal Board
BAHRAICH

(3) कर अधीक्षक द्वारा गृहकर व जलकर के माँग व समाहरण की स्थिति स्वहस्ताक्षरित विवरण उपलब्ध कराया गया है। इसका सत्यापन माँग व समाहरण पंजी उपलब्ध कराया जाय।

(4) 7,138 भवनों को कर निर्धारण की परिधि से बाहर बताया गया है। इसका सम्यक विवरण उपलब्ध कराते हुए कर निर्धारण से मुक्त होने के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए मानक से अवगत कराया जाय।

(5) वर्ष 2014–15 में नये बने भवनों, भवनों के विस्तार आदि संवर्द्धन के कारण करारोपण से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध कराया जाय।

(6) कॉमर्शियल भवनों की संख्या 353 बतायी गयी है। इनके कर निर्धारण की दरों से अवगत कराया जाय।

(7) अनुरक्षित वर्गीकृत सारपंजी में गृहकर व जलकर की वसूली क्रमशः रु० 46,55,232=00 व रु० 33,57,910=00 दर्शित/अंकित की गयी है जबकि कर अधीक्षक द्वारा की गयी सूचना के अनुसार गृहकर व जलकर की वसूली क्रमशः रु० 42,63,810=00 व रु० 30,59,203=00 बताया गया है। अतएव गृहकर व जलकर की वसूली क्रमशः रु० 3,51,422=00 व रु० 2,98,707=00 माँग व समाहरण पंजी में कम दर्शित किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(8) वर्ष 2014–15 में कर के समायोजन/कर निर्धारण/नामांत्रित भवनों से सम्बन्धित पत्रावली आगामी सम्परीक्षा को उपलब्ध कराकर कर में हुई वृद्धि/कमी का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(9) वर्ष 2013–14 की सम्परीक्षा आख्या के अनुसार गृहकर व जलकर की माँग गत वर्ष की अपेक्षा 2014–15 में क्रमशः रु० 1,17,897=00 व रु० 2,67,091=00 अधिक है। इससे इस तथ्य की सबल पुष्टि होती है कि नये भवनों/पुराने भवनों में वृद्धि/संवर्द्धन के कारण माँग में वृद्धि हुई है। अतएव इसका सम्यक विवरण उपलब्ध कराकर हुई वृद्धि का औचित्य स्थापित किया जाय।

(घ) <u>जलमूल्य</u> :–

(1) जलमूल्य के अभिलेखों के अनुरक्षण का दायित्व श्री अर्पित श्रीवास्तव लिपिक का था। इनके द्वारा जलमूल्य की माँग व समाहरण पंजी, जल संयोजन पंजी आदि कुछ भी नहीं बनाया गया था। माँग की स्थिति शासन को प्रेषित मासिक विवरण के आधार पर तैयार की गयी थी तथा समाहरण की स्थिति वर्गीकृत सारपंजी के आधार पर तैयार की गयी है, जो अनन्तिम एवं परिवर्तनीय है। इसके तैयार न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय। इसे आगामी सम्परीक्षा को तैयार करके उपलब्ध कराया जाय। बरती गयी उदासीनता के लिए इनके विरुद्ध नियमसंगत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(2) उक्त नियमावली के नियम 54 के अनुसार प्रपत्र–21 पर जल संयोजन पंजी अनुरक्षित किया जाय।

(3) नियम–56 के अनुसार प्रपत्र–3 पर माँग व समाहरण पंजी अनुरक्षित किया जाय।

(4) जल संयोजनों के लिए आवेदन की प्रविष्टि नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम– 52 में उल्लिखित प्रपत्र–20 पर तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।

(5) शासन द्वारा समय–समय पर यह निर्देश दिए गए थे कि जलापूर्ति व्यवस्था में हो रहे वृद्धि को देखते हुए प्रति जल संयोजन रु० 50/– प्रतिमाह की दर से आरोपण किया जाना चाहिए जबकि 20/– प्रति जल संयोजन प्रतिमाह का आरोपण किया जा रहा था। इस स्थिति के कारण पालिका परिषद को आर्थिक हानि हो रही थी।

(6) नगर विकास अनुभाग–2 उ० प्र० शासन, लखनऊ के शासनदेश संख्या–943/नौ–2–2006–4 नियम/06 दिनाँक 18–07–2006 के प्रस्तर–2(1)(2) के अनुसार वसूली की दर में वृद्धि नहीं किए जाने से आर्थिक हानि हो रही है।

अतएव उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

(ङ) लाइसेन्स शुल्क की वसूली निर्धारित दरों से न किया जाना :– नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय–2 के प्रस्तर लाइसेन्सों के द्वारा संग्रहण के अनुसार नियम 30 से 33 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार लाइसेन्स रजिस्टर प्रपत्र–13(क) में नहीं बनाया गया था और न ही प्रपत्र–12, 13 व प्रपत्र–18 पर विभिन्न मदों के लाइसेन्स जारी करने हेतु प्रपत्र भी नहीं बनाए गए थे। नियम–32 में वर्णित व्यवस्थानुसार लाइसेन्स को जारी करते समय प्रगामी योग की प्रविष्टि प्रत्येक प्रकरण पर की जानी थी जो नहीं किया गया था। नगर विकास अनुभाग–9 उ० प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–161/सी०एम०/नौ–9–9–923(जनरल)97 दिनाँक 16 दिसम्बर 1997 द्वारा पालिका परिषद को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु 39 मदों को वर्गीकरण करते हुए इनके दरों का भी निर्धारण किया गया था, परन्तु पालिका परिषद द्वारा मात्र 19 मदों पर ही लाइसेन्स शुल्क वसूल किया जा रहा था। इस स्थिति के कारण पालिका परिषद को 20 मदों पर लाइसेन्स जारी न किए जाने के कारण आवर्ती हानि हो रही थी। अतएव उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार समस्त अभिलेख अनुरक्षित किया जाय एवं शेष 20 मदों पर लाईसेन्स शुल्क वसूल करते हुए सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(च) <u>दुकान किराए की स्थिति</u> :– दुकान किराया पंजी नगर पालिका अधिनियम की धारा–127 के अधीन बनाए गए नियम पर सम्पत्ति रजिस्टर आधारित होनी चाहिए एवं तद्उपरान्त नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम–39 में वर्णित प्रपत्र–14 में किराया रजिस्टर बनाया जाना चाहिए, परन्तु उक्त प्रपत्र पर कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया था तथा नगर पालिका अधिनियम की धारा–291 के अधीन बकाए किराए की वसूली हेतु कार्यवाही भी नहीं की गयी थी। जिसके कारण 31 मार्च 2015 को रु० 15.74 लाख वसूली हेतु शेष थी। इतने बड़े भारी बकाया से स्पष्ट है कि पालिका परिषद के कर्मचारी वसूली के प्रति पूर्णतः उदासीन थे।

(2) माँग व समाहरण पंजी का मासिक व वार्षिक योग संतुलन आदि कुछ भी नहीं किया गया था। माँग–समाहरण पंजी अधिशासी अधिकारी व कर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व प्रमाणित भी नहीं था।

(3) दुकान किराए का कोई अनुबन्ध भी नहीं कराया गया था।

(4) माँग व समाहरण पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि कतिपय किराएदारों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजनों/वारिसान के आवंटित कर दी जाती थी। इससे स्पष्ट है कि पालिका के सम्पत्तियों के अनधिकृत रूप से अपने सम्पत्ति के समान माना जाता था। दृष्टान्त स्वरूप आजाद हिन्द पार्क में स्थित दुकान संख्या–114 श्री शब्बीर अहमद पुत्र मिट्ठू खाँ को रु० 74/– प्रतिमाह की दर से आवंटित की गयी थी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री श्रीमती शहनाज बेगम के नाम आवंटित कर दी गयी थी। इस प्रकार पालिका सम्पत्ति को स्व–सम्पत्ति की भांति परिवारजनों के नाम दर्ज/आवंटित किया जाना नितान्त अनियमित है। इसी प्रकार कई प्रकरण थे। यह स्थिति पालिका के हितों में कदापि उचित नहीं है। ऐसी आवंटित समस्त दुकानों की आवंटन निरस्त कराकर खुली नीलामी कराते हुए आवंटित की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(5) दुकान किराए की दर विगत लगभग 35 वर्ष पूर्व पुरानी है। इसकी किराए की पुर्ननिर्धारण कराया जाय।

8. <u>अग्रिम</u> :– नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय–8 के नियम–116, 117, 118, 119, व 121 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार दिए गए अग्रिमों को लेखा प्रपत्र–38 पर अनुरक्षित करके उपलब्ध कराया जाय एवं पुष्टि किया जाय कि आलोच्य अवधि में न तो कोई अग्रिम दिया गया है और न ही समायोजन हेतु गत्–विगत् वर्षों का अवशेष है।

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण :— उक्त नगर पालिका प्रथम श्रेणी की नगर पालिका है, जिसके लिए वर्ष 2014—15 में सम्परीक्षा हेतु कुल आवंटित 120 मानव दिवस के आधार पर शासनादेशानुसार आलोच्य अवधि में वरिष्ठ लेखा परीक्षक हेतु रु० 10,500/— प्रतिमानव दिवस एवं लेखा परीक्षक हेतु रु० 6,300/— प्रतिमानव दिवस के आधार पर आलोच्य अवधियों में रु० 10,92,000=00 सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया जाता है, जिसका सम्परीक्षा शुल्क ज्ञाप सम्परीक्षा में निर्गत किया जा चुका है। निर्गत सम्परीक्षा शुल्क ज्ञाप रु० 10,92,000=00 के साथ—साथ वर्ष 2010—2011 का बकाया सम्परीक्षा शुल्क रु० 3,61,440=00 तथा वर्ष 2011—12 एवं 2012—13 का बकाया सम्परीक्षा शुल्क रु० 19,60,800=00, इस प्रकार कुल बकाया सम्परीक्षा शुल्क रु० 23,22,240=00 को सम्परीक्षा तिथि तक जमा नहीं किया गया था। वर्तमान सम्परीक्षा में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क रु० 10,92,000=00 के साथ बकाया सम्परीक्षा शुल्क रु० 23,22,240=00 को भी कोषागार के निर्धारित लेखा शीर्षक "0070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ—60—अन्य सेवायें—110 सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क—01—सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क" में जमा कर चालान की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

10. **अन्य विविध अनियमितताऐँ** :—

(क) **प्रपत्र—5 के मुद्रण में बरती गयी अनियमितताऐँ** :— नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम—129 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार नगर पालिका के सभी प्रपत्रों के मुद्रण अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त किया जाना/कराया जाना चाहिए। सम्परीक्षा में यह विदित हुआ कि नगर पालिका के समस्त प्रपत्रों का मुद्रण स्थानीय प्रेस से कराया जा रहा था जो उक्त वर्णित व्यवस्था का उल्लंघन था। स्थानीय प्रेस से मुद्रण कराते समय यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया था कि मुद्रक से शपथ—पत्र लिया जाय कि जितनी मात्रा में मुद्रित करने के आदेश दिए गए है उससे ज्यादा नहीं किए जाएंगे और पालिका के मोनोग्राम को वापस कर दिया जाएगा। पालिका परिषद व मुद्रक के बीच में इस प्रकार का कोई अनुबन्ध नहीं था। इस स्थिति के कारण प्रपत्र—5 के रसीदों के दुरुपयोग की सम्भावना थी।

(2) मुद्रित प्रपत्र—5 के रसीद बुकों की संख्या वर्षानुवर्ष क्रमागत नहीं चल रही थी, जिसके कारण इन रसीद बुकों में भी डुप्लीकेसी होने की सम्भावना थी। अतएव इस सम्बन्ध में सम्परीक्षा का सुझाव है कि अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय से ही प्रपत्रों की रसीद बुकों को प्राप्त की जाय ताकि उपर्युक्त अनियमितताओं से बचा जा सके।

(ख) **रसीद बुकों के निर्गमन में बरती जा रही अनियमितताऐँ** :— नगर पालिका के विभिन्न प्राप्तियों के वसूली हेतु जो रसीद बुकें कर समाहर्ताओं/वसूलीकर्ताओं को निर्गत की जाती थी वे रसीदें भर जाने पर वापस नही की जा रही थी। इस स्थिति के कारण रसीदों के न होने से संग्रहित की गयी प्राप्तियों का सत्यापन नहीं हो पा रहा। अतएव कर समाहर्ताओं/वसूलीकर्ताओं के पास जो रसीदें हो उसकी स्टॉक बुक उपलब्ध कराया जाय।

(ग) **पालिका परिषद द्वारा उपविधियों का संरचना न किया जाना** :— पालिका परिषद द्वारा विभिन्न कर एवं करेत्तर का आरोपण व समाहरण किया जा रहा था। नगर पालिका अधिनियम—1916 व नगर पालिका लेखा नियमावली में वर्णित व्यवस्था के अनुसार आय के विभिन्न संसाधनों में वृद्धि करने एवं समाहरण हेतु बाइलॉज़ (उपविधि) बनाया जाना चाहिए और तदनुसार ही कोई कार्यवाही ली जानी चाहिए। अतएव कर एवं करेत्तर राजस्व के विभिन्न मदों के आरोपण व समाहरण हेतु बनाए गए बाइलॉज उपलब्ध कराया जाय अन्यथा बाइलॉज का संरचना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

पालिका परिषद में 1 अप्रैल 2005 अथवा इसके उपरान्त नियुक्त कर्मचारियों को अनियमित ढंग से नवीन पेंशन योजना का लाभ दिया जाना :– अधिसूचना संख्या– सा०–3–379/दस–2005–301(9)/2003 दिनाँक 28 मार्च 2005 द्वारा ऐसे कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके उपरान्त हुई है उनके सम्बन्ध में ऐसे कर्मचारियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया था। यह योजना ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू की गयी थी जिनके विभाग को 1 अप्रैल 2005 के पूर्व तत्समय राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना लागू थी जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार के समेकित निधि से किया जाता था उन्ही विभागों में 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन पेंशन योजना लागू की गयी थी। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर विभिन्न दिशा–निर्देश जारी किए गए। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासन द्वारा नवपरिभाषित पंशन योजना लागू करने के न तो कोई दिशा–निर्देश जारी किए गए और न ही स्थानीय निकाय के कर्मचारी उक्त नवीन पेंशन योजना के निर्धारित शर्तो को ही पूरा करते हैं। उल्लेखनीय यह है कि उक्त दिशा–निर्देशों के उपरान्त भी पालिका परिषद द्वारा 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों से उक्त योजना के अन्तर्गत 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती की जा रही थी। इसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बहराइच के बचत खाता संख्या– 60029121743 में जुलाई 2009 से काटे गए अंशदान को जमा किया जा रहा था जो उपर्युक्त अधिसूचना में जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन था। उक्त बैंक खाते में दिनाँक 07–05–2015 तक रु० 25,96,006=00 जमा था। अतएव उक्त काटे गए अंशदान जो अनियमित था, सम्बन्धित कर्मचारियों को ब्याज सहित वापस कराया जाय और की जा रही कटौती को रोका जाय, साथ ही इस सम्बन्ध में उक्त योजना को लागू करने के सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ से यदि कोई दिशा–निर्देश जारी किया गया हो तो उसे उपलब्ध कराया जाय अथवा सन्दर्भगत प्रकरण को शासन को सन्दर्भित करते हुए यथोचित निर्णय प्रदान किया जाय तथा सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

(ङ) वांछित अभिलेख :– निम्नलिखित व्यय प्रमाणकों से सम्बन्धित वांछित अभिलेख सम्परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसे आगामी सम्परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय–

क्र०	व्यय प्रमाणक संख्या व तिथि	व्यय विवरण	भुगतानित धनराशि	वांछित अभिलेख
1–	30/01–12–2014	(I) श्री राशिद सईद जे०ई० को दिनाँक 07–03–1995 से 30–11–2013 तक बकाया धनराशि रु० 21,62,822/– के सापेक्ष भुगतान	50,000/–	(1) बकाया वेतन बिल (2) पूर्व में किए गए भुगतानों का विवरण (3) बकाया भुगतान से सम्बन्धित बोर्ड का प्रस्ताव एवं सक्षम अधिकारी के आदेश (4) नियुक्ति/व्यक्तिगत पत्रावली व सेवा पुस्तिका
2–	30/01–12–2014	(II) श्री रामनरेश जे०ई० को दिनाँक 07–03–1995 से 30–04–2013 तक बकाया धनराशि रु० 19,86,628/– के सापेक्ष भुगतान	50,000/–	(5) बकाए के भुगतान के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिया गया आदेश
3–	43/01–12–2014 (चेक 2820/01–12–14)	3,500 फाईल कवर क्रय किया गया	19,250/–	क्रयादेश स्टोक बुक भुगतान प्राप्ति रसीद
4–	44/01–12–2014 (चेक 2821/01–12–14)	50 डब्बा ऑलपिन, 50 रजिस्टर 20 सीट, 100 रजिस्टर 40 सीट	7,000/–	क्रयादेश स्टोक बुक भुगतान प्राप्ति रसीद
5–	45/01–12–2014 (चेक 2822/01–12–14)	बैट्री ए०सी०ई०–15 प्लेट दो अदद	16,000/–	क्रय की स्वीकृति, क्रय का कारण, क्रयादेश, भुगतान प्राप्ति रसीद

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

6–	51/03–12–2014 (ई–पेमेन्ट)	नगर पालिका परिषद में लगे जेनरेटर, घण्टाघर में लगे जेनरेटर तथा हाइड्रोलिक	70,987/–	जेनरेटर की लॉग बुक तथा संगत अवधि के विद्युत आपूर्ति का रोस्टर (माह नवम्बर 2014)
7–	52/03–12–2014 (ई–पेमेन्ट)	सफाई वाहनों में डीज़ल	3,22,882/–	सम्बन्धित वाहनों की लॉग बुक तथा जारी की गयी पर्ची, वाहनों के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित अभिलेख
8–	90/10–12–2014 (चेक–2821)	180 लेटर पैड की छपाई एवं बाइंडिंग का भुगतान	38,700/–	सम्बन्धित आदेश, स्टॉक बुक तथा भुगतान आदेश
9–	93/10–12–2014	सी०एफ०एल बल्ब, पी०वी०सी तार, होल्डर, केबिल, चोक बल्ब (शान्ति एप्लायन्स केबिल 27 दिनाँक 25–11–2014 तथा 07–10–2014 व पप्पू इलेक्ट्रिक स्टोर के बिल न०–7114 दिनाँक 01–10–2014)	43,340/–	स्वीकृति आदेश, क्रयादेश, भुगतान प्राप्ति रसीद

(च) <u>सेवा पुस्तिकाओं की जाँच</u> :– निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका सम्परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत की गयी, जिन्हें अवलोकित किया गया–

क्रमांक	नाम	पदनाम	क्रमांक	नाम	पदनाम
1–	श्री अजय कुमार	सफाई नायक	24–	श्री आज़ाद	सफाई कर्मचारी
2–	श्री मुन्ना लाल	सफाई नायक	25–	श्रीमती कुलसम	सफाई कर्मचारी
3–	श्री राजेश कुमार	सफाई नायक	26–	श्री लाल बहादुर	सफाई कर्मचारी
4–	श्री मुशीर अहमद	सफाई नायक	27–	श्री राम कुमार	सफाई कर्मचारी
5–	श्री अशोक कुमार	सफाई नायक	28–	श्रीमती मन्जो	सफाई कर्मचारी
6–	श्री कम्मू	ड्राइवर	29–	श्री जय प्रकाश तिवारी	वैक्सीनेटर
7–	मो० रऊफ	चपरासी	30–	श्री राम जी तिवारी	वैक्सीनेटर
8–	श्री अन्सार अहमद	चपरासी	31–	श्री राम गोपाल	पम्प अटेन्डेन्ट
9–	श्री राम छबीले	चपरासी	32–	मो० यासीन खाँ	पम्प अटेन्डेन्ट
10–	श्री हरीराम	माली	33–	मो० वसीम खाँ	पम्प अटेन्डेन्ट
11–	श्रीमती सफ्फो	सफाई कर्मचारी	34–	श्री महफूज़	बेलदार
12–	श्री मिट्ठू	सफाई कर्मचारी	35–	श्री बच्छन खाँ	बेलदार
13–	श्री सुरेश	सफाई कर्मचारी	36–	श्री शान मोहम्मद	कर संग्राहर्ता
14–	श्री संजय	सफाई कर्मचारी	37–	श्री तुलसी राम	चपरासी
15–	श्रीमती मालती	सफाई कर्मचारी	38–	श्री गोविन्द राम पाण्डेय	वरिष्ठ लिपिक
16–	श्री विष्णु	सफाई कर्मचारी	39–	श्री मुस्तफा	वरिष्ठ लिपिक
17–	श्रीमती सालमा	सफाई कर्मचारी	40–	श्री सन्तोष कुमार सोनी	लिपिक
18–	श्री चुन्ना	सफाई कर्मचारी	41–	श्रीमती चाँद बीबी	लिपिक
19–	श्रीमती बन्नो	सफाई कर्मचारी	42–	मे० एजाज़ मसूद	लिपिक
20–	श्रीमती जैतून	सफाई कर्मचारी	43–	श्री बृजलाल	लिपिक
21–	श्री शब्बीर	सफाई कर्मचारी	44–	श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह	लिपिक
22–	श्री कलुट	सफाई कर्मचारी	45–	श्री सहाबुद्दीन	लिपिक
23–	श्री कल्लू	सफाई कर्मचारी			

नगर पालिका परिषद में विभिन्न संवर्गो के कर्मचारी कार्यरत हैं।

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

क्रमांक	पद का नाम	संख्या
1—	केन्द्रीयत सेवा	01
2—	लिपिक	18
3—	चतुर्थ श्रेणी	79
4—	सफाई कर्मी	135

इनमें से संवर्गवार कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ उपरोक्तानुसार देखी गयी। इन कर्मचारियों को वित्तीय स्तरोन्नयन (ए०सी०पी०) व्यवस्था के अन्तर्गत कर्मचारियों को समय–समय पर लाभ दिया गया। सेवा पुस्तिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट था कि ए०सी०पी० व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त लाभ नियमानुसार था लेकिन सेवा पुस्तिकाओं में अद्यावधिक अवकाश लेखा नहीं बनाया गया था तथा अवकाशों की प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप पर अंकित नहीं किया गया था, जो उचित नहीं था। अद्यावधिक अवकाश लेखा तैयार कर आगामी सम्परीक्षा अवसर पर दिखाया जाय।

<u>निष्कर्ष</u> :– सम्परीक्षा आख्या के उपर्युक्त कण्डिकाओं में वर्णित गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ, अभिलेखों के रख–रखाव में बरती जा रही उदासीनता, अनिस्तारित आपत्तियों का अनुपालन न किए जाने तथा आय के संवर्धन व दोहन हेतु उदासीनता परिलक्षित हो रही थी। कर एवं करेत्तर राजस्व की वसूली न्यून थी। इस सम्बन्ध में यथेष्ठ कार्यवाही हेतु पालिका परिषद के प्रमुख/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। मूल आपत्ति पत्रावली उत्तरों व टिप्पणी सहित वापस नहीं की गयी थी।

सम्परीक्षा आख्या भाग–3 में समाहित होने योग्य कोई आपत्ति अवशिष्ट नहीं है।

(डा0 संजीव कुमार)
उप निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद

दिनाँक :– 31–12–2015
स्थान :– फैजाबाद
राम कृष्ण मिश्र, वरिष्ठ लेखा परिक्षक
घनश्याम, वरिष्ठ लेखा परिक्षक
मुन्ना कुमार, लेखा परिक्षक

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

नुच्छेद–2 पर सन्दर्भित

नगर पालिका परिषद, बहराइच की वित्तीय स्थिति

(2014–2015)

विवरण			धनराशि
1 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक अवशेष (गत सम्परीक्षा आख्यानुसार)	:–		11,05,60,953=84
सकल प्राप्तियाँ	:–		36,77,58,426=00
योग	:–		47,83,19,379=84
सकल व्यय	:–		38,34,27,961=00
31 मार्च 2015 को अवशेष	:–		9,48,91,418=84
31 मार्च 2015 को रोकड़बही के अवशेष	:–		9,48,91,418=84
घटाइए :–			
(1) हस्तगत धनराशि	:–	3,78,698=00	14,53,897=00
(2) 2% की वह धराशि जो रोकड़बही में दर्शित है, परन्तु बैंक खाते में दिनाँक 02–04–2015 को अन्तरित हुई	:–	10,75,199=00	
31 मार्च 2015 को अवशेष	:–		9,34,37,521=84
जोड़िए :–			
अभुनित चेकों की धनराशि			
(1) राज्य वित्त आयोग व बोर्ड	:–	1,28,94,894=00	4,57,20,212=00
(2) 13वीं वित्त आयोग	:–	1,98,85,268=00	
(3) 2% स्टाम्प शुल्क	:–	1,03,21,579=00	
(4) प्राप्त ब्याज की धनराशि जो रोकड़बही में दर्शित नहीं है			
(क) बोर्ड फण्ड व राज्य वित्त आयोग से प्राप्त ब्याज	:–	8,18,560=00	
(ख) 13वीं वित्त आयोग से प्राप्त ब्याज	:–	17,25,003=00	
(5) व्यय प्रमाणक संख्या–239(2) दिनाँक 25–03–2015 के अन्तर्गत चेक संख्या – 893682 से 893686 तक जारी किए गए चेकों की धनराशि का योग रोकड़बही के व्यय पक्ष में रु० 9,36,124/– दर्शित किया गया था जबकि उक्त चेकों की धनराशि का शुद्ध योग रु० 8,61,234/– है। इस प्रकार रु० 74,890/– व्यय में अधिक दर्शाए जाने के कारण	:–	74,890=00	
31 मार्च 2015 को रोकड़बही अवशेष	:–		13,91,57,733=84 (क)

31 मार्च 2015 बैंक/कोषागार के खातों के अवशेष का विवरण

इलाहाबाद बैंक, बहराइच खाता सं०–21152946220	8,78,46,623=20
पी०एन०बी० नोडल खाता, खाता सं०–0072001106087563	3,10,65,194=90
इण्डियन बैंक, बहराइच खाता सं०–822350701	12,50,063=00
सेन्ट्रल बैंक, बहराइच खाता सं०–3226345450	32,71,061=00
इलाहाबाद यू०पी०ग्रा० बैंक, बहराइच खाता सं०–134401100050678	2,26,184=98
कोषागार पी०एल०ए० खाता सं०–8448003	30,27,476=52
कोषागार पी०एल०ए० (वेतन) खाता सं०–8448	20,335=98
योग —	12,67,06,939=48 (ख)
31 मार्च 2015 को रोकड़बही अवशेष व बैंक खाते/कोषागार के अवशेष में अन्तर अर्थात कोषागार और बैंक खाते में कम जमा धनराशि (क–ख)	1,24,50,794=36

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

परिशिष्ट–2

...ुच्छेद 1 पर सन्दर्भित

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	योग
1971–72	5,11,12,13,14,17(क)(ग)(घ)(ड),18,21(क)(ख),22(I)(II)(III),23,25	1,5,7,8,10 से 16 तक,21,23,26,32,34,35	32
1972–73	3टि०(1)से(6)तक,7(1),8टि०(I)(II)(III),12,13,14,15,16(II),18,20,21(I)(II)(III),22,26(1)से(8)तक,27,28,29(1)से(5)तक	1 से 26	62
1973–74	3टि०(1)से(8),5टि०(I)(II)(III),12,13,14,15,16(II),18,20,21(I)(II)(III),22,26(1)से(5)	1 से 24,36	112
1975–76	3टि०(I)(II)(III),4टि०,6(क)(ख),10टि०(I)(II),14,15(क)से(ड),19(1)(2)(4)(5),20(1)से(5)तक,21(क),(ख),23	11 से 89	94
1976–77	3टि०4,5,6,7,11(I)(II)(III),12,14(I)(II)(III)(क)(ख)(ग)(III),15(क)(ख)(I)(II),18,19(क)(ख),20(क)(ख)	1 से 22	41
1977–78	3टि०,4,6,7टि०(I)(II),11,15,16,17,19	1 से 22	41
1978–79	3टि०(1)(2)(3)(5)(6),7टि०(1)(2),8टि०(I)(II)(5),10,11(1)(2)(3)(4),12,13(अ)(1)(2)(3)(1)(2),15(क)(2),16,17,18	1 से 81	105
1979–80	3टि०(1)(2)(3),4,5,6(1)(2),7,8(क)(ख),टि०(1),12(क)से(झ),(न)(र)(1)(2),13,15,16(1)(4),17(अ)(ब)	1,4,10,12,19,22,24	35
1980–81	3टि०(1)से(6),6टि०(1)से(3),8,12,13(क)(1)(2)(3),14(1),17,18,19,20(क)(ख)(I)(II),21,22,23,24(1)(2)(3),25,26	1 से 21	45
1981–82	3टि०(1)से(6),4टि०(1)से(4),9,11,12,13(क),14,15(2),17(1)(2),20(क)(ख),21,23,24,25,26,27	1 से 40 तक	66
1983–84	3टि०(1),2क		02
1984–85	4(ग)(घ)(ड),8(1)(2)(3),14(1)(2),21(2),24(3),25(घ)(1)(2),30(क)(ज)(घ),31,32(2),34		20
1985–86	6टि०(1)(2)(3),9टि०(1)(2)(3)(ख)(ग)(1)(2)(3)(ज)(झ)(ञ)(ट),20(ज)(2)(3)(ग)(3)(4)(ड)(च)(छ)(ज)		22
1986–87 से 1987–88	42(ज)		01
1989–90	3टि०(1)से(7),10,11,12,21,22,24,25टि०(1)(3),26,27,28,29(क)(ख),31(1)(2),32(क)(ख),33	1 से 12 तक	36
1990–91	3टि०,4टि०(च)(2)(3)(4),11(1)(2)(3)		08
1992–93	3टि०(3)(5),6टि०(1)(2)(3),11टि०(1)(3)(6),15(1)(2)(3),17,22,23		16
1994–95	3टि०(6),14,21,22,27,28,30(अ),33		09
1995–96	1(च)(छ)(ज),20टि०(2)से(8),22टि०(1)(2)	2,3,4,6,8,9	12

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

1996–97	1(क)(1)(3),4(ख)(1)(2)(ग)(1)(2)(3)(5)(2)(3)(4)(5)(1)(2)(ङ),5 टि०(3)(4),6टि०(3),14		21
1997–98	1(1)(2),3,4(1)(2)(3)(क)(ख)(ग)(1)से(6),6(1)(क)से(ङ),5(क)(ख) भाग–2–(ङ)(च)(1)से(7),6टि०(1)से(7),8(1)(2)(3)	2,7	43
1998–99	भाग–2(ब)–1(क)से(अ),3टि०(1)से(6),4(ज),टि०(1)(2)(3)(4) (क)(ख)(ग)(1)(2)(घ)(ङ)(च)(छ),5,6,7टि०(1)(2)(3)(घ),टि०(क)से (ङ),9(1)से(6),टि०(1)से(11)तक	3,4,6से17,20,21,22, 24,26,27,29,30,31	74
1999–00	भाग–2(ब)–1(1)से(9),(12)(13),(15)(16)(17)(18)(19)(21)(22),3 टि०(1)से(8),9टि०(1)से(7)(12),3(क),4टि०(1)(2)(3),3(च)(1)से(6) ,(1)(2)(ज)(झ),टि०(1)(2)	2,11,17,20,23,25	53
2000–01	1(क)(घ)(ङ)(च)4से16,17टि०(1),18,19(क)(1)से(8),(9)(1)(2), (10)से(15),(16)(1)(2),17(1)(2),18से23,24(1)(2),25(1)(2),26 (1),(2)(3),3टि०(1),4टि०(2)	1,16,17	56
2001–02	1(ख)(ग)(घ),2(क)(1)से(8)(13)(14),16(क)(ख),2टि०2(ग)(घ) (2)(3)(4),5(ङ),3टि०(1),4टि०(1),6टि०(1)(2)(3)(4),7टि०(1),11,1 2,13,14(1)से(5),15,16(क)से(घ),4,5,6,7	5,9,13,15,16,21,22, 23,25,26,29,31	52
2002–03	1(क),टि०(9)(10)(12)(ज)(1)से(7)(ग)(घ)(ङ)(1)से(7)(ग)(घ)(ङ) (1)से(7)(च)(छ)(ज)(1)(2),4(अ)(1)से(30)तक,3टि०(1),4टि०(1)से (4),7टि०(2)(3)	4,5	63
2003–04	1(क)(ग)(घ)(1)से(6)(1)(2)(झ),2,3टि०(1)से (6),4टि०(1)(2),4(ज)(1)(2)(3),8	1से7,10से14, 16,17	45
2004–05	1(क)से(ङ)(1)से(7),3टि०(1)से(4),4टि०(1)(2),5,6टि०(1)(2)(3),7 टि०,8,9,11,12	1,2,3,4,6से12तक,15 ,16,17,18,20	43
2005–06	4,5टि०(ज),टि०(1),6टि०(1),3(क)टि०(1)(2)(3),8,9टि०(1)	1 से 6 तक 8,10,11,12,13	49
2006–07	(ज)(1)से(8),3,4,5,6(चं)(छ)(1)(2)(3),3टि०(1)से(6),4(क),टि०,8,9	1 से 16	60
2007–08	1(क)(1)(2)(3)(ख)(ग)(1)(2)(घ)(ङ)(1),टि०(1)(2)(3)(च)(1)(छ) (1)(2)(ज)(झ)(ञ)(ट),2,3टि०(1)(2)(3),4,5(क),टि०,6टि०(1)(2),6 (1)(2)(3)(4)	1,2,3	40
2008–09	भाग(क)–(क)(ख)(ग) भाग(ख)–1,2,3टि०(1)(2),4टि०(1)(2)(3),5,6,7,8,9टि०,10	1 से 6	20
2009–10	भाग(क)–(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च) भाग(ख)–1,2,3टि०(1)(2),4टि०,5,6,7,8,9	1 से 8	24
2010–11	भाग(क)–1(ख)(ग)(घ)(II)(III)(ङ)(च) भाग(ख)–2टि०(1),4,5टि०,6(क)(1)(2),6(ख),7		16
2011–12 से 2012–13	भाग क–(1),(2)(3)(4)(5)(6),7(क)(ख)(ग)(घ) भागख–2टि०(1)(2)(3),3टि०(1)(2),4,5टि०(1)(2)(3)(4),6,7 टि०, 9(क)(ख)(ग)(घ)		26
2013–14	भाग क–1,2,3,4,5,6,7,8, (I)(II)(III)(IV),9,10,11,12,13,14 भाग ख–2टि०(1)(2)(3),3टि०(1)(2),4,5,6,7,9(क)(ख)(ग)(घ)(ङ) (च)(छ)(झ)(ञ)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण)(त)(थ)(द)(ध)		45
	योग		2106

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

प्रतिवेदन में शामिल आपत्तियों की सूची

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	योग
2001—02	1क(4)		01
2003—04	1(ख)(ड), 9, 11, 12, (1ख)पेंशन निधि		06
2005—06	1(क), 1(ग), (घ), (ड), (च), 1(छ), 1(ज)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)		15
2006—07	1(क), 1(ख), 1(ग), 1(घ), 1(ड)(1), 1(छ), 1(झ)		07
2007—08	1(क), 1(क)(2), 1(ख)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9), 1(ग)(3), 1(ग)(6), 1(ङ), 10		15
2010—11	भाग—क (क), (घ)(1), 1(क), 1(च)		04
		योग	48

Executive Offi...
...unicipal Boa...
BAHR...CH

नुच्छेद–2(क) पर सन्दर्भित

परिशिष्ट–3

अमुनित चेकों का (अनकैश्ड) विवरण (बोर्डफण्ड एवं राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित)

क्रमांक	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि
1–	1522	25–03–2015	14,990/–
2–	1750	25–03–2015	49,448/–
3–	1751	25–03–2015	36,000/–
4–	1753	25–03–2015	14,756/–
5–	1755	25–03–2015	1,000/–
6–	1756	25–03–2015	2,000/–
7–	1760	25–03–2015	500/–
8–	1762	25–03–2015	1,15,800/–
9–	1764	25–03–2015	1,02,180/–
10–	1765	27–03–2015	13,375/–
11–	1767	27–03–2015	60,936/–
12–	1769	21–03–2015	16,05,257/–
13–	2596	27–03–2015	26,279/–
14–	2597	27–03–2015	55,860/–
15–	2599	27–03–2015	44,090/–
16–	2601	27–03–2015	45,987/–
17–	2602	27–03–2015	54,608/–
18–	2603	27–03–2015	29,320/–
19–	2605	30–03–2015	2,750/–
20–	2606	30–03–2015	16,561/–
21–	2607	30–03–2015	24,994/–
22–	2608	30–03–2015	1,140/–
23–	2609	30–03–2015	14,712/–
24–	2610	30–03–2015	44,032/–
25–	2611	30–03–2015	16,17,680/–
26–	2612	30–03–2015	54,738/–
27–	2613	30–03–2015	1,117/–
28–	2614	30–03–2015	49,500/–
29–	2615	30–03–2015	45,987/–
30–	2616	31–03–2015	9,98,065/–
31–	2617	31–03–2015	9,59,425/–
32–	2618	31–03–2015	5,92,847/–
33–	2619	31–03–2015	1,20,327/–
34–	2620	31–03–2015	68,165/–
35–	2621	31–03–2015	8,595/–
36–	2622	31–03–2015	20,082/–
37–	2623	30–03–2015	22,849/–
38–	2624	30–03–2015	24,047/–
39–	2625	31–03–2015	939/–
40–	2626	31–03–2015	29,394/–
41–	2627	31–03–2015	87,014/–
42–	2628	31–03–2015	25,926/–

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

43—	2629	31—03—2015	1,105 /—
44—	2630	31—03—2015	627 /—
45—	2631	31—03—2015	4,912 /—
46—	2632	31—03—2015	3,51,502 /—
47—	2633	31—03—2015	2,21,447 /—
48—	2634	31—03—2015	24,450 /—
49—	2635	31—03—2015	13,851 /—
50—	2637	31—03—2015	45,987 /—
51—	2638	31—03—2015	939 /—
52—	2639	31—03—2015	16,000 /—
53—	2640	31—03—2015	47,205 /—
54—	2641	31—03—2015	1,095 /—
55—	2642	31—03—2015	65,775 /—
56—	2644	31—03—2015	1,672 /—
57—	2645	31—03—2015	39,165 /—
58—	2646	31—03—2015	82,359 /—
59—	2647	31—03—2015	1,291 /—
60—	2648	31—03—2015	2,625 /—
61—	2649	31—03—2015	600 /—
62—	2636	24—03—2015	48,53,041 /—
63—	1766	27—03—2015	14,072 /—
		योग	1,28,94,694 /—

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

अनकैश चेकों का विवरण (13वाँ वित्त आयोग)

क्रमांक	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि
1–	687844	25–03–2015	7,010/–
2–	687846	25–03–2015	6,53,669/–
3–	687847	25–03–2015	6,80,971/–
4–	687851	30–03–2015	19,69,193/–
5–	687852	30–03–2015	1,43,717/–
6–	687853	30–03–2015	81,415/–
7–	687854	30–03–2015	4,374/–
8–	687855	30–03–2015	35,929/–
9–	706261	30–03–2015	1,48,519/–
10–	706262	30–03–2015	30,117/–
11–	706263	30–03–2015	64,930/–
12–	706264	30–03–2015	1,09,634/–
13–	706265	30–03–2015	1,09,419/–
14–	706266	31–03–2015	14,63,894/–
15–	706267	31–03–2015	4,66,030/–
16–	706268	31–03–2015	10,38,068/–
17–	706269	31–03–2015	14,75,892/–
18–	706270	31–03–2015	2,11,090/–
19–	706271	31–03–2015	1,19,582/–
20–	706272	31–03–2015	7,693/–
21–	706273	31–03–2015	52,772/–
22–	706274	31–03–2015	42,18,030/–
23–	706275	31–03–2015	1,80,000/–
24–	706276	31–03–2015	1,01,970/–
25–	706277	31–03–2015	24,02,871/–
26–	706278	31–03–2015	1,02,540/–
27–	706279	31–03–2015	58,089/–
28–	706280	31–03–2015	5,25,397/–
29–	706281	31–03–2015	16,36,593/–
30–	706282	31–03–2015	8,29,489/–
31–	706283	31–03–2015	5,85,440/–
32–	706284	31–03–2015	1,69,907/–
33–	706285	31–03–2015	96,253/–
34–	706286	31–03–2015	1,393/–
35–	706287	31–03–2015	61,376/–
		योग	1,98,85,286/–

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

अनकैश चेकों का विवरण (2: स्टाम्प शुल्क)

क्रमांक	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि
1—	893666	25—02—2015	6,49,649 /—
2—	893667	25—02—2015	77,707 /—
3—	893668	25—02—2015	44,020 /—
4—	893669	25—02—2015	150 /—
5—	893670	25—02—2015	19,427 /—
6—	893677	20—03—2015	9,81,143 /—
7—	893678	20—03—2015	46,320 /—
8—	893679	20—03—2015	26,241 /—
9—	893680	20—03—2015	84 /—
10—	893681	20—03—2015	11,580 /—
11—	893682	25—03—2015	7,92,930 /—
12—	893683	25—03—2015	285 /—
13—	893684	25—03—2015	37,445 /—
14—	893685	25—03—2015	21,213 /—
15—	893686	25—03—2015	9,361 /—
16—	893687	25—03—2015	6,05,140 /—
17—	893688	25—03—2015	28,572 /—
18—	893689	25—03—2015	16,166 /—
19—	893690	25—03—2015	123 /—
20—	893691	25—03—2015	7,143 /—
21—	893692	27—03—2015	846 /—
22—	893693	27—03—2015	4,60,603 /—
23—	893694	27—03—2015	4,04,839 /—
24—	893695	27—03—2015	4,63,934 /—
25—	893696	27—03—2015	13,32,144 /—
26—	893697	27—03—2015	9,84,369 /—
27—	893698	27—03—2015	4,75,062 /—
28—	893699	27—03—2015	1,96,791 /—
29—	893700	27—03—2015	1,11,462 /—
30—	897801	27—03—2015	49,198 /—
31—	897804	31—03—2015	9,99,024 /—
32—	897805	31—03—2015	1,24,995 /—
33—	897806	31—03—2015	8,56,465 /—
34—	897807	31—03—2015	2,61,666 /—
35—	897808	31—03—2015	1,07,288 /—
36—	897809	31—03—2015	60,779 /—
37—	897810	31—03—2015	668 /—
38—	897811	31—03—2015	56,685 /—
		योग	1,03,21,579 /—

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

सम्परीक्षा आख्या भाग–(ख) के अनुच्छेद–4 पर सन्दर्भित

परिशिष्ट–4

क्र०	वाउचर संख्या/दिनांक	कार्य का विवरण	ठेकेदार का नाम	अनुमानित लागत	भुगतानित धनराशि	काटी गयी जमानत राशि	वांछित स्टाम्प शुल्क का मूल्य	लगाए गए स्टॉक शुल्क	कम स्टाम्प शुल्क
1–	242/ 31–12–2014	मुहल्ला नाजिरपुरा में श्री दूबरन बहराइची के मकान के पास शमीम के मकान तक नाली एवं सड़क का कार्य	सै० सिराज अहमद	1,57,589=00	1,53,062=00	12,445=00	1,530=00	100=00	1,430=00
2–	243/ 31–12–2014	मुहल्ला सालारगंज में पत्थरवाली रोड़ पर मकबूल कोटेदार के मकान से नसीम के मकान के पास तक नाली का कार्य	आर० के० ट्रेडर्स	4,19,890=00	4,18,260=00	33,461=00	4,180=00	100=00	4,080=00
3–	239/ 31–12–2014	कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एम०आई०सी ऑफिस के सामने इण्टरलॉकिंग का कार्य	मोहम्मद कॉन्सट्रक्शन	1,48,070=00	1,47,280=00	11,782=00	1,470=00	100=00	1,370=00
4–	240/ 31–12–2014	डी०एम० चौराहा से पानी टंकी चौराहा मार्ग पर इण्टरलॉकिंग का कार्य	फलक कॉन्सट्रक्शन	1,33,371=00	1,30,690=00	—	930=00	100=00	830=00
5–	236/ 31–12–2014	मुहल्ला सालारगंज में मस्जिद के पास अहमद के मकान से अबुल हसन के मकान तक सड़क का कार्य	रिजवान अहमद	2,08,199=00	2,07,052=00	16,564=00	2,070=00	100=00	1,970=00
6–	167/ 27–12–2014	नगर पालिका परिषद कार्यालय में दो पहिया वाहन स्टैण्ड का कार्य	गुलफाम कॉन्सट्रक्शन	1,81,969=00	2,13,381=00	17,070=00	2,134=00=00	100=00	2,034=00
7–	237/ 31–12–2014	मुहल्ला हमजापुरा में बाबूराम के मकान से कमरुद्दीन के मकान तक नाली एवं सड़क का कार्य	रिजवान अहमद	4,13,875=00	4,12,176=00	32,974=00	4,121=00	100=00	4,021=00
8–	150/ 27–01–2015	पालिका बाजार मे दुकानों के सामने इण्टरालॉकिंग का कार्य	आर० के० ट्रेडर्स	9,12,753=00	7,66,496=00	61,933=00	7,741=00	100=00	7,641=00
9–	148/ 27–01–2015	चाँदपुरा चौराहे से आजाद इण्टर कॉलेज होते हुए घण्टाघर को जाने वाले मार्ग पर पैच, मरम्मत एवं प्रीमिक्सिंग का कार्य	रिजवान अहमद	2,94,106=00	2,93,135=00	—	2,059=00	100=00	1,959=00
10–	152/ 27–01–2015	मुहल्ला बरहिय्यापुरा में जुल्मकार हुसैन के मकान के पास इण्टरलॉकिंग का कार्य	रिजवान अहमद	90,355=00	86,691=00	—	632=00	100=00	532=00
11–	159/ 27–01–2015	नाजिरपुरा पूर्वी में निजाम के मकान से तबरेज के दुकान तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	सिराज अहमद	78,901=00	77,429=00	—	552=00	100=00	452=00
12–	074/ 17–01–2015	दूरसंचार कार्यालय के बगल से जिला जज के आवास होते हुए रोडवेज जाने वाले मुख्य मार्ग पर पेबर फिनिशिंग	अदनान ट्रेडर्स	15,66,665=00	14,56,788=00	1,16,543=00	14,568=00	100=00	14,468=00

13–	155 / 27–01–2015	बशीरगंज दक्षिणी में याकूब के मकान से शाबिर के मकान तक एवं शब्बर खाँ के मकान से नफीसा के मकान से और रहमतुल्ला के मकान से भद्दू के मकान तक नाली इण्टरलॉकिंग का कार्य	त्रिदेव कॉन्सट्रक्शन कम्पनी	2,16,037=00	2,11,219=00	—	1,512=00	100=00	1,412=00
14–	124 / 22–01–2015	ढपालीपुरवा में पुलिस चौकी के पास त्रिमुहानी रोड पर साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग का कार्य	सिराज अहमद	88,162=00	85,865=00	—	617=00	100=00	517=00
15–	123 / 22–01–2015	मुहल्ला रायपुर राजा में किरन के मकान से वीरेन्द्र मिश्रा तक नाली का निर्माण का कार्य	सिराज अहमद	34,323=00	34,222=00	—	240=00	100=00	140=00
16–	125 / 22–01–2015	डी०एम० कॉलोनी में मस्जिद के सामने रैम्प पर इण्टरलॉकिंग का कार्य	हुसैन कॉन्सट्रक्शन कम्पनी	33,483=00	32,176=00	—	234=00	100=00	134=00
17–	126 / 22–01–2015	ढपालीपुरवा में त्रिमुहानी रोड पर मो० शकील के पास इण्टरालॉकिंग का कार्य	हुसैन कॉन्सट्रक्शन कम्पनी	49,282=00	49,032=00	—	344=00	100=00	244=00
18–	296 / 06–01–2015	पीपल तिराहे से गुदड़ी चौराहा तक एवं डिगिहा बाईपास रोड तथा घण्टाघर से छोटीबाजार तक पैच का कार्य	अर्चित कॉन्सट्रक्शन कम्पनी	89,303=00	88,042=00	—	625=00	100=00	525=00
19–	292 / 06–01–2015	काजीपुरा ट्रान्सफॉर्मर तिराहे से गुदड़ी चौराहे तक इण्टालॉकिंग का कार्य	पैराडइज़ कॉन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर	98,784=00	96,362=00	—	691=00	100=00	591=00
20–	298 / 06–01–2015	झिंगहा घाट स्थित विसर्जन स्थल पर एवं खड़ण्जा के बगल में कूड़े पर मिट्टी डालने का कार्य	रिजवान अहमद	97,162=00	94,081=00	—	680=00	100=00	580=00
21–	299 / 06–01–2015	बहराइच, नानपारा रोड स्थित पुल से विसर्जन स्थल तक कूड़े के ऊपर मिट्टी डालने का कार्य	रिजवान अहमद	99,755=00	93,028=00	—	698=00	100=00	598=00
22–	291 / 06–01–2015	मुहल्ला चाँदमारी में श्री सुभाषचन्द्र पाठक के मकान से राजेश्वर सिंह आदि के मकान तक सड़क का कार्य	पैराडइज़ कॉन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर	2,04,819=00	2,01,344=00	16,108=00	2,013=00	100=00	1,913=00
23–	295 / 06–01–2015	मुख्य राजस्व अधिकारी के आवास से जल निकासी हेतु फर्श एवं पीछे नाली का निर्माण	अर्चित कॉन्सट्रक्शन	1,10,070=00	1,08,486=00	8,679=00	1,084=00	100=00	984=00

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

24–	276 / 06–01–2015	स्टेडियम के बगल से जेल रोड पुलिस होते हुए नाला तक नाला सफाई का कार्य	हिन्दुस्तान कॉन्सट्रक्शन	4,03,972=00	4,05,313=00	—	2,827=00	100=00	2,727=00
25–	273 / 06–01–2015	कृषि फॉर्म रोड पर डी०एम० कॉलोनी पुलिया से के०डी०सी० छात्रावास तक नाला सफाई का कार्य	नईमुद्दीन ठेकेदार	1,42,732=00	1,42,422=00	—	999=00	100=00	899=00
26–	275 / 06–01–2015	मुहल्ला केवानागंज में बालार्क प्रेस नानपारा बस स्टैण्ड तक नाला सफाई का कार्य	सिराज अहमद	1,08,914=00	1,05,895=00	—	762=00	100=00	662=00=00
27–	147 / 27–01–2015	मुहल्ला बक्शीपुरा में कब्रिस्तान के सामने शिवमंगल, अशोक पाठक आदि के बगल में गली में इण्टरलॉकिंग व नाली का कार्य	सिराज अहमद	3,87,697=00	3,87,775=00	—	2,713=00	100=00	2,613=00
28–	156 / 27–01–2015	मुहल्ला बशीरगंज उत्तरी में रामपाल के सामने से रामबरन तक क्षतिग्रस्त गली एवं अन्य इण्टरलॉकिंग एवं नाली का कार्य	हुसैन कॉन्सट्रक्शन कम्पनी	5,76,342=00	5,76,013=00	46,081=00	5,758=00	100=00	5,658=00
29–	157 / 27–01–2015	बशीरगंज उत्तरी में हनुमान मन्दिर झिंगहाघाट के पास इण्टरलॉकिंग एवं रिटेनिंग वॉल का कार्य	शानिया कॉन्सट्रक्शन कम्पनी	7,07,910=00	6,98,315=00	55,865=00	6,983=00	100=00	6,883=00
30–	146 / 27–01–2015	मुहल्ला नेवरैय्या (मानपुरवा) में लियाकत अली के मकान होते हुए तौफिक के मकान तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	रिजवान अहमद	4,19,631=00	4,54,569=00	—	2,937=00=00	100=00	2837=00
31–	158 / 27–01–2015	मेहलीपुरा में मूकबधिर स्कूल से जगदीश प्रसाद के मकान तक आदि नाली निर्माण एवं डीपड्रेन की सफाई का कार्य	फलक कॉन्सट्रक्शन	1,57,027=00	1,58,384=00	—	1,099=00	100=00	999=00
32–	071 / 17–01–2015	डी०एम० चौराहे से महिला थाने के सामने से प्रशान्त फोटो कॉपी तक साइड पटरी का सुधार का कार्य	आर० के० ट्रेडर्स	5,52,415=00	5,66,893=40	45,352=00	5,669=00	100=00	5,569=00
33–	114 / 22–01–2015	काजीपुरा उत्तरी में नसीम के मकान से पप्पू के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क का कार्य	गुलफाम कॉन्सट्रक्शन	74,146=59	73,907=53	—	519=00	100=00	419=00
34–	120 / 22–01–2015	बशीरगंज में गुलाम अहमद के मकान से हबीबउल्ला के मकान तक सड़क का कार्य	रिजवान अहमद	53,439=93	51,728=50	—	374=00	100=00	274=00
35–	115 / 22–01–2015	काजीपुरा उत्तरी में दानिश के मकान से मो० मियाँ तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	गुलफाम कॉन्सट्रक्शन	53,786=72	54,223=97	—	376=00	100=00	276=00
	270 / [illegible]–12–2014	मुहल्ला काजीकटरा / मंसूरगंज के मध्य में सुफिया तिराहा पर मजार के पास सड़क निर्माण का कार्य	आर० के० ट्रेडर्स	2,61,965=01	2,57,035=55	13,000=00	1,625=00	100=00	1,525=00

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

37–	294/ 06-01-2015	डपालीपुरवा में महसी बस स्टैण्ड तिराहा से पेट्रोल पम्प के बीच में आदि क्रॉसिंग का निर्माण कार्य	श्री मनोज कुमार तिवारी	1,51,472=00	1,49,334=02	11,947=00	1,490=00	100=00	1,390=00
38–	288/ 06–01–2015	सालारगंज में रसूलबख्श के मकान से मंजूर अहमद तक सड़क का निर्माण कार्य	आर० के० ट्रेडर्स	2,57,401=00	1,95,342=86	15,560=00	1,945=00	100=00	1,845=00
39–	289/ 06–01–2015	सलारगंज में मो० उमर के मकान से रहमान के मकान तक कच्ची गली में इण्टरलॉकिंग का कार्य	आर० के० ट्रेडर्स	5,34,195=00	5,27,883=60	42,231=00	5,279=00	100=00	5,179=00
40–	293/ 06–01–2015	स्टेशन तिराहा से छावनी चौराहा मार्ग पर श्री विश्वनाथ सैनी के मकान से बेंचू दयाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग का कार्य साइड पटरी पर	गुलफाम कॉन्सट्रक्शन	7,49,005=00	7,28,157=79	58,253=00	7,281=00	100=00	7,181=00
41–	119/ 22–01–2015	मुहल्ला नौवागढ़ी वार्ड रामपुर राजा में हरीशचन्द्र मिश्रा के मकान से श्री रामचन्द्र मौर्या के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य	मे० शुक्ला कॉन्सट्रक्शन	5,09,715=15	4,03,021=00	38,173=00	4,772=00	100=00	4,672=00
42–	127/ 22–01–2015	पीपल तिराहे से घण्टाघर जाने वाले मुख्य मार्ग पर बांयी पटरी पर संगम होटल तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	अर्चित कॉन्सट्रक्शन	7,65,113=00	5,02,885=00	47,479=00	5,935=00	100=00	5,835=00
43–	118/ 20–01–2015	मुहल्ला नौवागढ़ी वार्ड रामपुर राजा में श्री गोविन्दराम के मकान से खेलावन प्रजापति के मकान तक नाली व सड़क का कार्य	शुक्ला कॉन्सट्रक्शन	3,55,224=79	3,28,599=46	—	2,487=00	100=00	2,387=00
44–	128/ 22–01–2015	मुहल्ला इमामगंज में मैंकू साहू के मकान से राजू तक इण्टरलॉकिंग व नाली का कार्य	मनोज कुमार तिवारी	5,66,088=00	4,73,475=97	44,834=00	5,604=00	100=00	5,504=00
45–	116/ 22–01–2015	मुहल्ला जोशियापुरा में राजेन्द्र वालिया के मकान से चन्द्र के मकान तक नाली व सड़क का कार्य	मे० शुक्ला कॉन्सट्रक्शन	3,88,496=00	4,19,834=00	—	2,719=00	100=00	2,619=00
46–	072/ 17–01–2015	धनकुट्टीपुरा में श्री रमेश चन्द्र सैनी के मकान से ननगौड़ धानकूट के मकान तक इण्टरलॉकिंग व सड़क का कार्य	मे० अर्चित कॉन्सट्रक्शन	4,51,110=00	3,50,949=00	33,186=00	4,148=00	100=00	4,048=00
47–	076/ 17–01–2015	काजीकटरा में चाँदपुरा चौराहा के पास से पुलिया तक दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य एवं शराफत के मकान राकेश के मकान तक सड़क का कार्य	श्री नईमुद्दीन	6,67,194=00	2,77,540=40	26,281=00	3,285=00	100=00	3,185=00

48–	078 / 17–01–2015	मुहल्ला नौरय्या में मानपुरवा मेन रोड से हाजी सहादत के मकान के पीछे तक गली में इण्टरलॉकिंग का कार्य	रिजवान अहमद	6,12,530=00	5,85,125=00	—	4,288=00	100=00	4,188=00
49–	080 / 17–01–2015	मुहल्ला जोशियापुरा में छोटी बाजार रोड पर श्री मथुरा प्रसाद के मकान से ओंकार सैनी के पास तक नाली व सड़क का कार्य	शुक्ला कॉन्सट्रक्शन	3,92,132=98	3,25,074=00	30,718=00	3,840=00	100=00	3,740=00
50–	040 / 13–01–2015	मुहल्ला ब्राह्मणीपुरा में भगौती होटल के बगल से राधारमण के घर के आगे तक सड़क का कार्य	मनोज कुमार तिवारी	1,71,819=00	1,50,232=19	14,202=00	1,775=00	100=00	1,675=00
51–	041 / 13–01–2015	मुहल्ला दपालीपुरवा में मदन मौर्या के घर से चुनमुन एवं बालगोविन्द अवस्थी से जयकिशन होते हुए सत्येन्द्र सिंह तक नाली में इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य	मनोज कुमार तिवारी	9,16,807=00	7,96,298=00	75,422=00	9,428=00	100=00	9,328=00
52–	147 / 27–01–2015	मुहल्ला बक्शीपुरा में कब्रिस्तान के सामने शिवमंगल, अशोक पाठक व सत्यनारायण वर्मा के बगल नालियों में इण्टरलॉकिंग का कार्य	रिजवान अहमद	3,87,697=00	3,58,768=00	—	2,714=00	100=00	2,614=00
53–	153 / 27–01–2015	नजिरपुरा में स्व० सुल्तान अली के सामने से अनीस सिदिकी तक नाली में इण्टरलॉकिंग, टाइल्स द्वारा सुधार	अर्चित कॉन्सट्रक्शन	2,70,783=00	2,33,099=00	22,040=00	2,755=00	100=00	2,655=00
54–	071 / 17–01–2015	डी०एम० चौराहा से महिला थाने के सामने से प्रभात फोटो कॉपी तक साइड पटरी का सुधार का कार्य	आर० के० ट्रेडर्स	5,52,415=00	4,80,301=00	45,352=00	5,669=00	100=00	5,569=00
55–	070 / 17–01–2015	डी०एम० चौराहे से तहसील रोड पर प्रभात फोटो कॉपी से पी०डब्ल्यू०डी० कार्यालय तक साइड पटरी	आर० के० ट्रेडर्स	6,85,678=00	5,24,838=00	49,555=00	6,194=00	100=00	6,094=00
56–	081 / 17–01–2015	मुहल्ला अकबरापुरा में कृषि फॉर्म रोड पर श्री मिज्जन ठेकेदार के मकान से बी० प्रसाद के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य	हुसैनी कॉन्सट्रक्शन	3,46,254=00	4,91,699=00	46,850=00	5,856=00	100=00	5,756=00
								योग	1,65,230=00

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

वर्ष 2014–15

नगर पालिका परिषद, बहराइच के वर्ष 2014–15 द्वारा समाहरण करों एवं राजस्व का विवरण

(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्रमॉक	आय का स्रोत	1 अप्रैल, 2014 को बकाया	चालू वर्ष 2014–15 के लिए मॉग	कुल मॉग (3+4)	वर्ष में किया गया समाहरण	छूट	समाहरण में हुआ 31 मार्च, 2015 को शेष	समाहरण की कुल मॉग प्रतिशत	स्तम्भ–2 में उल्लिखित कर की दर	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	गृहकर	22,77,035	71,74,165	94,51,200	42,63,810	—	51,87,390	45.11 %	7 %	
2.	जलकर	51,26,668	39,02,132	90,28,800	30,59,203	—	59,69,597	33.88 %	7 %	
3.	जल मूल्य	26,68,067	35,14,900	61,82,967	2,29,814	——	59,53,153	3.71 %	रु० 20/– प्रति माह प्रति कनेक्शन	
4.	शो टैक्स	1,25,340	58,400	1,83,740	98,920	——	84,820	46.16 %	रु० 20/– प्रति शो	
5.	लाइसेन्स शुल्क		4,29,418	4,29,418	4,29,418	——	——	100.00 %	विभिन्न दरों पर	
6.	दुकान किराया	18,89,859	12,45,354	31,35,213	15,61,823	——	15,73,390	49.81 %	विभिन्न किराए की दरों पर	
7.	2% स्टाम्प शुल्क	——	1,11,81,867	1,11,81,867	1,11,81,867	——	——	100.00 %	2 %	
8.	विकास शुल्क	——	57,51,997	57,51,997	57,51,997	——	——	100.00 %	2 % विनियमित क्षे० से प्राप्त विकास शुल्क	
	योग									

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

सम्परीक्षा आख्या भाग–(ख) के अनुच्छेद–2 पर सन्दर्भित

वर्ष 2014–15

नगर पालिका परिषद, बहराइच, के आय और व्यय की तालिका

(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्र०सं०	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल, 14 को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष 2014–15 की आय					प्रारम्भिक अवशेष सहित योग 3+4(घ)	वर्ष में हुआ व्यय	31 मार्च 15 को अंतिम अवशेष	मन्तव्य
			राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अनाव0 राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)				
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	5	6	7	8
	नगर पालिका परिषद, बहराइच	11,05,60,954	3,24,28,653	1,86,71,403	31,66,58,370	——	36,77,58,426	47,83,19,380	38,34,27,961	9,48,91,419	
योग		11,05,60,954	3,24,28,653	1,86,71,403	31,66,58,370	——	36,77,58,426	47,83,19,380	38,34,27,961	9,48,91,419	

Executive Officer Municipal Board BAHRAICH

वर्ष 2014–15

नगर पालिका परिषद, बहराइच द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण

(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्रमॉक	वर्ष का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनु0 की संहत स्थिति		मन्तव्य
			कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
1	2	3	4		5
1.	राज्य वित्त आयोग	31,66,58,370	31,66,58,370	———	
2.	13वॉ वित्त आयोग	1,86,71,403	———	1,86,71,403	
	योग	33,53,29,773	31,66,58,370	1,86,71,403	

कार्यालय उप–निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ०प्र०, फैजाबाद

प्रेषक,

उप–निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०
फैजाबाद मण्डल, 880–ख्वासपुरा, फैजाबाद

सेवा में,

1. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बहराइच।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच।

संख्याः– फै०मं०/एल०ए०– दिनाँकः–

विषयः– पालिका [illegible] लेखे की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ एवं अनुपालन कार्यवाही हेतु प्रेषण के सम्बंध में।

महोदय,

आपके नियंत्रणाधीन नगर पालिका परिषद, बहराइच की वर्ष 2015–16 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

उ०प्र० स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम–1984 की धारा 9(1) के अंतर्गत इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठायी गयी आपत्तियों/महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अधिकतम तीन माह के अंदर अनुपालन कार्यवाही पूर्ण कर लेखा परीक्षा में उठायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कराने का कष्ट करें। लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में आगे पत्र व्यवहार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से किया जाय।

संलग्नकः– लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

भवदीय

(डा० संजीव कुमार)
उप निदेशक
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा

पृष्ठांकन संख्याः– फै०मं०/एल०ए०–23(6) दिनाँकः– 31-05-2017

प्रतिलिपि–उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि रिपोर्ट में इंगित आपत्तियों का निस्तारण कराए जाने के सम्बन्ध में कृपया संस्था के प्रधान अधिकारी को प्रभावी निदेश देने का कष्ट करें–

1. सचिव, नगर विकास अनुभाग–4 उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, ओ०ए०डी० स्पेशल सेल, इलाहाबाद।
3. आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
4. निदशक, स्थानीय निकाय, आठवां तल, इंदिरा भवन, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक (प्रतिवेदन) मुख्यालय, इलाहाबाद।
6. जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बहराइच।
7. स्थल पत्र प्रति।

संलग्नकः– लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

(डा० संजीव कुमार)
उप निदेशक
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद

संस्था का नाम :– नगर पालिका परिषद, बहराइच।

सम्परीक्षा अवधि :– 2015–16।

सम्परीक्षा तिथि :– लेखे की सम्परीक्षा दिनाँक 02–09–2016 को प्रारम्भ एवं दिनाँक 21–01–2017 को समाप्त हुई।

संस्था के प्रमुख एवं आहरण वितरण अधिकारी के नाम :– संस्था का प्रशासन बोर्ड में निहित था। संस्था के प्रमुख/अध्यक्ष के पद पर आलोच्य अवधि में श्री हाजी मो० रेहान खाँ आसीन रहे। अधिशाषी अधिकारी के पद पर निम्नलिखित उनके सम्मुख अंकित अवधियों में कार्यरत रहे–

(1) श्रीमती संगीता कुमारी–	01–04–2015 से 14–08–2015 तक
(2) श्री बच्चेलाल, उपजिलाधिकारी सदर (कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी)–	15–08–2015 से 05–08–2016 तक
(3) श्री नागेन्द्र, उपजिलाधिकारी सदर (कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी)–	06–08–2016 से वर्तमान तक

नगर पालिका के निधि के आहरण वितरण का दायित्व अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा रहा था।

सम्परीक्षा के दौरान श्री पवन कुमार अधिशाषी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।

सम्परीक्षा आख्या भाग–क

(क) वित्तीय एवं सामान्य महत्व की अनियमिततायें :–

(1) निधियों और सम्पत्ति की हानि और दुर्विनियोग :–

(क) कर एवं करेत्तर राजस्व की वसूली हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष रु० 35.93 लाख की कम वसूली किये जाने से आर्थिक क्षति :– वर्ष 2015–16 के नगर पालिका परिषद बहराइच के कर एवं करेत्तर राजस्व के संग्रह का शासन व निदेशालय द्वारा रु० 351.43 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। शासन को वर्ष 2015–16 के राजस्व संग्रह के जो विवरण प्रपत्र संख्या–1 पर भेजा गया था, उसके अनुसार कुल राजस्व संग्रह की स्थिति रु० 276.33 लाख प्रेषित की गयी थी। उक्त प्रेषित प्रपत्र कर अधीक्षक, कर निर्धारण अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी पालिका परिषद द्वारा हस्ताक्षरित था। उक्त प्रेषित विवरण में दर्शायी गयी वित्तीय आँकड़े नितान्त काल्पनिक व वास्तविकता से परे थे। पालिका परिषद में अनुरक्षित वर्गीकृत सारपंजी में दर्शित वित्तीय आंकड़ों में निम्नानुसार भिन्नता थी–

(1) प्रेषित आंकड़े में गृहकर व जलकर की वर्षान्तर्गत वसूली क्रमशः 65.79 व 56.01 लाख है जबकि वर्गीकृत सारपंजी में गृहकर व जलकर की वसूली क्रमशः रु०73.13 लाख व 61.39 लाख है। इस प्रकार

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

प्रेषित वित्तीय आंकड़े में गृहकर व जलकर क्रमशः रु० 7.34 व 5.38 लाख कम दर्शित किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय। इसी प्रकार प्रेषित वित्तीय आंकड़े में अन्य विविध आय की वसूली रु० 154.93 लाख दर्शित की गयी है जबकि वर्गीकृत सारपंजी के अनुसार वास्तविक वसूली 180.98 लाख है। इस प्रकार रु० 26.05 लाख कम दर्शित किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2) शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य रु० 351.43 लाख के सापेक्ष रु० 315.50 लाख की वसूली हुई है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य से रु० 35.93 लाख कम वसूली हुई थी। जबकि वसूली हेतु कर अधीक्षक व कर निर्धारण अधिकारी तथा अन्य सहायक भी तैनात है, परन्तु बरती गयी उदासीनता व शिथिलता के कारण वसूली का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। कम वसूली करने से पालिका परिषद को रु० 35.93 लाख की प्रत्यक्ष हानि पहुँचायी गयी थी।

(ख) <u>पालिका सीमान्तर्गत स्थित मोबाइल टावरों से अनुज्ञा शुल्क न लिये जाने से लगभग रु० 3 लाख की आवर्ती हानि</u> :-

(ग) <u>प्राइवेट वाहन अड्डों की नीलामी न किये जाने से पालिका परिषद को प्रतिवर्ष लगभग रु० 1 करोड़ की आर्थिक हानि</u> :- पालिका सीमान्तर्गत बहराइच से निम्नलिखित भागों पर प्राइवेट वाहन अड्डा स्थापित है जहाँ से वाह्य स्थलों हेतु सवारियाँ चढ़ाते व उतारते हैं, परन्तु इन वाहन अड्डों की न तो नीलामी की जाती है और न ही पालिका परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों से वाहन शुल्क ही वसूल किया जाता है, जिसके कारण पालिका परिषद को वर्षानवर्ष लगभग रु० 1.00 करोड़ की आर्थिक हानि पहँचायी जा रही है।

(1) बहराइच से गोण्डा मार्ग हेतु
(2) बहराइच से बलरामपुर मार्ग हेतु
(3) बहराइच से जरवल/लखनऊ रोड
(4) बहराइच से महसी रोड
(5) बहराइच से हुजुरपुर
(6) बहराइच से रिसिया
(7) बहराइच से नानपारा प्राइवेट बस
(8) बहराइच से मिनगा प्राइवेट बस
(9) बहराइच से टेम्पो अड्डा (शहर के विभिन्न मार्गों हेतु)
(10) बहराइच से मल्हीपुर

उपर्युक्त स्थिति के कारण पालिका परिषद आय के मुख्य स्रोत से वंचित रह जा रही है। अतएव पालिका के आर्थिक हितों के परिप्रेक्ष्य में वाहन अड्डों के नीलामी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(घ) <u>नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित ट्रांसफार्मर से किराया वसूल न किये जाने से लगभग रु० 99,40,000=00 की आर्थिक हानि</u> :- नगर विकास अनुभाग-9 उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-406/नौ-9-1997-95 जनरल/1996 दिनाँक 10 फरवरी 1997 द्वारा स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति शुद्धढ़ करने हेतु सुझाव व निर्देश दिये गये थे, परन्तु नगर पालिका परिषद की उदासीनता के कारण लाभदायक कार्यवाही नहीं की गयी। नगर विकास अनुभाग-9 उ०प्र० लखनऊ के शासनादेश संख्या-2285/नौ-9-2005-150 द्वि०रा०वि०आ०/04 दिनाँक 29 जून 2005 द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुति संख्या-160 के अनुपालन सुनिश्चित करने तथा नगर विकास अनुभाग-9 उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-2282/नौ-9-2005-133 द्वि०रा०वि०आ०/04 दिनाँक 13

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

जुलाई 2005 द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये थे कि विद्युत ट्रांसफर, विद्युत उप केन्द्रों एवं अन्य निर्माण स्थलों के लिये अधिष्ठापित भूमि पर कर वसूलने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु पालिका परिषद द्वारा उक्त दिये गये निर्देशों का कोई अनुपालन नहीं किया गया था। पुनः नगर विकास अनुभाग–9 उ०प्र० लखनऊ के शासनादेश संख्या–3365 / नौ–9–2006–150 द्वि०रा०वि०आ० / 04 दिनाँक 23 अगस्त 2006 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि स्थानीय निकायों की भूमि पर स्थापित ट्रांसफार्मर व विद्युत उपकेन्द्रों पर बाजार दर से किराये का निर्धारण करते हुए वसूली की जाय। उक्त के सन्दर्भ में निदेशक, स्थानीय निकाय लखनऊ के पत्रांक–8 / 280 / द्वि०रा०वि०आ०संस्तुति संख्या–160 / 2006–07 दिनाँक 5 फरवरी 2007 द्वारा उक्त का अनुपालन करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये थे। पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी के पद पर समय–समय पर तैनात रहे अधिशाषी अधिकारियों द्वारा बरती गयी उदासीनता के कारण इसका कोई क्रियान्वयन वर्तमान स्थिति तक नहीं किया गया। वर्तमान सम्परीक्षा में एतद् विषयक पत्रावली की माँग किये जाने पर अवर अभियन्ता (प्रकाश) द्वारा एक पत्रावली उपलब्ध करायी गयी, जिसके अनुसार 07–03–2003 को 53 ट्रांसफार्मर फाउण्डेशन पर तथा 36 ट्रांसफार्मर पोल पर लगे होने की सूची संलग्न थी। फाउण्डेशन पर अधिष्ठापित ट्रांसफार्मर का किराया रु० 10,000=00 प्रतिवर्ष एवं पोल पर रखे ट्रांसफार्मरों का कुल किराया क्रमशः रु० 5,30,000=00 तथा रु० 1,80,000=00 अर्थात कुल रु० 7,10,000=00 तैयार किया गया था, परन्तु इसके वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। अतएव उक्त दी गयी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2002–03 आधार वर्ष मान लिया जाय तो निम्नानुसार पालिका परिषद को आर्थिक हानि हुई थी।

2002–03 से वर्ष 2015–16 तक कुल 14 वर्ष का किराया रु० 7,10,000X14=99,40,000=00

अतएव शासन शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किराये की वसूली करायी जाय, अन्यथा स्थिति में नगर पालिका परिषद अधिनियम–1916 की धारा–81 के अनुसार अधिभार की कार्यवाही स्थापित करने हेतु सम्परीक्षा की वाह्यता होगी।

वर्तमान स्थिति में नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित ट्रांसफार्मरों के स्थल का क्षेत्रफल सहित विवरण उपलब्ध कराया जाय तथा वर्तमान बाजार दर के अनुसार वसूली सुनिश्चित करायी जाय।

(ङ) <u>पालिका परिषद में संचालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन व बीमाकृत न कराये जाने से पालिका परिषद को भारी क्षति की सम्भावना</u> :– सम्परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि पालिका परिषद में सफाई व प्रकाश व्यवस्था हेतु निम्नांकित वाहन संचालित थे। इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग से न होने के कारण एवं बीमा न कराये जाने के कारण भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर एवं चोरी होने पर इनकी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगता है, और इस स्थिति के कारण पालिका परिषद को भारी क्षति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, वास्तविकता यह थी ये वाहन क्रय किये गये थे तो तत्समय ही इनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिये एवं बीमीकृत करा लिया जाना चाहिये। ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना आदि होने पर वाहनों की सुरक्षा एवं आर्थिक हानि से बचा जा सके। अतएव इस सम्बन्ध में यथेष्ठ कार्यवाही हेतु पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन व बीमा कराकर अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय।

क्र०	वाहनों के नाम
(1)	जी०ओ० नं०–1
(2)	विक्रम नं०–1
(3)	विक्रम नं०–4
(4)	विक्रम नं०–2

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

(5) टैफे नं०–1
(6) टैफे नं०–2
(7) टाटा–407
(8) एच०एम०टी०–1
(9) पावर टैफे
(10) टाटा हाइड्रोलिक लोडर मशीन (मार्ग प्रकाश)
(11) विक्रम–5
(12) टाटा–ए०सी०ए०
(13) ट्रैक्टर महिन्द्रा शान
(14) जी०ओ०–2
(15) नयी लोडर मशीन
(16) बैकू
(17) टैफे नं०–3
(18) टाटा–407 पुरानी
(19) विक्रम नं०–6
(20) विक्रम नं०–3
(21) नया लोडर–710
(22) ट्रैक्टर एच०एम०टी०–2
(23) ट्रैक्टर स्कार्ट पावर
(24) एच०एम०टी०–2

(च) <u>13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष रु० 2.22 करोड़ का अनुदानों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वययावर्तन किया जाना</u> :– आलोच्य अवधि में 13वें वित्त आयोग की संसतुतियों के अन्तर्गत कुल रु० 2,95,50,299=00 प्राप्त हुआ था। प्राप्त अनुदान के सापेक्ष जिलाधिकारी, बहराइच की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निम्नलिखित कार्योजनाएं स्वीकृत/अनुमोदित की गयी थी–

क्रमांक	प्राप्त धनराशि	स्वीकृत/अनुमोदित योजना का नाम	कार्योजना की लागत
(1)	1,32,75,752/–	निर्माण कार्य (वर्षा जल निकासी)	
		(1) मल्हीपुर रोड पर ट्रान्सफार्मर के पास से मन्दिर के पास तक अवशेष नाले का निर्माण कार्य	24,85,319/–
		(2) मोहल्ला घसियारीपुर में गोण्डा जाने वाले मुख्या मार्ग पर श्री बदल राय मिश्र के घर के पास से हीरो एजेन्सी के पास पुलिया तक भूमिगत नाले का निर्माण कार्य	24,56,900/–
		(3) स्टेशन रोड पर श्री नरेन्द्र सिंघानिया के मकान से डायमण्ड टॉकीज के आगे तक आर० सी० सी० गहरी नाली का निर्माण कार्य	9,66,048/–
		(4) मोहल्ला सुफीपुरा में श्री संजय सिंह के मकान से श्री अन्नु सिंह के मकान तक आर० सी० सी० गहरी नाली का निर्माण कार्य	6,61,034/–
		(5) दरगाह शरीफ मार्ग पर टंकी के पास से	9,18,242/–

मुबारक अली के मकान के पास तक आर० सी० सी० गहरी नाली का निर्माण कार्य	
(6) दरगाह मुख्य मार्ग के किनारे दरगाह गेट के पास से स्थित पुलिया से अमर मोबाइल शाप के पास तक आर० सी० सी० गहरी नाली का निर्माण कार्य	12,49,584/-
(7) मोहल्ला सालारगंज में मुख्य मार्ग पर आस्ताना मजार के सामने से जोहरा मस्जिद तक आर० सी० सी० गहरी नाली का निर्माण कार्य	15,26,543/-
(8) मोहल्ला सालारगंज में जोहरा नर्सिंग होम के पास से मुन्ना के मकान तक आर० सी० सी० गहरी नाली का निर्माण कार्य	14,17,708/-
(9) स्टेशन रोड पर इण्डियन बैंक के पास से मौलवी बाग के सामने पुलिका तक आर० सी० सी० गहरी नाली का निर्माण कार्य	13,43,232/-
(10) मोहल्ला हमजापुर में टिहरी के मकान से सिद्धी के मकान होते हुए नाले तक आर० सी० सी० गहरी नाली का निर्माण कार्य	4,60,976/-
योग	**1,34,85,586/-**

उक्त कार्योजना जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक दिनाँक 70-05-2015 में अनुमोदित की गयी थी।

(2) 72,59,143/-
90,15,404/- **निर्माण कार्य (वर्षा जल निकासी)**
1,62,74,547/-

(1) मोहल्ला दरगाह शरीफ में पूर्व निर्मित नाले के पास मुन्ना के मकान से ईदगाह के पीछे मिलन कबाड़ी के घर के पास स्थित पुलिया तक आर० सी० नाला निर्माण कार्य	22,51,059/-
(2) मोहल्ला रायपुर राजा में केडिया अस्पताल के पीछे पुलिया से हवलदार विपिन चन्द्र सिंह के मकान के पीछे तक आर० सी० नाला निर्माण कार्य	8,85,481/-
(3) मोहल्ला रायपुर राजा में बारा पत्थर को जाने वाले मार्ग पर स्थित पुलिया से कच्चे नाले के भाग तक आर० सी० नाला निर्माण कार्य	17,21,521/-
(4) मोहल्ला सूफीपुरा में मा० लालमणि प्रसाद पूर्व सांसद जी के घर के पास से गफ्फार मिस्त्री के घर के पास तक आर० सी० गहरी नाली निर्माण कार्य	16,44,185/-
(5) मोहल्ला रायपुर राजा में श्री सत्यम के मकान से नसीम के प्लाट के बगल में स्थित इण्टरलॉकिंग सड़क तक आर० सी० गहरी नाली निर्माण कार्य	10,98,513/-

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

(6)	मोहल्ला रायपुर राजा में समाधान अस्पताल के सामने पृथ्वी रेस्टोरेन्ट के पास श्री कमल सिंह के मकान के आगे पुलिया के पास तक आर० सी० गहरी नाली निर्माण कार्य	9,23,242/–
(7)	मोहल्ला बशीरगंज उत्तरी में रामसन के मकान से बाईपास रोड तक दोनों तरफ आर० सी० गहरी नाली निर्माण कार्य	9,15,609/–
(8)	पुलिस लाइन स्कूल गेट से पुलिस लाइन तिराहे पर स्थित बाउण्ड्रीवाल के बगल में स्थित पुलिया तक आर० सी० गहरी नाली निर्माण कार्य	17,79,683/–
(9)	गल्ला मण्डी के मुख्य गेट से दूसरे गेट के आगे मेन रोड पर स्थित पुलिया के पास तक आर० सी० गहरी नाली निर्माण कार्य	13,65,191/–
(10)	बाईपास रोड से बरुहाघाट को जाने वाले मार्ग के किनारे वर्ष 2014–15 में निर्माणाधीन नाले के आगे कच्चे भाग में नाला निर्माण कार्य	24,90,693/–
(11)	मोहल्ला गुलाम अलीपुरा में स्टेशन रोड पर नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी से रेलवे सीमा तक आर० सी० गहरी नाली निर्माण कार्य	11,21,675/–
(12)	मुख्या मार्ग पर गायत्री गेट से रोहित बजाज के सामने तक आर० सी० गहरी नाली निर्माण कार्य	9,19,916/–
	योग	**1,71,24,768/–/–**

उपर्युक्त कार्योजनाएं दिनाँक 05–06–2015 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अनुमोदित/स्वीकृत की गयी थी।

13वें वित्त आयोग के अनुदानित की जो स्वीकृतियाँ जारी की गयी थी उनका व्यय निम्न मदों पर समानुपातिक ढंग से किया जाना था–

(1) जलापूर्ति
(2) मल–जल व्यवस्था
(3) वर्षा जल निकासी
(4) ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबन्धन
(5) शेष ई–गवर्नेन्स

उपर्युक्त दिए गये विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–06 में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल रु० 2,95,50,299=00 प्राप्त हुए थे। उक्त समस्त धनराशि के सापेक्ष उपर्युक्त वर्गीकृत प्रयोजनों में से क्रमांक 3 पर उल्लिखित प्रयोजन अर्थात् वर्षा जल निकासी पर ही व्यय की गयी थी। इस प्रकार 3 प्रयोजनों पर कोई परियोजना सम्पन्न नहीं की गयी थी।

वर्तमान परिवेश में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता मिशन कराया जा रहा है। नगर पालिका अधिनियम– 1916 की धारा– 7 में अनिवार्य कृत किये गये हैं जिसके अनुसार पर्यावर्णिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने, नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पाद के सदुपयोग और यथोचित स्थल के अभिज्ञापन के सम्बन्ध में परियोजना क्रियान्वित करने तथा अव्यवस्थित उत्पादों के उपयोग की निरन्तरता को बनाए रखने, नगरों में बढ़ रहे अस्वास्थ्यप्रद वातावरण तथा उत्पन्न हो रही पर्यावर्णिक समस्याओं को

xecutive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

दृष्टिगत रखते हुए नगर विकास अनुभाग– 7 उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या– 745ए०/9–7–97–4रिट/97–टी०सी० दिनाँक 28 फरवरी 1997 द्वारा ठोस अपशिष्ट उत्पादों के द्रुतगति से निराकरण किये जाने का कार्य अपरिहार्य कर दिया गया था। लगभग 19 वर्ष व्यतित हो जाने के उपरान्त भी इस दिशा निर्देश में नगर पालिका परिषद द्वारा कृत कार्यवाही शून्य थी। तथापि वर्षानुवर्ष इस विशेष मद हेतु 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदानों प्राप्त हो रहा था, फिर भी नगर पालिका परिषद के प्राधिकारी व अधिकारी तथा जनपदीय स्तर के अधिकारी जिनको उक्त कार्य के निगरानी का दायित्व सौंपा गया था, उनके द्वारा भी नजर अन्दाज किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2015–16 में 13वें वित्त आयोग मद में प्राप्त अनुदान के सापेक्ष रु० 2,21,62,725=00 के अनुदान का शर्तों का उल्लंघन करते हुए व्ययावर्तन/अमान्य व्यय किया गया था। इस सम्बन्ध यथेष्ठ कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(छ) <u>14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष रू० 1.57 करोड़ का अनुदानों की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का उल्लंघन करते हुए अमान्य व्यय किया जाना</u> :– आलोच्य अवधि में 14वें वित्त आयोग की संसतुतियों के अन्तर्गत कुल रु० 2,02,03,144=00 प्राप्त हुआ था। यह अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु प्राप्त हुआ था–

1– जलापूर्ति
2– सीवरेज
3– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन
4– सेप्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता
5– जल निकासी
6– सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव
7– सड़कों, फुटपाथों का रख–रखाव एवं स्ट्रीट लाईट
8– कब्रिस्तान का रख–रखाव
9– श्मशान घाट का रख–रखाव

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परीषद, बहराइच के पत्रांक– 94/14वाँ वि०आ०–प्रस्ताव/2015 दिनाँक 05–10–2015 द्वारा उक्त प्राप्त धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित कार्योजनाएं प्रस्तावित की गयी थीं–

(क) <u>निर्माण कार्य/जल निकासी</u> :–

क्रमांक	कार्योजना का नाम	अनुमानित लागत
(1)	संधारन मन्दिर के बगल से सिद्धी माण्टेसरी स्कूल के पहले तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य	15,22,480/–
(2)	मो० रायपुर राजा में श्री राम बिलास के मकान से अवध नर्सिंग होम होते हुए पांचोपरी मजार तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	12,62,861/–
(3)	मो० रायपुर राजा में मुख्य मार्ग से राज कुमार सिंह के मकान हेतु हुए दीपक सिंह के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का कार्य	10,53,030/–
(4)	मो० रायपुर राजा में श्री इन्द्र प्रताप सिंह पूर्व विधायक के मकान से रमेश चन्द्र वर्मा के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का कार्य	6,83,158/–

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

(5)	मो० सलारगंज में इरशाद अली के मकान से मजीद ड्राइवर के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	6,86,681/-
(6)	मो० कानूनगोपुरा उत्तर में श्री महादेव प्रसाद के मकान से श्री सरदार गुलाब सिंह के मकान होते हुए आर० सी० सिंह के मकान तक आर० सी० सी० नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	10,36,658/-
(7)	मो० बशीरगंज दक्षिणी में श्री पप्पू के मकान से मस्जिद के ओर आगे से होते हुए वोडाफोन टावर तक आर० सी० सी० नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	10,56,487/-
(8)	मो० ढपालीपुरवा में पुलिस चौकी के पीछे फजल अहमद के मकान से रा भुलावन मिश्रा के मकान तक आर० सी० सी० नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	11,45,760/-
(9)	मो० ब्राह्मणीपुरा में चित्रशाला रोड पर श्री मुन्ना लाल जैन के मकान के बगल से श्रीमती माया श्रीवास्तव के मकान तक आर० सी० सी० नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	9,90,022/-
(10)	मोबाइल गैलरी से नगर पालिका तिराहे पर सस्ता उपभोक्ता भण्डार तक साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग एवं नाली का कार्य	6,61,513/-
(11)	कानुनगोपुरा उत्तर में संजय प्रिन्टिंग प्रेस के बगल से मोहम्मद रिजवान के मकान तक आर० सी० सी० नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	5,75,963/-
(12)	मो० ब्राह्मणीपुरा में नन्द लाल के मकान से श्री ओंकारनाथ मिश्रा के मकान तक आर० सी० सी० नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	6,53,424/-
(13)	घण्टाघर चौराहे से काजीपुरा ट्रान्सफार्मर को जाने वाले मुख्य मार्ग पर बायीं तरफ संगम होटल से काजीपुरा ट्रान्सफार्मर मोड़ तक आर० सी० सी० नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	10,60,762/-
(14)	घण्टाघर चौराहे से काजीपुरा ट्रान्सफार्मर को जाने वाले मुख्य मार्ग के दायीं तरफ मोहम्मद सकील खाँ एडवोकेट के मकान तक साइड पटरी का सुधार कार्य	13,50,151/-
(15)	मो० मेवातीपुरा में इलाहाबाद बैंक से मस्जिद होते हुए एजाजुल के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क का कार्य	7,26,000/-
(16)	मो० गुलामवलीपुरा में ओवरब्रिज के बगल में डा० उमाशंकर जायसवाल के मकान के पहले से रिक्खीराम के मकान तक आर० सी० सी० गहरी नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	11,97,551/-
(17)	मो० सलारगंज में अब्दुल तारिक के मकान से मोहम्मद अली के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	4,80,776/-
(18)	मो० सुफीपुरा में स्व० राधेश्याम के मकान से रेनू सिंह के मकान से पहले तक नाली नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	5,39,598/-
(19)	मो० सुफीपुरा में श्री बैजुनाथ के मकान से श्री आर० एल० यादव के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	4,98,702/-
(20)	मो० नेवरैय्या में हलीम हाता के मकान से स्व० तिलक चन्द्र के मकान होते हुए पिन्टु के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	4,99,809/-
(21)	मो० जोषियापुरा में कादरी प्रिन्टिंग प्रेस से राजन कुमार (पुलिया) तक आर० सी० सी० नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का कार्य	4,90,403/-
(22)	मो० काजीकटरा में गुल्लावीर मार्ग पर अख्तर के मकान से मुन्ना के मकान तक आर० सी० सी० नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	4,93,465/-

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

(23)	मो० सुफीपुरा में श्रीमती रेनू सिंह के घर से पहले श्री राम चन्द्रर राव के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य	4,99,161/–
(24)	मो० गुलाम अलीपुरा में रामजानकी मन्दिर से बरसाती लाल बर्तन वाले के मकान तक इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क सुधार का कार्य	4,44,881/–
	योग	1,96,11,567/–

(ख) मार्ग प्रकाश :–

क्रमांक	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
(अ)	फुटकर सामग्री (क्राम्पटन/बजाज कम्पनी मेक)			
(1)	150 वाट एच०पी०एस०वी० कॉपर बैलास्ट	100 नग	1,405=00	1,40,500/–
(2)	150 वाट एच०पी०एस०वी० कॉपर लैम्प	100 नग	190=00	39,000/–
(3)	70 वाट एच०पी०एस०वी० कॉपर बैलास्ट	100 नग	950=00	95,000/–
(4)	70 वाट एच०पी०एस०वी० कॉपर लैम्प	100 नग	280=00	28,000/–
(5)	400 वाट एच०पी०एस०वी० कॉपर बैलास्ट	50 नग	3,184=00	1,59,200/–
(6)	400 वाट एच०पी०एस०वी० कॉपर लैम्प	50 नग	515=00	25,750/–
(7)	85 वाट सी० एफ० एल०	100 नग	723=00	72,300/–
(8)	45 वाट सी० एफ० एल०	100 नग	458=00	45,800/–
(9)	इग्नाइजर	100 नग	218=00	21,800/–
(10)	मेन स्विच 63 रु० 415 वाट	20 नग	438=00	8,760/–
(11)	पी० वी० सी० कॉपर तार 1.5 एम० एम०	2000 मी०	21=00	42,000/–
(12)	स्विच 15 रु०	200 नग	110=00	22,000/–
			योग	7,00,110/–
(ब)	11 मी० लम्बे सेमी हाइमास्क पोल पर चार लाईट 400 वाट एच० पी० एस० वी० फिटिंग मय फाउण्डेशन सहित (क्राम्पटन/बजाज कम्पनी मेक)	1 नग	1,64,160=00	1,64,160/–
(स)	150 वाट एच० पी० एस० वी० फिटिंग कम्प्लीट विद लैम्प (क्राम्पटन/बजाज कम्पनी मेक)	250 नग	6,943=00	17,35,750/–
			योग	26,00,020/–
			महायोग	2,22,11,587/–

उपर्युक्त दी गयी स्थिति से स्पष्ट है कि शासन द्वारा वर्गीकृत की गयी मदों में से मात्र दो मदों जल निकासी/निर्माण कार्य व मार्ग प्रकाश व्यवस्था पर ही व्यय किया गया था। इस प्रकार शेष 7 मदों पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

उपलब्ध धनराशि रु० 2,02,03,144=00 के सापेक्ष रु० 2,22,11,587=00 की कार्योजना प्रस्तावित की गयी थी। इस प्रकार रु० 20,08,443=00 की अधिक प्रस्तावित कार्योजना का व्यय निकाय को निजी स्रोतों (पालिका फण्ड) से किया जाना था। उक्त कार्योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनाँक 30–11–2015 को जिला स्तरीय समिति की बैठक में किया गया था। जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत कार्योजना के सभी कार्य दिनाँक 31–01–2016 तक पूर्ण कर लिया जाना था। अनुदान स्वीकृति आदेश के प्रस्तर के शर्त एवं प्रतिबन्ध संख्या– 2 के अनुसार यह स्पष्ट निर्देश थे कि अधिशाषी अधिकारी

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोगं निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से किया जायेगा। दिशा–निर्देशों से हटकर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा और इसके लिए अधिशाषी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

उपर्युक्त निर्दिष्ट 9 प्रयोजनों में प्राप्त धनराशि का समानुपातिक रूप से विभाजन किया जाय तो उक्त प्रत्येक मदों पर लगभग रु० 22,44,794=00 का भाग निर्धारित होगा। उल्लेखनीय यह है कि वर्तमान में केन्द्र सरकार की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व सेप्टैक्ट प्रबन्धन सहित स्वच्छता कार्यक्रम पर मुख्य रूप से कार्योजना तैयार कर उसे सम्पन्न किये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है जिस पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा अंशत ही न कोई ध्यान दिया गया और न ही कोई कार्योजना तैयार कर अनुमोदित करायी गयी।

इस प्रकार शेष 7 मदों पर कोई कार्योजना न तैयार कराये जाने के कारण रु० 22,44,794 × 7 = 1,57,13,558=00 का व्यय शासन द्वारा निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों से हट कर किया गया। और यह अनुदान का विचलन कर के किया गया व्यय गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में था। इस प्रकार किया गया व्यय अमान्य था और इसके लिए अधिशाषी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी थे।

अतएव इस सम्बन्ध में यथेष्ठ कार्यवाही करते हुए सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

टिप्पणी :– उपर्युक्त कार्योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों का तैयार किया गया अनुमान, आमन्त्रित टेण्डर, कार्य से सम्बन्धित पत्रावली व माप पुस्तिका तथा स्टॉक बुक आदि सम्परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

(ज) **<u>कूटरचित दस्तावेजों/बिलों के आधार पर जलकल व सफाई विभाग एवं प्रकाश विभाग में विभिन्न प्रकृति के कराये गये कार्यों को दिखाकर पालिका निधि से. रु० 23.07 लाख का काल्पनिक/फर्जी भुगतान</u>** :– वर्ष 2015–16 में मिज्जन वर्क रिपेयरिंग शॉप में उनके विभिन्न बिलों के सन्दर्भ में कुल रु० 23,06,630=00 का भुगतान दर्शित किया गया था। अनुलग्नक 'एक' में फर्म के दर्शित बिलों से स्पष्ट है कि जैसा की तारांकित कर दिया गया है, कि किसी फर्म के बिल आरोही क्रम में होना चाहिए परन्तु बहुसंख्यक बिल अवरोही क्रम मे हैं अर्थात् घटते हुए क्रम में हैं। दृष्टांत स्परूप फर्म का बिल सं०– 502/17–03–2015 को जारी हुआ है जबकि इस क्रम के बिल 26–06–2015, जुलाई 15, सितम्बर 15 व अक्टूबर 15 में जारी हुए हैं। इसी प्रकार 548, 549 क्रमशः 30–09–2015 व 05–10–2015 को जारी है, जबकि 536 दिनॉक 04–10–2015 को जारी किया गया। इसी प्रकार समानान्तर स्थिति अनन्य बिलों की है। बिल सं०– 345, 346, 10–04–2015 व 15–04–2015 को जारी किये गये जबकि 374 व 375, 24–04–2015 को ही जारी किये गये। इस प्रकार इस श्रेणी के बिल क्रमागत/आरोही क्रम में नहीं हैं और इन बिलों में भी व्युत्क्रम हैं। इसी प्रकार बिल– 601 व 602 क्रमशः 16–02–2016 को जारी हुए जबकि 589, 27–02–2016 को जारी किया गया। इसी प्रकार बिल सं०– 590 व 599, 22–02–2016 को जारी हुए हैं जबकि 589, 27–02–2016 को जारी हुआ है। इसी प्रकार सूची में दर्शित समस्त बिलों की स्थिति भी है।

उपर्युक्त प्रकार के गम्भीर वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में वर्ष 2014–15 की सम्परीक्षा में इसी फर्म की आपत्तियाँ उदघाटित की गयी थीं, जिसका विस्तृत विवरण वर्ष 2014–15 के सम्परीक्षा आख्या भाग– 'क' के पैरा– 9(ख)(8) व (10) में दिया गया है। उक्त आपत्ति किये जाने के उपरान्त भी इस प्रकार के गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं न तो कोई रोक लगायी गयी और न ही इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता पर कोई अनुपालन कार्यवाही ही की गयी। उपर्युक्त प्रकार की गम्भीर अनियमितता को तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा संज्ञान में लिया गया था और पालिका परिषद के निम्नलिखित

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

कर्मचारियों को कार्यालय ज्ञाप संख्या– 243/लेखा–बिल भुगतान/2015 दिनाँक 05 जून 2015 द्वारा संलग्नक–2 में दर्शित स्थिति के अनुसार फर्म के ऐसे बिलों को प्राप्त न करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु उन कर्मचारियों द्वारा अधिशाषी अधिकारी द्वारा दिये गये उक्त निर्देश की अवहेलना करते हुए एक सिरे से अनदेखी की गयी जिसके कारण इन काल्पनिक बिलों के आधार पर पालिका निधि से रु० 23,03,630=00 के अनियमित/अमान्य भुगतान का मार्ग प्रसस्त हो गया।

(1) श्री नरेश कुमार, अवर अभियन्ता (मार्ग प्रकाश)
(2) श्री राशिद सईद, अवर अभियन्ता (जल)
(3) श्री प्रदीप अग्निहोत्री, सफाई निरीक्षक
(4) श्री मो० एजाज मसूद, लिपिक, जलकल
(5) श्री शहाबुद्दीन, लिपिक, स्वास्थ्य
(6) श्री मो० मुस्तफा, लिपिक, स्वास्थ्य
(7) अभिलेख पाल
(8) श्री प्रमोद श्रीवास्तव, कार्यवाहक राजस्व पिरीक्षक
(9) लेखाकार

उक्त प्रसंगत आपत्ति के सन्दर्भ में निम्नलिखित कर्मचारियों की सहभागिता थी/उत्तरदायी थे–

(1) श्री नरेश कुमार, अवर अभियन्ता (मार्ग प्रकाश)
(2) श्री राशिद सईद, अवर अभियन्ता (जल)
(3) श्री प्रदीप अग्निहोत्री, सफाई निरीक्षक
(4) श्री मो० एजाज मसूद, लिपिक (दिनाँक 20–11–2015 तक तदुपरान्त श्री राजाराम, लिपिक, जलकल
(5) श्री मो० मुस्तफा, लिपिक, स्वास्थ्य
(6) लेखाकार

सम्बन्धित विााागों के उपर्युक्त कर्मचारियों द्वारा उक्त फर्म के बिल को भुगतान हेतु जब प्रस्तुत किया गया तो लेखाकार/लेखा का कार्य देखने वाला लेखा सहायक द्वारा सम्बन्धित बिलों के भुगतान के निमित्त निम्नानुसार टिप्पणी की गयी थी– **"उपरोक्त आख्यानुसार सम्बन्धित बिल की जाँच कर ली गयी है। ठेकेदार को कुल रु० .... भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने की कष्ट करें।"**

लेखा का कार्य देखने वाले कार्यालय सहायक द्वारा दी गयी टिप्पणी से स्पष्ट है कि इनके द्वारा बिलों की जाँच मात्र कागजी कार्यवाही पूर्ण करने के लिए की गयी थी। यदि बिलों की जाँच सतर्कतापूर्वक की जाती तो उक्त प्रकार के अनियमितता/अमान्य भुगतान की स्थिति से बचा जा सकता था। परन्तु इनकके द्वारा बरती गयी चूक के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता घटित होने का मार्ग प्रसस्त हो गया। इस प्रकार सम्परीक्षा का यह कहना असमाचिन न होगा कि उक्त प्रकृति के भुगतान में सम्बन्धित विभाग के कर्मचारी, लेखा कार्य देखने वाला लेखा सहायक व फर्म की दुःरभि सन्धि से उक्त फर्म के बिल प्राप्त किये गये और इनके एनकेन प्रकारेण भुगतान करा लिया गया। अतएव उपर्युक्त के सम्बन्ध में नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम– 12(3)(क) व (ख) के वर्णित विवरणानुसार यथेष्ठ कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उल्लेखनीय यह है कि सम्बन्धित बैंक खातों के बैंक स्टेटमेन्ट से यह स्पष्ट होता है कि अनुलग्नक 'एक' में सूचीबद्ध किये गये समस्त चेक, कैश/नकद भुगतान किये गये थे जबकि समस्त

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

भुगतान एकाउण्ट पेयी के परिधि में थे और वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त भुगतान ई–मेल व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाना चाहिए, परन्तु बैंक से चेक के कैश होने से स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित को चेक वाहक चेक (आर्डर चेक) के रूप में दिये गये थे। उक्त स्थिति गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक था।

सम्बन्धित बिल/वाउचर पर नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम– 99(1)(2) में वर्णित व्यवस्थानुसार कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी थी। इसका औचित्य स्पष्ट किया जाय।

<u>(झ) स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य लिपिक एवं स्वास्थ्य निरीक्षक की दुःरभि संधि से सफाई विभाग के विभिन्न वाहनों की कृत्रिम रूप से मरम्मत दिखाकर रु० 17,82,899=00 का पालिका निधि से भुगतान की गयी धनराशि का दुर्विनियोग</u> :– व्यय प्रमाणकों की सम्परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि सफाई विभाग के विभिन्न वाहनों की मरम्मत पर इण्डिया ट्रैक्टर वर्कशाप प्रो० महबूब अली व सिजरा रिपेयरिंग वर्क्स, काजीपुरा के फर्न से समय–समय पर कराया गया था। उपर्युक्त फर्मों से कराये गये मरम्मत बिलों की सूची क्रमशः अनुलग्नक 'आई' व 'सी' में दी गयी है। इण्डिया ट्रैक्टर वर्कशाप के बिलों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवर्ती रूप से क्रमागत फर्म के बिलों का मरम्मत दिखाकर बिल तैयार किये गये हैं। इसी प्रकार सिजरा रिपेयरिंग वर्क्स, काजीपुरा के भी बिल क्रमागत रूप से तैयार किये गये हैं। इस मरम्मत के सम्बन्ध में निम्नलिखित सैद्धान्तिक अनियमितताएं प्रथमतः दृष्टिगोचर होती हैं–

(1) वाहनों के मरम्मत के पूर्व वाहनों के खराबी विषयक सम्बन्धित वाहन के ड्राइवर व क्लीनर की कोई रिपोर्ट नहीं थी।
(2) यदि वास्तव में खराबी थी तो सम्बन्धित मैकेनिक से इस हर होने वाले व्यय का अनुमान भी तैयाए नहीं कराया गया था।
(3) संलग्न सूची 'आई' से यह भी स्पष्ट है कि क्रमांक (19) (20) (21) (22) (23) (48) (49) (63) (64) व (69) पर मरम्मत पर हुआ व्यय कोटेशन की परिधि में था, परन्तु इसके लिए कोई कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया था।
(4) जिन वाहनों की मरम्मत करायी गयी थी, उनकी पुष्टि उनके लॉगुकि से नहीं होती थी।
(5) वाहनों के जो पार्ट्स बदले गये थे, उनके मूल्यों का सम्बन्धित बिलों में कोई समायोजन नहीं था न ही बदले गये पार्ट्स के स्थान पर पुराने पार्ट्स की डेड स्टॉक बुक में ही कोई प्रविष्टि की गयी थी।
(6) अनुलग्नक 'आई' व 'सी' तथा पूर्व निर्गत आपत्ति संख्या– 35 के अनुलग्नक– 'एक' में दर्शित स्थिति से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि एक ही वाहन सूक्ष्म अन्तराल में कई बार भिन्न–भिन्न फर्मों से मरम्मत दर्शायी गयी है। जिसकी सूची अनुलग्नक– 'डी' पर संलग्न है।
(7) इन समस्त बिलों को सफाई निरीक्षक द्वारा स्वतः सत्यापित किया गया था।
(8) मरम्मत कराये जाने के पूर्व इनका अनुमोदन अधिशाषी अधिकारी से नहीं प्राप्त किया गया था।
(9) सम्बन्धित बिलों पर नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम– 99 (1)(2) में वर्णित व्यवस्थानुसार सम्बन्धित बिलों पर सक्षम अधिकारी का भुगतानादेश नहीं था।
(10) सम्बन्धित फर्मों को जो चेक दिये गये थे वे सब बियरर/वाहक थे और बैंक से कैश हुए थे। इस स्थिति के कारण भुगतान प्रक्रिया दोषपूर्ण थी।
(11) सम्बन्धित फर्मों से भुगतान प्राप्ति की विधि सम्बद्ध कोई रसीद भी नहीं थी।
(12) अनुलग्नक 'आई' के क्रमांक (71) से (75) पर उल्लिखित फर्मों के बिलों का सत्यापर भी नहीं किया गया था।

xecutive Of
unicipal Boa..d
BAHRAICH

अतएव उपर्युक्त वर्णित सैद्धान्तिक अनियमितताओं के कारण वित्तीय अनियमितताओं का मार्ग प्रसस्त हो गया था। उपर्युक्त दी गयी स्थिति से यह स्पष्ट है कि सम्बन्धित वाहनों में कृत्रिम रूप से खराबी दिखाकर सफाई निरीक्षक द्वारा कपटपूर्ण ढंग से फर्म के बिल तैयार कराकर पालिका निधि से भुगतान कराया गया था। भुगतान आवर्ती प्रकृति के होने के कारण पालिका निधि से एनकेन प्रकारेण धन के दुर्विनियोजन की व्यवस्था की गयी थी। अतः उक्त अनियमित एवं कपटपूर्ण ढंग से व्यय दर्शित की गयी धनराशि के सम्बन्ध में नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम– 12 (3)(क)(ख)(ग)(घ) में वर्णित रीति से यथेष्ठ कार्यवाही लेते हुए सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(ञ) <u>रु० 60 लाख की क्रय की गयी विभिन्न विद्युत सामग्रियों में बरती गयी विभिन्न अनियमितताएं</u> :– आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व नगर पालिका निधि से निम्नानुसार सामग्रियाँ क्रय की गयी थी–

क्र०	फर्म का नाम	फर्म का बिल सं०	धनराशि	वा० सं०/तिथि	चेक सं०/तिथि
(1)	पप्पू इलेक्ट्रिक स्टोर	2/52/01–03–16	7,78,950/–	14/04–03–16 (14वाँ वि० आ०)	294919/ 04–03–16
(2)	पप्पू इलेक्ट्रिक स्टोर	2/59/22–03–16	1,09,500/–	277/31–03–16	
(3)	पप्पू इलेक्ट्रिक स्टोर	2/66/30–03–16	5,87,050/–	277/31–03–16	004736/ 31–03–16
(4)	पप्पू इलेक्ट्रिक स्टोर	2/67/30–03–16	2,91,500/–	277/31–03–16	
			9,88,050/–	(14वाँ वि० आ०)	
(5)	पप्पू इलेक्ट्रिक स्टोर	1/20/02–09–16	98,400/–	53/09–10–16	
(6)	पप्पू इलेक्ट्रिक स्टोर	1/18/02–09–16	3,400/–	54/09–10–16	447736/ 09–10–16
(7)	पप्पू इलेक्ट्रिक स्टोर	1/29/18–09–16	5,472/–	55/09–10–16	
(8)	पप्पू इलेक्ट्रिक स्टोर	1/26/27/18–09–16	8,29,850/–	56/09–10–16	
			9,37,122/–	(रा० वि० आ०)	
(9)	पप्पू इलेक्ट्रिक स्टोर	1/37/12–12–15 1/38/12–12–15 1/39/12–12–15	6,12,056/– 2,14,540/– 16,416/–	16/01–01–16 16/01–01–16 16/01–01–16	760117/ 01–01–16
			8,43,012/–	(रा० वि० आ०)	
(10)	पप्पू इलेक्ट्रिक स्टोर	4017/30–11–15	15,711/–	88/18–12–15 (बोर्ड फण्ड)	005626/ 18–12–15
(11)	जे०एम०डी० इण्डस्ट्रीज, लखनऊ 250 अदद	1/41/25–12–15	17,35,750/–	15/04–03–16	294820/ 04–03–16

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

	सोडियम लाइट दर 6,943 / – प्रति				
				(14वाँ वि० आ०)	
(12)	जे०एम०डी० इण्डस्ट्रीज, लखनऊ	2 / 65 / 01–03–16	1,64,160 / –	235 / 28–03–16	294839 / 28–03–16
				(14वाँ वि० आ०)	
(13)	जे०एम०डी० इण्डस्ट्रीज, लखनऊ एल्युमिनियम केबल आरमर 16उउ, 3.5 कोर	540 / 16 / 09–15	3,65,000 / –	57 / 09–10–15	447737 / 09–10–15
				(रा० वि० आ०)	
(14)	जे०एम०डी० इण्डस्ट्रीज, लखनऊ	1 / 40 / 25–12–15	1,72,500 / –	17 / 01–01–16	760118 / 01–01–16
			60,00,255 / –	(रा० वि० आ०)	

नगर विकास अनुभाग–9 उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या–1383 / 9–9–14–84ज / 14 दिनांक 19 नबम्बर 2014 द्वारा माननीय लोकायुक्त उ०प्र० लखनऊ द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार यह शासनादेश जारी किया गया था कि **"सभी नगर पालिका परिषदों को यह निदेश जारी किये जायें कि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय यदि बिजली के समान के क्रय करने में किया जाय तो निर्माता कम्पनियों द्वारा अधिकतम मूल्य दर सूची पर देय छूट के बाद आये मूल्य से ऊपर के मूल्य पर क्रय न की जाय और जारी होने वाले शासनादेश में यह उल्लेख कर दिया जाय कि यदि किसी नगर पालिका परिषद में बिजली के सामान निर्माता कम्पनियों के द्वारा देय छूट के बिना अधिक मूलय पर क्रय की गयी तो उसकी धनराशि की वसूली सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद से की जा सकेगी।"**

उक्त के सन्दर्भ में नगर पालिका के पत्रांक– 129 / मार्ग प्रकाश / न०पा०प०बहराइच / 2015 दिनाँक 21 मई 2015 द्वारा प्रबन्धक क्राम्पटन ग्रिवेन्स लि० लखनऊ को क्रमशः 1 से 42 पर अंकित विद्युत सामग्रियों की मूल सूची उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। और यह भी कहा गया था कि सामग्री का दर एक सप्ताह के अन्दर डाक द्वारा एवं नगर पालिका परिषद, बहराइच की ई–मेल nppbrhup120@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। परन्तु नगर पालिका द्वारा जो सामग्रियों की सूची दी गयी थी और जिन स्तम्भों को पूर्ति हेतु उक्त फर्म को भेजा गया था उसी पर भर करके यह सूची वापस किये जाने का संकेत था। सूची में दर्शित सामग्रियों की दर निर्माता कम्पनी द्वारा जारी अधिकतम मूल्य दर सूची एवं निर्माता कम्पनी द्वारा दिये गये छूट के उपरान्त के दर पर जारी की गयी दर सूची से समर्थित नहीं था। जबकि निर्माता कम्पनी का मुख्यालय CG House, 6th Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400030, India है, परन्तु निर्माता कम्पनी द्वारा जारी की गयी प्रिन्टेड मूल्य दर सूची एवं छूट के बाद क्रय की जाने वाली दर से, जिस आधार पर विद्युत सामग्रियाँ क्रय की गयी थी, उक्त निर्माता सूची से समर्थित नहीं थी। साथ ही जिस दर सूची से विद्युत सामग्रियाँ क्रय की गयी थी वह दर क्रय के समय निर्माता कम्पनी से प्राप्त करके पुनः क्रय किया जाना था परन्तु ऐसा नहीं

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

किया गया था। साथ ही जो सूची लगायी गयी थी उसके क्रमांक 6 पर निम्नानुसार दर्शित किया गया था।

क्र०	सामग्री	अधिकतम मूल्य दर			छूट के पश्चात दर सूची		
		दर	कर	योग	दर	कर	योग
6.	11 मी० लम्बे सेमी हाई मास्क फिटिंग की आपूर्ति चार अदद लाइट 400 वाट HSPV सहित	1,80,000/-	25,200/-	2,05,200/-	1,44,000/-	20,160/-	1,64,160/-

इससे स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त दर प्रति सामग्री की दर से ह अथवा आपूर्ति होने वाले समस्त सामग्री के दर से है। इस प्रकार उपर्युक्त सैद्धान्तिक अनियमितताओं के कारण सामग्रियों की दर निश्चयन निर्माता कम्पनी की दर से समर्थितन होने के कारण नहीं हो पाता है और इस विसंगति एवं अनियमितता के कारण सामग्रियों की दर अधिक होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित वित्तीय अनियमितता और बरती गयी थीं–

(1) उपर्युक्त के अतिरिक्त विद्युत सामग्री क्रय करने के पूर्व अन्य किसी निर्माता कम्पनी की मूल्य दर सूची प्राप्त करके प्रतिस्पर्धात्मक विवरण तैयार नहीं किया गया था।

(2) क्रय करने के पूर्व इन सामग्रियों का टेण्डर आमन्त्रित करके सामग्रियों के गुणवत्ता को देखते हुए इनके मूल्य का निर्धारण किया जाना था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार प्रतिसपर्धात्मक लाभ से पालिका परिषद वंचित हो गयी थी।

(3) आपूर्तिकर्ता फर्म सम्बन्धित निर्माता कम्पनी की अधिकृत होलसेलर, सबडीलर है या नहीं इसका कोई प्राधिकृत पत्र नहीं था।

(4) इतनी भारी मात्रा में जो विद्युत सामग्रियाँ क्रय की गयी थी उनकी माँग का क्या साक्ष्य था, क्रय की गयी सामग्रियाँ समर्थित नहीं थीं।

(5) क्रय की गयी विद्युत सामग्रियों की मात्रा का सम्यापन एवं गुणवत्ता का परख का प्रमाण सम्बन्धित बिलों पर अधिशाषी अभियन्ता विद्युत का कोई सत्यापन आख्या नहीं था।

अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखीय साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाय एवं सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(ट) <u>13वें व 14वें वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि रु० 4.98 करोड़ का उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में</u> :– वर्ष 2015–16 में 13वे व 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर क्रमशः रु० 2,95,50,299=00 व रु० 2,02,03,144=00 अर्थात कुल रु० 4,97,53,443=00 प्राप्त हुआ था। उक्त अनुदानों के जारी स्वीकृतियों के शर्त एवं प्रतिबन्ध संख्या–1(6) व (7) के अनुसार इन अनुदानों का उपभोग 31 मार्च 2016 तक किया जाना था और उसका उपभोग प्रमाणपत्र निदेशक स्थानीय निकाय उ०प्र० शासन लखनऊ, महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद व वित्त विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ को प्रेषित किया जाना था ताकि भारत सरकार को इसका उपभोग प्रमाणपत्र यथाशीघ्र प्रेषित किया जा सके। अतएव प्रेषित उपभोग प्रमाणपत्र सम्परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

xecutive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

2. गबन के प्रकरण :–

(क) 31 मार्च 2016 को रु० 79.34 लाख रोकड़बही के अवशेष से बैंक अवशेष कम होने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता का परिलक्षित होना :– नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय–8 के नियम 103 में वर्णित व्यवस्थानुसार न तो 31 मार्च 2016 को बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया था और न ही रोकड़बही के अवशेष का विघटन तैयार किया गया था। गत–विगत वर्षों के सम्परीक्षा आख्याओं के अध्ययन से स्पष्ट होगा कि सम्परीक्षा द्वारा रोकड़बही अवशेष व बैंक खाते के अवशेष में निरन्तर अन्तर व्याप्त होने की आपत्ति बारम्बार उद्घाटित की जा रही है, परन्तु इस आपत्ति की गम्भीरता को देखते हुए पालिका द्वारा कभी भी व्याप्त अन्तर को स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया गया जिसके कारण वर्तमान में भी उक्त अन्तर व्याप्त है। वर्ष 2015–16 के वित्तीय आंकड़े निर्गत किये गये हैं जिसके अनुसार 31 मार्च 2016 को रोकड़बही का अवशेष रु० 8,00,27,176=60 है। इस प्रकार बैंक खाते का अवशेष रोकड़बही के अवशेष से रु० 79,33,851=24 कम है।

अतएव बैंक खातेका अवशेष रु० 79,33,851=24 कम होने का औचित्य विभागीय जाँच करकर स्पष्ट किया जाय। इस सम्बन्ध में निर्गत अधियाचन संख्या दिनॉक निर्गत किया गया जो भुगतानित था।

3. आवर्ती प्रकृति के अनियमित व्यय, अधिक या अनानुमोदित व्यय, अधिक या अनानुमोदित अधिष्ठान के कारण वेतन और भत्तों का अनियमित भुगतान, अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया गया भुगतान, अपव्यय या अत्याधिक व्यय :– कोई नहीं।

4. राजस्व की हानि :–

(1) नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित मोबाइल टावरों से अनुज्ञा शुल्क न लिये जाने से लगभग रु० 3 लाख की आवर्ती हानि :– शासन द्वारा पालिका परिषदों की आय में बृद्धि हेतु यह निर्देश दिये गये थे कि पालिका सीमान्तर्गत स्थित विभिन्न दूर संचार कम्पनियों के टावरों से रु० 5,000=00 प्रति टावरा अनुज्ञा शुल्क लिया जाय, परन्तु पालिका परिषद द्वारा नहीं लिया जा रहा था। सम्परीक्षा के समय चर्चा के मध्य प्रकाश में आया कि पालिका सीमान्तर्गत लगभग 60 टावर स्थित है। अतएव शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रति टावर रु० 5,000=00 अनुज्ञा शुल्क न लिये जाने के कारण प्रति वर्ष 605000=3,00,000=00 के आय की हानि हो रही थी। इस सम्बन्ध में यह अपेक्षित है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुज्ञा शुल्क की वसूली करायी जाय।

(2) 31 मार्च 2015 को गृहकर व जलकर के बकाया माँग क्रमशः रु० 18,98,478/– व 18,54,806/– कम किये जाने के कारण कुल 37,53,284/– की कर राजस्व की आर्थिक हानि पहुँचाया जाना :– कर अधीक्षिका द्वारा सम्परीक्षा को वर्ष 2015–16 के गृहकर व जलकर के माँग व समाहरण की स्थिति उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् थी–

	गृहकर	जलकर
1–4–15 को बकाया	32,88,912=00	41,14,791=00
स्थापित माँग	51,29,723=00	65,86,668=00
योग	84,18,635=00	1,07,01,459=00
वर्ष में समाहरण	60,01,462=00	55,79,998=00
31–3–16 को वसूली हेतु शेष	24,17,173=00	51,21,461=00

गत वर्ष 2014–15 में कर अधीक्षिका द्वारा जो विवरण उपलब्ध कराया गया था, उसके अनुसार गृहकर व जलकर का 31 मार्च 2015 को बकाया क्रमशः रु० 51,87,390=00 व 59,69,597=00 था। इस

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

प्रकार 1–4–2015 को बकाया क्रमशः रु० 51,87,390=00 व 59,69,597=00 होना चाहिये जबकि गृहकर व जलकर का क्रमशः रु० 18,98,478=00 व 18,54,806=00 कम करके बकाया दर्शाया गया था। बकाया कम दर्शित करने का औचित्य विवरण में नहीं दिया गया था। इस प्रकार उक्त विसंगति पूर्ण कार्यवाही से बकाया माँग कम किये जाने के कारण गृहकर व जलकर की धनराशि क्रमशः रु० 18,98,478=00 व 18,54,806=00 अर्थात कुल रु० 37,53,284=00 की प्रत्यक्ष हानि पहुँचायी गयी थी। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का ध्यान तथ्यपरक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

5. विकास, शिक्षा या अन्य विशेष प्रयोजनों से सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रगति और उपयोगिता :–

(क) 13वें,14वें वित्त आयोग के सापेक्ष रु० 58.71 लाख अनुपयुक्त :– नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा 13वें व 14वें वित्त आयोग से विभिन्न मद हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। परन्तु 31 मार्च 2016 को 58,71,187=00 अनपमुक्त थी इस स्थिति के कारण स्थानीय निकाय के अन्तर्गत जन कल्याणकारी योजनाओं से स्थानीय जनता नागरिक सुविधाओं से वंचित रह गयी।

6. वित्तीय स्रोतों का प्रबन्धन एवं बजट की समीक्षा :–

(1) वर्ष 2015–16 का बजट पालिका परिषद के बैठक दिनाँक 27 मई 2015 द्वारा पारित किया गया था, जिसके अनुसार अनुमानित प्राप्तियाँ रु० 6187.50 लाख थी और व्यय रु० 6112.50 लाख था। उक्त अनुमानित प्राप्तियों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियाँ व व्यय क्रमशः रु० 31,98,88,459=00 व 34,70,86,389=00 थी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया वास्तविक प्राप्तियों पर रु० 2,71,97,930=00 का व्यय आधिक्य था। इससे स्पष्ट है कि पालिका परिषद द्वारा निजी स्रोतों से आय के दोहन व संवर्धन की त्वरित प्रयास थी आवश्यकता है।

(2) पालिका परिषद की वर्गीकृत सारपंजी के अनुसार जो निर्धारित प्रारूप पर नहीं थी और सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित नहीं थी, के अनुसार पालिका परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्रोतों से मात्र रु० 1,72,84,421=00 वित्तीय संसाधनों का संग्रह किया गया था। जबकि पालिका परिषद के निजी स्रोतों से होने वाली आय की संग्रह में नियोजित कर्मचारियों के अधिष्ठान पर निम्नानुसार व्यय भारित किया गया था–

(1)	वेतन चुंगी सरप्लस स्टाफ (ये समस्त कर्मचारी कर व करेत्तर उगाही के राजस्व में भी संलग्न थे)	35,77,972=00
(2)	वेतन कर अनुभाग	61,42,994=00
(3)	जलकर विभाग	1,01,44,058=00
	योग	1,98,65,024=00

उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि पालिका परिषद की स्थिति घाटे की थी।

(3) वर्ष 2015–16 की आय की समीक्षा में यह भी स्पष्ट हुआ कि गत विगत वर्षों की तुलना में निरन्तर गिरावट हो रही थी, जिससे पालिका परिषद निरन्तर घाटे की ओर अग्रसर हो रही थी।

उक्त खाते के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रुपया 5,24,76,293=00, 31 मार्च 2016 को अवशिष्ट थी। एसएफसी के सापेक्ष रु० 96,47,993=00 के अनकैशड चेक थे। उक्त स्थिति के परिपेक्ष्य में प्राप्त धनराशि एवं ब्याज रु० 5,24,76,993–96,47,993=4,28,29,000=00, 31 मार्च 2016 को अनुपभुक्त था।

x utive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2015–16 के पूर्व के वर्षों में तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष प्राप्त अनुदान इलाहाबाद बैंक बहराइच खाता संख्या–21152946220 में जमा किया जाता था।

उक्त खाते में बोर्ड फण्ड की आय तथा 2% हस्तान्तरण विलेख शुल्क की धनराशि भी जमा की जाती थी। उक्त खाते का 31 मार्च 2106 को अवशेष रु० 2,06,46,490=20 थी जिसमें वर्ष 2015–16 में 2% की धनराशि रु० 1,11,66,181=00 अनुपभुक्त पड़ी थी तथा उक्त खाते के सापेक्ष रु० 6,70,773=00 अनकैशड थी। इस प्रकार 31 मार्च 2016 को उक्त खाते में अवशिष्ट धनराशि रु० 2,06,46,490=20–1,18,36,954=88,09,536=20 वर्ष 2015–16 के पूर्व वर्षों में प्राप्त राज्य वित्त आयोग की धनराशि थी जो अनुपभुक्त थी।

अतएव बिन्दु (1) व (2) में दी गयी स्थिति के परिपेक्ष्य में 31 मार्च 2016 को राज्य वित्त आयोग में कुल रु० (42829000+8809536=20)=5,16,38,536=20 की धनराशि अनुपभुक्त/निष्प्रयोज्य एवं बैंक खाते में अवरूद्ध पड़ी हुई थी। इसे राजकोष को समर्पित किया जाय अथवा प्राप्त होने वाले अनुदान में समायोजित करते हुए अनुदान प्राप्त किया जाय एवं कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

(ख) <u>हानि, अपव्यय, दुरूपयोग और अनियमित अधिक भुगतान इत्यादि</u> :– कोई नहीं।

(ग) <u>सहायक निदेशक/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा लेखे विशेष बिन्दु पर गहन जाँच के प्रकरण</u> :– कोई नहीं।

सम्परीक्षा आख्या भाग–ख

1. <u>गत विगत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा</u> :– परिशिष्ट"एक" में दी गयी स्थिति के अनुसार वर्ष 1971–72 से 2014–15 तक कुल 2190 आपत्तियाँ अनिस्तारित चली आ रही थी। समस्त सम्परीक्षा आख्यायें नगर पालिका परिषद को प्राप्त हो गयी थी, परन्तु इनकी कोई अनुपालन कार्यवाही एवं उत्तर नहीं तैयार की गयी।

अतएव उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा–1984 की धारा–9(1) के अन्तर्गत अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाय।

(2) गत–विगत वर्षों की सम्परीक्षा आपत्तियों के पुनर्विलोकन से स्पष्ट हुआ कि किसी भी आपत्ति की कोई अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी थी। इस सम्बन्ध में अधियाचन संख्या–157 दिनाँक 9–11–2016 को जारी किया गया जो अनुत्तरित रहा।

2. <u>वित्तीय स्थिति</u> :– सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका, पालिका परिषद के आलोच्य अवधि की वित्तीय स्थिति संलग्नक परिशिष्ट–"दो" पर अंकित है तथा आय–व्यय का संहत विवरण संलग्नक परिशिष्ट–"5" पर अंकित है।

<u>टिप्पणी</u> :–

1. दिये गये वित्तीय आंकड़े सम्परीक्षा द्वारा वाह्य संकलन के आधार पर गणना की गयी है। 31 मार्च 2016 को रोकड़बही में वार्षिक लेख तैयार नहीं किया गया था और न ही बैंक समाधान विवरण ही तैयार किया गया था। रोकड़बही नगर पालिका लेखा नियमावली में निर्धारित प्रारूप

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

पर तैयार नहीं किया गया था, जबकि गत लेखा परीक्षा में भी इस सम्बन्ध में सुझाव दिये गये थे, परन्तु वर्तमान स्थिति तक इसका कोई पालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

2. 31 मार्च 2015 को सम्परीक्षा द्वारा आगठित अवशेष एवं रोकड़बही का अवशेष समान रू० 9,48,91,418=84 था। वर्ष 2015–16 में सम्परीक्षा द्वारा बैंक समाधान विवरण बनाया गया तो उसके अनुसार रोकड़बही में रू० 74,890=00 अधिक दर्शाया गया था। जिसके कारण उक्त सीमा तक अवशेष कम हो गया था जिसे 1 अप्रैल 2105 के उक्त अवशेष में जोड़ते हुए प्रारम्भिक अवशेष दर्शाया गया है।
3. नगर पालिका परिषद द्वारा अनकैश चेकों का विवरण 31–3–2016 को नहीं तैयार किया गया था। सम्परीक्षा द्वारा तैयार किये जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि 31 मार्च 2106 को राज्य वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग, 2% स्टांम्प शुल्क व बोर्ड फण्ड के सापेक्ष क्रमशः रू० 96,47,993=00, 98,08,532=00, 1,26,427=00, व 6,70,773=00 अर्थात कुल रू० 2,02,53,725=00 के चेक अनकैश थे। उक्त स्थिति माह 31 मार्च 2016 तक सीमित रखी गयी थी।
4. रोकड़बही में निरस्त चेकों से जो आय की गयी है, उसका सम्यक विवरण उपलब्ध कराया जाय एवं निरस्त करने का कारण स्पष्ट किया जाय।
5. कोषागार पी०एल०ए० खाता सं० 8448 की कोषागार सीट उपलब्ध कराकर अवशेष का सत्यापन कराया जाय।
6. इलाहाबाद* यू०पी० ग्रामीण बैंक, बहराइच खाता संख्या–134401100050678 में अवशेष पड़ी धनराशि के सत्यापन हेतु बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराया जाय। यदि बैंक खाता बन्द कर दिया गया है तो उक्त खाते का अवशेष धनराशि किस बैंक में स्थानान्तरित की गयी है, प्रमाण उपलब्ध कराया जाय।
7. परिशिष्ट "दो" पर अंकित वित्तीय स्थिति के अनुसार बैंक/कोषागार के 31 मार्च 2016 का अवशेष रोकड़बही के अवशेष से रू० 7933851=24 कम है। यह स्थिति गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक था।
8. रोकड़बही नगर पालिका लेखा नियमावली के प्रपत्र–34 पर अनुरक्षित नहीं की जा रही थी। इसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त निर्धारित प्रारूप पर ही रोकड़बही अनुरक्षित किया जाय।
9. नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय–8 के नियम–90 से 96 में वर्णित व्यवस्थानुसार रोकड़िया की रोकड़बही प्रपत्र "क" व "ख" पर भाग–1 व 2 नहीं बनाया गया था तथा प्रपत्र ग पर दैनिक इतिशेषों का विवरण दिया जाना चाहिये परन्तु इसे भी नहीं बनाया गया था। इस स्थिति के कारण रोकड़बही के अन्तिम अवशेष योग आदि में विभिन्न त्रुटियाँ परिलक्षित हुयी। अतएव उक्त निर्धारित प्रपत्र पर रोकड़बही अनुरक्षित किया जाय तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।
10. शासन द्वारा अप्रैल 2008 से स्थानीय निकायों के रोकड़बही व अन्य समस्त अभिलेख दोहरा लेखा प्रणाली पर बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु वर्तमान स्थिति तक इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था।
11. 31 मार्च 2016 को रोकड़बही व बैंक खाते का अवशेष का मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था, जबकि नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय–8 के नियम–103 में वर्णित व्यवस्थानुसार बैंक समाधान विवरण बनाया जाना चाहिये तथा अन्तिम अवशेष का विघटन करते हुए मिलान किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया था।

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

12. रोकड़बही, लिपिक/लेखाकार द्वारा हस्तलिपि में नहीं लिखी जा रही थी। व्यय पक्ष की प्रविष्टियाँ कम्प्यूटर से टाईप कराकर चस्पा कर दिया जा रहा था जो अपठनीय थी दृष्टान्त स्वरूप 28-3-2016 के व्यय पक्ष ने चस्पा किये गये विवरण से स्पष्ट किया जा सकता है।
13. नगर पलिका के विभिन्न बैंक खातों से वर्ष 2015-16 में प्राप्त ब्याज की धनराशि रु० 27,59,429=00 की राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाय।
14. वर्ष 2015-16 के रोकड़बही के अवलाकनार्थ ज्ञात हुआ कि चेक सं०-002604 दिनाँक 9-3-2015 रु० 3,000=00, चेक सं०-875849 दिनाँक 4-2-2016 रु० 6,44,000=00, चेक सं०-897845 दिनाँक 17-3-2016 रु० 89,645=00 तथा चेक सं०-760041 दिनाँक 19-10-2015 रु० 33,444=00 इस प्रकार कुल रु० 7,70,083=00 का चेक निरस्त की गयी थी, लेकिन निरस्त किये गये चेकों को मूल रूप में सत्यापनार्थ सम्परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया तथा उक्त चेकों में रु० 6,44,000=00 तथा रु० 89,645=00 की चेकों की रोकड़बही में आय पक्ष में निरस्त चेकों की धनराशि को न लिए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय तथा चेकों के निरस्त किये जाने का कारणों से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।
15. 13वें वित्त आयोग के पी०एन०बी० नोडल खाते पर वर्ष 2015-16 में कुल रु० 14,13,138=00 ब्याज प्राप्त हुआ था।

3(क) <u>नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का लेखा वांछित</u> :- पालिका परिषद द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के निमित्त नकद परिसम्पत्तियों एवं दायित्व का लेखा तैयार नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ लेखा परीक्षक का अधियाचन संख्या-188 दिनाँ 21-12-2016 द्वारा जारी किया गया, परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही इसे तैयार कराकर प्रस्तुत कराया गया। इसे तैयार कराकर आगामी सम्परीक्षा पर तैयार कर दिखाया जाय।

3(ख) पालिका परिषद द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की बैलेन्स शीट तैयार नहीं की गयी थी, इस सम्बन्ध में वरिष्ठ लेखा परीक्षक का अधियाचन संख्या-188 दिनाँ 21-12-2016 द्वारा जारी किया गया, परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही इसे तैयार कराकर प्रस्तुत कराया गया। इसे तैयार कराकर आगामी सम्परीक्षा अवसर पर दिखाया जाय।

4. <u>राजकीय अनुदान</u> :- प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त अनुदानों का उपभोग सम्परीक्षा आख्या में यथा स्थान पर उल्लिखित अभ्युक्तियों/टिप्पणियों के अतिरिक्त निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार किया गया था।

आलोच्य अवधि में निम्नलिखित राजकीय अनुदान/शासकीय सहायता प्राप्त हुई थी।

(क) <u>राज्य वित्त आयोग</u> :- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर निदेशक स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ से निम्नलिखित धनराशियाँ प्राप्त हुई थी-

क्र०	स्वीकृति पत्र संख्या/दिनाँक	प्राप्त धनराशि	अभ्युक्ति
1	संख्या-8/3506-शा०/152/च०रा०वि०आ० /2015-16 दिनाँक 20 मई 2015	1,73,66,424=00	अप्रैल 2015 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य समानुदेशन
2	संख्या-8/8275-शा०/152/च०रा०वि०आ० /2015-16 दिनाँक 10 जून 2015	1,73,66,424=00	मई 2015 के वेतन हेतु सामान्य समानुदेशन
3	संख्या-8/8423-शा०/152/च०रा०वि०आ० /2015-16 दिनाँक 26 जून 2015	1,73,66,424=00	जून 2015 के वेतन हेतु सामान्य समानुदेशन

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

4	संख्या–8 / 8541–शा० / 152 / च०रा०वि०आ० / 2015–16 दिनाँक 22 जुलाई 2015	1,73,66,424=00	जुलाई 2015 के वेतन हेतु सामान्य समानुदेशन
5	संख्या–8 / 8735–शा० / 152 / च०रा०वि०आ० / 2015–16 दिनाँक 21 अगस्त 2015	1,73,66,424=00	अगस्त 2015 के वेतन हेतु सामान्य समानुदेशन
6	संख्या–8 / 8855–शा० / 152 / च०रा०वि०आ० / 2015–16 दिनाँक 23 सितम्बर 2015	1,93,06,154=00	सितम्बर 2015 के वेतन हेतु सामान्य समानुदेशन
7	संख्या–8 / 3767–शा० / 152 / च०रा०वि०आ० / 2015–16 दिनाँक 19 अक्टूबर 2015	1,93,06,154=00	अक्टूबर 2015 के वेतन हेतु सामान्य समानुदेशन
8	संख्या–8 / 8989–शा० / 152 / च०रा०वि०आ० / 2015–16 दिनाँक 26 नवम्बर 2015	1,93,06,154=00	नवम्बर 2015 के वेतन हेतु सामान्य समानुदेशन
9	संख्या–8 / 9016–शा० / 152 / च०रा०वि०आ० / 2015–16 दिनाँक 21 दिसम्बर 2015	1,93,06,154=00	दिसम्बर 2015 के वेतन हेतु सामान्य समानुदेशन
10	संख्या–8 / 10039–शा० / 152 / च०रा०वि०आ० / 2015–16 दिनाँक 27 जनवरी 2016	1,93,06,154=00	जनवरी 2016 के वेतन हेतु सामान्य समानुदेशन
11	संख्या–8 / 10124–शा० / 152 / च०रा०वि०आ० / 2015–16 दिनाँक 24 फरवरी 2016	1,93,06,154=00	फरवरी 2016 के वेतन हेतु सामान्य समानुदेशन
12	संख्या–8 / 10177–शा० / 152 / च०रा०वि०आ० / 2015–16 दिनाँक 9–3–2016	1,93,06,154=00	मार्च 2016 के वेतन हेतु सामान्य समानुदेशन
13	संख्या–8 / 10251–शा० / 152 / च०रा०वि०आ० / 2015–16 दिनाँक 21–3–2016	1,65,96,040=00	मार्च 2016 के वेतन हेतु सामान्य समानुदेशन
	योग	23,85,71,238=00	

<u>टिप्पणी</u> :– राज्य वित्त आयोग के सापेक्ष 2015–16 में वेतन भत्तों तथा कराये गये निर्माण कार्य, प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था पर जो व्यय की गयी है। व्यय का मदवार विवरण कराये गये कार्यो की सूची / कार्योजना सत्यापनार्थ सम्परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, इसे प्रस्तुत किया जाय।

2. राज्य वित्त आयोग से वर्ष 2015–16 में चेक सं०–004762 दिनाँक 31–3–2016 को भारतीय स्टेट बैंक बहराइच खाता संख्या–34870493285 से रु० 68,08,083=00 को तेरहवॉं / चौदहवॉं वित्त आयोग का संचालित बैंक खाता पी०एन०बी० नोडल खाता संख्या–0072000106097563 में स्थानान्तरित करके तेरहवें / चौदहवें वित्त आयोग के सापेक्ष जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा स्वीकृति कार्योजना से अधिक धनराशि भुगतान के लिये आहरित किया गया था। जबकि जिलाधिकारी बहराइच के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि स्वीकृति कार्योजना से अधिक धनराशि व्यय की जाती है तो ऐसा अधिक व्यय पालिका अपने निजी स्रोतो से व्यय भार का वहन करेगा, लेकिन पालिका के अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी राज्य वित्त आयोग से आहरित करके तेरहवें वित्त आयोग के सापेक्ष कराये गये कार्यों का भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। राज्य वित्त आयोग से आहरित धनराशि रु० 68,08,083=00 राज्य वित्त आयोग का संचालित बैंक खाता में वापस करके उक्त धनराशि को शासन को समर्पित किया जाय।

3. पुष्टि किया जाय कि राज्य वित्त आयोग मद से उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुयी थी।

4. अनुदानों का विवरण अनुलग्नक–"6" पर अंकित है।

xecutive Offic
unicipal Boa. J
BAHRAICH

(ख) <u>13वाँ, 14वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान</u> :– आलोच्य अवधि 2015–16 में निदेशक स्थानीय निकाय उ०प्र० लखनऊ 8वाँ तल इन्द्रिरा भवन लखनऊ के स्वीकृति पत्र संख्या द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान प्राप्त हुआ था।

क्र०	स्वीकृति पत्र सं०/दिनाँक	धनराशि
1.	संख्या–8/7951/92(1) 13वाँ वित्त आयोग (सामान्य बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त) वित्त वर्ष/2014–15 लखनऊ दिनाँक 1 अप्रैल 2015	1,32,75,752=00
2.	संख्या–8/2400/92(1) 13वाँ वित्त आयोग/2014–15/2015–16 लखनऊ दिनाँक 30 अप्रैल 2105 (सामान्य बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त)	72,59,143=00
3.	संख्या–8/2401/92(1) 13वाँ वित्त आयोग/2014–15/2015–16 लखनऊ दिनाँक 30 अप्रैल 2105	90,15,404=00
	योग	2,95,50,299=00
4.	संख्या–8/8780/171/14वाँ वित्त आयोग/2015–16 लखनऊ दिनाँक 04 सितम्बर 2105 (सामान्य बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त)	2,02,03,144=00
5.	संख्या–8/10305/171/14वाँ वित्त आयोग/2015–16 दिनाँक 30–3–2016 का अन्तरण में विलम्ब के कारण प्राप्त ब्याज की धनराशि	13,699=00
	योग	2,02,16,843=00

<u>नोट</u> :– (I) क्रमांक 1 से 3 पर अंकित अनुदान 13वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपभोग 4 जलपूर्ति, मलजल व्यवस्था, वर्षा जल निकासी तथा ठोस अप... पदार्थों का प्रबन्धन में सेवा मानकों को पूरा करने पर व्यय किया जाना है तथा अवशेष धनराशि ई–गर्वमेन्स पर व्यय किया जायेगा।

(II) क्रमांक 4 व 5 पर अंकित अनुदान 14वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपभोग मूलभूत सुविधाओं यथा जलापूर्ति सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सेरवैज प्रबन्धन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक सम्पत्तियों का रख–रखाव, सड़को, फुटपाथों एवं स्ट्रीट तथा कब्रिस्तान और श्मशानों के रख–रखाव सम्बन्धी मानको को पूरा करने पर व्यय किया जायेगा।

(3) तेरहवे वित्त आयोग वर्ष 2015–16 की संस्तुतियों के अन्तर्गत 2,95,50,299=00 प्राप्त हुआ था प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष जिलाधिकारी बहराइच की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनाँक 07–05–2015 को निम्नलिखित कार्योजनायें स्वीकृति/अनुमोदित की गयी थी–

क्र०	स्वीकृति/अनुमोदित योजना का नाम निमार्ण कार्य (वर्षा जल निकासी)	कार्योजना की लागत
1	मल्हीपुर रोड पर ट्रांसफार्मर के पास से मन्दिर के पास तक अवशेष नाले का निर्माण कार्य	24,85,319=00
2	मोहल्ला घसियारी पुरा में गोण्डा जाने वाले मुख्य मार्ग पर श्री बदलूराम मिश्र के घर के पास से हीरो एजेन्सी के पास पुलिया तक भूमिगत नाले का निर्माण कार्य	24,56,900=00
3	स्टेशन रोड पर श्री नरेन्द्र सिंहानिया के मकान से डायमण्ड टाकीज के आगे तक आर०सी०सी० गहरी नाली का निर्माण कार्य	9,66,048=00
4	मो० सुफीपुरा में श्री संजय सिंह के मकान से श्री अन्नू सिंह के मकान तक आर०सी०सी० गहरे नाली का निर्माण कार्य।	6,61,034=00

xecutive O...
...unicipal B...
...BAHRAICH

5	दरगाह शरीफ मार्ग पर टंकी के पास से मुबारक अली के मकान के पास तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	9,18,242=00
6	दरगाह मुख्य मार्ग के किनारे दरगाह गेट के पास से स्थित पुलिया से अमर मोबाइल शाप के पास तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	12,49,584=00
7	मो० सालारगंज में मुख्य मार्ग पर आस्तोना मजार के सामने से जोहरा मस्जिद तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	15,26,543=00
8	मो० सालारगंज में जोहरा नर्सिंग होम के पास से मुल्ला के मकान तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	14,17,706=00
9	स्टेशन रोड पर इण्डियन बैंक के पास मोलबी बाग के सामने पुलिया तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	13,43,232=00
10	मो० हमजापुर में टिहरी के मकान से सिद्धी के मकान होते हुए नाले तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	4,60,976=00
	योग	1,34,85,586=00

उपर्युक्त कार्योजनायें प्राप्त अनुदान की धनराशि रु० 1,32,75,752=00 के सापेक्ष जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनाँक 7—5—2015 को अनुमोदित की गयी थी।

11	मो० दरगाह शरीफ में पूर्व निर्मित नाले के पास मुन्ना के मकान से ईदगाह के पीछे मिलन तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	22,51,059=00
12	मो० रायपुर राजा में कोढ़िया अस्पताल के पीछे पुलिया से हवलदार विपिल चन्द्र सिंह के मकान के पीछे तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	8,85,481=00
13	मो० रायपुर राजा में वारा पत्थर को जाने वाले मार्ग पर स्थित पुलिया से कच्चे नाले के भाग तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	17,21,521=00
14	मो० सूफीपुरा में मा०लालमणि प्रसाद पूर्व सांसद जी के घर के पास से गफ्फार मिस्त्री के घर के पास तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	16,44,185=00
15	मो० रायपुर राजा में श्री सत्यम के मकान से नजीम के प्लाट के बगल में स्थित इण्टरलाकिंग सड़क तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	10,98,513=00
16	मो० रायपुर राजा में समाधान अस्पताल के सामने पृथ्वी रेस्टोरेन्ट के पास से श्री कमल सिंह के मकान के आगे पुलिया के पास तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	9,23,242=00
17	मो० बशीरगंज उत्तरी में रामसरन के मकान से बाईपास रोड तक दोनों तरफ आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	9,15,609=00
18	पुलिस माडल स्कूल गेट से पुलिस लाइन तिराहे पर स्थित वाउण्ड्रीवाल के बगल में स्थित पुलिया तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	17,79,683=00
19	गल्ला मण्डी के मुख्य गेट से दूसरे गेट के आगे मेन रोड पर स्थित पुलिया के पास तक तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	13,65,191=00
20	बाईपास रोड से बरूहा घाट को जाने वाली सड़क के किनारे वर्ष 2014—15 में निर्माणाधीन नाले के आगे कच्चे भाग में नाला निर्माण कार्य।	24,98,693=00
21	मो० गुलामअली पुरा में स्टेशन रोड पर नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी से रेलवे सीमा तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	11,24,675=00
22	मुख्य मार्ग पर गायत्री गेट से रोहित बजाज के सामने तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	9,19,916=00
	योग	1,71,24,768=00

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

क्रमांक 11 से 22 तक की कार्योजनायें वर्ष 2015–16 मे प्राप्त अनुदान रु० 1,62,74,547=00 के सापेक्ष दिनाँक 5–6–2015 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अनुमोदित/स्वीकृत की गयी थी।

वर्ष 2015–16 में चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की धनराशि रु० 2,02,03,144=00 के सापेक्ष जिलाधिकारी, बहराइच की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनाँक 30–11–2015 को निम्नलिखित कार्योजनायें अनुमोदित/स्वीकृत किया गया था–

क्र०	स्वीकृत/अनुमोदित कार्योजना का नाम (क) निर्माण कार्य (जल निकासी)	कार्योजना की लागत धनराशि
1	संधारन मन्दिर के बगल से सिटी माण्टेसरी स्कूल के पहले मन्दिर तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	15,22,480=00
2	मो० रायपुर राजा में श्री राम विलास के मकान से अवध नर्सिंगहोम होते हुए पाँचो पीर मजार तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	12,62,861=00
3	मो० रायपुर राजा में मुख्य मार्ग से राजकुमार सिंह के मकान होते हुए दीपक सिंह के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	10,53,030=00
4	मो० रायपुर राजा में श्री इन्द्रप्रताप सिंह पूर्व विधायक के मकान से रमेशचन्द्र वर्मा के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	6,83,156=00
5	मो० सलारगंज में इरशाद अली के मकान से मजीद ड्राइवर के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	6,88,681=00
6	मो० कानूनगोपुरा उत्तर में श्री महादेव प्रसाद के मकान से श्री सरदार गुलाब सिंह के मकान होते हुए डा०आर०सी०सिंह के मकान तक आर०सी०सी० नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	10,36,656=00
7	मो० वशीरगंज दक्षिण में श्री पप्पू के मकान से मस्जिद के ओर आगे से होते हुए वोडाफोन टावर तक आर०सी०सी० नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	10,56,648=00
8	मो० ढपाली पुरवा में पुलिस चौकी के पीछे फजल अहमद के मकान से राम भुलावन मिश्रा के मकान तक आर०सी०सी० नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	11,45,760=00
9	मो० ब्राहमणी पुरा में चित्रशाला रोड पर श्री मुन्न लाल जैन के मकान के बगल सी श्रीमती माया श्रीवास्तव के मकान तक आर०सी०सी० नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	9,90,022=00
10	मोबाइल गैलरी से नगर पालिका तिराहे पर सस्ता उपभोक्ता भण्डार तक राइड पटरी पर इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	6,61,513=00
11	कानूनगोपुरा उत्तरी में संजय प्रिंटिंग प्रेस के बगल से मो० रिजवाल के मकान तक आर०सी०सी० नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	5,75,963=00
12	मो० ब्राहमणीपुरा में नन्दलाल के मकान से श्री ओंकारनाथ मिश्रा के मकान तक आर०सी०सी० नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	6,53,424=00
13	घण्टाघर चौराहे से काजीपुरा ट्रान्सफार्मर को जाने वाले मुख्य मार्ग पर बायीं तरफ संगम होटल से काजीपुरा ट्रांसफार्मर मोड़ तक साइड पटरी का सुधार कार्य।	10,60,762=00
14	घण्टाघर चौराहे से काजीपुरा ट्रान्सफार्मर को जाने वाले मुख्य मार्ग पर दायीं तरफ मो० शकील खाँ एडवोकेट के मकान तक साइड पटरी का सुधार कार्य।	13,50,151=00
15	मो० मेवातीपुरा में इलाहाबाद बैंक से मस्तिद होते हुए एजाजुल के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	7,26,000=00
16	मो० गुलामअली पुरा में ओवर ब्रिज के बगल में डा० उमाशंकर जायसवाल के मकान के पहले से रिक्खीराम के मकान तक आर०सी०सी० गहरी नाली निर्माण कार्य।	11,97,551=00

xecutive Offic
unicipal Boar
BAHRAICH

17	मो० सलारगंज में अब्दुल तारिफ के मकान से मोहम्मन अली के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	4,80,776=00
18	मो० सूफीपुरा में स्व० राधेश्याम के मकान से रेनू सिंह के मकान से पहले तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	5,39,508=00
19	मो० सूफीपुरा में श्री बैजनाथ के मकान से श्री आर०एल०यादव के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	4,98,702=00
20	मो० नवैय्या में हलीम हाता के मकान से स्व० तिलक चन्द्र के मकान होते हुए पिन्टू के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	4,99,809=00
21	मो० जोशियापुरा में कादरी प्रिटिंग प्रेस से राजन कुमार (पुलिया) तक आर०सी०सी० नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य।	4,90,403=00
22	मो० काजीकटरा में गुल्लाबीर मार्ग पर अख्तर के मकान से मुन्ना के मकान तक आर०सी०सी० नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	4,93,465=00
23	मो० सूफीपुरा में श्रीमती रेनू सिंह के घर से पहले श्री रामचन्द्र राव के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	4,99,161=00
24	मो० गुलामअली पुरा में राम जानकी मन्दिी से बरसाती लाल बर्तन वाले के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	4,44,881=00
	योग	1,96,11,567=00

7. <u>चल और अचल सम्पत्तियों का स्टाक लेखा और उनका प्रबन्धन एवं उपयोगिता</u> :– चल और अचल सम्पत्तियों का स्टॉक लेखा उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही निष्प्रयोज्य सामग्रियों की भण्डार पंजी ही बनायी गयी थी। अवएव नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम–78 के अनुसार स्टॉक लेखा तैयार किया जाय।

8. <u>मूल्यवान उपकरणों की उपयोगिता</u> :– पालिका परिषद के सफाई, जलकल, प्रकाश विभागों के मूल्यवाल उपकरणों की पंजी उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही 31 मार्च 2016 को इनका भौतिक सत्यापन आख्या ही उपलब्ध कराया गया। इससे इसकी स्थिति स्पष्ट न हो सकी। इसे तैयार कर आगामी सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

9. <u>अन्य महत्वपूर्ण अनियमिततायें</u> :–

(1) <u>राज्य वित्त आयोग मद में अनुपभुक्त पड़ी धनराशि रु० 5.16 करोड़ को राजकोष को समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में</u> :– वर्ष 2015–16 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत रु० 23,85,71,238=00 प्राप्त हुआ था। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान एसबीआई बहराइच खाता संख्या–34870493285 में अन्तरित/जमा होती थी। उक्त खाता दिनॉक 15–04–2015 को रु० 1000=00 से खोला गया था तथा आलोच्य अवधि में उक्त खाते पर रु० 2,76,227=00 ब्याज स्वरूप प्राप्त हुआ था। इस प्रकार ब्याज सहित कुल धनराधि रु० 23,88,47,465=00 उपलब्ध थी।

(ख) <u>मार्ग प्रकाश</u>

(अ) <u>फुटकर सामग्री (क्राम्पटन/बजाज कम्पनी मेक)</u>

क्र०	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	150 वाट एच०पी०एस०बी० कापर बैलास्ट	100 नग	1405=00	1,40,500=00
2	150 वाट एच०पी०एस०बी० लैम्प	100 नग	390=00	39,000=00

Municipal Board
BAHRAICH

3	70 वाट एच०पी०एस०बी० कापर बैलास्ट	100 नग	950=00	95,000=00
4	70 वाट एच०पी०एस०बी० लैम्प	100 नग	280=00	28,000=00
5	400 वाट एच०पी०एस०बी० कापर बैलास्ट	50 नग	3184=00	1,59,200=00
6	400 वाट एच०पी०एस०बी० लैम्प	50 नग	515=00	25,750=00
7	85 वाट सी०एफ०एल०	100 नग	723=00	72,300=00
8	45 वाट सी०एफ०एल०	100 नग	458=00	45,800=00
9	इग्नाइजर	100 नग	218=00	21,800=00
10	मेन स्वभ्च्छ 63 ए० 415 वाट	20 नग	438=00	8,760=00
11	पी०बी०सी० कापर तार 1.5 एम०एम०	2000 नग	21=00	42,000=00
12	स्विच एम्पीयर	200 नग	110=00	22,000=00
			योग	7,00,110=00

(ब)	11मी० लम्बे सेमी हाईमास्क वाले पर चार लाईट 400 वाट एच०पी०एस०बी० फिटिंग मय फाउण्डेशन सहित (क्रम्पटन/बजाज)	1 नग	1,64,160=00	1,64,160=00
(स)	150 वाट एच०पी०एस०बी० फिटिंग विद लैम्प (क्रम्पटन/बजाज कम्पनी मेक)	250 नग	6,943=00	17,35,750=00
		योग		26,00,020=00
		महायोग		2,22,11,587=00

निदेशक स्थानीय निकाय उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक–8/6017/92(1) 13वाँ वित्त आयोग (सामान्य बुनियादी अनुदान प्रथम किश्त)/2014–15 दिनाँक 20–10–2014 द्वारा रु० 1,11,90,332=00 प्राप्त हुआ था उक्त धनराशि एवं प्राप्त ब्याज की धनराशि रु० 95,08,024=00 अर्थात कुल रु० 2,06,98,350=00 की कार्योजना पालिका परिषद द्वारा प्रस्तावित करके दिनाँक 7–2–2015 को जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावित कार्योजना में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनाँक 11–02–2015 को अनुमोदित/स्वीकृत थी। जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र०	स्वीकृत परियोजना का नाम (क) वर्षा जल निकासी	परियोजना की लागत
1	मो० ढपाली पुरवा में नुरूद्दीन के खेत के आगे पूर्व निर्मित नाले के आगे कच्चे भाग में नाला निर्माण कार्य।	23,87,883=00
2	वाईपास रोड से बरूहा घाट को जाने वाले मार्ग के किनारे पूर्व निर्मित नाले के आगे कच्चे भाग में नाला का निर्माण कार्य।	23,89,193=00
3	वाईपास रोड पर कर्वला को जाने वाले मार्ग पर मो० रहीम के घर से पहले से सियाराम यादव के घर के पास पुलिया तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	24,86,279=00
4	वाईपास रोड पर सैनिक धर्मकांटा के सामने मस्जिद के पहले से कर्वला जाने वाले मार्ग से पहले तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	17,59,906=00
5	वाईपास रोड पर मध्यांचल विद्युत वितरण कलेक्शन काउण्टर कार्यालय से सैनिक धर्मकांटा के सामने मस्जिद से पहले तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य।	13,84,840=00
6	वशीरगंज दक्षिण में गुदड़ू हलवाई के मकान से मध्यांचल विद्युत विरण कलेक्शन काउण्टर कार्यालय के पास पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	5,87,945=00
7	मो० मंसूरगंज में तोताराम के मकान से रफीक पहलवान के मकान के पास	6,65,111=00

xecutive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

	पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	
8	मो० मंसूरगंज में हमीदुल्ला के मकान से जलील के मकान होते हुए इण्टरलाकिंग फैक्ट्री के बगल स्थित पुराने नाले तक नाला निर्माण कार्य।	20,26,226=00
9	दरगाह शरीफ मुख्य मार्ग पर नशी क्लीनिक के पास कलीम बक्शा वाले से छोटकउ हेयर कटिंग सैलून तक डीप ड्रेन का निर्माण कार्य।	11,62,085=00
	योग	1,48,49,468=00

(ख) जलापूर्ति :–

1	जलापूर्ति हेतु विद्युत उपकरण क्रम	25,63,500=00
2	क्लोरीनेशन सामग्री क्रम	7,73,750=00
3	पम्प सामग्री क्रम	9,40,000=00
4	स्टेपलाइजर सामग्री क्रम	15,84,000=00
	योग	58,61,250=00
	कुल महायोग	2,07,10,718=00

13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में नगर पालिका परिषद बहराइच को शासनादेशानुसार प्राथमिकता के आधार पर सर्विस लेबिल बेंच मार्क से सम्बन्धित 4 कार्यो, जलापूर्तित्र वर्षा जल निकासी, मलजल व्यवस्था तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर सेवा मानकों को पूरा करने हेतु निम्न धनराशियाँ प्राप्त हुई थी–

क्र०	स्वीकृति पत्र संख्या	धनराशि
1	संख्या–8 / 5400 / 92(1) / 13वाँ वित्त आयोग / 2012–13 / 2013–14 दिनाँक 1 फरवरी 2014 (सामान्य निष्पादन प्रथम किश्त)	78,04,010=00
2	संख्या–8 / 5458 / 92(1) / 13वाँ वित्त आयोग / 2013–14 दिनाँक 28 फरवरी 2014 (सामान्य बुनियादी अनुदान द्वितीय किश्त)	1,09,49,837=00
3	संख्या–8 / 5542 / 92(1) / 13वाँ वित्त आयोग / 2012–13 / 2013–14 दिनाँक 1 मार्च 2014 (सामान्य निष्पादन द्वितीय किश्त)	74,81,071=00
	योग	2,62,34,918=00

उपर्युक्त प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बहराइच के पत्रांक–474 / 13वाँ वित्त आयोग / 2013–14 दिनाँक 5–7–2014 द्वारा निम्नलिखित कार्योजना प्रस्तावित की गयी थी और जिलाधिकारी की अध्यक्षता दिनाँक 11–8–2014 को जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित की गयी थी–

(1) निर्माण कार्य–

(1)	कार्यालय उप निदेशक निर्माण राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद से हरीराम के मकान के पहले तक मुख्य मार्ग (मण्डी के किनारे) एस०डब्ल्यू० ड्रेन का निर्माण कार्य	24,98,743=00
(2)	मो० नौरेया में हरिशरण के मकान के पहले से आसाम रोड मोड़ तक एस०डब्ल्यू० ड्रेन का निर्माण कार्य	23,63,214=00
(3)	आसाम रोड के किनारे मन्दिर से सरदार फिलिंग स्टेशन के पास तक एस०डब्ल्यू० ड्रेन का निर्माण	16,61,147=00

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

(4)	दरगाह मुख्य मार्ग पर टेडिया पुलिया के पास मुस्तकीम की दुकान से शरीफ के मकान के आगे तक नाला निर्माण	11,29,858=00
	योग	76,52,962=00

(2) <u>जलापूर्ति</u>–

(1)	जनरेटर 62.5 के०बी०ए० किलोस्कर/जैकसन/स्कार्ट कम्पनी मेक ट्राली माउण्टेड 7 अद्द रु० 11.66 लाख प्रति अद्द	81,62,000=00

(3) <u>ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन</u>–

(1)	टाटा–409 वाहन पर रिफयूज कलेक्टर क्षमता 6 घन मीटर, एक अद्द	24,50,000=00
(2)	कूड़ादान रिफयूज कलेक्टर हेतु क्षमता 1.75 घन मी० सिनटैक्स कम्पनी मेक 100 अद्द रु० 45,000=00 प्रति अद्द	45,00,000=00
(3)	बैकू लोडर जे०सी०बी०/स्कार्ट कम्पनी मेक	30,00,000=00
(4)	मोबाइल टायलेट 6 सीटर सिनटैक्स/समकक्ष कम्पनी मेक	7,50,000=00
	योग	1,07,00,000=00
	महायोग	2,65,14,962=00

(ग) **<u>2% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से प्राप्त धनराशि एवं व्ययों का विवरण</u>** :– आलोच्य अवधि में निदेशक स्थानीय निकाय उ०प्र० लखनऊ के निम्नलिखित पत्रों द्वारा 2% की धनराशि अवमुक्त की गयी थी–

क्र०	स्वीकृति पत्र संख्या	धनराशि
(1)	संख्या–8/9002/(122)/02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2015–16 दिनाँक 14 दिसम्बर, 2015	56,02,865=00
(2)	संख्या–8/10256/(122)/02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2015–16 दिनाँक 21 मार्च, 2016	55,63,316=00
	योग	1,11,66,181=00

उपर्युक्त प्राप्त धनराशि का उपभोग 31 मार्च 2016 तक किया जाना था।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराया जाय–

(1) प्राप्त धनराशि के सापेक्ष तैयार की गयी कार्योजना एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन व स्वीकृति।
(2) इन कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली, अनुमान टेण्डर, एम०बी० आदि।
(3) प्राप्त धनराशि के सापेक्ष प्रेषित उपभोग प्रमाणपत्र।
(4) यह स्पष्ट किया जाय कि उक्त धनराशि किस अवधि की है तथा किस अवधि का बकाया प्राप्त होना अवशेष है।
(5) अवस्थापना निधि की स्थापना की गयी है अथवा नहीं, यदि की गयी है तो खाता संख्या बताया जाय।

(2) वर्ष 2014–15 में 2% हस्तान्तरण विलेख शुल्क के कुल रु० 1,11,81,867=00 प्राप्त हुआ था। जिसकी उपभोग की तिथि 31 मार्च 2015 थी। अतएव उक्त धनराशि की भी स्वीकृत कार्योजना तथा

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

कराये गये कार्य का विवरण तथा उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाय। विन्दु (1) व (2) पर उल्लिखित स्थिति के अनुसार कुल रु० 2,23,48,048=00 का उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाय।

वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक 2% हस्तान्तरण विलेख शुल्क के प्राप्त धनराशि रु० 1,62,93,000=00 के सापेक्ष जिलाधिकारी बहराइच की अध्यक्षता में दिनाँक 11–8–2014 को जिला स्तरीय समिति के बैठक में निम्नलिखित कार्योजनायें स्वीकृत/अनुमोदित की गयी थी। जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र०	कार्योजना का नाम	लागत की धनराशि
(1)	पानी टंकी चौराहे से गुरूनानक चौराहे के मध्य छोटी बाजार मोड़ से आनन्द ट्रेडर्स होते हुए गली के मोड़ तक बांयी पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	6,09,974=00
(2)	पानी टंकी चौराहे से गुरूनानक चौराहे के मध्य बॉयी तरफ पटरी पर ज्ञान सिंह के मकान से स्नेह उत्सव पैलेस तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	9,02,476=00
(3)	पानी टंकी चौराहे से गुरूनानक चौराहे के मध्य बॉयी पटरी पर मंगलम् स्वीटस से नेशनल इन्स्टीट्यूट होते हुए डा०जी०पी० मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	5,66,112=00
(4)	महराज सिंह इण्टर कालेज के सामने व रामेश्वर देवी के मकान के सामने पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	12,70,340=00
(5)	पानी टंकी चौराहे से गुरूनानक चौराहे के मध्य दाहिनी पटरी पर माँ गावंट देवी मन्दिर से बंग्लौर फर्नीचर होते हुए पूर्व विधायक जटाशंकर सिंह के आवास के मोड़ तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	11,66,643=00
(6)	पानी टंकी चौराहे से गुरूनानक चौराहे के मध्य दाहिनी तरफ लोरेना/जटाशंकर सिंह मोड़ से स्टेडियम के पास स्थित पुलिया तक इण्टरलाकिंग कार्य।	7,13,720=00
(7)	इन्दिरा गाँधी स्टेयिम के सामने साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	11,06,957=00
(8)	पानी टंकी चौराहे से गुरूनानक चौराहे के मध्य स्टेडियम के बगल से डा० बी०के०सिंह से फ्रीडम एल०एम०एल० शोरूम होते हुए गुरूनानक चौराहे तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	12,75,897=00
(9)	पानी टंकी चौराहे से गुरूनानक चौराहे के मध्य रामेश्वरी देवी के मकान से कुमार कम्प्यूटर्स होते हुए गुरूनानक चौराहे तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	12,02,094=00
(10)	गुरूनानक चौराहे से विद्युत सब स्टेशन जिला पुरूष व महिला चिकित्सालय होते हुये स्टेट बैंक (कृषि विकास) तक दाहिनी साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	18,31,515=00
(11)	डिगिहा चौराहे से संधरण मन्दिर होते हुए स्टेट बैंक (कृषि विकास) तक बांयी पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	13,27,832=00
(12)	अस्पताल रोड पर गुरूनानक चौराहे से सुदेश श्रीवास्तव दीना हाटल होते हुए चौधरी मेडिसिन के आगे बाँयी तरफ साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	6,11,196=00
(13)	जिला अस्पताल के सामने चौधरी मेडिसिन से यूनिक पैथालाजी होते हुए सड़क के मोड़ तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	12,13,635=00
(14)	जिला अस्पताल के सामने प्रसाद भवन से किरण मेडिकल स्टोर होते हुए जितेन्द्र सिंह के मकान से पहले बाँयी तरफ साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	11,40,190=00

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

(15)	डिगिहा चौराहे से माँ अन्नपूर्णा ट्रेडर्स से रवि आटा चक्की तक दाहिनी तरफ पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	11,42,509=00
	योग	1,60,83,490=00

(घ) <u>विनियमित क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क की धनराशि का विवरण</u> :– निगत प्राधिकारी / नगर मजिस्ट्रेट बहराइच से विकास शुल्क के मद से स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु निम्न धनराशियाँ प्राप्त हुई थी–

(1) पत्रांक संख्या7415 / वि०क्षेत्र / 2015–16 दिनाँक 18711–2015 चेक संख्या–एसबीआई–ए० 59 / 100–592947 दिनाँक 18–11–2015	3,24,554=00

उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार 1–4–2015 को रु० 43,98,525=00 अवशेष था। वर्ष 2015–16 में रु० 3,24,554=00 और प्राप्त हुआ था। इस प्रकार कुल रु० 47,23,079=00 व्यय किये गये थे। इस प्रकार उपभोग हेतु कोई धनराशि अवशेष नहीं थी।

(ङ) <u>वर्ष 2014–15 में 2% की प्राप्त हस्तान्तरण विलेख शुल्क की धनराशि रु० 1,11,81,867=00 के उपभोग की स्थिति</u> :– वर्ष 2014–15 की सम्परीक्षा आख्या के भाग–ख के प्रस्तर–7(क) में वर्णित स्थिति के अनुसार कुल रु० 1,11,81,867=00 प्राप्त हुआ था। उक्त प्राप्त धनराशि में से रु० 1,01,06,668=00 की कार्योजना जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनाँक 18–3–2015 के अनुसार निम्नलिखित कार्योजना अनुमोदित की गयी थी–

क्र०	कार्योजना का नाम	लागत धनराशि
(1)	डी०एम० चौराहे से सुलभ शौचालय से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक साइड पटरी का सुधार कार्य।	6,86,668=00
(2)	डी०एम० चौराहे से पीपल के पेड़ से सुलभ शौचालय तक साइड पटरी का सुधार कार्य।	5,64,388=00
(3)	मो० बशीरगंज, द० में गोदी मल से सलीम आढती तक एवं हाजी बशीर से बब्लू सोनकर के मकान तक गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य।	6,40,889=00
(4)	मो० ढपाली पुरवा में सी०सी० रोड से श्री सलीम सिद्दकी के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य एवं मस्जिद तक नाली निर्माण कार्य।	6,76,565=00
(5)	मो० हमजा पुरवा में निजामुद्दीन के मकान के सामने स्थित टावर के बगल से पेठा फैक्ट्री होते हुए डा० बंगाली के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	9,55,891=00
(6)	मो० रायपुर राजा (बलरामपुर हाता) में पानी टंकी रोड से जानकी प्रसाद से पहले मोड़ तक क्षतिग्रस्त गली में इण्टरलाहक	4,72,147=00
(7)	मो० रायपुर राजा (बलरामपुर हाता) में जानकी प्रसाद के घर के मोड़ से पहले रेवतीरमन मिश्रा तक रोड व नाली का कार्य।	5,50,202=00
(8)	छावनी चौराहे से घण्टाघर को जाने वाली मुख्य मार्ग के बांयी तरफ साइड पटरी का इण्टरलाकिंग द्वारा सुधार कार्यमो० रायपुर राजा (बलरामपुर हाता) में पानी टंकी रोड से जानकी प्रसाद से पहले मोड़ तक क्षतिग्रस्त गली में इण्टरलाहक	6,16,985=00
(9)	मो० रायपुर राजा (बलरामपुर हाता) में पानी टंकी रोड से जानकी प्रसाद से पहले मोड़ तक क्षतिग्रस्त गली में इण्टरलाहक	7,48,458=00

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

(10)	मो० रायपुर राजा (बलरामपुर हाता) में पानी टंकी रोड से जानकी प्रसाद से पहले मोड़ तक क्षतिग्रस्त गली में इण्टरलाइक	7,73,139=00
(11)	काजीपुरा ट्रान्सफार्मर के पास मो० शकील वकील के घर से स्व० भूपराज श्रीवास्तव मार्ग तक साइड पटरी (दांयी तरफ) सुधार कार्य।	8,57,169=00
(12)	काजीपुरा ट्रान्सफार्मर से रामलीला मैदान को जाने वाले मुख्य मार्ग पर दुर्गेश किराना स्टोर से श्री राम यादव के मकान तक साइड पटरी का सुधार कार्य (बांयी तरफ)।	10,01,715=00
(13)	काजीपुरा ट्रान्सफार्मर रोड से दुर्गेश किराना स्टोर तक साइड पटरी का सुधार कार्य (बांयी तरफ)।	7,86,670=00
(14)	काजीपुरा ट्रान्सफार्मर से रामलीला मैदान को जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित स्व० भूपराज श्रीवास्तव मार्ग से रामलीला मैदान तिराहे तक साइड पटरी का सुधार कार्य (दाहिनी तरफ)।	12,38,039=00
	योग	1,07,70,925=00

क्रमांक (7) व (14) पर उल्लिखित कार्योजना पर कोई कार्य नहीं हुआ था तथा वर्ष 2014–15 में रु० 10,75,199=00 की 2% हस्तान्तरण विलेख शुलक की धनराशि उपभोग हेतु अवशिष्ट थी अर्थात इसके निमित्त न तो कोई कार्योजना तैयार करायी गयी थी और न ही जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करायी गयी थी। इस सम्बन्ध में यथेष्ठ कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

5. राजकीय ऋण :– पुष्टि किया जाय कि आलोच्य अवधि में कोई राजकीय ऋण प्राप्त नहीं हुआ था और न ही गत विगत वर्षों का ऋण प्रतिदान हेतु अवशेष था।

6. नजूल :– नजूल भू सम्पत्तियों का रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित भू सम्पत्तियों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सका। नगर विकास अनुभाग–7 उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या–925ए०/9–7–99–24ज/99 दिनाँक 7 सितम्बर 1999 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नजूल भू सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड कराने के सम्बन्ध में जो सूचना भेजी गयी हो उससे सम्बन्धित अभिलेख भी उपलब्ध कराया जाय।

7. विनियोजन :–

(1) **पालिका निधि की विभिन्न धनराशियाँ रु० 79.50 लाख सावधि जमा के रूप में विनियोजित किये जाने से जन कल्याण योजनाओं से वंचित होना** :– गत वर्ष 2014–15 में भी उद्घाटित की गयी थी कि सावधि जमा के रूप में रु० 53,55,061=00 की धनराशि विभिन्न बैंकों में विनियोजित की गयी थी जिसके कारण ये धनराशियाँ विगत कई वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ी हुई थी। इन्हें भुना कर राजकोष को वापस किये जाने की सम्परीक्षा द्वारा सुझाव दिया गया था, परन्तु इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति तक पालिका परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। इस स्थिति के कारण जहाँ इन धनराशियों से पालिका परिषद नागरिक सुविधाओं से वंचित हो जा रही थी, दूसरी ओर इतनी बड़ी धनराशि बैंक खाते में निष्प्रयोज्य पड़ी हुई थी। अतः इन्हें भुनाकर ब्याज सहित समस्त धनराशि राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाय। निम्नानुसार धनराशियाँ विनियोजित की गयी थी–

क्र०	विनियोजन का विवरण	विनियोजित धनराशियाँ	परिपक्वता तिथि/परिपक्वता मूल्य
1	पी०एन०बी० बहराइच खाता संख्या–007200PR00004201 दिनाँक 20–07–2009 (नवीनीकृत मूल्य व तिथि) ब्याज दर 9%	1,44,188=00	07–03–15/1,57,609=00

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

2	जिला सहकारी बैंक लि०बहराइच सावधि जमा रसीद सं०–0500635 दिनाँक 8–11–2011 (नवीनीकृत सं०–0608481) ब्याज दर 8.25%	1,54,286=00	08–11–13 / 1,61,659=00
3	इलाहाबाद बैंक डिगिहा बहराइच सावधि जम रसीद सं०–022232 दिनाँक 21–12–2011 (संगठित विकास योजना सब्सिडी) ब्याज दर 8.9%	4,21,446=00	24–12–15 / 5,73,149=00
4	जिला सहकारी बैंक लि०बहराइच सावधि जमा रसीद सं०–0608485, दिनाँक 5–4–2008, ब्याज दर 7.25%	2,92,656=00	05–04–13 / 4,24,889=00
5	जिला सहकारी बैंक लि०बहराइच सावधि जमा रसीद सं०–0408736 दिनाँक 9–7–2008, ब्याज दर 8.50%	43,42,483=00	09–07–13 / 66,12,711=00
	योग	53,55,061=00	79,50,017=00

8. <u>अग्रिम</u> :– नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय78 के नियम–116,117,118,119 व 121 में वर्णित व्यवस्थानुसार दिये गये अग्रिमों का लेखा प्रपत्र–38 पर अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था। इसे अनुरक्षित किया जाय तथा पुष्टि किया जाय कि आलोच्य अवधि में न तो कोई अग्रिम दिया गया है और न ही समायोजन हेतु गत विगत वर्षों का अवशेष है।

9. <u>कर एवं करेत्तर राजस्व के प्राप्तियों एवं समाहरण की स्थिति</u> :– कर एवं करेत्तर राजस्व के माँग व समाहरण की स्थिति परिशिष्ट–7 पर दिया गया है।

(1) <u>दुकान किराये की माँग एवं समाहरण की स्थिति</u> :– दुकान किराये की माँग व समाहरण पंजी जो सम्परीक्षा में प्रस्तुत की गयी उसमें योग, सन्तुलन आदि कुछ भी नहीं किया गया था। यहाँ तक की वर्ष में कितना समाहरण हुआ है इसका कोई योग नहीं किया गया था। अधिशाषी अधिकारी द्वारा भी न तो अवलोकित किया गया था न तो हस्ताक्षरित किया गया था और न ही नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम–39 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रपत्र–14 पर माँग एवं समाहरण पंजी ही तैयार की गयी थी। सम्परीक्षा द्वारा वाह्य गणना के आधार पर अवशेष माँग व समाहरण की स्थिति निम्नवत् तैयार की गयी थी–

1–4–2015 को प्रा० शेष	17,17,385=00
स्थापित माँग	12,80,735=00
योग	29,98,120=00
समाहरण	14,16,897=00
31–3–2016 को बकाया	15,81,223=00

<u>टिप्पणी</u> :–

1. 1–4–15 को प्रा० अवशेष माँग व समाहरण पंजी में रु० 17,17,385=00 दर्शित किया गया है जबकि गत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार 31–3–2015 को अवशेष रु० 15,73,390=00 था। अतएव इस भिन्नता का कारण स्पष्ट किया जाय।
2. 31 मार्च 2016 को बकाये की स्थिति का सत्यापन माँग एवं समाहरण पंजी तैयार कर सत्यापित कराया जाय।

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

3. माँग एवं समाहरण पंजी में वर्षान्तर्गत की गयी वसूली का योग आदि न किये जाने के कारण उपर्युक्त दर्शित समाहरण की स्थिति वर्गीकृत सार पंजी से ली गयी है। इसका योग आदि करके सत्यापित कराया जाय।
4. नगर पालिका अधिनियम की धारा–127 के अनुसार सम्पत्ति रजिस्टर तैयार कर आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।
5. 31 मार्च 2016 को रु० 15.81 लाख वसूली हेतु बकाया है, जिससे स्पष्ट है कि पालिका परिषद के कर्मचारी वसूली के प्रति उदासीन थे। आलोच्य अवधि में वसूली का प्रतिशत 47.25% था।
6. ऐसे किरायेदारों जिनकी मृत्यु हो गयी थी के वासियान को ही दुकान आवंटित कर दी गयी थी जिसके कारण पालिका सम्पत्ति के ------ होने की सम्भावना थी जिसकी सूची परिशिष्ट–4 पर है।

(2) <u>गृहकर व जलकर के माँग व समाहरण की स्थिति</u> :– कर अधीक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार गृहकर व जलकर के माँग व समाहरण की स्थिति निम्नवत् थी–

	गृहकर	जलकर
1–4–2015 को बकाया	51,87,390=00	59,69,597=00
स्थापित माँग	51,29,723=00	65,86,668=00
योग	1,03,17,113=00	1,25,56,265=00
वर्ष में वसूली समाहरण	60,01,462=00	55,79,998=00
31–3–2016 को बकाया अवशेष	43,15,651=00	69,76,267=00
वसूली का प्रतिशत	58.16%	44.43%
कर आरोपण की दर	7%	7%

<u>टिप्पणी</u> :–

1. माँग समाहरण पंजी सम्परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिसके कारण स्थापित माँग व समाहरण का सत्यापन नहीं किया जा सका।
2. कर अधीक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार गृहकर व जलकर का 1–4–2015 को बकाया क्रमशः 32,88,912=00 व 41,14,791=00 दिखाया गया है जबकि गत वर्ष की सम्परीक्षा आख्या के अनुसार 31 मार्च 2015 को गृहकर व जलकर का बकाया क्रमशः रु० 51,87,390=00 व 59,69,597=00 था। इस प्रकार बकाया गृहकर व जलकर क्रमशः (रु० 59,69,597–32,88,912=18,98,478=00) व (59,69,597–41,14,791=18,54,806=00) कम कर दिया गया था, परन्तु इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।
3. वर्ष 2014–15 में गृहकर की माँग रु० 71,74,165=00 स्थापित की गयी थी जबकि वर्तमान वर्ष 2015–16 में रु० 51,29,723=00 स्थापित की गयी थी। इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा रु० 20,44,442=00 की माँग कम स्थापित की गयी थी। कम स्थापित माँग का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया थां वास्तविकता तो यह थी कि वर्ष 2014–15 में स्थापित माँग के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में स्थापित माँग कम होने का कोई औचित्य ही नहीं होता है क्योंकि वर्ष 2015–16 में नये भवनों की वृद्धि व पुराने भवनों में संवर्धन होने से माँग बढ़नी चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2015–16 में रु० 20,44,442=00 कम माँग स्थापित होने से यह स्पष्ट होता है कि कतिपय भवन स्वामियों को पूर्व में बकाया चले आ रहे कर को माफ किया गया या छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार ऐसे भवन स्वामियों की सूची एवं माँग में छूट प्रदान की गयी उनकी सूची उपलब्ध करायी जाय और इसका औचित्य भी स्पष्ट किया जाय।

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

4. लेखा अनुभाग में अनुरक्षित वर्गीकृत सारपंजी के अनुसार गृहकर व जलकर से वसूली क्रमशः 73,13,150=00 व 61,38,607=00 दर्शित किया गया था जबकि कर अधीक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार गृहकर व जलकर से वसूली क्रमशः रु० 60,01,462=00 व रु० 55,79,998=00 दर्शित किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि गृहकर व जलकर की माँग व समाहरण पंजी आधी–अधूरी थी एवं हो रही वसूली की प्रविष्टि माँग व समाहरण पंजी में नहीं की जा रही थी। अतएव इस भिन्नता का समाधान तैयार करते हुए वस्तु स्थिति स्पष्ट किया जाय।
5. माँग व समाहरण पंजी पर मासिक व वार्षिक लेखा तैयार किया गया हो तो आगामी सम्परीक्षा में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया जाय।

(3) <u>जलमूल्य के माँग व समाहरण की स्थिति</u> :– जलकल लिपिक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार माँग व समाहरण की स्थिति निम्नवत् थी–

1–4–2015 को बकाया	59,53,153=00
स्थापित माँग	18,89,985=00
योग	78,43,138=00
वर्ष में समाहरण	2,11,001=00
31–3–2016 को बकाया	76,32,137=00
वसूली का प्रतिशत	2.69%
जलमूल्य वसूली की दर	रु० 20 प्रति जल संयोजन प्रतिमाह

<u>टिप्पणी</u> :–

1. गत वर्ष की सम्परीक्षा आख्या के अनुसार 31 मार्च 2015 को जलमूल्य का बकाया रु० 59,53,153=00 था जबकि उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार 1–4–2015 को बकाया रु० 29,31,029=00 कम करके रु० 30,22,124=00 ही दर्शाया गया था। इस स्थिति के कारण प्रत्यक्ष रूप में करेत्तर राजस्व की हानि पहुँचायी गयी थी।
2. माँग व समाहरण पंजी सम्परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी, जिसके कारण उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार माँग, समाहरण व अवशेष का सत्यापन नहीं हो सका।
3. लेखा नियमावली के नियम–56 के अनुसार प्रपत्र–3 पर माँग व समाहरण पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी। इसे उक्त प्रपत्र पर अनुरक्षित किया जाय।
4. जल संयोजन पंजी भी अनुरक्षित नहीं की गयी थी। इसे नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम–54 के अनुसार प्रपत्र–21 पर अनुरक्षित किया जाय।
5. जल संयोजन के लिये आवेदन की प्रविष्टि नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम–52 में उल्लिखित प्रपत्र–20 पर तैयार कर प्रस्तुत कराया जाय।
6. शासन द्वारा समय–समय पर यह निर्देश दिये गये थे कि जलापूर्ति व्यवस्था में हो रहे वृद्धि को देखते हुए प्रति जल संयोजन रु० 50=00 प्रतिमाह की दर से आरोपण किया जाना चाहिए जबकि रु० 20=00 प्रति जल संयोजन प्रतिमाह का आरोपण किया जा रहा था, इस स्थिति के कारण पालिका परिषद को आर्थिक हानि हो रही थी।

xecutive Officer
.unicipal Board
BAHRAICH

7. नगर विकास अनुभाग–2 उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या–943 / नौ–2–2006–4 नियम / 06, दिनाँक 18–7–2006 के प्रस्तर–2(1)(2) के अनुसार वसूली की दर में वृद्धि नहीं किये जाने से आर्थिक हानि हो रही थी।
8. उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार जल मूल्य से वसूली रु० 2,11,001=00 सूचित की गयी है जबकि वर्गीकृत सारपंजी के अनुसार रु० 2,37,759=00 की वसूली दर्शायी गयी है। इस भिन्नता का कारण स्पष्ट किया जाय।

10. <u>सम्परीक्षा शुल्क</u> :– उक्त नगर पालिका प्रथम श्रेणी की नगर पालिका है जिसके लिये वर्ष 2015–16 की सम्परीक्षा हेतु कुल आवंटित 120 मानव दिवस के आधार पर शासनादेशानुसार आलोच्य अवधि में वरिष्ठ लेखा परीक्षक हेतु रु० 11,500=00 प्रति मानव दिवस एवं लेखा परीक्षक हेतु रु० 6900=00 प्रति मानव दिवस के आधार पर रु० 11,96,000=00 सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया जाता है जिसका सम्परीक्षा शुल्क ज्ञाप निर्गत किया जा चुका है। निर्गत सम्परीक्षा शुल्क ज्ञाप रु० 11,96,000=00 के साथ–साथ वर्ष 2010–11 का बकाया सम्परीक्षा शुल्क रु० 3,61,440=00 तथा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का बकाया सम्परीक्षा शुल्क रु० 19,60,800=00 इस प्रकार कुल बकाया सम्परीक्षा शुल्क रु० 23,22,240=00 को भी कोषागार के निर्धारित लेखा शीर्षक "0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें,–60–अन्य सेवायें–110 सरकारी लेख परीक्षा के लिए शुल्क–01–सरकारी लेखा परीक्षा लिए शुल्क" में जमा कराकर चालान की छायाप्रति सम्परीक्षा को सत्यापनार्थ उपलब्ध कराया जाय।

11. <u>अन्य विविध अनियमिततायें</u> :–

(1) <u>वर्ष 2014–15 में अनकैश चेक रु० 4,31,01,759=00 के कैश होने की स्थिति स्पष्ट कराने के सम्बन्ध में</u> :– वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित चेक अनकैशड दर्शित किये गये–

क्र०	मद का नाम	अनकैशड चेकों की धनराशि
(I)	राज्य वित्त आयोग व बोर्ड	1,28,94,894=00
(II)	13वाँ वित्त आयोग	1,98,85,268=00
(III)	2% स्टाम्प शुल्क	1,03,21,597=00
	योग	4,31,01,759=00

अतएव उपर्युक्त अनकैश चेकों की कैश होने की स्थिति स्पष्ट की जाय।

(2) <u>रोकड़बही व बैंक खाते के अवशेष में व्याप्त अन्तर रु० 1,24,50,794=36 का सामाधान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में</u> :– वर्ष 2014–15 के सम्परीक्षा आख्या भाग–क के प्रस्तर–2 के अनुसार बैंक खाते का अवशेष रोकड़बही के अवशेष से रु० 1,24,50,794=36 कम है। इसका बैंक समाधान विवरण बनाकर व्याप्त अन्तर का औचित्य स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी थी जो वर्तमान स्थिति तक स्पष्ट नहीं किया गया। अतएव बैंक खाते में उक्त धनराशि कम होने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(3) <u>वर्ष 2014–15 में रु० 6,18,159=00 के व्यय के व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में</u> :– वर्ष 2014715 के आडिट रिपोर्ट के भाग–ख के प्रस्तर–10(ङ) में दर्शित स्थिति के अनुसार रु० 6,18,159=00 के व्यय प्रमाणक के अभिलेख सम्परीक्षा में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, जो उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसे आगामी सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

(4) <u>पालिका परिषद के विभिन्न निजी स्रोतों से प्राप्ति की स्थिति</u> :– पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी वर्गीकृत सारपंजी के अनुसार पालिका परिषद के निजी स्रोतों से प्राप्तियों की स्थिति निम्नवत् थी–

क्र०	मद का नाम	प्राप्त धनराशि
(1)	गृहकर	73,13,150=00
(2)	जलकर	61,38,607=00
(3)	नकल फीस	25,365=00
(4)	कीमत फार्म	1,22,253=00
(5)	जलमूल्य	2,37,759=00
(6)	दुकान किराया	14,16,897=00
(7)	सफाई शुल्क, घण्टाघर पार्किंग शुल्क	85,645=00
(8)	मजबा वधशाला	31,845=00
(9)	लाइसेंस खड़खडा ढेला नर्सिंग होम व हॉस्पिटल	3,79,060=00
(10)	बियर शॉप	1,01,000=00
(11)	लकड़ी सोख्ता	1,200=00
(12)	मछली बाजार	56,688=00
(13)	नवीनीकरण / पंजीकरण	1,20,000=00
(14)	प्रदर्शनी व मेला	27,900=00
(15)	कोयला	400=00
(16)	जुर्माना ईंधन	1,100=00
(17)	कर / वैट टैक्स	1,27,019=00
(18)	मुआयना फीस	25=00
(19)	सहारा बैंक	6,000=00
(20)	पेट्रोलियम, मिट्टी तेल	1,470=00
(21)	पानी टैंकर / मैला टैंकर	1,57,195=00
(22)	मैरिज हॉल आवंटन	41,900=00
(23)	विच्छेदन शुल्क	38,426=00
(24)	निविदा / टेण्डर	2,46,238=00
(25)	लॉज / होटल	28,000=00
(26)	पॉवर मोटर	16,370=00
(27)	कूड़ा व गंदा पाली	00
(28)	नाली शुल्क / प्रांगण	00
(29)	पैथालाजी	14,000=00
(30)	लाउडस्पीकर	2,650=00
(31)	रोड कटिंग	5,46,259=00
(32)	चेक निरस्त / मकान ऋण की वापसी (61417+48000)	1,09,417=00
(33)	बैंक से प्राप्त ब्याज	26,65,506=00
(34)	2% स्टाम्प शुल्क की धनराशि	1,11,66,181=00
(35)	2% विकास शुल्क (विनियमित क्षेत्र)	3,24,554=00
	योग	3,15,50,079=00

<u>टिप्पणी</u> :–

1. क्रमांक–34 व 35 पर उल्लिखित अन्य वर्गीकृत सारपंजी में दर्शित नहीं की गयी थी।

Executive Off
Municipal Board
BAHRAICH

2. शो टैक्स से कोई आय न होने का औचित्य स्पष्ट किया जाय, जबकि वर्ष 2014–15 में इस मद से रु० 98,920=00 की आय हुई थी।
3. उपर्युक्त प्राप्तियों से सम्बन्धित माँग व समाहरण पंजी तथा अन्य सहायक अभिलेख उपलब्ध कराया जाय एवं स्थापित मद का सत्यापन कराया जाय।
4. वर्गीकृत सार पंजी कर अधीक्षक, कर निर्धारण अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित नहीं की गयी थी। इसे सत्यापित कराकर आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत कराया जाय।

(5) कर समाहरण कर्ताओं को निर्गत की गयी रसीद प्रपत्र–5 विगत कई वर्षों से न प्राप्त किये जाने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की आशंका :– नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम–23 में वर्णित व्यवस्थानुसार रसीद प्रपत्र–5 में करदाता को धन प्राप्ति रसीद प्रपत्र पर दी जायेगी और कर समाहर्ता के हवाले की गयी उक्त प्रपत्र–5 कर समाहर्ता के प्राप्ति के समय यह रसीद प्रपत्र–6 में रखी जायेगी तथा नियम 24,25 व 26 में वर्णित व्यवस्थानुसार इन प्रपत्रों का रख–रखाव किया जायेगा, परन्तु उक्त नियम में वर्णित प्रपत्र–7 व 8 में कोई अभिलेख नहीं रखे गये हैं। उक्त नियमावली के नियम–28(3) में वर्णित व्यवस्थानुसार कर समाहर्ता को दी गयी किसी पुस्तिका के समस्त रसीद या तो जारी कर दी गयी हो या रद्द कर दी गयी हो तो कर समाहर्ता पुस्तिका को तत्काल नगर पालिका कार्यालय में जमा कर देगा और पुस्तिका के वापसी के दिनाँक का उल्लेख कर समाहर्ता द्वारा प्रपत्र–6 में दी गयी रसीद में कर दिया जायेगा, परन्तु उक्त नियमावली में वर्णित व्यवस्था का लेशमात्र भी पालन नहीं किया जा रहा था जिसके कारण इन रसीदों के दुरुपयोग का मार्ग प्रसस्त हो रहा था। एक रसीद बुक के पूर्ण हो जाने पर एवं वापसी होने पर ही दूसरी रसीद बुक को निर्गत की जानी चाहिए, परन्तु परिशिष्ट–'पाँच' में दी गयी स्थिति से स्पष्ट है कि कर समाहर्ता से रसीद वापस न करके उन्हें अनवरत रसीदे निर्गत की जा रही थी जैसा की निम्नवत दृष्टांत से स्पष्ट है–

(1) निम्नलिखित कर समाहर्ताओं को रसीद बुकें निर्गत की गयी हैं, परन्तु अभी तक वापस नहीं की गयी–

क्र०	कर समाहर्ता का नाम	निर्गत रसीदों	की संख्या
(1)	श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा	15	15
(2)	श्री सुरेन्द्र कुमार	10	14
(3)	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	04	06
(4)	श्री पुत्तन लाल	05	02
(5)	श्री जगन्नाथ अवस्थी	04	04
(6)	श्री शान मोहम्मद	04	05

अतएव परिशिष्ट 'पाँच' में सूचीबद्ध किये गये कर समाहरण कर्ताओं को निर्गत प्रपत्र–5 के रसीद बुकों के वापसी का प्रमाण, प्रपत्र–6 पर कराया जाय तथा इन रसीद बुकों से संग्रहित धनराशि पालिका में जमा किये जाने का साक्ष्य भी उपलब्ध कराया जाय।

(2) प्रपत्र–5 के रसीद बुकों के जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि रसीद बुक के निर्गत के समय पालिका परिषद के सक्षम अधिकारी द्वारा न तो इस बात का प्रमाण पत्र दिया जात है कि अमुक रसीद बुकों में कुल इतने पन्ने हैं और वे जीर्ण–शीर्ण नहीं है तथा रसीद बुकों के भर जाने पर संग्रहित समस्त धनराशि पालिका निधि में जमा किये जाने का भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। यह स्थिति गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं का द्योतक है।

xecutive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

(6) **नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम–99ए में वर्णित व्यवस्थानुसार आपत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जाना** :– नगर पालिका लेखा नियमावली के पार्श्वांकिंक नियम में वर्णित व्यवस्थानुसार नगर पालिका के लेखाकार/लेखाकार्य देखने वाले सहायक द्वारा एक आपत्ति रजिस्टर उक्त नियम में इंगित प्रारूप पर अनुरक्षित किया जाना था, जिसमें "किसी भुगतान के सम्बन्ध में लेखाकार द्वारा की गयी महत्वपूर्ण एवं सैद्धांतिक आपत्ति को अंकित किया जायेगा। उपर्युक्त आपत्ति राजिस्टर सम्परीक्षक/सम्परीक्षा अधिकारी के सम्मुख नगर पालिका की सम्परीक्षा/निरीक्षक के दौरान अवश्य प्रस्तुत किया जायेगा" परन्तु उक्त रजिस्टर अनुरक्षित न किये जाने के कारण लेखा सहायक द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्य में उसकी उदासीनता का द्योतक होता है। इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(7) **पालिका परिषद में कार्यरत अकेन्द्रीयत संवर्ग के कर्मचारियों के पेंशन अंशदान की कटौती शासनादेशानुसार नहीं किया जाना** :– सफाई एवं जलकल अनुभाग के वेतन–बिलों की जाँच से प्रकाश में आया कि पालिका के सफाई एवं जलकल अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के पेंशन अंशदान 12 प्रतिशत की दर से की जा रही थी, जो शासनादेशानुसार अनियमित था। उ०प्र० नगर पालिका अकेन्द्रीयत सेवा निवृत्ति लाभ विनियमावली 1984 के पेज–3 पर अंकित प्रस्तर(50) के अनुसार कर्मचारियों के परिलब्धि (वेतन+महंगाई भत्ता) का 12% पेंशन अंशदान की कटौती किया जाना चाहिये। शासनादेशानुसार पेंशन अंशदान की कटौती सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(8) **माल लेखा (स्टॉर लेखा) वांछित** :– नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम–78 में वर्णित रीति के अनुसार स्थायी या टिकाऊ प्रकृति के समस्त सचल सम्पत्ति जैसे–इंजन, पम्पिंग संयत्र, रोडरोलर, सफाई व्यवस्था के वाहन, विद्युत खम्भे, जनरेटर व साज–सज्जा के विभिन्न सम्पत्तियों का अभिलेख प्रपत्र–28 में रखा जाना था तथा इस रजिस्टर के स्तम्भ–8 से 12 में सम्पत्ति निस्तारण बिक्री या अन्यथा किया जाय, के निस्तारण के ब्योरों की प्रविष्टि की जानी थी तथा नियम–84 में वर्णित व्यवस्थानुसार सम्पत्तियों का सत्यापन वर्षानुवर्ष सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए प्रत्येक सचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में सत्यापन रिपोर्ट दी जानी चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा था। अतएव उपर्युक्त सचल सम्पत्ति रजिस्टर तैयार कराकर उसका सत्यापन कराया जाय एवं कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(9) **नगर पालिका परिषद द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर कोई कार्य न किया जाना** :– 13वें, 14वें वित्त आयोग की धनराशि के अन्तर्गत 2 की धनराशि ई–गवर्नेन्स व्यवस्था पर व्यय करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु गत विगत वर्षों की सम्परीक्षा एवं वर्तमान सम्परीक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर कोई कार्य नहीं किया गया था, जबकि नगर विकास अनुभाग77 उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या–3699/नौ77–2–2002–52 के०/2000, दिनाँक 05 अक्टूबर 2002 द्वारा जलकल व जलमूल्य के सर्वेक्षण हेतु जी०आइ०एस० द्वारा सर्वेक्षण कराया जाना था, परन्तु उक्त व्यवस्था नगर पालिका परिषद द्वारा लागू नहीं किया गया था। इस प्रकार वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर लागू किये जाने हेतु शासन से निर्देश दिये जा रहे है जिससे सामान्य जनमानस को भी इसका लाभ उपलब्ध हो सके, परन्तु ऐसे नहीं किया गया था।

(2) उ०प्र० नगर पालिका (सूचना का लोक प्रकटीकरण) नियमावली 2010 में वर्णित व्यवस्थानुसार उक्त नियमावली के नियम–3 में दिये गये प्रपत्र–1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 व 11 पर सूचना प्रौद्योगिकी विकसित करके जनमानस के लिए उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया था।

(10) <u>पर्यावरण संरक्षण हेतु पालिका परिषद द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जाना</u> :– नगर विकास अनुभाग–7 उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या–3399/9–7–2001–117एल/2001 दिनाँक 05 जुलाई 2001 द्वारा नगरों को हरित एवं सुन्दर बनाने के लिए सघन वृक्षारोपण के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय निकायों का दायित्व निर्धारित किया गया था। साथ ही नगर विकास अनुभाग–7 उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या–120सी०एस०(1)/9–7–2001–29ज/2001 दिनाँक 22 नवम्बर 2001 द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु शासन द्वारा समय–समय पर कड़े निर्देश दिये गये थे तथा यह भी कहा गया था कि मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान क्रिया कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान जनित अपशिष्ट को उपचारित कर निस्तारित किये जाने के प्रावधान है, साथ ही इन्सीनरेटर स्थापित करके प्रदूषण नियंत्रण को सूचित करना था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया था तथा सोलिडवेस्ड मैनेजमेन्ट हेतु योजना तैयार करके कार्यवाही किया जाना था, परन्तु उपर्युक्त प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी थी। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण हेतु पालिका परिषद द्वारा प्रदूषण निवारक अभिकारकों को क्रियान्वयन न किये जाने के कारण विभिन्न प्रकार के संक्रमण जनित बिमारियाँ नगर क्षेत्र में व्याप्त थी। अतएव उक्त जनकल्याणकारी एवं जन स्वास्थ्य लाभकारी अभिकारकों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(11) <u>लाइसेन्स शुल्क की स्थिति</u> :– नगर पालिका द्वारा निम्नलिखित मदों पर उनके सम्मुख अंकित दरों से लाइसेन्स शुल्क लिया जा रहा था–

क्र०	मद का नाम	प्रति लाइसेन्स दर	2015–16 में जारी लाइसेन्सों की संख्या	प्राप्त धनराशि
1	लाज/होटल	1000	33	33,000=00
2	पैथालाजी	1000	14	14,000=00
3	विदेशी शराब	6000	4	24,000=00
4	बियर	3000	7	21,000=00
5	देशी शराब	3000	8	24,000=00
6	हास्पिटल	5000	6	30,000=00
7	नर्सिंगहोम	2000	19	38,000=00
8	रिक्शा	60	2961	1,77,660=00
9	ड्राइवरी	19	4000	76,000=00
10	ठेला गाड़ी	22	850	18,700=00
11	खड़खड़ा	31	200	6,200=00
12	सहारा बैंक	6000	1	6,000=00
13	ठेला किराया	20	100	2,000=00
14	लाउड स्पीकर	50	43	2,150=00
15	पावर मोटर	0–10=25,11–15=50 16–20=100,2X8 के हिसाब से जमा करना होगा–290 अ०		16,870=00
16	मॉडल शॉप	6000	1	6,000=00
17	लकड़ी सोख्ता	40	30	1,200=00
18	पेट्रोल	100	9	900=00
19	कोयला	40	10	400=00
20	इक्का	31	–	–
21	बैलगाड़ी	35	–	–

xecutive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

22	मिट्टी तेल/थोक	10X51, 1X60	–	570=00
23	प्रा० क्लीनिक	3000	1	3,000=00
			योग	5,01,650=00

नगर विकास अनुभाग–9 उ०प्र० लखनऊ के शासनादेश संख्या–161/सी०एम०/नौ–9–9–923 (जनरल) 97 दिनॉक 16 सितम्बर 1997 के अनुसार अन्य शेष मदों पर लाइसेंस शुल्क की वसूली कराया जाय।

डिस्क्लेमर :– यह सम्परीक्षा प्रतिवेदन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं एवं अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। यदि पालिका परिषद द्वारा कोई सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत प्रस्तुत की गयी है तो इसका उत्तरदायित्व इस कार्यालय का नहीं होगा।

निष्कर्ष :– सम्परीक्षा आख्या के उपर्युक्त कण्डिकाओं में वर्णित गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें अभिलेखों के रख–रखाव में बरती जा रही उदासीनता, अनिस्तारित आपत्तियों का अनुपालन न किये जाने तथा आय के संवर्धन व दोहन हेतु उदासीनता परिलक्षित हो रही थी। कर एवं करेत्तर राजस्व की वसूली न्यून थी। इस सम्बन्ध में यथेष्ठ कार्यवाही हेतु पालिका परिषद के प्रमुख अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। मूल आपत्ति पत्रावली उत्तरों सहित वापस नहीं की गयी थी।

(डा० संजीव कुमार)
उप–निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा

स्थान–फैजावाद
दिनॉक– 06–05–2017
राम कृष्ण मिश्र, वरिष्ठ लेखा परीक्षक
घनश्याम, वरिष्ठ लेखा परीक्षक
मुन्ना कुमार, लेखा परीक्षक।

xecutive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

परिशिष्ट–एक (अनुच्छेद–1 पर सन्दर्भित)

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण–

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	संख्या
1971–72	5,11,12,13,14,17(क)(ग)(घ)(ङ),18,21(क)(ख),22(i)(ii)(iii),23,25	1,5,7,8,10 से 16 तक 21,23,26,32,34, 35	32
1972–73	3टि०(1)से(6)तक,7(1),8टि०(i)(ii)(iii),12,13,14,15,16(ii),18,20,21(i)(ii)(iii),22,26(1)से(8)तक,27,28,29(1)से(5)तक	1 से 26	62
1973–74	3टि०(1)से(8)तक,5टि०(i)(ii)(iii),12,13,14,15,16(ii),18,20,21(i)(ii)(iii), 22,26(1)से(5)	1 से 24,36	112
1975–76	3टि०(i)(ii)(iii),4टि०,6(क)(ख),10टि०(i)(ii),14,15(क)से(ङ),19,(1)(2)(4)(5),20(1)से(5)तक,21(क), (ख),23	1 1से 89	94
1976–77	3टि०,4,5,6,7,11(i)(ii)(iii),12,14(i)(ii)(iii)(क)(ख)(ग)(iii),15(क)(ख)(i)(ii), 18,19(क)(ख),20(क)(ख)	1 से 22	41
1977–78	3टि०,4,6,7टि०(i)(ii),11,15,16,17,19	1 से 22	41
1978–79	3टि०(1)(2)(3)(5)(6),7टि०(1)(2),8टि०(i)(ii)(5),10,11(1)(2)(3)(4),12,13(अ)(1)(2)(3)(1)(2),15(क) (2),16,17,18	1 से 81	105
1979–80	3टि०(1)(2)(3),4,5,6(1)(2),7,8(क)(ख),टि०(1),12(क)से(झ),(न)(र)(1)(2),13, 15,16(1)(4),17(अ)(ब)	1,4,10,12,19,22, 24	35
1980–81	3टि०(1)से(6),6टि०(1)से(3),8,12,13(क)(1)(2)(3),14(1),17,18,19,20(क)(ख)(i)(ii),21,22,23,24(1) (2)(3),25,26	1 से 21	45
1981–82	3टि०(1)से(6),4टि०(1)से(4),9,11,12,13(क),14,15(2),17(1)(2),20(क)(ख),21,23,24,25,26,27	1 से 40 तक	66
1983–84	3टि०(1),2क		02
1984–85	4(ग)(घ)(ङ),8(1)(2)(3),14(1)(2),21(2),24(3),25(घ)(1)(2),30(क)(ज)(घ),31,32(2),34		20
1985–86	6टि०(1)(2)(3),9टि०(1)(2)(3)(ख)(ग)(1)(2)(3)(ज)(झ)(ञ)(ट),20(ज)(2)(3)(ग)(3)(4)(ङ)(च)(छ)(ज)		22
1986–87 से 1987–88	42(ज)		01
1989–90	3टि०(1)से(7),10,11,12,21,22,24,25टि०(1)(3),26,27,28,29(क)(ख),31(1)(2),32(क)(ख),33	1 से 12	36
1990–91	3टि०,4टि०(च)(2)(3)(4),11(1)(2)(3)		08
1992–93	3टि०(3)(5),6टि०(1)(2)(3),11टि०(1)(3)(6),15(1)(2)(3),17,22,23		16
1994–95	3टि०(6),14,21,22,27,28,30(अ),33		09
1995–96	1(च)(छ)(ज),20टि०(2)से(8),22टि०(1)(2)	2,3,4,6,8,9	12
1996–97	1(क)(1)(3),4(ख)(1)(2)(ग)(1)(2)(3)(5)(2)(3)(4)(5)(1)(2)(ङ),5टि०(3)(4), 6टि०(3),14		21
1997–98	1(1)(2),3,4(1)(2)(3)(क)(ख)(ग)(1)से(6),6(1)(क)से(ङ),5(क)(ख) भाग–2–(ङ)(च)(1)से(7),8(1)(2)(3)	2,7	43
1998–99	भाग–2(ब)–1(क)से(अ),टि०(1)से(6),4(ज),टि०(1)(2)(3)(4(क)(ख)(ग)(1)(2)(घ)(ङ)(च)(छ),5,6,7टि० (1)(2)(3)(घ),टि०(क)से(ङ),9(1)से(6),टि०(1)से(11)तक	3,4,6 से 17,20,21,22,24, 26,27,29,30,31	74

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

प्रतिवेदन में शामिल आपत्तियों की सूची–

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	योग
2001–02	1क(4)		01
2003–04	1(ख)(ङ),9,11,12,(1ख)पेंशन निधि		06
2005–06	1(क),1(ग),(घ),(ङ),(च),1(छ),1(ज)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)		15
2006–07	1(क),1(ख),1(ग),1(घ),1(ङ)(1),1(छ),1(झ)		07
2007–08	1(क),1(क)(2),1(ख)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),1(ग)(3),1(ग)(6),1(ङ),10		15
2010–11	भाग–क–(क),(घ)(1),1(क),1(च)		04
		योग	46

xecutive Officer
unicipal Board
BAHR..CH

संलग्नक–दो

वित्तीय स्थिति–वर्ष–2015–16

1 अप्रैल 2015 को अवशेष	9,49,66,308=84
वर्ष की आय	31,98,88,459=00
योग	**41,48,54,767=84**
वर्ष में व्यय	34,70,86,389=00
31 –03–2016 को इतिशेष	6,77,68,378=84
घटाइये–हस्तगत धनराशि	1,54,999=00
	6,76,13,379=84
जोड़िये (ब्याज की धनराशि)	
(1) इंडियन बैंक खाता सं०–24882 822350701	
(2) सेन्ट्रल बैंक खाता सं०–69041 3226345450	93,923=00
	6,77,07,302=84
जोड़िये–(अनकैश चेकों की धनराशि)	
(1) राज्य वित्त आयोग–9647993	
(2) 13वाँ वित्त आयोग–9808532	
(3) 2 स्टाम्प शुल्क–126427	
(4) बोर्ड फण्ड–670773	2,02,53,725=00
31 मार्च 2016 को रोकड़बही का अवशेष	8,79,61,027=84
बैंक के अनुसार इतिशेष	
(1) इलाहाबाद बैंक बहराइच खाता सं०–21152946220(बोर्ड फण्ड)	2,06,46,490=20
(2) पी०एन०बी० नोडल खाता बहराइच खाता सं०–0072000106097563	58,71,186=92
(3) इण्डियन बैंक बहराइच खाता सं०–822350701	92,103=00
(4) सेन्ट्रल बैंक बहराइच खाता सं०–3226345450	11,208=00
(5) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक बहराइच खाता सं०–134401100050678	2,26,184=90
(6) कोषागार पी०एल०ए० खाता सं०–8448003	6,63,374=32
(7) कोषागार पी०एफ० खाता सं०–8448	20,335=98
(8) स्टेट बैंक बहराइच खाता सं०–34870493285	5,24,76,293=00
योग	8,00,27,176=60

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

राज्य वित्त आयोग के अनकैशड चेकों का विवरण–

क्र०	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि
1	004700	28–03–2016	10,53,982=00
2	004701	28–03–2016	13,28,190=00
3	004704	28–03–2016	4,65,430=00
4	004706	28–03–2016	1,65,503=00
5	004707	28–03–2016	84,631=00
6	004708	28–03–2016	1,88,967=00
7	004710	28–03–2016	3,24,216=00
8	004711	28–03–2016	1,13,002=00
9	004713	28–03–2016	2,53,716=00
10	004715	28–03–2016	1,31,129=00
11	004716	28–03–2016	1,02,238=00
12	004717	28–03–2016	1,18,256=00
13	004718	28–03–2016	77,887=00
14	004719	28–03–2016	27,630=00
15	004720	28–03–2016	23,531=00
16	004725	28–03–2016	1,29,333=00
17	004728	31–03–2016	81,628=00
18	004729	31–03–2016	1,88,685=00
19	004730	31–03–2016	50,802=00
20	004731	31–03–2016	56,156=00
21	004732	31–03–2016	38,746=00
22	004733	31–03–2016	2,07,257=00
23	004734	31–03–2016	3,54,048=00
24	004735	31–03–2016	26,281=00
25	004736	31–03–2016	8,53,215=00
26	004737	31–03–2016	2,62,923=00
27	004738	31–03–2016	2,15,607=00
28	004739	31–03–2016	83,780=00
29	004740	31–03–2016	3,51,175=00
30	004741	31–03–2016	1,40,870=00
31	004742	31–03–2016	43,433=00
32	004744	31–03–2016	5,96,866=00
33	004745	31–03–2016	2,60,569=00
34	004746	31–03–2016	62,010=00
35	004747	31–03–2016	1,07,547=00
36	004748	31–03–2016	28,533=00
37	004749	31–03–2016	1,00,505=00
38	004750	31–03–2016	2,25,977=00
39	004751	31–03–2016	1,89,169=00
40	004752	31–03–2016	1,68,626=00
41	004753	31–03–2016	80,709=00

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

42	004754	31–03–2016	45,721=00
43	004755	31–03–2016	15,554=00
44	004756	31–03–2016	20,175=00
45	004757	31–03–2016	1,87,723=00
46	004758	31–03–2016	8,862=00
47	004759	31–03–2016	5,020=00
48	004760	31–03–2016	6=00
49	004761	31–03–2016	2,216=00
		योग	96,47,993=00

अनकैश चेकों का विवरण (13वाँ/14वाँ वित्त आयोग)–

क्र०	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि
1	294838	28–03–2016	5,32,221=00
2	294839	28–03–2016	1,53,874=00
3	294844	31–03–2016	2,82,066=00
4	294845	31–03–2016	4,08,873=00
5	294846	31–03–2016	1,62,737=00
6	294847	31–03–2016	2,42,994=00
7	294848	31–03–2016	9,50,241=00
8	294849	31–03–2016	60,000=00
9	294850	31–03–2016	1,15,617=00
10	294851	31–03–2016	79,459=00
11	294852	31–03–2016	45,014=00
12	294853	31–03–2016	2,380=00
13	294854	31–03–2016	19,865=00
14	294855	31–03–2016	11,33,435=00
15	294856	31–03–2016	10,77,085=00
16	294857	31–03–2016	4,59,940=00
17	294858	31–03–2016	8,18,668=00
18	294859	31–03–2016	7,05,344=00
19	294860	31–03–2016	96,120=00
20	294861	31–03–2016	1,85,155=00
21	294862	31–03–2016	1,04,891=00
22	294863	31–03–2016	1,961=00
23	294864	31–03–2016	46,289=00
24	294865	31–03–2016	15,97,742=00
25	294866	31–03–2016	31,116=00
26	294867	31–03–2016	3,40,922=00
27	294868	31–03–2016	84,972=00
28	294869	31–03–2016	48,137=00
29	294870	31–03–2016	171=00
30	294871	31–03–2016	21,243=00
		योग	98,08,532=00

xecutive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

अनकैशड चेकों का विवरण (बोर्ड फण्ड)–

क्र०	चेक संख्या	दिनाँक	धनराशि
1	005379	18–03–2016	26,046=00
2	005384	19–03–2016	16,000=00
3	005385	29–03–2016	71,150=00
4	005386	29–03–2016	96,073=00
5	005387	29–03–2016	99,139=00
6	005388	29–03–2016	70,454=00
7	005389	29–03–2016	3,239=00
8	005391	29–03–2016	4,800=00
9	005392	29–03–2016	4,800=00
10	005393	29–03–2016	19,500=00
11	005394	29–03–2016	18,247=00
12	005395	29–03–2016	1,580=00
13	005397	29–03–2016	14,643=00
14	005398	29–03–2016	4,231=00
15	005399	29–03–2016	7,036=00
16	005400	31–03–2016	71,235=00
17	005401	31–03–2016	19,351=00
18	005402	31–03–2016	21,220=00
19	005403	31–03–2016	12,000=00
20	005404	31–03–2016	4,500=00
21	005405	31–03–2016	30,000=00
22	005406	31–03–2016	16,395=00
23	005407	31–03–2016	25,022=00
24	005408	31–03–2016	4,400=00
25	005409	31–03–2016	1,613=00
26	005410	31–03–2016	6,000=00
27	005416	31–03–2016	2,099=00
		योग	6,70,773=00

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

वर्ष 2015–16 में
नगर पालिका परिषद बहराइच के आय और व्यय की तालिका

क्रमांक	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक अवशेष	वर्ष 2015–16 की आय					प्रारम्भिक अवशेष सहित योग 3+4च	वर्ष में हुआ व्यय (करोड़ में)	31 मार्च 2016 को अंतिम अवशेष
			राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अनाव0 राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण	वर्ष की संपूर्ण आय (क+ख+ग+घ)			
1	2	3	4क	4 ख	4 ग	4घ	4च	5	6	7
	नगर पालिका परिषद बहराइच	9,49,66,309	3,15,50,079	4,97,67,142	23,85,71,238	–	31,98,88,459	41,48,54,768	34,70,86,389	6,77,68,379
योग		9,49,66,309	3,15,50,079	4,97,67,142	23,85,71,238	–	31,98,88,459	41,48,54,768	34,70,86,389	6,77,68,379

अनुलग्नक–"6"

प्रपत्र संख्या स्था०नि०ले०–105

वर्ष–2015–16 में

नगर पालिका परिषद बहराइच द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण–

क्र०	आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की संहत स्थिति		मन्तव्य
			कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
1	2	3	4		5
	राज्य वित्त आयोग से	23,85,71,238=00	23,85,71,238=00		
	13वॉं वित्त आयोग से	2,95,50,299=00	–	2,95,50,299=00	
	14वॉं वित्त आयोग से	2,02,16,843=00	–	2,02,16,843=00	
	योग	28,83,38,380=00	23,85,71,238=00	4,97,67,142=00	

अनुलग्नक–"7"
स्था०नि०ले०–106

वर्ष–2015–16 में

नगर पालिका परिषद बहराइच द्वारा समाहरण करों एवं राजस्व का विवरण–

(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्र०	आय का स्रोत	1 अप्रैल 2015 को बकाया	चालू वर्ष 2015–16 के लिये माँग	कुल माँग (3+4)	वर्ष में किया गया समाहरण	छूट	समाहरण न हुआ 31 मार्च 2016 को शेष	समाहरण की कुल माँग प्रतिशत	स्तम्भ 2 में उल्लिखित कर की दर	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गृहकर	51,87,390	51,29,723	1,03,17,113	60,01,462	–	43,15,651	58.16%	7%	
2	जलकर	59,69,597	65,86,668	1,25,56,265	55,79,998	–		44.43%	7%	
3	जल का विक्रय(जलमूल्य)	59,53,153	18,89,985	78,43,138	2,11,001	–		2.69%	रु० 20/– प्रतिमाह प्रति कनेक्शल	
4	विभव एवं सम्पत्ति कर (दुकान किराया)	17,17,385	12,80,735	29,98,120	14,16,897	–		47.25%	विभिन्न किराया की दर	
5	व्यापार, जीविका तथा व्यवसाय पर कर (लाइसेन्स शुल्क)	–	5,01,650	5,01,650	5,01,650	–	–	100%	विभिन्न दरों पर	
6	यात्री कर (2 स्टाम्प शुल्क)	–	1,11,66,181	1,11,66,181	1,11,66,181	–	–	100%	2%	
7	अन्य कर (स्पष्ट उल्लेख करें) (विकास शुल्क)	–	3,24,554	3,24,554	3,24,554	–	–	100%	2% विनियमित क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क	

कार्यालय उप निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0,देवीपाटन मण्डल,गोण्डा ।

प्रेषक,

उप निदेशक

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0

देवीपाटन मण्डल,58 स्टेशन रोड,गोण्डा

सेवा में,

1. अध्यक्ष,नगर पालिका परिषद,बहराइच ।

2. अधिशासी अधिकारी ,नगर पालिका परिषद,बहराइच।

संख्या -दे0पा0मं0 / ए0एस0 / 25 दिनांक- 31/03/2018

विषय- नगर पालिका परिषद बहराइच की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपके नियंत्रणाधीन नगर पालिका परिषद बहराइच की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है । कृपया प्राप्ति स्वीकार करें ।

उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम-1984 की धारा 9(1) के अन्तर्गत इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठायी गयी आपत्तियों / महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर, अधिकतम तीन माह के अंदर अनुपालन कार्यवाही पूर्ण कर लेखा परीक्षा में उठायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कराने का कष्ट करें । लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में आगे पत्र व्यवहार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से किया जाय ।

संलग्नक -लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।

भवदीय, -

(श्याम सिंह)

उप निदेशक

दिनांक-

पृष्ठांकन संख्या -दे0पा0मं0 / ए0एस0 /

प्रतिलिपि उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि रिपोर्ट में इंगित आपत्तियों का निस्तारण कराए जाने के सम्बन्ध में, कृपया संस्था के प्रधान अधिकारी को प्रभावी निर्देश देने का कष्ट करें -

1. सचिव, नगर विकास अनुभाग-4,उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2. महालेखाकार,ओ0ए0डी0 स्टेशन रोड,इलाहाबाद ।

3. आयुक्त ,देवीपाटन मण्डल,गोण्डा ।

4. निदेशक,स्थानीय निकाय,अलिया गंज,इन्दिरा भवन,लखनऊ ।

5. सहायक निदेशक,(प्रतिवेदन) मुख्यालय ।

6. जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,बहराइच।

7. स्थानस्य प्रति ।

संलग्नक- लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।

(श्याम सिंह)

उप निदेशक

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

ले0–15/2017–18

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0,इलाहाबाद

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

संस्था का नाम :– नगर पालिका परिषद, बहराइच।

अवधि – वर्ष – 2016–17

लेखा परीक्षा की तिथि –

लेखे की सम्परीक्षा का दिनांक–01–07–17 को प्रारम्भ एवं दिनांक– 06–09–17 को समाप्त हुई ।

"यह सम्परीक्षा आख्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन एंव पर्यवेक्षण तथा उनके द्वारा निर्धारित मापमण्डों एंव लेखा प्रमाणन के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम–1916 , एंव नगर पालिका लेखा नियमावली के अन्तर्गत तैयार की गयी है"।

संस्था के प्रमुखं एवं आहरण वितरण अधिकारी के नाम –

संस्था का प्रशासन बोर्ड में निहित था । संस्था के प्रमुख/अध्यक्ष के पद पर आलोच्य अवधि में श्री हाजी मोहम्मद रेहान खां आसीन रहे, तथा अधिशासी अधिकारी के पद पर निम्नलिखित उनके सम्मुख अंकित अवधियों में कार्य रहे

(1) श्री बच्चे लाल, उपजिलाधिकारी सदर(कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी) 01–4–16 से 05–08–2016 तक

(2) श्री नागेन्द्र कुमार,(कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी) 06–08–16 से 04–10–16 तक

(3) श्री पवन कुमार 05–10–16 से वर्तमान तक

नगर पालिका के निधियों के आहरण–वितरण का दायित्व अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा रहा था।

सम्परीक्षा आख्या भाग–"क"

(क) वित्तीय एवं सामान्य महत्व की अनियमितताएं–

1– निधियों और सम्पत्ति की हानि और दुर्विनियोगं–

कोई नहीं ।

2–गबन–

कोई नहीं ।

3– आवर्ती प्रकृति के अनियमित व्यय, अधिक या अननुमोदित व्यय, अधिक या अननुमोदित अधिष्ठान के कारण वेतन और भत्तों कर अनियमित भुगतान, अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया गया भुगतान, अपव्यय या अत्यधिक व्यय :–

(क) स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तगत व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु चयनित लाभार्थियों को रू0– 17,32,000/–का किया गया भुगतान अनियमित व अमान्य :–

स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु पालिका सीमान्तर्गत आलोच्य अवधि 2016–17 में कुल 433 लाभार्थियों का चयन किया गया था। चयनित लाभार्थियों को प्रति शौचालय रू0– 4,000/– की दर से (जिसमें रू0– 2,000/– केन्द्रांश के तथा रू0– 2,000/– राज्यांश प्रथम किश्त के रूप में लाभार्थियों के बैंक खाते में कुल लाभार्थियों की धनराशि रू0– 17,32,000/– चेक संख्या– 949252 दिनांक–30–11–2016 को पंजाब नेशनल बैंक, हीरा सिंह मार्केट बहराइच के खाता संख्या– 4483000100035516 से लाभार्थियों के व्यक्तिगत खाते में स्थानान्तरित करते हुए, पालिका द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसें बैंक द्वारा 04–01–2017 को स्थानान्तरित किया गया था। स्थानान्तरित धनराशि कुल रू0– 17,32,000/– शासनादेश में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया गया था । शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु चयनित लाभार्थियों द्वारा स्वयं के वित्तीय स्रोतों से 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति कर लिया जाय तभी प्रथम किश्त लाभार्थियों के खाते में अवमुक्त की —2

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

जाय, लेकिन पालिका द्वारा बिना 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति के सत्यापन कराये बिना ही लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रथम किश्त केन्द्रांश तथा राज्यांश की धनराशि रू0- 4,000/- प्रति लाभार्थी स्थनान्तरित कर दी गयी थी, जो शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में अनियमित व अमान्य थी। लाभार्थियों द्वारा बिना 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति के प्रथम किश्त जारी किये जाने से शत् प्रतिशत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण होने की सम्भावना नगण्य हो जाती है, तथा शासन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती । प्रथम किश्त के सापेक्ष शत् प्रतिशत भौतिक प्रगति सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही, द्वितीय किश्त अवमुक्त किया जाय, अन्यथा स्थिति में लाभार्थियों को प्रदान की गयी धनराशि की वसूली सुनिश्चित करायी जाय, जिससे शासन के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकें।

पात्र पाये गये व्यक्तिगत शौचालयों के 433 लाभार्थियों का प्रार्थना पत्र, सफाई/स्वास्थ्य निरीक्षक की निरीक्षण आख्या तथा सिविल इंजीनियर की अनुमोदन आख्या आगामी सम्परीक्षा को दिखाया जाय जिससे पात्र लाभार्थियों का सत्यापन अभिलेख से किया जा सके।

(ख) 2 प्रतिशत हस्तान्तरण विलेख शुल्क से प्राप्त धनराशि रू0- 1,61,11,692/- को शासन द्वारा दिये गये शर्तो/आदेशों का उल्लंघन करते हुए व्यय किया जाना-

वर्ष 2015-16 में 2 प्रतिशत हस्तान्तरण विलेख शुल्क की कुल धनराशि रू0- 1,11,66,181/- प्राप्त हुआ था जिसके सापेक्ष जिलाधिकारी बहराइच की अध्यक्षता में दिनांक- 22-8-2016 को जिला स्तरीय समिति की बैठक में परिशिष्ट-"3" पर उल्लिखित कार्यों हेतु रू0- 1,12,39,649/- की कार्य योजना स्वीकृत की गयी थी तथा वर्ष 2016-17 में 2 प्रतिशत हस्तान्तरण विलेख शुल्क से प्राप्त धनराशि रू0- 1,02,27,701/- के सापेक्ष प्राप्त प्रथम किश्त की धनराशि रू0- 49,45,511/- की कार्य योजना **परिशिष्ट "3"** पर उल्लिखित है। उक्त धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी बहराइच की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक- 08-11-2016 को रू0- 56,93,303/- की कार्य योजना स्वीकृत/अनुमोदित की गयी थी। इस प्रकार आलोच्य अवधि 2016-17 में 2 प्रतिशत हस्तान्तरण विलेख शुल्क से रू0- 1,11,66,181 + 49,45,511 = 1,61,11,692=00 का इण्टर लाकिंग सडक निर्माण का कार्य कराया गया था, जो शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध था।

उक्त धनराशि के उपभोग के संबंध में नगर विकास अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या- 2883 ए0/9-7-98-49 ज/98 दिनांक- 27 जून, 1998 द्वारा नगरीय अवस्थापना विकास निधि की स्थपना के आदेश दिये गये थे। अवस्थापना विकास निधि के आय का मुख्य स्रोत 2 प्रतिशत हस्तान्तरण विलेख शुल्क से होने वाली आय थी।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-12 में यह स्पष्ट किया गया था, कि कराये जाने वाले कार्यों में ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाय जिससे स्थायी परिसम्पत्तियां सृजित हो और निकाय को यथासम्भव नियमित आय की प्राप्ति हो। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सडक मार्ग प्रकाश एवं जल निकासी के कार्य की व्यवस्था करायी जानी थी। इस संबंध में पुनः नगर विकास अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या- 1502 ए0/9-7-99-1 बी0/99 दिनांक 26 अप्रैल, 1999 द्वारा यह और स्पष्ट किया गया था, कि अवस्थापना विकास निधि से ऐसी परियोजनाओं का चुनाव भी किया जाय जिससे कि स्थानीय निकाय को भविष्य में आय के नवीन स्रोत विकसित हो सके और इस प्रकार परियोजनाओं के लिए किसी वित्तीय वर्ष में व्यय की कुल धनराशि/अंश 40 प्रतिशत से कम न हो, 60 प्रतिशत कार्य परियोजनाओं आयोजनागत प्रकृति/स्थाई प्रकृति अर्थात स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य पर व्यय किया जाय तथा शेष 40 प्रतिशत भाग आय के नये स्रोत विकसित करने के परियोजनाओं पर व्यय किया जाय ।

---3

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

उपर्युक्त वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एवं उपर्युक्त कराये गये कार्यों से स्पष्ट है, कि समस्त कराये गये कार्य अस्थायी प्रकृति के थे, और शासन द्वारा दिये गये निर्देशों/शर्तों का विचलन/उल्लंघन करते हुए व्यय किया गया था । इस प्रकार शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो के अनुरूप कार्य न कराये जाने के कारण रू0– 1,61,11,692/– का किया गया व्यय, अनियमित व अमान्य थी।

इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकायों के संबंधित अधिशाषी अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों को समिति के संज्ञान में न लाये जाने के कारण उपर्युक्त अनियमितता घटित हुई। अतएव इस सम्बन्ध में यथेष्ठ कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है । कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय ।

उपर्युक्त के संबंध में अधियाचन संख्या–77 /18–8–17 निर्गत किये जाने पर भी पालिका द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया ।

(ग) वर्ष 2016–17 में निर्माण विभाग द्वारा कराये गये नाले की सफाई पर हुआ व्यय रू0– 37,67,119/– अनियमित व अमान्य –

सम्परीक्षा में प्रस्तुत भुगतान रजिस्टर एवं रोकडवही की जांच से प्रकाश में आया कि वर्ष 2016–17 में पालिका के निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित नालों की सफाई करायी गयी थी –

क्रमांक	वा0सं0/तिथि	कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम	धनराशि
1	63/30–7–16	मो0 चांदपुरा/वजीरगंज में अज्जन साइकिल वाले से स्व0 लज्जाराम यादव के मकान होते हुए बाईपास तक नाला सफाई का कार्य । प्रथम एवं अंतिम बिल, एम0बी0नं0 131/45 ठेकेदार एच0आर0 कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	3,15,115
2	64/30–7–16	मो0 केवानागंज में बालार्क प्रेस से नानपारा बस स्टैण्ड तक नाला सफाई कार्य। प्रथम एवं अंतिम बिल एम0बी0 नं0– 129/44 ठेकेदार एच0आर0 कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	73,127
3	66/30–7–16	स्टेडियम के बगल से जेल रोड पुलिया होते हुए आगे पुलिया तक नाला सफाई का कार्य। प्रथम एवं अंतिम बिल एम0बी0–142/52 ठेकेदार– सरताज कन्स्ट्रक्शन	9,02,164
4	67/30–7–16	संघारन मंदिन से अस्पताल चौराहा तक नाला सफाई का कार्य। प्रथम एवं अंतिम बिल एम0बी0– 131/39 ठेकेदार– मे0 सरताज ट्रेडर्स	2,72,767
5	68/30–7–16	पप्पू बटन वाले मकान से छोटी तकिया व अप्रेरोन चौराहा होते हुए कब्रिस्तान के पास तक नाला सैफाई कार्य। प्रथम एवं अंतिम बिल एम0बी0 नं0– 129/40 ठेकेदार– मे0 सरताज ट्रेडर्स	2,53,966
6	71/30–7–16	नानपारा बस स्टैण्ड पर स्थित किंगडम हेयर कटिंग सैलून से अज्जन के मकान तक बडे नाले की सफाई का कार्य। एम0बी0 नं0– 129/50 ठेकेदार – अर्चित कन्स्ट्रक्शन	2,76,757
7	72/30–7–16	छावनी से दरगाह मार्ग पर पुलिया से तोताराम के मकान तक और इण्टरलाकिंग फैक्ट्री के बगल से सलारगंज होते हुए ईदगाह पुलिया तक नाला सफाई कार्य। एम0बी0 नं0– 142/45 ठेकेदार– गुलफाम कन्स्ट्रक्शन	2,01,210
8	73/30–7–16	मो0 कानूनगोपुरा द0 और महोलीपुरा में अस्पताल से छोटी बाजार रोड पवर पुलिया से महाराज सिंह स्कूल के पीछे तक मेनरोड पर लिया तक नाला सफाई कार्य। एम0बी0 नं0– 131/41 ठेकेदार– मे0. गुलफाम कन्स्ट्रक्शन	1,71,649
9	74/30–7–16	कृषि फार्म रोड पर डी0एम0 कालोनी पुलिया से के0डी0सी0 के पास पुलिया तक नाला सफाई कार्य। एम0बी0 नं0– 131/35 ठेकेदार– गुलफाम कन्स्ट्रक्शन	1,18,941
10	76/30–7–16	अस्पताल चौराहा से स्टेडियम होते हुए मेन रोड पर बने पुलिया तक नाला सफाई कार्य। एम0बी0नं0– 142/49 ठेकेदार– रिजवान अहमद	2,70,994
11	80/30–7–16	मो0 चांदपुरा में हाजी जलील हाता से अकील अहमद की दुकान तक नाले की सफाई का कार्य। एम0बी0 नं0– 129/47, ठेकेदार– मे0 एस0 के कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	57,811
12	25/04–8–16	मो0 कानूनगोपुरा द0 में मैकके मकान से पुलिया तक नाला सफाई कार्य। एम0बी0– नं0– 100/153 ठेकेदार– मे0 गुलफाम कन्स्ट्रक्शन	49,134
13	28/04–8–16	इशहाक दूध वाले से नगर पालिका के पीछे जिला जज आवास होते हुए एहतिशाम वली खां पूर्व विधायक के घर के पीछे नाला तक सफाई का कार्य । एम0बी0नं0– 100/148 ठेकेदार– एम0के0 कन्स्ट्रक्शन	4,60,409
14	29/04–8–16	मो0 नाजिरपुरा पूर्वी में गुलफाम कसाई के मकान से बाईपास होतेहुए श्रीमती जाहिदा खातून पूर्व अध्यक्ष जी0के0के पीछे का नाला सफाई का कार्य। एम0बी0 नं0– 100/156 ठेकेदार– हुसैन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	1,16,312
15	120/27–1–17	मो0 टपालीपुरवा में मुर्गी फार्म के पास से पुलिया तक नाला सफाई का कार्य । एम0बी0 नं0– 116/197 ठेकेदार – मे0 अर्चित कन्स्ट्रक्शन	9,07,209
16	178/27–1–17	मो0 टपालीपुरवा में होमगार्ड आफिस के पीछे से नुरूद्दीन के पास तक नाला सफाई का कार्य। एम0बी0 नं0– 116/194 ठेकेदार– पैराडाइज कन्स्ट्रक्शन सप्लायर्स	2,49,999
17	77/08–2–17	मो0 दरगाह शरीफ में जंजीरी गेट के पास मुन्ने के मकान होते हुए ईदगाह के पीछे बने पुलिया तक नाला सफाई कार्य। एम0बी0 नं0– 76/193 ठेकेदार– मे0 सरताज ट्रेडर्स	1,65,171
	योग–		37,67,119

—4

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

उपर्युक्त दर्शाये गये नालों की सफाई निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था, कराये गये सफाई कार्य के संबंध में सफाई अनुभाग द्वारा की जाने वाले नाले की सफाई से संबंधित सूची तथा नालों के सफाई के पश्चात् सफाई निरीक्षक थी निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराया जाय जिससे कराये गये नाले की सफाई का सत्यापन किया जा सके ।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि पालिका में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 200 ठेका सफाई कर्मचारियों की आपूर्ति सेवा प्रदाता के माध्यम से की गयी है । इन्हीं ठेका सफाई कर्मचारियों का नाला गैंक बनाकर के नाला की सफाई करा ली जाती है लेकिन फिर भी निर्माण विभाग द्वारा बिना सफाई निरीक्षक के रिपोर्ट के ही कल्पित रूप से नालों की सफाई का एस्टीमेट तैयार कर कार्य दर्शाकर भुगतान प्राप्त कर लिया जा रहा है । नालों के सफाई के संबंध में सफाई अनुभाग के सफाई निरीक्षक द्वारा किन-किन नालों की सफाई करानी है से संबंधित आवश्यकता की सूची एवं बोर्ड का प्रस्ताव तथा नालों के सफाई के पश्चात् सफाई निरीक्षक द्वारा कार्य सम्पूर्ति प्रमाण पत्र, आगामी सम्परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया जाय अन्यथा स्थिति में निर्माण विभाग द्वारा कराये गये नालों के सफाई का भुगतान रू0- 37,67,119/- अनियमित एवं अमान्य मानते हुए कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय,उपर्युक्त के सम्बन्ध में अधियाचन संख्या-77/18-8-17 दिये जाने के उपरान्त पालिका कोई उत्तर नही दिया गया ।

(घ) जी0आई0एस0 सर्वे के सापेक्ष फर्म प्रोविजो इनटेक प्राइवेट लि0 लखनऊ को किया गया भुगतान रू0 1,50,000/- अनियमित -

शासनादेश संख्या- 4014/नौ-5'2012-113 सा/06 टी0सी0नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक- 08-11-2012 द्वारा दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में जी0आई0एस0 सर्वे का कार्य कराने हेतु समाचार पत्र आज दिनांक- 11-8-2016 तथा अपना अखबार दि0- 12-8-2016 को अल्पकालिक निविदा सूचना प्रकाशित की गयी थी । निम्नलिखित निविदाताओं द्वारा उक्त कार्य करने हेतु निविदा डाली गयी थी-

(1) ग्लोबल जी0आई0एस0 सोल्यूशन लखनऊ	रू0- 12,20,000/-
(2) प्रोविजो इनटेक प्रा0लि0 अलीगंज लखनऊ	रू0- 11,90,000/-
(3) एफ0ए0 जी ओ काड सिस्टम प्रा0लि0 नोयडा	रू0-13,30,000/-

न्यूनतम निविदादाता प्रोविजो इनटेक प्रा0लि0 लखनऊ का रू0- 11,90,000/- होने के कारण पालिका पत्रांक- 560/जी0आई0एस0 सर्वे /2016 दिनांक- 20 अगस्त 2016 द्वारा कार्यादेश दिया गया था।

कार्यादेश एवं निविदा सूचना में पालिका की भौगोलिक स्थिति, मोहल्ला, वार्डो का नाम, जनसंख्या, मकानों की संख्या आदि अंकित नहीं था। इस प्रकार चयनित फर्म को किन-किन मोहल्लों का सर्वे किया जाना था, कार्यादेश में अंकित न होने के कारण सर्वे के कार्य में त्रुटि होने की शत् प्रतिशत सम्भावना थी। सर्वे करने वाले एजेन्सी को मोहल्लावार भवनों की सूची उपलब्ध कराकर सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए था ।

फर्म द्वारा किये गये आंशिक सर्वे के सापेक्ष प्रस्तुत प्रथम बिल इनवाइस संख्या- 410 दिनांक- 4-3-2017 को रू0- 3,00,000/- का बिल प्रस्तुत किया गया था। जिसके सापेक्ष वाउचर संख्या- 308 दिनांक- 31-3-2017 को रू0 1,50,000/- जिसमें से व्यापार कर रू0 7,500/-, आयकर रू0-3,399/- के कटौती के पश्चात् रू0 1,39,101/- का भुगतान किया गया था ।

--5

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

फर्म द्वारा आंशिक मोहल्लों का किया गया जी0आई0एस0 सर्वे का कार्य के सत्यापन हेतु पालिका के संबंधित मोहल्लों के निरीक्षकों को पत्रांक- 1024/जी0आईएस0 डाटा/2017 दिनांक- 15 अप्रैल, 2017 को अधिशाषी अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया था लेकिन पत्रावली के जांच से प्रकाश में आया कि सत्यापन कार्य किये जाने के आदेश के पूर्व ही निम्नलिखित निरीक्षकों द्वारा सत्यापन रिर्पोट प्रस्तुत कर दी गयी थी -

क्रमांक	निरीक्षक का नाम	मोहल्ले का नाम	सत्यापन तिथि
1	राजेन्द्र प्रसाद यादव	बशीरगंज	28-3-2017
2	नूरूल हसन	बीला	अंकित नही
3	अली हुसैन	बख्शीपुरा	28-3-2017
4	सगीर अहमद	म्सूरगंज	27-3-2017

जब सत्यापन हेतु संबंधित निरीक्षकों को आदेश दिनांक- 15-4-17 को दिया गया था, परन्तु उपर्युक्त निरीक्षकों द्वारा उक्त तिथि से पूर्व ही फर्म द्वारा जी0आई0एस00 सर्वे का सत्यापन कर लिया गया था जो काल्पनिक था। काल्पनिक सत्यापन के आधार पर उपर्युक्त विवरणानुसार संबंधित फर्म को रू0- 3,00,000/- के बिल के सापेक्ष रू0- 1,50,000/- का किया गया भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उपर्युक्त बिल में फर्म द्वारा किये गये मोहल्लों का जी0आई0एस0 सर्वे की हार्ड कापी आगामी सम्परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय जिससे किये गये भुगतान का सत्यापन किया जा सके तथ उपर्युक्त कर निरीक्षकों द्वारा जी0आई0 एस0 सर्वे का किया गया सत्यापन रिर्पोट आगामी सम्परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

(ड) जलमूल्य की वसूली संशोधित दर से न किये जाने के कारण पालिका को लगभग रू0- 53,17,920/- की वार्षिक आवर्ती क्षति-

नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा गत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार पालिका द्वारा कुल 14772 वर्ष 2015-16 के अनुसार जल संयोजन किये गये थे। शासनादेश नगर विकास अनुभाग-2 राजाज्ञा संख्या- 1810/नौ-2-9657(2)/96 दिनांक- 08 फरवरी, 1997 द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में न्यूनतम रू0 50/-प्रति कनेक्शन प्रतिमाह वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के संबंध में ही नगर विकास अनुभाग-9 के अर्धशासकीय पत्र संख्या- 340/नौ-9-90 दिनांक- 11-1-1999 द्वारा नगर पालिका परिषदों को प्रति जल संयोजन रू0- 50/- प्रतिमाह आरोपण के निर्देश दिये गये थे लेकिन पालिका द्वारा शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। आलोच्य अवधि में पालिका द्वारा प्रति जल संयोजन रू0 20/- प्रतिमाह की दर से वसूली की जा रही थी जबकि पालिका द्वारा जल के आपूर्ति में पालिका निधि से भारी मात्रा में धन व्यय किया जा रहा है। जलापूर्ति के परिप्रेक्ष्य में किये जा रहे व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु शासन द्वारा बार-बार सचेत किया जाता रहा है लेकिन पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उक्त के संबंध में उदासीनता बरती जा रही है।

पालिका के जलमूल्य लिपिक श्री अर्पित श्रीवास्तव द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार कुल 14772 जल संयोजन पालिका द्वारा किया गया था। इस प्रकार प्रति कनेक्शन 50-20 = 30/- प्रतिमाह की दर से निरन्तर क्षति पहुचाई जा रही है जिसके कारण प्रतिवर्ष 14772 X 30 X 12 = 53,17,920 /- की आवर्ती रूप से क्षति पहुचाई जा रही है । शासनादेशानुसार वसूली किये जाने हेतु पालिका के अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ।

----6

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

(च) पालिका द्वारा स्वमूल्यांकन प्रणाली द्वारा गृहकर व जलकर का आरोपण न कराये जाने से रू0 8,86,16,170/- की अनुमानित आर्थिक क्षति -

स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने के उद्देश्य से उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या- 135/नौ-9-11-190 दि0रा0वि0आ0/04 दिनांक- 08 मार्च, 2011 द्वारा नगर पालिका परिषदों में सम्पत्ति कर अनिवार्य करों की श्रेणी में वर्गीकरण एवं गृहकर हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था के लिए नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा- 128, 140, 141 (क) में परिवर्तित करते हुए उक्त शासनादेशानुसार पालिका द्वारा उप विधि बनाकर गजट में नोटिफिकेशन कराकर गृहकर की वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। उक्त शासनादेश का पालन न किये जाने से आलोच्य अवधि में कर निर्धारण अधिकारी नगर पालिका परिषद बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार पालिका सीमान्तर्गत कुल 27300 भवन कर निर्धारण सूची में सूचीबद्ध थी, जिसमें 7095 भवन कर निर्धारण परिधि से बाहर थे। शेष 27300-7095=20205 भवन कराच्छादित थे। उक्त भवनों पर गृहकर व जलकर की वसूली कर निर्धारण निश्चय सूची 2004-05 के अनुसार वार्षिक मूल्य पर 7 प्रतिशत की दर से वसूल किया जा रहा है।

यदि कराच्छादित भवनों से औसत 4 कमरों का किराया प्रति कमरा किराया की दर रू0- 500/- की दर से माना जाय तो कुल किराया 500X4X12 = 24000 /- वार्षिक मूल्य (ए आर वी) होता है। वार्षिक मूल्य के 10 प्रतिशत रू0- 2400/- गृहकर प्रतिवर्ष औसतन निर्धारित होगा। उक्त औसत गृहकर रू0 2400/- के बराबर ही जलकर रू0- 2400/- आरोपित होगा।

उक्त औसत गृहकर व जलकर के निर्धारण करने पर पालिका सीमान्तर्गत कराच्छादित भवन 20205 X 2400= 4,84,92,000/- का गृहकर औसतन निर्धारित होगा। इसी प्रकार इतनी ही धनराशि रू0- 4,84,92,000/- जलकर का भी आरोपण होगा। इस प्रकार कर अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार गृहकर एवं जलकर का मांग क्रमशः 43,17,895/- व रू0- 40,49,935/- था। इस प्रकार अनुमानित गृहकर रू0- 4,84,92,000-43,17,895= 4,41,74,105/- तथा जलकर 4,84,92,000 - 40,49,935= 4,44,42,065/- कुल गृहकर व जलकर क्रमशः धनराशि रू0- 44174105 + 44442065 = 8,86,16,170/- की आवर्ती क्षति पालिका को प्रतिवर्ष हो रही है।

उपर्युक्त आंकडा अनुमान के आधार पर तैयार किया गया है जो वास्तविक रूप से तैयार किये जाने पर कम या अधिक हो सकता है। यदि पालिका द्वारा पालिका सीमान्तर्गत कराच्छादित भवनो पर स्वकर मूल्यांकन प्रणाली द्वारा वास्तविक रुप से गृहकर व जलकर का आगणन कराया जाय तो उपर्युक्त रीति से तैयार किया गया अनुमानित गृहकर व जलकर में विचलन हो सकता है।

यदि वर्तमान समय में पालिका द्वारा जिलाधिकारी बहराइच द्वारा निर्धारित सर्किल रेट व आधार पर भूमि का मूल्य तथा भूमि पर निर्मित भवन के निर्माण लागत के योग का 5 प्रतिशत वार्षिक मूल निर्धारित कर 10 प्रतिशत गृहकर तथा 10 प्रतिशत जलकर निर्धारित किया जाय तो पालिका सीमान्तर्ग भवनों का गृहकर तथा जलकर को उपर्युक्त आधार पर तैयार किया गया अनुमानित आंकडा के सापे गृहकर तथा जलकर का निर्धारण अधिक हो सकता है जिससे पालिका के आय में अधिक से अधिक वृ हो सकती है। तथा पालिकायें स्वावलम्बी हो सकती है अन्यथा की स्थिति में पालिकाओं के घाटे की स्थि बनी रहेगी। अधिक से अधिक आय के दोहन हेतु पालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों का ध्यान विशेष से आकृष्ट किया जाता है।

ecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

(छ) पालिका के विभिन्न बैंक खातों से प्राप्त ब्याज की धनराशि रू0-- 24,57,106/-- को राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराने के सम्बन्ध में --

नगर पालिका के निम्नलिखित बैंक खातों के बैंक स्टेटमेन्ट के अवलोकलन से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित बैंकों के सम्मुख अंकित स्थिति के अनुसार ब्याज प्राप्त हुआ था --

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता संख्या	ब्याज प्राप्ति की तिथि	प्राप्त ब्याज की धनराशि
1	पी0एन0बी0 नोडल खाता (14 वां वित्त आयोग)	0072000106097563	05-6-16	106439=00
			3-9-16	229763=00
			3-12-16	217575=00
			3-3-17	364595=00
			योग --	918392=00
2	एस0बी0आई0 बहराइच (रा0वि0आ0)	34870493285	25-6-17	499269=00
			25-9-16	305802=00
			25-12-16	294135=00
			25-3-17	226860=00
			योग --	1326066=00
3	पी0एन0बी0 बहराइच खाता (अमृत मिशन योजना)	02940011000000599	5-6-16	907=00
			30-6-16	16148=00
			3-9-16	1080=00
			19-9-16	1564=00
			30-9-16	36296=00
			30-9-16	144=00
			30-9-16	1331=00
			2-12-16	19200=00
			2-12-16	2527=00
			2-12-16	317=00
			2-12-16	73=00
			3-12-16	1429=00
			3-3-17	27350=00
			योग --	110453=00
4	पी0एन0बी0 बहराइच खाता (स्वच्छ भारत मिशन योजना)	4483000100035516	5-3-16	13455=00
			5-6-16	15819=00
			3-9-16	23062=00
			3-12-16	22991=00
			3-3-17	12093=00
			योग --	87360=00
5	इण्डियन बैंक बहराइच	822350701	30-4-16	908=00
			31-7-16	938=00
			31-10-16	947=00
			31-1-17	937=00
			योग --	3730=00
6	सेन्ट्रल बैंक बहराइच	3226345450	31-5-16	225=00
			31-8-16	115=00
			30-11-16	115=00
			28-2-17	115=00
			योग --	570=00
7	बैंक आफ महाराष्ट्र बहराइच	60029121743	31-6-16	2587=00
			30-9-16	2642=00
			31-12-16	2669=00
			31-3-17	2637=00
			योग --	10535=00
			कुल योग--	24,57,106=00

---8

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

वित्त अनुभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या– ए0/1–122/दस–2012 –10(33)/2010 दिनांक– 21–3–2012 द्वारा यह व्यवस्था उपबंधित की गयी कि शासन द्वारा किसी योजना हेतु स्वीकृति अनुदान की धनराशि पर यदि ब्याज अर्जित होता है तो यह ब्याज की धनराशि निकाय की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और उसे राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना होगा –

0217 शहरी विकास
60 अन्य शहरी विकास योजना
800 अन्य प्राप्तियां
01 प्रकीर्ण प्राप्तियां

उपर्युक्त प्राप्त ब्याज की धनराशि रू0–24,57,106/– को उपर्युक्त लेखा शीर्षक में जमा कराकर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय ।

4– राजस्व की हानि –

(क) प्राइवेट वाहन अड्डों की नीलामी न किये जाने से पालिका परिषद को प्रतिवर्ष लगभग रू0–1·0 करोड की आर्थिक हानि–

पालिका सीमान्तर्गत बहराइच से निम्नलिखित मांगों पर प्राइवेट वाहन अड्डा स्थापित है जहां से वाहन स्थलों हेतु सवारिया चढ़ाते व उतारते हैं । परन्तु इन वाहन अड्डों की न तो नीलामी की जाती है और न ही पालिका परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों से वाहन शुल्क ही वसूल कराया जाता है, जिसके कारण पालिका परिषद को वर्षानुवर्ष लगभग **रू0 1·0 करोड** की आर्थिक हानि पहुचायी जा रही है–

(1) बहराइच से गोण्डा मार्ग हेतु ।
(2) बहराइच से बलरामपुर मार्ग हेतु ।
(3) बहराइच से जरवल /लखनऊ रोड।
(4) बहराइच से महसी रोड ।
(5) बहराइच से हुजूरपुर ।
(6) बहराइच से रिसिया ।
(7) बहराइच से नानपारा प्राइवेट बस।
(8) बहराइच से भिनगा प्राइवेट बस।
(9) बहराइच से टेम्पो अड्डा (शहर के विभिन्न मार्गो हेतु) ।
(10) बहराइच से मल्हीपुर।

गत विगत वर्षो में भी उक्त से संबंधित आपत्तियां की गयी परंतु उक्त के सम्बन्ध में पालिका परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही जिसके कारण पालिका परिषद आय के मुख्य स्रोतों से वंचित रह जा रही है। अतएव पालिका के आर्थिक हितों के परिप्रेक्ष्य में वाहन अड्डों की नीलामी की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(ख) वाहन तथा हैण्ड पम्प मरम्मत एवं वाहन पुर्जो की आपूर्ति तथा चूना आपूर्ति कर्ता फर्मो से बिकी कर की कटौती न किये जाने से रू0–2,34,569/– के राजस्व की क्षति :–

रोकडबही एवं भुगतान रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि संलग्नक – "8" पर अंकित फर्मो द्वारा पालिका वाहनों की मरम्मत, वाहन पुर्जो की आपूर्ति, एवं हैण्ड पम्प मरम्मत तथा चूने की आपूर्ति आलोच्य अवधि 2016–17 में दर्शायी गयी स्थिति के अनुसार मरम्मत तथा आपूर्ति की गयी सामग्री का भुगतान किया गया था। संलग्नक में दर्शायी गयी स्थिति के अनुसार विभिन्न फर्मो को पालिका द्वारा कुल रू0– 58,64,273/– का भुगतान किया गया था जिसपर आयकर की कटौती की —9

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

गयी थी, लेकिन व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी थी, तथा फर्मों को किया गया भुगतान का विवरण भी बिकीकर विभाग बहराइच को नहीं भेजा गया था। ऐसी स्थिति में कर अपवंचन की सम्भावना प्रबल थी। संलग्नक में दर्शाये गये विवरण के अनुसार, समस्त फर्मों को 2016-17 में किये गये भुगतान के सापेक्ष 4 प्रतिशत व्यापार कर की कटौती रू0 2,34,569/- करके, बिकीकर विभाग को सूचनार्थ प्रेषित किया जाय तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए।

संलग्नक में दर्शायी गयी विवरण के अनुसार निम्नांकित फर्मों को वर्ष 2016-17 में किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत् है —

क्रमांक	फर्म का नाम व पता	वर्ष में कुल भुगतानित धनराशि	देय बिकीकर की धनराशि
1	सिटिजन रिपेयरिंग वर्क्स मो0 चांदपुरा नानपारा रोड बहराइच	24,75,512	97,019
2	सजरा रिपेयरिंग वर्क्स मो0 काजीपुरा दक्षिणी बहराइच	4,50,665	18,370
3	इण्डिया ट्रैक्टर वर्कशाप निकट बाबा बुदनशाह स्टेशन रोड बहराइच	20,34,276	81,370
4	नौशाद अली जल निगम ठेकेदार गढ़दीपुरवा (बेगमपुर) चित्तौरा बहराइच	4,97,020	19,913
5	बहराइच लाइन स्टोर चौक बहराइच	4,56,000	18,240
	योग —	58,64,273	2,34,569

(ग)नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित ट्रांसफार्मर से किराया वसूल न किये जाने से लगभग रू0-1,06,50,000/- की आर्थिक क्षति-

गत विगत वर्षों के सम्परीक्षा आख्या के पुर्नविलोकन से स्पष्ट हुआ कि पालिका द्वारा पालिका सीमान्तर्गत अवस्थित विद्युत ट्रांसफार्मरों का किराया बिजली विभाग से वसूल नहीं किया जा रहा है जबकि उक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा द्वारा निरन्तर आपत्ति की जाती रही है फिर भी पालिका के अधिशासी अधिकारी किराये के वसूली के सम्बन्ध में उदासीन थे जबकि उक्त के संबंध में नगर विकास अनुभाग-9 उ0प्र0 शासन लखनउ के शासनादेश संख्या- 406/नौ-9-1997-95 जनरल/1996 दिनांक- 10 फरवरी, 1997 द्वारा स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने हेतु सुझाव व निर्देश दिये गये थे, परन्तु नगर पालिका के उदासीनता के कारण लाभदायक कार्यवाही नहीं की गयी, नगर विकास अनुभाग-9 उ0 प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या- 2285/नौ-9-2005-150 द्वि0रा0वि0आ0/04 दिनांक- 29 जून,2005 द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुति संख्या- 160 के अनुपालन सुनिश्चित करने तथा नगर विकास अनुभाग-9 उ0प्र0 शासन लखनउ के शासनादेश संख्या- 2282/नौ-9-2005-133 द्वि0रा0वि0आ0/04 दिनांक- 13 जुलाई, 2005 द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये थें कि विद्युत ट्रांसफार्मर, विद्युत उपकेन्द्रों एवं अन्य निर्माण स्थलों के लिए अधिष्ठापित भूमि पर कर वसूलने के निर्देश का कोई अनुपालन नहीं किया जा रहा था। पुनः नगर विकास अनुभाग-9 उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या- 3365/नौ-9-2006-150 द्वि0रा0वि0आ0/04 दिनांक- 23 अगस्त, 2006 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि स्थानीय निकायों की भूमि पर स्थापित ट्रांसफार्मर व विद्युत उपकेन्द्रों पर बाजार दर से किराये का निर्धारण करते हुए वसूली की जाय। उक्त के सन्दर्भ में निदेशक स्थानीय निकाय लखनउ के पत्रांक-8/280/द्वि0रा0वि0आ0/संस्तुति संख्या-160/2006-07 दिनांक- 05 फरवरी, 2007 द्वारा उक्त का अनुपालन करने हेतु कडे निर्देश दिये गये थें। पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी के पद पर समय-समय पर तैनात रहे अधिशाषी अधिकारियों द्वारा बरती गयी उदासीनता के कारण इसका कोई क्रियान्वयन वर्तमान स्थिति तक नहीं किया गया। वर्तमान सम्परीक्षा में एतद्विषयक पत्रावली की मांग किये जाने पर अवर अभियन्ता (प्रकाश) द्वारा एक पत्रावली उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार

——10

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

दिनांक– 7–3–2003 को 53 ट्रांसफार्मर फाउण्डेशन पर तथा 36 ट्रांसफार्मर पोल पर लगे होने की सूची संलग्न थी। फाउण्डेशन पर अधिष्ठापित ट्रांसफार्मर का किराया रू0– 10,000/– प्रति फाउण्डेशन रू0 10,000 x 53 = 5,30,000/– तथा पोल पर रखें ट्रांसफार्मर का किराया रू0– 5000 x 36 =1,80,000/– कुल रू0– 7,10,000/–प्रतिवर्ष किराया तैयार किया गया था। परन्तु इसके वसूली के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। अतएव उक्त दी गयी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2002–03 आधार वर्ष मान लिया जाय तो निम्नानुसार पालिका परिषद को आर्थिक हानि हो रही थी–

2002–03 से वर्ष 2016–17 तक कुल 15 वर्ष का किराया रू0– 7,10,000 x 15 = 1,06,50,000/– का आर्थिक हानि हो रही थी । अतएव शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किराये की वसूली करायी जाय अन्यथा स्थिति में नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–81 के अनुसार अधिभार की कार्यवाही स्थापित करने हेतु सम्परीक्षा की बाध्यता होगी ।

वर्तमान स्थिति में नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित ट्रांसफार्मरों के स्थल का क्षेत्रफल सहित विवरण उपलब्ध कराया जाय तथा वर्तमान बाजार दर के अनुसार वसूली सुनिश्चित करायी जाय ।

5– विकास, शिक्षा या अन्य विशेष प्रयोजनों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति और उपयोगिताः–

कोई नहीं ।

6– बजट एवं वित्तीय स्रोतों का प्रबन्धनः–

सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2016–17 का बजट पालिका परिषद के बैठक दिनांक– 7–5–2016 को प्रस्ताव संख्या– 01 द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया जिसके अनुसार अनुमानित प्राप्तियां रू0– 8812.28 लाख थी तथा अनुमानित व्यय रू0– 8642.71 लाख थी। उक्त अनुमानित प्राप्तियों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियां व व्यय क्रमशः रू0– 32,56,99,862/– व रू0– 31,33,97,500/– थी।

टिप्पणी–

वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित आय–व्यय के सापेक्ष पालिका द्वारा वास्तविक आय–व्यय का प्रतिशत बहुत कम था। इस प्रकार परिलक्षित होता है कि पालिका द्वारा कर–करेत्तर की वसूली हेतु पालिका के कर्मचारी/अधिकारी उदासीन थे और पालिका के आय में वृद्वि हेतु भी पालिका के अधिकारियों द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया था।

7– चल और अचल सम्पत्तियों का स्टाक लेखा और उनका प्रबन्धन एवं उपयोगिता –

चल और अचल सम्पत्तियों का स्टाक लेखा उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही निष्प्रयोज्य सामग्रियों की भण्डार पंजी ही बनायी गयी थी। अतएव नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम–78 के अनुसार स्टाक लेखा तैयार किया जाय ।

8– मूल्यवान उपकरणों की उपयोगिता–

पलिका परिषद के सफाई, जलकल, प्रकाश विभागों के मूल्यवान उपकरणों की पंजी उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही 31 मार्च, 2017 को इनका भौतिक सत्यापन आख्या ही उपलब्ध कराया गया । इससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी । इसे तैयार कर आगामी सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय ।

——11

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

		पम्प अटेण्डेन्ट	1900
	भूपेन्द्र बहादुर सिंह	पम्प अटेण्डेन्ट	1900
	वकील अहमद	पम्प अटेण्डेन्ट	1900
9	धुवराज सिंह	पम्प अटेण्डेन्ट	1900
10	मो० सलीम	पम्प अटेण्डेन्ट	1900
11	देवव्रत चतुर्वेदी	पम्प अटेण्डेन्ट	1900
12	नौरंग खा	पाईप लाइन फीटर	1800
13	साबिर अली	बेलदार	1800
14	अब्दुल हसीब	बेलदार	1800
15	शरीफ अहमद	बेलदार	1800
16	राम खेलावन	बेलदार	1800
17	लल्लन	बेलदार	1900
18	कलीमुद्दीन	चौकीदार	1800
19	ध्रुवचन्द पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक	2000
20	फखरूद्दीन	कर समाहर्ता	1800
21	मो० अब्बास	कर समाहर्ता	1800
22	जनेद अजीज	कर समाहर्ता	1800
23	शाहजाद खां	कर समाहर्ता	1800
24	अनिल कुमार श्रीवास्तव	कर समाहर्ता	1800
25	अली हुसैन	कर समाहर्ता	1800
26	विनोद कुमार त्रिपाठी	कर समाहर्ता	1800
27	महेशधर शुक्ला	कर समाहर्ता	1800
28	दिनेश चन्द वर्मा	कर समाहर्ता	1800
29	अहमद हुसैन	कर समाहर्ता	1800
30	कृष्ण प्रताप सिंह	कर समाहर्ता	1800
31	ओम प्रकाश	बेलदार	1800
32	ललित राम	बेलदार	1800
33	सुरेन्द नाथ	पैरोकार	1800
34	राम नरेश	दफ्तरी	1800
35	अफजल खां	सीढ़ीमैन	1800
36	फैयाज बेग	सीढ़ीमैन	1800
37	इरफान बेग	सीढ़ीमैन	1800
38	लक्ष्मण शुक्ला	कनिष्ठ सहायक	2000

उपर्युक्त कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में 29 जून, 1991 से पूर्व दैनिक /वर्क चार्ज के रूप में कार्य किये जाने का कोई प्रमाण संलग्न नहीं था। ऐसी स्थिति में शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में विनियमित किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है।

उपर्युक्त कर्मचारियों से संबंधित 29 जून, 1991 के पूर्व दैनिक /वर्क चार्ज पर नियुक्त किये जाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र तथा उक्त अवधि के पूर्व कार्य पर उपस्थित होने का उपस्थित पंजिका सम्परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय जिससे उपर्युक्त कर्मचारियों का उक्त अवधि के पूर्व कार्य का सत्यापन किया जा सके।

उपर्युक्त कमांक (1)एवं (2) के अतिरिक्त सभी कर्मचारियों को 13 मई, 2011 को विनियमित मानते हुए वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया गया था ।

(ग) पालिका परिषद में संचालित वाहनों का रजिस्ट्रेशन व बीमाकृत न कराये जाने से पालिका परिषद को भारी क्षति की सम्भावना--

सम्परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ, कि पालिका परिषद में सफाई व प्रकाश व्यवस्था हेतु निम्नांकित वाहन संचालित थे इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग से न होने के कारण एवं बीमा न कराये जाने के कारण भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर तथा चोरी होने पर तथा चोरी होने पर इनकी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगता है, और इस स्थिति के कारण पालिका परिषद को भारी क्षति होने की सम्भावनां से इंकार नहीं किया जा सकता । वास्तविकता यह थी, जब ये वाहन कय किये गये थे, तो तत्समय ही इनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए एवं बीमाकृत करा लिया जाना चाहिए.

----13

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

9-अन्य महत्वपूर्ण अनियमितताएं :-

(क) संगठित विकास योजना की अवशेष धनराशि पर ब्याज की धनराशि रू0- 2,99,189/- संबंधित विभाग को वापस किये जाने के सम्बन्ध में -

संगठित विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में केन्द्र पुरोनिधानित छोटे तथा मध्यम आकार की संगठित विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या- भ0स0 196(1)/9-आ-1-04-33 आई0डी0एस0एम0.टी0/2004 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 27-12-2004 को केन्द्रांश रू0- 10,00,000/- व राज्यांश रू0- 6,67,000/- कुल रू0- 16,67,000/- विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु अवमुक्त की गयी थी जिसके सापेक्ष रू0 13,60,000/- का उपभोग किया गया था। अवशेष धनराशि रू0- 3,07,000/- को इलाहाबाद बैंक डिगिहा बहराइच सावधि जमा रसीद संख्या- 022232 द्वारा विनियोजित किया गया था उक्त विनियोजित धनराशि के सापेक्ष दिनांक 10-4-2017 को ब्याज सहित रू0-6,06,189/- प्राप्त थी जिसमें ब्याज की धनराशि रू0 2,99,189/- सम्मिलित थी। ब्याज की धनराशि को छोड़कर मूल अवशेष धनराशि रू0- 3,07,000/- को कोषागार के निर्धारित लेखा शीर्षक में चालान संख्या- 30001 दिनांक 17-4-2017 को संबंधित विभाग को वापस किया गया था लेकिन पालिका द्वारा ब्याज की धनराशि को संबंधित विभाग को वापस नहीं किया गया जो अनियमित एवं शासनादेशों के विरुद्ध था। उक्त ब्याज की धनराशि रू0- 2,99,189/- इलाहाबाद बैंक डिगिहा खाता संख्या- 50383834200 में जमा थी। उक्त धनराशि को संबंधित विभाग को चालान के माध्यम से वापस कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय ।

(ख) 29 जून, 1991 से पूर्व दैनिक वेतन पर कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित अभिलेख वांछित :-

शासनादेश संख्या- 307/9-1-2011-133 सा/2008 नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 13 मई, 2011 द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों /जल संस्थाओं में 29 जून, 1991 से पूर्व दैनिक वेतन पर कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विनियमितिकरण हेतु अधिसंख्य पदों का सृजन नगर पालिका परिषद बहराइच में निम्न पद सृजित किये गये थे-

क्रमांक	पद का नाम	सृजित पद
1	अवर अभियन्ता	02
2	लिपिक	02
3	कर समाहर्ता	10
4	दफ्तरी	01
5	वाद पैरोकार	01
6	पम्प अटेण्डेन्ट	16
7	पाइप लाईन फीटर	01
8	चौकीदार	01
9	बेलदार	07
10	रोड़ी मैन	03
	योग--	44

उपर्युक्त सृजित अधिसंख्य पदों केसापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	ग्रेड पे
1	श्री नरेश कुमार	जे0ई0	4200
2	राशिद सईद	जे0ई0	4200
3	मो0 रफीक अहमद	पम्प अटेण्डेन्ट	1900
4	धर्मेन्द्र पाण्डेय	पम्प अटेण्डेन्ट	1900
5	दिनेश प्रताप सिंह	पम्प अटेण्डेन्ट	1900
6	परमहंश गुप्ता	पम्प अटेण्डेन्ट	1900

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना आदि होने पर वाहनों की सुरक्षा एवं आर्थिक हानि से बचा जा सके। अतएव इस संबंध में यथेष्ठ कार्यवाही हेतु पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है । इन वाहनो का रजिस्ट्रेशन व बीमा कराकर अभिलेखीय साक्ष्य आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ।

क्रमॉक	वाहनों का नाम
1	जी0ओ0नं—1
2	विकम नं0—1
3	विकम नं0—4
4	विकम नं0—2
5	टैफे न0—1
6	टैफे न0—2
7	टाटा 407
8	एच0एम0टी0 1
9	पावर टैफे
10	टाटा हाइड्रोलिक लोडर मशीन (मार्ग प्रकाश)
11	विकम नं0—5
12	टाटा ए0सी0ए0
13	ट्रैक्टर महिन्द्रा शान
14	जी0ओ0—2
15	नयी लोडर मशीन
16	हैक
17	टैफे नं0 3.
18	टाटा 407 पुरानी
19	विकम नं—6
20	विकम नं0—3
21	नयी लोडर 710
22	ट्रैक्टर एच0एम0टी—2
23	ट्रैक्टर स्कार्ट पावर
24	एच.एम.टी. —2

(घ) डायमण्ड थियेटर से रू0— 86,320/— शो टैक्स /प्रदर्शन कर वसूल न किये जाने से पालिका को क्षति—

सम्परीक्षा में शो टैक्स के मांग समाहरण पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विगत 15 जनवरी, 2010 से उक्त थियेटर बन्द चला आ रहा है लेकिन थियेटर के चालू अवधि का शो टैक्स रू0— 86,320/— विगत 8 वर्षो से बकाया चला आ रहा है, लेकिन पालिका के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उक्त बकाया की धनराशि की वसूली हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया था, जिससे पालिका को आर्थिक क्षति हो रही थी । उक्त धनराशि की वसूली हेतु आर0सी0 जारी कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय ।

(ड) नगर पालिका परिषद द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर कोई कार्य न किया जाना —

13 वे, 14 वे वित्त आयोग की धनराशि के अन्तर्गत 2 प्रतिशत की धनराशि ई—गवर्नेंस व्यवस्था पर व्यय करने हेतु निर्देश दिये गये थे परन्तु गत विगत सम्परीक्षा एवं वर्तमान सम्परीक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर कोई कार्य नहीं किया गया था जबकि नगर विकास अनुभाग— 7, उ0प्र0 लखनऊ के शासनादेश संख्या— 3699/नौ—7—2—2002—52 के/2000 दिनांक— 05 अक्टूबर, 2002 द्वारा जलकल व जलमूल्य के सर्वेक्षण हेतु जी0आई0एस0 द्वारा सर्वेक्षण कराया जाना था परन्तु उक्त व्यवस्था नगर पालिका परिषद द्वारा लागू नहीं किया गया था। इस प्रकार वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर लागू किये जाने हेतु शासन से निर्देश दिये जा रहे है जिससे सामान्य जनमानस को भी

——14

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

इसका लाभ उपलब्ध हो सके, परन्तु ऐसा नहीं किया गया था। उ0प्र0 नगर पालिका (सूचना एवं लोक प्रकटीकरण) नियमावली 2010 में वर्णित व्यवस्था अनुसार उक्त नियमावली के नियम–3 में दिये गये प्रपत्र 1,2,3,4,5,6,7,6,8,9,10 व 11 पर सूचना प्रौद्योगिकी विकसित करके जनमानस के लिए उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा था ।

(च) नगरीय ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु लैण्डफिल साईट का निर्धारण न किया जाना –

पालिका द्वारा ठोस अपशिष्टों का संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन प्रसंस्करण तथा अपशिष्टों के व्ययन से संबंधित कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया, जबकि उक्त के संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना 25 सितम्बर, 2000 के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट निर्देश एवं मार्गदर्शन जारी किया गया था । शासनादेश संख्या– 2252/नौ–7–2002–4 रिट/97 नगर विकास अनुभाग –7 लखनऊ दिनांक– 04 जून, 2002 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त स्थानीय निकायों को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे, कि नगरीय ठोस अपशिष्टों के निस्तारण के लिए लैण्डफील साइट (अपशिष्टों के निस्तारण हेतु उपर्युक्त भूमि का निर्धारण) का निर्धारण करके समस्त नगरीय अपशिष्टों का संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन प्रसंस्करण तथा अपशिष्टों का व्ययन किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा था जो शासनादेश के विरूद्व था। गतविगत वर्षो की सम्परीक्षा आख्याओ के समीक्षोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि 13 वे एवं 14 वे वित्त आयोग के सापेक्ष प्राप्त अनुदानो का उपभोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं तथा जलापूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सैप्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव सडकों फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और शमशानों के रख'–रखाव पर व्यय की जायेगी, लेकिन पालिका द्वारा सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर कोई कार्य नहीं किये जा रहे जबकि 13वे 14 वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपभोग जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आहूत जिला स्तरीय समिति की बैठक में पालिका सीमान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का पुर्वानुमान/अनुमोदन प्राप्त किया जाता है । योजनाओं की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी अभी तक उक्त के संबंध में शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । प्रायः यह देखा जा रहा है, कि पालिका द्वारा जो भी योजना/कार्य का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वह बिना संशोधन के ही समिति कार्य के प्रस्ताव का अनुमोदन/स्वीकृति दे दी जाती है । ऐसी दशा में जिला स्तरीय समिति के समक्ष कार्य प्रस्ताव को प्रेषित करने का क्या औचित्य है। यह शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन था । नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए पालिका के अधिकारियों एवं जिला के प्रशासनिक अधिकारियों का दिये गये शासन के निर्देशानुसार कार्य कराये जाने हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

उपर्युक्त के संबंध में अधियाचन सं0– 77/18–8–2017 दिये जाने के बावजूद भी पालिका द्वारा कार्यवाही से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(छ) बैंलेस सीट की समीक्षा–

पालिका द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष की बैंलेस सीट सम्परीक्षा में प्रस्तुत की गयी । वित्तीय वर्ष 2014–15 से संबंधित आय–व्यय खाता से प्राप्ति एवं भुगतान खाता की तुलना करने पर सपष्ट हुआ कि आय–व्यय खाते के व्यय पक्ष में प्रशासनिक व्यय रू0– 12,28,72,235/– दर्शाया गया था जबकि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में उक्त व्यय रू0– 12,07,74,602/– दर्शाया गया था। इस प्रकार रू0 12,28,72,235 – 12,07,74,602= 20,97,633/– का व्यय अधिक दर्शाकर बैंलेस सीटे की अन्य दायित्व कॉलम में जोडा गया था जबकि बैंलेस सीट में उक्त अदत्त व्यय का कोई समायोजन नहीं

——15

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

दर्शाया गया था, जो काल्पिनक था । बैंलेस सीट में दर्शायी गयी काल्पनिक धनराशि का समायोजन सम्परीक्षा में दिखाया जाय।

(2) वर्ष 2014–15 के आर्थिक चिट्ठे (बैंलेस सीट) में दर्शायी गयी सम्पत्तियों का मूल्य रू0–70,98,23,718/– था जिसमें ह्रास नहीं काटा गया था जो लेखा नियमावली के विपरीत था । सम्परीक्षा में 2010–11 से 2014–15 तक प्रस्तुत बैंलेस सीट में प्रतिवर्ष सम्पत्तियों के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्वि दर्शायी गयी है जो सम्भव नहीं है । सम्पत्तियों का मूल्य प्रतिवर्ष घटता रहता है लेकिन 2010–11 से 2014–15 तक के बैंलेस सीट में प्रतिवर्ष सम्पत्तियों का मूल्य स्थिर मानकर बैंलेस सीट तैयार की गयी थी, जो सम्भव नहीं था । बैंलेस सीट में दर्शायी गयी सम्पत्तियों का मूल्य काल्पनिक था जो लेखांकन पद्वति के अनुसार मान्य नहीं था ।

(3)वर्ष 2014–15 के बैंलेस सीट में दर्शायी गयी सम्पत्तियों एवं मूल्य के सत्यापन हेतु पालिका में अनुरक्षित निम्नलिखित रजिस्टर उपलब्ध कराया जाय जिससे वर्ष 2014–15 के बैंलेस सीट में दर्शायी गयी स्थायी सम्पत्तियों का सत्यापन हो सके। वांछित रजिस्टर निम्नवत् है–

1– भूमि का रजिस्टर
2-भवन का रजिस्टर
3–सडक, पुल, पुलिया का रजिस्टर
4– सीवर, नाला, नाली का रजिस्टर
5–जलकल संस्थान का रजिस्टर
6–सार्वजनिक प्रकाश से संबंधित रजिस्टर
7–प्लान्ट एवं मशीनरी का रजिस्टर
8 वाहनों का रजिस्टर
9 कार्यालय में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोनिक, कम्प्यूटर, टाईपराइटर आदि का रजिस्टर
10– अन्य स्थायी सामग्रियों का रजिस्टर जैसे फर्नीचर, आलमारी, कुर्सी, मेज, कूलर पंखा आदि का रजिस्टर

(4) 2014–15 के बैंलेस सीट में 31 मार्च, 2015 को रू0– 9,38,72,378=84 बैंक इतिशेष दर्शाया गया था जबकि नगर पालिका द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों (वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार) में रू0– 12,67,06,939=48 दर्शाया गया था जो विवरण पालिका के बैंक खातों के स्टेटमेंट से तैयार किया गया था। इस प्रकार 2014–15 में कुल बैंकों के इतिशेष धनराशि रू0–12,67,06,939=48 के अपेक्षा बैंलेस सीट में 31 मार्च, 2015 को बैंक अवशेष रू0– 9,38,72,378=84 दर्शाया गया था। इस प्रकार वर्ष 2014–15 में 31-3–2015 को बैंकों का वास्तविक शेष रू0– 12,67,06,939=48–9,38,72,378=84 = 3,28,34,560=64 वर्ष 2014–15 के बैंलेस सीट में कम दर्शाया गया था। इस प्रकार 2014–15 के बैंलेस सीट में दर्शाए गये मदों की स्थिति काल्पनिक प्रतीत होती है। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय ।

(5) 31 मार्च, 2016 एवं 31 मार्च, 2017 के वित्तीय वर्ष की बैंलेस सीट तैयार नहीं की गयी थी । इसे तैयार कर आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ।

(ज) जलमूल्य की वसूली में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बरती गयी शिथिलता –

गत सम्परीक्षा आख्यानुसार 31–3–16 को जलमूल्य का बकाया रू0– 76,32,137/– तथा वर्ष–2016–17 की मांग रू0– 6,32,146/– कुल जलमूल्य की वसूली हेतु धनराशि रू0– 82,64,283/– के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में जलमूल्य लिपिक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार वसूली मात्र रू0– 1,37,708/– थी। जलमूल्य के वसूली हेतु पालिका परिषद निम्नलिखित कर्मचारियों को लगाया गया था–

—16

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

क्रमांक	वसूली कर्ता के नाम	माह में प्राप्त वेतन	वर्ष में कुल प्राप्त वेतन
1	श्री पुत्तन	32180=00	386160=00
2	श्री रामबहादुर	27336=00	3280332=00
3	श्री सुबोध	25394=00	304728=00
4	श्री वीरेन्द सिंह	29032=00	348384=00
योग			1367304=00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार उक्त कर्मचारियों के अधिष्ठान पर वर्ष में लगभग रू0–13,67,304=00 पालिका द्वारा व्यय किया गया था। उक्त व्यय के सापेक्ष रू0 1,37,708=00 की वसूली उक्त कर्मचारियों द्वारा आलोच्य अवधि में की गयी थी जो नगण्य थी। उपर्युक्त स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी वसूली के प्रति उदासीन थे। जलमूल्य की अधिक से अधिक वसूली हेतु पालिका के अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ।

ख– हानि, अपव्यय, दुरूपयोग और अनियमित अधिक भुगतान इत्यादि:–

कोई नहीं

ग– सहायक निदेशक/जि0ले0प0अधिकारी द्वारा दिये विशेष बिन्दु पर गहन जांच के प्रकरण–

कोई नहीं।

सम्परीक्षा आख्या भाग–"ख"

1– गत विगत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा:–

परिशिष्ट–"एक" में दी गयी स्थिति के अनुसार वर्ष 1971–72 से 2015–16 तक कुल 2265 आपत्तियां अनिस्तारित चली आ रही है जो लेखे के सुधार में बाधक एवं सम्परीक्षा उद्देश्यों के विपरीत थी । गत एवं विगत वर्षो की लेखा परीक्षा आख्याएं नगर पालिका परिषद को प्राप्त हो गयी थी लेकिन इनकी कोई अनुपालन कार्यवाही नहीं की गयी थी जो पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उदासीनता का द्योतक था।

अतएव उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग 1984 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या उप निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा कार्यालय को उपलब्ध कराकर अनिस्तारित आपत्तियों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

2– वित्तीय स्थिति–

सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जहां तक सुनिश्चित किया जा सका आलोच्य अवधि में पालिका की वित्तीय स्थिति निम्नवत् थी –

	धनराशि
01 अप्रैल 2016 को प्रा0 शेष	6,77,69,978=84
र्ष की आय	32,56,99,662=00
योग	39,34,69,240=84
र्ष में व्यय	31,33,97,500=00
31–3–2017	8,00,70,740=84
बैंक के अनुसार इतिशेष	
(1) इलाहाबाद बैंक बहराइच खाता संख्या– 21152946220	17063080=20
(2)एस0बी0आई0 बहराइच खाता संख्या– 34870493285(राज्य वित्त आयोग)	98868569=25
(3) पी0एन0बी0 नोडल खाता संख्या– 0072000106097563(13 वां वित्त आयोग)	36595662=24
(4) पी0एन0बी0 बहराइच खात संख्या– 0294001100000599(अमृत मिशन योजना)	1813934=75
(5) पी0एन0बी0 बहराइच खाता संख्या– 4483000100035516 (स्वच्छ भारत मिशन)	618352=00

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

(6) इण्डियन बैंक, बहराइच खाता संख्या– 822350701	95653=00
(7) सेन्ट्रल बैंक, बहराइच खाता संख्या– 3226345450	11779=00
(8) इलाहाबाद यू०पी० ग्रा० बैंक बहराइच	अप्रस्तुत
(9) कोषागार पी०एल०ए० खाता संख्या– 8448003	अप्रस्तुत
(10) कोषागार पी०एल०ए० खाता संख्या– 8448	अप्रस्तुत
(11) बैंक आफ महाराष्ट्र बहराइच खाता संख्या– 60029121743	269951=00
योग —	9,52,73,170=44

टिप्पणी–

(1) रोकडबही नगर पालिका लेखा नियमावली के प्रपत्र –34 पर अनुरक्षित नहीं की जा रही थी । इसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त निर्धारित प्रपत्र पर ही रोकबही अनुरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(2) शासन द्वारा अप्रैल 2008 से ही स्थानीय निकायों के रोकडवही व अन्य समस्त अभिलेख दोहरा लेखा प्रणाली पर बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु वर्तमान स्थिति तक इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

(3) 31 मार्च, 2017 को रोकडबही और बैंक खाते के अवशेष का मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था जबकि नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय–8 के नियम–103 में वर्णित व्यवस्थानुसार बैंक समाधान विवरण बनाया जाना चाहिए तथा अंतिम अवशेष का विघटन देते हुए मिलान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया था। उक्त विवरण न बनाये जाने से रोकडबही में धनराशियों के प्रविष्टियां छुटने की सम्भावना बनी रहती है जिससे लेखांकन /रोकडबही की शुद्वता पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

(4) कमांक 8, 9 व 10 पर उल्लिखित बैंक खाता व कोषागार खातों के 31 मार्च, 2017 के अवशेश के सत्यापन हेतु बैंक खाते का बैंक स्टेटमेन्ट व कोषागार सीट उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसे आगामी सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जायं ।

(5) कमांक 6, 7, 8 व 11 पर उल्लिखित बैंक खातों में किस योजना से संबंधित धनराशियां जमा है, की स्थिति योजना से सम्परीक्षा को स्पष्ट किया जाय। यदि उक्त खाते बोर्ड फण्ड से सम्बंधित है तो उक्त खातों की धनराशि पालिका द्वारा संचालित बोर्ड फण्ड खाता में स्थानान्तरित किया जाय । यदि उक्त खाते किसी विशेष योजना से संबंधित हो तो उक्त खातों की सम्पूर्ण धनराशि को शासन द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराकर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय ।

(6) 31 मार्च, 2017 को अभुनित चेकों का विवरण आगामी सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय जिससे रोकडबही इतिशेष एवं बैंक इतिशेष के शुद्वता की जांच की जा सकें।

(7) पुष्टि किया जाय कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई बैंक खाता संचालित नहीं था।

(8) आय–व्यय का संहत विवरण संलग्नक परिशिष्ट –"2 " पर अंकित है।

3– नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का लेखा–

पलिका परिषद द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के निमित्त नकद परिसम्पत्तियों एवं दायित्व का लेखा तैयार नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ लेखा परीक्षक का अधियाचन संख्या– 86 दिनांक– 4–9–17 द्वारा जारी किया गया था, परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही इसे तैयार कराकर प्रस्तुत कराया गया । इसे तैयार कर आगामी सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

—18

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

4– राजकीय अनुदान–

प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त अनुदानों का उपभोग सम्परीक्षा आख्या में यथा स्थान पर उलिलखित अभ्युक्तियों/टिप्पणियों के अतिरिक्त निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार किया गया था। आलोच्य अवधि मेंनिम्नलिखित राजकीय अनुदान/शासकीय सहायता प्राप्त हुई थी।

(क) राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान एवं उपभोग की स्थिति –

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के निम्न शासनादेशों के अनुसार धनराशियां प्राप्त हुई थी–

क्र0	स्वीकृत पत्र संख्या/तिथि	प्राप्त धनराशि	अभ्युक्ति
1	पत्रांक– 8/112/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 2 मई, 2016	1,90,46,835=00	माह– अप्रैल 2016 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
2	पत्रांक– 8/217/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 30 मई, 2016	1,90,46,835=00	माह– मई 2016 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
3	पत्रांक– 8/393/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 28 जून, 2016	1,90,46,835=00	माह– जून 2016 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
4	पत्रांक– 8/495/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 28 जुलाई, 2016	1,90,46,835=00	माह– जुलाई 2016 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
5	पत्रांक– 8/693/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 29अगस्त, 2016	1,90,46,835=00	माह– अगस्त उ2016 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
6	पत्रांक– 8/851/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 27सितम्बर, 2016	1,90,46,835=00	माह– सितम्बर 2016 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
7	पत्रांक– 8/936/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 21 अक्टूबर, 2016	1,90,46,835=00	माह– अक्टूबर 2016 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
8	पत्रांक– 8/1061/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 23 नवम्बर, 2016	1,90,46,835=00	माह– नवम्बर 2016 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
9	पत्रांक– 8/1141/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 21दिसम्बर, 2016	1,90,46,835=00	माह– दिसम्बर 2016 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
10	पत्रांक– 8/57/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 25 जनवरी, 2017	1,90,46,835=00	माह– जनवरी 2017 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
11	पत्रांक– 8/212/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 17 फरवरी, 2017	1,90,46,835=00	माह– फरवरी 2017 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
12	पत्रांक– 8/280/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 10 मार्च, 2017	1,90,46,835=00	माह– मार्च 2017 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
13	पत्रांक– 8/468/152(11)/चतु0रा0वि0आ0/2016–17 दि. 31 मार्च, 2017	1,58,36,310–00	माह– अप्रैल 2016 के वेतन भत्तों हेतु सामान्य सानुदेशन
योग –		24,43,98,330=00	

टिप्पणी–

(1) राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष वर्ष 2016–17 में सम्परीक्षा हेतु चयनित माह फरवरी– मार्च, 2017 में वेतन भत्तों तथा कराये गये निर्माण कार्य, प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था पर व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण, कराये गये कार्यों की सूची एवं कार्ययोजना सत्यापनार्थ आगामी सम्परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय ।

(2) पुष्टि किया जाय, कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आवर्तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) 14 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान एवं उपभोग की स्थिति –

आलोच्य अवधि 2016–17 में निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ 8वां तल, इन्दा भवन के स्वीकृत पत्र द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान प्राप्त हुआ था–

क्र0सं0	स्वीकृत पत्र संख्या/ तिथि	प्राप्त धनराशि
1	संख्या– 8/129/171/14 वां वित्त आयोग/2016–17 दि0 9 मई, 2016 सामान्य बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त	2,02,03,144=00
2	संख्या– 8/1154/171/14 वां वित्त आयोग/2016–17 दि0 9 मई, 2016 सामान्य बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त	2,73,38,405=00
3	संख्या– 8/441/171/14 वां वित्त आयोग/2016–17 दि0 9 मई, 2016 सामान्य निष्पादन अनुदान की किश्त	7,43,54,781=00
योग —		12,18,96,330–00

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

उपर्युक्त अनुदानों का उपभोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं यथा जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट पदार्थ, सैप्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव, सडके फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और शमशानों का रख–रखाव पर व्यय की जायेगी।

उपर्युक्त क्रमांक (1) पर उल्लिखित अनुदान की धनराशि रू0–2,02,03,144/– के सापेक्ष जिलाधिकारी बहराइच की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 22–8–16 को आहूत बैठक में निम्नलिखित कार्य योजनाएं स्वीकृत/अनुमोदित की गयी थीजिसका विवरण संलग्नक **परिशिष्ट " 5" पर** अंकित है ।

टिप्पणी–

(1) उपर्युक्त कार्य योजनाओं से संबंधित पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध कराया जाय।

(2) क्रमांक (2) पर प्राप्त अनुदान की धनराशि रू0–2,73,38,405/– पी0एन0बी0 नोडल खाता में दिनांक–4–1–2017 को स्थानान्तरित की गयी थी जिसे रोकडबही मेंदिनांक– 31–3–2017 को प्राविष्टि की गयी थी। 31–3–2017 को प्रविष्टि किये जाने काऔचित्य स्पष्ट किया जाय।

(3) क्रमांक (3) पर अंकित अनुदान की धानराशि रू0– 7,43,54,781/– पी0एन0बी0 नोडल खाता में दिनांक– 6–4–17 को स्थानान्तरित की गयी थी ।

(4) क्रमांक (2) एवं (3) पर अंकित अनुदान की धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2017 तक नहीं किया गया था जिसके कारण नागरिक सुविधाओं से वंचित रहा।

(ग) 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से प्राप्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष स्वीकृत कार्ययोजनाएं एवं उपभोग की स्थिति –

आलोच्य अवधि में निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निम्नलिखित पत्रों द्वारा 2 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त करायी गयी थी –

क्रमांक	स्वीकृति पत्र सं0/तिथि	प्राप्त धनराशि
1	संख्या–8/686/(139)/–02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2016–17 दि0 26 अगस्त, 2016	4945511=00
2	संख्या–8/428/(139)/–02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2016–17 दि0 2 जनवरी, 2017	2760759=00
3	संख्या–8/436/(139)/–02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2016–17 दि0 28 मार्च, 2017	2521431=00
	योग–	1,02,27,701=00

1–अतएव उक्त के संबंध में निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराया जाय–

(1) यह स्पष्ट किया जाय कि उक्त धनराशि किस अवधि की है तथा किस अवधि का बकाया प्राप्त होना शेष है।

(2) अवस्थापना निधि की स्थापना की गयी है या नहीं । यदि की गयी है, तो खाता संख्या आगामी सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

2–वर्ष 2015–16 में 2 प्रतिशत हस्तान्तरण विलेख शुल्क का कुल रू0– 1,11,66,181/– प्राप्त हुआ था जिसके उपभोग की तिथि 31 मार्च, 2016 थी लेकिन उक्त धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी बहराइच की अध्यक्षता में दिनांक 22–8–16 को जिला स्तरीय समिति की बैठक में **संलग्नक परिशिष्ट** 6 पर अंकित विवरणानुसार कार्य योजनाएं स्वीकृत/अनुमोदित की गयी थी ।

वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदान रू0– 1,02,27,701/– में से क्रमांक 1 पर अंकित धनराशि रू0– 49,45,511/– के सापेक्ष कार्य योजना जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक दि0– 8–11–16 के अनुसार **परिशिष्ट–7** पर अंकित विवरणानुसार कार्य योजनाएं स्वीकृत/अनुमोदित की गयी थी ।

—20

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

टिप्पणी–

कमॉक–3 पर अंकित धनराशि रू0– 25,21,431/– रोकडवही में वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिनांक– 3–4–2017 को प्राविष्टि की गयी थी ।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान एवं उपभोग की स्थिति– के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि

सम्परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली ,रोकड़बही तथा बैंक स्टेटमेण्ट के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में निम्न विवरणानुसार 478 व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त हुआ था –

क्र0 सं0	स्वीकृत पत्र संख्या /तिथि	कुल प्राप्त धनराशि			
		कैपेसिटी बिल्डिंग कार्य व प्रशासनिक कार्य	पब्लिक अवेयरनेस व आई सी सी कार्य	शौचालय निर्माण हेतु	कुल प्राप्त धनराशि
1	निदेशक/मिशन निदेशक (एस0बी0एम0) नगरीय निकाय उ0प्र0लखनऊपत्रॉक–पी0एम0यू0/1091/427/एस0बी0एम0/2015–16 दिनॉक–19 नवम्बर,2015 द्वारा प्राप्त केन्द्रॉश की धनराशि	51,789	2,07,849	9,56,000	12,15,638
2	संख्या–पी0एम0यू0/75/427/एस0बी0एम/2015716 दिनॉक–27 अप्रैल,2016 द्वारा राज्यॉश की अवमुक्त धनराशि	17,340	69,129	9,56,000	10,42,469
योग–		69,129	2,76,978	19,12,000	22,58,107

कमॉक–1 पर अंकित केन्द्रॉश की धनराशि की उपभोग अवधि 31–3–2016 थी ।

उपर्युक्त योजना से संबंधित खाता पी0 एन0बी0 बहराइच खाता संख्या– 4483000100035516 संचालित था, जिस पर वर्ष 2016–17 में ब्याज के रूप में रू0– 87360/– प्राप्त थी तथा रू0– 115/– बैंक चार्जेज (चेक निर्गमन)काटा गया था।

उपर्युक्त प्राप्त अनुदान के सापेक्ष व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु कुल 433 लाभार्थी पात्र पाये जाने पर उक्त लाभार्थियो को रू0–2000/– केन्द्रांश तथा रू0– 2000/– राज्यांश की कुल धनराशि रू0– 4,000/– प्रत्येक लाभार्थियों के खाते में कुल रू0– 1732000/– प्राप्त धनराशि रू0 1912000/– के सापेक्ष दिनांक– 4–1–2017 को नेफ्ट के (एन ई एफ टी) माध्यम से स्थानान्तरित की गयी थी । 433 लाभार्थियों का स्थानान्तरित धनराशि में से 13 लाभार्थियों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित नहीं हो पायी थी जिसके कारण मात्र 420 लाभार्थियों को रू0 16,80,000/– स्थनान्तरित थी। 13 लाभार्थियों के संबंध में स्थिति से आगामी सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय ।

कैपेसिटी बिल्डिंग हेतुप्राप्त धनराशि रू0 45,000/– एक दिवसीय प्री स्टडी टूर वर्कशाप एवं 4 दिन का पणजी (गोवा) कार्यशाला में भाग लेने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत उक्त व्यय क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ को पत्रांक– 739/स्व0भा0मि0/कैपेसिटी बिल्डिंग/कार्यशाला/2016 दिनांक– 17 नवम्बर, 2016 को प्रेषित किया गया था

प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय मद में एस0बी0एम0 आनलाईन ऐसपक संचालन एवं सूचना सम्पर्क हेतु कार्यालय प्रयोजनार्थ लेखन सामग्रियॉ रू0– 19520/– वाउचर नंबर 320 दिनांक– 31–3–17 को व्यय किया गया था जो 31–3–17 तक बैंक स्टेटमेंट में अभुनित था । 31–3–17 को रू0– 6,16,352/– उपभोग हेतु अवशेष थी जिसमें रू0– 87,360/– ब्याज की धनराशि सम्मिलित थी।

–––21

Executive Officer
Municipal Board
BAHR ICH

(ड) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि एवं उपभोग की स्थिति–

उक्त योजना से संबंधित संपरीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली, रोकडबही एवं बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अमृत योजना के अन्तर्गत सर्विस लेबल इम्प्रूवमेंटप्लान (एस एल आई पी) एवं स्टेट एनुवल एक्शन प्लान तैयार करने हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशियां अवमुक्त की गयी थी–

क्रमांक	स्वीकृत पत्र सं0/तिथि	धनराशि	अभ्युक्ति/उद्देश्य
1	पत्रांक –पी0एम0यू0/240/39/अमृत/20015–16 दि0 21 मई,2016	2500000=00	एसएलआईपी एवं एस ए ए पी तैयार करने हेतु
2	पत्रांक–एस0एम0एम0यू0/546/39/अमृत/20015–16 दि0 2 सितम्बर ,2016	1518000=00	गृह पेयजल संयोजन हेतु
3	पत्रांक–एस0एम0एम0यू0/332/39(1)/2016 दि0 20 मार्च ,2017 केन्द्रांश तथा राज्यांश की प्रथम किश्त	704000=00	घण्टाघर पार्क कैवानगंज के अन्तर्गत पार्क एवं ग्रीन स्पेश के विकास हेतु ।
		4722000=00	

उपर्युक्त योजना से संबंधित बैंक खाता पी0एन0बी0 बहराइच खाता संख्या–0294001100000599 संचालित, जिसमें वर्ष 2016–17 में रू0– 110453/– ब्याज के रूप में प्राप्त था। तथा रू0– 518=25 बैंक व्यय के रूप में बैंक द्वारा कटौती की गयी थी।

अमृत योजना से 2016–17 में आवंटित/प्राप्त धनराशि रू0 2500000/– से क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार) लखनऊ को रू0 1200000/– आर टी जी एस द्वारा पालिका का एस एल आई पी एवं एस ए ए पी तैयार करने हेतु दिनांक– 15–9–2016 को प्रेषित किया गया था तथा रू0 300000/– अधिशासी अभियन्ता निर्माण एस ए ए पी तैयार करने हेतु ICICI BANK बहराइच खाता संख्या– 230201000193, IFSC C0DE ICIC002302 में दिनांक– 31–1–17 को स्थनान्तरित थी ।

निदेशक मिशन, निदेशक अमृत नगरीय निकाय उ0प्र0 लखनउ के पत्र संख्या–एस0एम0एम0यू0/546/अमृत–39 /2016 दिनांक– 02 सितम्बर, 2016 के आदेश के क्रम में गृह पेयजल संयोजन हेतु आवंटित रू0– 1518000/– चेक संख्या– 967263 दि0– 15–3–2017 द्वारा आर टी जी एस के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम बहराइच के बैंक खाता संख्या– ICICI BANK बहराइच खाता संख्या– 230201000193 में दिनांक– 15–3–2017 को स्थानान्तरित किया गया था। 31 मार्च, 2017 को अनुदान की धनराशि क्रमांक (1) पर अंकित का रू0– 1000000/– तथा क्रमांक (3) पर अंकित अनुदान की धनराशि रू0– 704000/– तथा ब्याज की धनराशि रू0– 110453/– कुल रू0– 1814453/– में से बैंक व्यय रू0– 518=25 घटाने के पश्चात् रू0– 1813934=75 उपभोग हेतु अवशेष थी।

टिप्पणी–

(1) स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु चयनित लाभार्थियों का आवेदन पत्र तथा स्वच्छता निरीक्षक द्वारा चयनित लाभार्थियों के संबंध में निरीक्षक आख्या तथा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अनुमोदन से संबंधित अभिलेख आगामी सम्परीक्षा में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया जाय ।

(2)अमृत मिशन योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार) लखनऊ तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 बहराइच द्वारा अमृत मिशन

––22

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (एस एल आई पी) एवं स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (एस ए ए पी) की कापी आगामी सम्परीक्षा को सत्यापनार्थ उपलब्ध कराया जाय तथा उक्त योजना की प्रगति के संबंध में अद्यतन कार्यवाही से अवगत कराया जाय ।

(3) अनुदानों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट तीन पर दिया गया है ।

5- राजकीय ऋण--

पुष्टि किया जाय कि आलोच्य अवधि में को राजकीय ऋण प्राप्त नहीं हुआ था और न ही गत-विगत वर्षों का ऋण प्रतिदान हेतु शेष था।

6--विनियोजन --

सम्परीक्षा में गत सम्परीक्षा आख्या एवं उपलब्ध कराये गये विनियोजन प्रमाण पत्र के आधार पर पालिका द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशियां विनियोजित किया गया था--

क्रमांक	विनियोजन का विवरण	विनियोजन धनराशि	परिपक्वता मूल्य / तिथि
1	पी0एन0बी0 बहराइच खाता संख्या-- 007200पीआर00004201 दिनांक-- 20-7-2009 (नवीननीकृत मूल्य व तिथि)ब्याजदर -- 9 प्रतिशत	144188/-	157509/7-3-15
2	जिला सरकारी बैंक लि0 बहराइच सावधि जमा रसीद सं0-- 0500635 दि0-- 8-11-2011 (नवीनीकृत सं0-- 0608481) ब्याज दर-- 8.25 प्रतिशत	154286/-	181009/8-11-13
3	जिला सरकारी बैंक लि0 बहराइच सावधि जमा रसीद सं0-- 0608485 दि0-- 5-4-2008 ब्याज दर-- 7.25 प्रतिशत	292656/-	424899/5-4-13
4	जिला सरकारी बैंक लि0 बहराइच सावधि जमा रसीद सं0-0408736 दि0-- 9-7-2008 ब्याज दर-- 8.50 प्रतिशत	4342483/-	6612711/9-7-19
योग--		4933613/-	7376868/-

टिप्पणी--

(1) गत सम्परीक्षा आख्या 2015-16 केकमांक (3) पर अंकित विनियोजन इलाहाबाद बैंक डिगिहा बहराइच के सावधि जमा रसीद संख्या-- 022232 दि0-- 21-12-2011 को रू0-- 421448/-- ब्याज दर 8.9 प्रतिशत की दर से विनियोजित की गयी थी । उक्त धनराशि संगठित विकास योजना की थी । उक्त विनियोजन का परिपक्वता तिथि 24-12-15 तथा परिपक्वता मूल्य रू0-- 573149/-- था। उक्त विनियोजन को दि0 10-4-17 को भुनाकर इलाहाबाद बैंक डिगिहा के खाता संख्या-- 5038384200 संगठित विकास योजना सब्सिडी के नाम से खोला गया था जिसमें ब्याज सहित रू0-- 606189/-- स्थानान्तरित थी । उक्त खाते से योजना के मूल अवशेष धनराशि रू0 307000/-- एस0बी0आई0 बहराइच के चालान संख्या--

30001 दिनांक 17-4-2017 द्वारा लेखा शीर्षक

02117- शहरी विकास

03-- छोटे एवं मध्यम नगरों के समेकित विकास

800-- अन्य प्राप्तियां

99-- अन्य विविध प्राप्तियां

द्वारा सहयुक्त नियोजक सम्भागीय नियोजन खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, फैजाबाद को पालिका के पत्रांक-- 1230 /स0वि0यो0--उपयोगिता प्र0प0/बहराइच/2017 दिनांक-- 27 जून, 2017 को प्रेषित किया गया था।

(2) उपर्युक्त विनियोजनों की परिपक्वता तिथि विगत कई वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी । उक्त विनियोजनों को भुनाने हेतु पालिका परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी । इस स्थिति के कारण जहां इन धनराशियों से पालिका परिषद नागरिक सुविधाओं से वंचित हो जा रही थी ।

--23

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

7—कर एवं करेत्तर राजस्व के प्राप्तियों एवं समाहरण की स्थिति—

कर एवं करेत्तर राजस्व के मांग एवं समाहरण की स्थिति परिशिष्ट—4 पर दिया गया है ।

(क) दुकान किराये की मांग, समाहरण एवं बकाया की स्थिति —

सम्परीक्षा में पटल सहायक द्वारा प्रस्तुत दुकान किराया की मांग समाहरण पंजी एवं वर्गीकृत सारपंजी के अनुसार मांग—समाहरण की स्थिति निम्नवत् थी—

01—4—2016 को बकाया	15,40,318=00
र्व की मांग	12,71,962=00
योग	28,12,280=00
वर्ष में समाहरण	14,89,367=00
31—3—2017 को बकाया	13,22,913=00
वसूली का प्रतिशत	52.95 प्रतिशत

टिप्पणी—

(1) 1—4—2016 को मांग—समाहरण पंजी में बकाया रू0— 1540318=00 दर्शाया गया था जबकि गत सम्परीक्षा आख्यानुसार 31 मार्च, 2016 को बकाया रू0— 15,81,223/— था। इस प्रकार रू0— 40905/— कम धनराशि 1—4—2016 को अग्रेनीत की गयी थी । कम धनराशि अग्रेनीत किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय ।

(2) मांग समाहरण पंजी में दुकान किराया के वसूली एवं बकाया का योग आदि नहीं किया गया था । वसूली का विवरण वगीकृत सारपंजी में दर्शायी गयी स्थिति के अनुसार उल्लिखित किया गया है। मांग समाहरण पंजी में वसूली एवं बकाया का योग करके उक्त पंजी अधिशासी अधिकारी से सत्यापन कराकर आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ।

(3) 31 मार्च, 2017 को रू0— 13,22,913/— वसूली हेतु बकाया थी जिससे स्पष्ट था कि पालिका परिषद के कर्मचारी/अधिकारी वसूली के प्रति उदासीन थे।

(4) ऐसे किरायेदारों की सूची/पत्रावली उपलब्ध करायी जाय जिनकी र्वा 2016—17 में मृत्यु हो गयी हो या दुकान खाली कर दी गयी हो, ऐसी दुकानों के आवंटन के कार्यवाही से आगामी सॅम्परीक्षा को अवगत कराया जाय ।

(ख) जलमूल्य के मांग एव समाहरण की स्थिति—

सम्परीक्षा में जलकल लिपिक श्री अर्पित श्रीवास्तव द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार मांग एवं समाहरण की स्थिति निम्नवत् थी—

01—4—2016 को बकाया	7632137=00
र्व की मांग	632146=00
योग	8264283=00
वर्ष में समाहरण	137708=00
31—3—2017 को बकाया	8126575=00
वसूली का प्रतिशत	1.66 प्रतिशत
जल मूल्य वसूली की दर— रू0 20/— प्रति जल संयोजन प्रतिमाह	

टिप्पणी—

(1) गत सम्परीक्षा आख्यानुसार 31 मार्च, 2016 को जलमूल्य का बकाया रू0— 7632137/— था जबकि जल मूल्य लिपिक द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार 1—4—2016 को बकाया रू0— 46,74,350/— ही दर्शाया गया था।

----24

xecutive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

इस प्रकार रू0- 29,57,787/- कम करके बकाया दर्शाया गया था । इस स्थिति के कारण प्रत्यक्ष रूप से करेत्तर राजस्व की हानि पहुचायी गयी तथा दिनांक- 1-4-2016 को सम्परीक्षा आख्या द्वारा बकाया तथा लिपिक द्वारा 1-4-2016 को उपलब्ध कराये गये बकाये की सूची रू0- 29,57,787/- कम किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय ।

(2)मांग एवं समाहरण पंजी सम्परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके संबंध में अधियाचन संख्या- 68/20-7-17, 76/16-8-17 एव 79/26-8-17 निर्गत किया गया फिर भी पटल सहायक एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा इस संबंध में ध्यान नहीं दिया गया । उपर्युक्त दर्शायी गयी मांग-समाहरण एवं अवशेष का सत्यापन नहीं हो सका। लेखा नियमावली के नियम-56 के अनुसार प्रपत्र -3 पर मांग समाहरण पंजी अनुरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(3) जल संयोजन पंजी नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम-52 में उल्लिखित प्रपत्र-20 पर तैयार नहीं किया गया था। इसे उक्त प्रपत्र पर तैयार किया जाय ।

(4) शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश कि जलापूर्ति व्यवस्था में हो रहे उत्तरोत्तर वृद्दि केकारण प्रति जल संयोजन रू0 50/- प्रतिमाह की दर से आरोपण कर वसूल किया जाय फिर भी पालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों के उदासीनता के कारण प्रति जल संयोजन रू0 20/- प्रतिमाह की दर से ही वसूली की जा रही है । इस स्थिति के कारण पालिका को भारी आर्थिक हानि हो रही है।

(5) स्थापित मांग रू0- 8264283/- के सापेक्ष रू0- 137708/- की वसूली की गयी थी जो नगण्य थी। अधिक से अधिक वसूली किये जाने हेतु पालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उपर्युक्त के संबंध में अधियाचन संख्या- 76/16-8-17 , 79/26-8-2017 निर्गत किये जाने के बावजूद भी मांग समाहरण पंजी का योग एवं संतुलन नहीं किया गया था । उपर्युक्त दिया गया विवरण वाहय संकलन के आधार पर तैयार किया गया है । वास्तविक रूप से योग आदि करने के प्रश्चात् उपर्युक्त आंकडे परिवर्तित हो सकता है।

(ग) गृहकर एवं जल कर के मांग समाहरण एवं बकाया की स्थिति-

सम्परीक्षा में कर अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार गृहकर एवं जलकर के मांग समाहरण की स्थिति निम्नवत् है-

	गृहकर	जलकर
01-4-2016 को बकाया	4315651=00	6976267=00
वर्ष की मांग	4317895=00	4049935=00
योग	8633546=00	11026202=00
वर्ष में समाहरण	672416=00	5845505=00
31-3-2017 को बकाया	1907130=00	5180697=00
वसूली का प्रतिशत	77.91प्रतिशत	53.01 प्रतिशत
कर आरोपण का दर	7 प्रतिशत	7 प्रतिशत

टिप्पणी-

(1) मांग समाहरण पंजी सम्परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी । सम्परीक्षा में बार-बार अधियाचन संख्या' 68/20-7-17, 76/16-8-17 , 77/18-8-17 एवं 79/26-8-17 दिये जाने के बावजूद भी पालिका के पटल सहायकों द्वारा उक्त पंजी सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके कारण स्थापित मांग एवं समाहरण का सत्यापन नहीं किया जा सका ।

(2) कर अधीक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार गृहकर एवं जलकर को 1-4-2016 को बकाया कमशः 62,68,391/-व रू0-79,40,626/- दिखाया गया है । जबकि गत वर्ष की

-----25

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

सम्परीक्षा आख्या के अनुसार 31-3-16 को गृहकर एवं जलकर का बकाया कमशः रू0- 43,15,651/- व 69,76,267/- था। इस प्रकार बकाया गृहकर एवं जलकर कमशः रू0-62,68,391-43,15,651 = 19,52,740/- व रू0- 79,40,626 - 69,76,267 = 9,64,359/- अधिक कर दिया गया था। गत सम्परीक्षा आख्या एवं दिये गये विवरण के अनुसार गत वर्ष की अपेक्षा 1-4-16 को बकाया गृहकर एवं जलकर अधिक दर्शाकर विवरण उपलब्ध कराया गया था अधिक धनराशि दर्शाये जाने का कारण स्पष्ट किया जाय।

(3) वर्ष 2015-16 में गृहकर व जलकर की मॉग कमशः रू0-51,29,723/-व 65,86,668/-स्थापित की गयी थी ,जबकि आलोच्य वर्ष 2016-17 में गृहकर एवं जलकर की मॉग कमशः रू0-43,17,895/-व 40,49,935/-स्थापित की गयी थी । इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा गृहकर व जलकर कमशः 51,29,723-43,17,895=8,11,828/- व 65,86,668-40,49,935=25,36,733/-की मॉग कम स्थापित की गयी थी । मॉग कम स्थापित किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाय ।

वास्तविकता तो यह था, कि वर्ष 2015-16 में स्थापित मॉग के सापेक्ष वर्ष 2016-17 में स्थापित मांग कम होने का कोई औचित्य ही नही होता है,क्योंकि आलोच्य अवधि वर्ष 2016-17 में नये भवनों की वृद्वि व पुराने भवनों में संवर्धन होने से मॉग बढ़नी चाहिये । महत्वपूर्ण तथ्य यह है,कि गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में गृहकर व जलकर कमशः रू0-8,11,828/-व 25,36,733/-कम मॉग स्थापित होने से स्पष्ट होता है, कि कतिपय भवन स्वामियों को पूर्व में बकाया चले आ रहे कर को माफ किया गया या छूट प्रदान की गयी है । इस प्रकार ऐसे भवन स्वामियों की सूची एवं मॉग में छूट प्रदान की सूची आगामी सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय ।

(4) कर अधीक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार वर्ष 2016-17 में गृहकर व जलकर की वसूली कमशः रू0-67,26,416/-व 58,45,505/-दर्शाया गया था । जबकि लेखा अनुभाग में अनुरक्षित वर्गीकृत सारपंजी के अनुसार गृहकर व जलकर से वसूली कमशः रू0-61,21,097/-व 51,83,203/-दर्शित किया गया था ,तथा शासन द्वारा निर्धारित गृहकर व जलकर का लक्ष्य कमशः रू0-79,66,000/-व 71,41,000/-के सापेक्ष वसूली कमशः 67,26,000/-व 58,46,000/-की गयी थी । इस प्रकार कर अधीक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण एवं शासन को उपलब्ध कराये गये विवरण की तुलना से स्पष्ट होता है, कि तीनों विवरणों में भिन्नता थी । इस प्रकार पालिका के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता बरती गयी । उपर्युक्त भिन्नता का कारण स्पष्ट किया जाय ।

(5) उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुसार परिलक्षित होता है, कि पालिका के अधिशाषी अधिकारी का कर अनुभाग पर कोई नियत्रण नही है । उपर्युक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए,आलोच्य वर्ष की मॉग समाहरण पंजी पर मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार करने हेतु पटल सहायकों को निर्देश भी गृहकर,जलकर का मॉग समाहरण एवं बकाया का सही-सही विवरण तैयार कर सम्परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय,जिससे दिये गये विवरण का सत्यापन हो सके ।

(6) गृहकर एवं जलकर के मॉग समाहरण की गणना वाह्य गणना के आधार पर किया गया है । यदि मॉग समाहरण पंजी पर वास्तविक रूप से गणना किया जाय,तो उपर्युक्त दिया गया विवरण परिवर्तित हो सकता है ।

(घ) शो टैक्स के मॉग व समाहरण की स्थिति –

सम्परीक्षा में प्रस्तुत मॉग -समाहरण पंजी के अनुसार आलोच्य अवधि में शो-टैक्स के मॉग-समाहरण की स्थिति निम्नवत् थी –

--26

xecutive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

1-4-2016 को बकाया-	1,16,340=00
वर्ष की माँग-	58,400=00
योग	1,74,740=00
वर्ष मे समाहरण-	24,320=00
31-3-17 को बकाया-	1,50,420=00

टिप्पणी-

(1) बकाये की वसूली हेतु पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ।

8-सम्परीक्षा शुल्क-

उक्त नगर पालिका प्रथम श्रेणी की नगर पालिका है,जिसके लिए वर्ष 2016-17 की सम्परीक्षा हेतु कुल आवंटित 120 मानव दिवस के आधार पर शासनादेशानुसार आलोच्य अवधि में वरिष्ठ लेखा परीक्षक हेतु रू0-12,800/-प्रतिमानव दिवस तथा लेखा परीक्षक हेतु 7,600/-प्रतिमानव दिवस के आधार पर रू0-12,24,000/-सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया जाता है,जिसका सम्परीक्षा शुल्क ज्ञाप निर्गत किया जा चुका है । निर्गत सम्परीक्षा शुल्क ज्ञाप रू0-12,24,000/-के साथ-2 वर्ष 2010-11 का बकाया सम्परीक्षा शुल्क रू0-3,61,440/-तथा वर्ष 2011-12 से 2012-13 का बकाया सम्परीक्षा शुल्क रू0-11,96,000/-इस प्रकार कुल रू0-19,60,800/-तथा वर्ष 2015-16 का बकाया सम्परीक्षा शुल्क रू0-**35,18,240/**-को भी राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षक -

"0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

60- अन्य सेवायें

110-सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क

01- सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क " में जमा कर चालान की छाया प्रति सत्यापनार्थ सम्परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय ।

9-अन्य विविध अनियमितताएँ-

(क) पालिका परिषद के विभिन्न निजी स्रोतों से प्राप्ति की स्थिति-

पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी वर्गीकृत सार पंजी के अनुसार पालिका परिषद के निजी स्रोतों से प्राप्तियों की स्थिति निम्नवत थी -

क0सं0	मद का नाम	प्राप्त धनराशि
1-	गृहकर	61,21,097=00
2-	जलकर	51,83,259=00
3-	जलमूल्य	1,37,103=00
4-	नकल फीस	27,220=00
5-	कीमत फार्म	1,21,945=00
6-	किराया दुकान	14,89,360=00
7-	मोबाइल शौचालय सफाई शुल्क	1,08,015=00
8-	मजबा वधशाला मृत्यु पशु	4,04,345=00
9-	लाइसेन्स ,ड्राइवरी रिक्शा ठेला लाइसेन्स	4,09,674=00
10-	शराब,बीयर,विदेशी शराब	78,000=00
11-	लकड़ी शोक्ता	800=00
12-	मछली बाजार	93,000=00
13-	नवीनीकरण,पंजीकरण	1,76,014=00
14-	कोयला	400=00
15-	पुआयना	75=00
16-	सहारा बैंक	6,000=00
17-	पेट्रोलियम,तेल मिट्टी	1,470=00

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

18—	मेला टैंकर,पानी टैंकर	1,08,950=00
19—	आवंटन होल/मैदान	74,300=00
20—	मिसलेनियस,जल संयोजन,विच्छेदन व अन्य	32,782=00
21—	निविदा टेण्डर पाइपलाइन	4,94,880=00
22—	लाज/होटल	39,000=00
23—	पावर मोटर	39,000=00
24—	पैथालोजी	12,000=00
25—	लाउडस्पीकर	9,730=00
26—	अन्य रोड कटिंग/नोटिस	36,474=00
27—	प्रदर्शन कर	16,700=00
योग		1,57,21,545=00

टिप्पणी—

(1) शो टैक्स मॉग समाहरण पंजी एवं रसीदों में वर्ष 2016—17 में रू0—24,320/—दर्शाया गया था,जबकि वर्गीकृत सारपंजी में शो टैक्स रू0—16,700/—ही दर्शाया गया था । जिससे वर्गीकृत सारपंजी में दर्शायी गयी आय की सत्यता संदिग्ध हो जाती है ।

(2) उपर्युक्त प्राप्तियों से सम्बन्धित मॉग—समाहरण पंजी तथा अन्य सहायक अभिलेख आगामी सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय,जिससे वर्गीकृत सारपंजी में दर्शायी गयी निजी स्रोतों की आय का सत्यापन किया जा सके ।

(3) वर्गीकृत सारपंजी कर अधीक्षिका कर निर्धारण अधिकारी ,लेखाकार एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित नही किया गया था। इसे सत्यापित कराकर आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय

(ख) लाइसेन्स शुल्क की स्थिति —

नगर पालिका द्वारा निम्नलिखित मदों पर उनके सम्मुख अंकित दरों से लाइसेन्स शुल्क लिया जा रहा था —

क0सं0	मद का नाम	प्रति लाइसेन्स दर	2016—17 में जारी लाइसेन्स की संख्या	प्राप्त धनराशि
1—	हास्पिटल	5,000=00	7	35,000=00
2—	नर्सिंग होम 20 बेड तक	2,000=00	28	56,000=00
3—	प्राइवेट क्लीनिक	3,000=00	08	24,000=00
4—	डेन्टल	4,000=00	01	4,000=00
5—	लीजिंग/गेस्ट हाउस	1,000=00	37	37,000=00
6—	पैथालोजी	1,000=00	14	14,000=00
7—	एक्सरे	2,000=00	04	8,000=00
8—	विदेशी शराब	6,000=00	08	24,000=00
9—	देशी शराब	3,000=00	08	24,000=00
10—	बियर	3,000=00	01	24,000=00
11—	सहारा बैंक	6,000=00	2856	6,000=00
12—	रिक्शा	60=00	800	1,71,360=00
13—	ठेला गाडी	22=00	3369	17,600=00
14—	ड्राइवरी	18=00	138	64,011=00
15	खड़खड़ा	31=00	43	4,275=00
16—	लाउडस्पीकर	50=00	40	2,150=00
17	लकडी सोक्ता	20=00	09	800=00
18—	पेट्रोल	100=00	20	900=00
19	ठेला किराया	100=00	35	2,000=00
20—	बैल गाडी	15=00	10	525=00
21	कोयला	40=00	—	400=00
22—	इक्का	—	—	—
23—	पावर मोटर	181=00	01	13,375=00
24—	माडल शाप	6,000=00	—	6,000=00
25—	मिट्टी तेल	60 ×1, ,51×10		570=00
योग				5,39,969=00

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय–2 के नियम–30 से 33 मे वर्णित व्यवस्थानुसार लाइसेन्स रजिस्टर प्रपत्र–13(क) पर नही बनाया गया था ,और न ही प्रपत्र–12,13 व 18 पर विभिन्न मदों के लाइसेन्स जारी करने हेतु प्रपत्र ही बनाये गये थे । नियम–32 में वर्णित व्यवस्थानुसार लाइसेन्स को जारी करते समय प्रगामी योग की प्रविष्टि प्रत्येक मद पर की जानी थी,जो नही किया गया था । नगर विकास अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन लखनऊ के संख्या–161/सी0एन0/नौ–9–923(जनरल) 97 /दिनॉक–16 सितम्बर,1997 द्वारा पालिका परिषद को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु 39 मदों को वर्गीकरण करते हुए,इनके दरों का निर्धारण किया जाय,परन्तु पालिका परिषद द्वासरा मात्र 25 मदो पर ही लाइसेन्स शुल्क वसूल किया जा रहा है । 39 मदों में से 14 मदों पर लाइसेन्स शुल्क की वसूली नही की जा रही है । जिससे पालिका को आवर्ती रूप से हानि हो रही है ।

उपर्युक्त लाइसेन्सों से सम्बन्धित वसूली गयी धनराशि का विवरण पटल सहायक द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर उल्लिखित किया गया है । उल्लिखित विवरण अधिशाषी अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापित नही थी । उपर्युक्त विवरण से संबंधित लाइसेन्स पंजी तैयार करके सत्यापनार्थ आगामी सम्परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाय ।

(ग) नजूल–

नजूल भू–सम्पत्तियों के संबंध में अधियाचन संख्या–76/16–08–17 निर्गत करने के बावजूद भी उकत से संबंधित रजिस्टर उपलब्ध नही कराया गया ,जिससे नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित भू–सम्पत्तियों की स्थिति स्पष्ट नही हो सका । नगर विकास अनुभाग–7 उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या–925ए/9–7–99–24ज/99 दिनॉक 7 सितम्बर 1999 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नजूल भू–सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड कराने के सम्बन्ध में जो सूचना भेजी गयी हो,उससे सम्बन्धित अभिलेख भी आगामी सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय ।

(घ) निर्माण अनुभाग द्वारा ठेकेदारों को कार्यादेश पत्रॉक–मेमो द्वारा दिया जाना अनियमित–

निर्माण अनुभाग द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों के जॉच से प्रकाश में आया,कि निविदा स्वीकृत होने के पश्चात पालिका के अधिशाषी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को कार्यादेश जारी किया गया था,लेकिन पालिका द्वारा कार्यादेश पत्रॉक मेमो द्वारा जारी किया गया था,जो अनियमित था । मेमो तभी जारी किया जाता है,जब कोई आदेश/परिपत्र कार्यालय से बाहर जारी किया जाय,लेकिन निर्माण अनुभाग द्वारा कार्यादेश कार्यालय से जारी किया जाता है,तब भी पत्रॉक–मेमो द्वारा जारी कर दिया जाता है । भविष्य में ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को कोई कार्यादेश दिया जाय,तो कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर में अंकित करने के पश्चात ही कार्यादेश निर्गत किया जाय,तथा कार्यादेश के द्वितीय प्रति पर संम्बन्धित ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के दिनॉक सहित प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षरी अवश्य कराया जाय ।

(ङ) कर्मचारियों के भविष्य निधि की कटौती से संबंधित भविष्य निधि लेजर तथा पासबुक अप्रस्तुत–

सम्परीक्षा में अधियाचन संख्या–79/26–8–17 दिये जाने के बावजूद भी पालिका भविष्य निधि के रख–रखाव से संबंधित पटल सहायक द्वारा भविष्य निधि लेजर तथा पासबुक सम्परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । बताया गया कि पालिका में भविष्य निधि लेजर नही बनाया गया । भविष्य निधि लेजर अनुरक्षित करते हुए पालिका के अधिशाषी अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ,जिससे कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि के रूप में की जा रही कटौती तथा लिया गया स्थायी/अस्थायी अग्रिमों का सत्यापन किया जा सके ।

––29

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

डिस्क्लेमर–

यह सम्परीक्षा प्रतिवेदन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं एवं अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है । यदि पालिका परिषद द्वारा कोई सूचना छिपायी गयी है,अथवा गलत प्रस्तुत की गयी है,तो इसका उत्तरदायित्व इस कार्यालय का नही होगा ।

निष्कर्ष –

सम्परीक्षा आख्या के उपर्युक्त कण्डिकाओं में वर्णित गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं, अभिलेखों के रख–रखाव में बरती जा रही उदासीनता ,अनिस्तारित आपत्तियों का अनुपालन न किये जाने, तथा आय के संवर्धन व दोहन हेतु उदासीनता परिलक्षित हो रही थी । कर एवं करेत्तर राजस्व की वसूली न्यून थी । इस संबंध में यथेष्ठ कार्यवाही हेतु पालिका परिषद के प्रमुख, अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है । मूल आपत्ति पत्रावली उत्तरों सहित वापस नही की गयी थी ।

स्थान–देवीपाटन मण्डल,गोण्डा

दिनॉक 30–9–2017

घनश्याम,व0ले0प0

मुन्ना कुमार,ले0प0

(श्याम सिंह)

उप निदेशक

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0

देवीपाटन मण्डल,गोण्डा

-30

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

सम्परीक्षा आख्या भाग–ख के अनुच्छेद 1 पर सन्दर्भित परिशिष्ट–"एक"

(अनुच्छेद–1 पर सन्दर्भित)

परिशिष्ट–एक

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण–

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	संख्या
1971-72	5,11,12,13,14,17(क)(ग)(घ)(ड),18,21(क)(ख),22(I)(II)(III),23,25	1,5,7,8,10से16तक 21,23,26,32,34,35	92
		1से 26	62
1972-73	3टि0(1)से(6)तक,7(1),8टि0(I)(II)(III),12,13,14,15,16(II),18,20,21(I)(II)(III),22,26(I)से		
	(8)तक,27,28,29(1)से(5)तक	1से 24,36	112
1973-74	3टि0(1)से(8)तक,5टि0(I)(II)(III),12,13,14,15,16(II),18,20,21(I)(II)(III),27,26(I)से(5)	11से 69	94
1975-76	3टि0(I)(II)(III),4टि0,6(क)(ख),10टि0(I)(II),14,15(क)से(ड),19(1)(2)(4)(5),20(1)से(5)तक,		
	21(क),(ख),23	1से 22	41
1976-77	3टि0,4,5,6,7,11(I)(II)(III),12,14(I)(II)(III)(क)(ख)(ग)(III),15(क)(ख)(I)(II),18,19(क)		
	(ख),20(क)(ख)	1 से 22	41
1977-78	3टि0,4,6,7टि0(I)(II),11,15,16,17,19	1से 61	105
1978-79	3टि0(1)(2)(3)(5)(6),,7टि0(1)(2),8टि0(I)(II),(5),10,11(1)(2)(3)(4),12,13,		
	(अ)(1)(2)(3)(1)(2),15(क)(2),16,17,18	1,4,10,12,19,22,24	35
1979-80	3टि0(1)(2)(3),4,5,6(1)(2),7,8(क)(ख)टि0(1),12(क)से(झ)(न)(र)(1)(2),13,15,16(1)(4),17(अ)(ब)	1से 21	45
1980-81	3टि0(1)से(6),6टि0(1)से(3),8,12,13(क)(1)(2)(3),14(1),17,18,19,20(क)(ख)(I)(II),21,22,23,		
	24(1)(2)(3),25,26	1से 40तक	66
1981-82	3टि0(1)से(8),4टि0(1)से(4),9,11,12,13(क),14,15(2),17(1)(2),20(क)(ख),21,23,24,25,26,27	—	02
1983-84	3टि0(1),2(क)	—	20
1984-85	4(ग)(घ)(ड),8(1)(2)(3),14(1)(2),21(2),24(3),25(घ)(1)(2),30(क)(ज)(घ),31,32(2),34	—	22
1985-86	6टि0(1)(2)(3),9टि0(1)(2)(3),(ख)(ग)(1)(2)(3)(ज)(झ)(अ)(ट),20(ज)(2)(3)(ग)(3)(4)(ड)(च)(छ)		
	(ज)	—	01
1986-87से	42(ज)		
1987-88		1से12	96
1989-90	3टि0(1)से(7),10,11,12,21,22,24,25टि0(1)(3),26,27,28,29(क)(ख),31(1)(2),37(क)(ख),33	—	08
1990-91	3टि0,4टि0(च)(2)(3)(4),11(1)(2)(3)	—	10
1992-93	3टि0(3)(5),6टि0(1)(2)(3),11टि0(1)(3)(6),15(1)(2)(3),17,22,23	—	09
1994-95	3टि0(6),14,21,22,27,28,30(अ),33	2,3,4,6,8,9	17
1995-96	1(च)(छ)(ज),20टि0(2)से(8),22टि0(1)(2)	—	21
1996-97	1(क)(1)(3),4(ख)(1)(2)(ग)(1)(2)(3)(5)(2)(3)(4)(5)(1)(2)(ड),5टि0(3)(4),6टि0(3),14	2,7	43
1997-98	1(1)(2),3,4(1)(2)(3)(क)(ख)(ग)(1)से(6),6(1)(क)से(ड),5(क)(ख),		
	भाग-2 (ड)(च)(1)से(7),8(1)(2)(3)	3,4,6से17,20,21,22,	74
1998-99	भाग-2(ब)–1(क)से(अ),टि0(1)से(6),4(ज),टि0(1)(2)(3),4(क)(ख)(ग)(1)(2)(घ)(ड)(च)(छ),5,6,	24,26,27,29,30,31	
	7टि0(1)(2)(3)(घ)टि0(क)से(ड),9(1)से(6),टि0(1)से(11)तक	2,11,17,20,23,25	59
1999-2000	भाग-2(ब)–1(1)से(9),(12)(13)(15)(16)(17)(18)(19)(21)(22),3टि0(1)से(8),9टि0(1)से(7)(12),		
	3(क),4टि0(1)(2)(3),3(च)(1)से(6)(1)(2)(ज)(झ)टि0(1)(2)	1,16,17	56
2000-2001	1(क)(घ)(ड)(च),4से16,17टि0(1),18,19(क)(1)से(8),(9)(1)(2),(10)से(15),(16)(1)(2),17(1)(2),19		
	से23,,24(1)(2),25(1)(2),26(1)(2)(3),3टि0(1),4टि0(2)	5,9,13,15,16,21,22,	52
2001-2002	1(ख)(ग)(घ),2(क)(1)से(8),(13)(14),16(क)(ख),2टि0,2(ग)(घ)(2)(3)(4),5(ड),3टि0(1),4टि	23,25,26,29,31	
	0(1),6टि0(1)(2)(3)(4),7टि0(1),11,12,13,14(1)से(5),15,16(क)से(घ),4,5,6,7	4,5	63
2002-03	1(क)टि0(9)(10)(12)(ज)(1)से(7)(ग)(घ)(ड)(1)से(7),(ग)(घ)(ड)(1)से(7)(च)(छ)(ज)(1)(2),		
	4(अ)(1)से(30)तक,3टि0(1),4टि0(1)से(4),7टि0(2)(3)	1से 7,10से14,16,17	45
2003-04	1(क)(ख)(ग)(1)से(6)(1)(2)(झ),2,3टि0(1)से(6),4टि0(1)(2),4(ज)(1)(2)(3),8	1,2,3,4,6से 12तक	43
2004-05	1(क)से(ड)(1)से(7),3टि0(1)से(4),4टि0(1)(2),5,6टि0(1)(2)(3),7टि0,8,9,11,12	15,16,17,18,20	

xecutive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	संख्या
2005–06	4,5टि0(ज)टि0(1),6टि0(1),3टि0(1)(2)(3),8,9टि0(1)	1से 6तक,8,10,11,12 13	49
2006–07	(अ)(1)से(8),3,4,5,6(च)(छ)(1)(2)(3),3टि0(1)से(6),4(क)टि0,8,9	1 से 16	60
2007–08	1(क)(1)(2)(3)(ख)(ग)(1)(2)(घ)(ङ)(1)टि0(1)(2)(3)(च)(1)(छ)(1)(2)(ज)(झ)(अ)(ट),2,3टि0(1)(2)(3),4,5(क)टि0,6टि0(1)(2),8(1)(2)(3)(4)	1,2,3	40
2008–09	भाग–(क)–(क)(ख)(ग) भाग–(ख)–1,2,3टि0(1)(2),4टि0(1)(2)(3),5,6,7,8,9टि0,10	1से 6	20
2009–10	भाग–(क)–(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च) भाग–(ख)–1,2,3टि0(1)(2),4टि0,5,6,7,8,9	1से 6	24
2010–11	भाग–(क)–1(ख)(ग)(घ)(II)(III)(ङ)(च) भाग–(ख)–2टि0(1),4,5टि0,6(क)(1)(2),6(ख),7	—	18
2011–12से 2012–13	भाग–(क)–(1)(2)(3)(4)(5)(6),7(क)(ख)(ग)(घ) भाग–ख)–2टि0(1)(2)(3),3टि0(1)(2),4,5टि0(1)(2)(3)(4)(5),6,7टि0,9(क)(ख)(ग)(घ)	—	26
2013–14	भाग–(क)–1,2,3,4,5,6,7,8(I)(II)(III)(IV),9,10,11,12,13,14 भाग–(ख)–2टि0(1)(2)(3),3टि0(1)(2),4,5,6,7,9(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज)(झ)(अ)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण)(त)(थ)(द)(ध)	—	45
2014–15	भाग–(क)–क(1)(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च),2,3,4,5(क)(ख)(ग),6(क)(ख),7,8,9(ख)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15) भाग–(ख)–2(क)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8),2(ख),3(क)(ख)(ग),4(क)टि0(1)(2)(3)(4)(5),4(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(5),5,6,7(क)टि0(1)(2),7(ख),7(ग)(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9),7(घ)(1)(2)(3)(4)(5)(6),7(ङ),7(च),8,9,10(क)(1)(2),10(ख),10(ग),10(घ),10(ङ),10(च)	—	34
2015–16	भाग–(क)–1(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज)(झ)(अ)(ट),2(क),4(1)(2),5(क),6(1)(2)(3),7,8,9(1) भाग–(ख)–2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15),3(क),3(ख),4(क)टि0(1)(2)(3),4(ग),4(ङ),6,7(1),8,9(1)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),9(2)टि0(1)(2)(3)(4)(5),9(3)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8),10,11(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)	—	75
योग–			2265

प्रतिवेदन में सम्मिलित आपत्तियों की सूची –

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	संख्या
2001–02	1क(4)	—	01
2003–04	1(ख)(ङ),9,11,12,(1ख) पेंशन निधि	—	06
2005–06	1(क),1(ग)(घ)(ङ)(च),1(छ),1(ज)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)	—	15
2006–07	1(क),1(ख),1(ग),1(घ),1(ङ)(1),1(छ),1(झ)	—	07
2007–08	1(क),1(क)(2),1(ख)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),1(ग)(3),1(ग)(6),1(ङ),10	—	15
2010–11	भाग–(क)–(क)(घ)(1),1(क),1(च)	—	04
योग–			48

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

स्था0नि0ले0-104

सम्परीक्षा आख्या भाग-"ख" के अनुच्छेद-2 पर सन्दर्भित परिशिष्ट-"दो"

नगर पालिका परिषद,बहराइच के वर्ष 2016-17 के आय और व्यय की तालिका

1- कम संख्या	—
2- स्थानीय निकाय का नाम -	वित्तीय स्थिति
3- 1 अप्रैल,, को प्रा0शेष-	6,77,68,378
4(क) राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	1,90,73,606
(ख) अनावर्तक राजकीय अनुदान-	6,22,27,926
(ग) आवर्तक राजकीय अनुदान -	24,43,98,330
(घ) राजकीय ऋण-	—
(ङ) वर्ष की सम्पूर्ण आय-	32,56,99,862
5- प्रारंभिक अवशेष सहित योग	39,34,68,240
6-वर्ष में हुआ व्यय -	31,33,97,500
7- 31 मार्च 17 को अन्तिम अवशेष -	8,00,70,740
8-मन्तव्य	—

एल0ए0ओ0-105

संम्परीक्षा आख्या भाग-(ख) के अनुच्छेद-4 पर सन्दर्भित परिशिष्ट-तीन

नगर पालिका परिषद,बहराइच के वर्ष 2016-17 में प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण -

क्रमांक	आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	मन्तव्य
1-	राज्य वित्त आयोग	24,43,98,330	24,43,98,330	—	—
2-	14वॉं वित्त आयोग	4,75,41,549	—	4,75,41,549	—
3-	2प्रतिशत स्टाम्प शुल्क	77,06,270	—	77,06,270	—
4-	स्वच्छ भारत मिशन हेतु प्राप्त अनुदान	22,58,107	—	22,58,107	—
5-	अमृत योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान	47,22,000	—	47,22,000	—
योग-		30,66,26,256	24,43,98,330	6,22,27,926	

सम्परीक्षा आख्या भाग-"ख" के अनुच्छेद-7 पर सन्दर्भित परिशिष्ट-"चार"

स्था0नि0ले0-106

नगर पालिका परिषद,बहराइच के वर्ष 2016-17 द्वारा समाहरण करों एवं राजस्व का विवरण -

क0 सं0	आय के स्रोत	1अप्रैल,,16 को बकाया	चालू वर्ष 2016-17 के लिए मॉंग	कुल मॉंग (3+4)	वर्ष में किया गया समाहरण	छूट	समाहरण न हुआ 31 मार्च 17 का शेष	समाहरण का कुल मॉंग प्रति0	मन्तव्य
1-	गृहकर	43,15,651	43,17,895	86,33,546	67,26,416	—	19,07,130	77•91प्रति0	7प्रति0
2-	जल कर	69,76,267	40,49,935	1,10,26,202	58,45,505	—	51,80,697	53•01प्रति0	7प्रति0
3-	जल मूल्य	76,32,137	6,32,146	82,64,283	1,37,708	—	81,26,575	1•66प्रति0	20 रु कनेक्शन प्रति
4	दुकान किराया	15,40,318	12,71,962	28,12,280	14,89,367	—	13,22,913	52•95प्रति0	—
5-	शो-टैक्स	1,16,340	58,400	1,74,740	24,320	—	1,50,420	13•91प्रति0	—
6-	लाइसेन्स शुल्क	—	5,39,969	5,39,969	5,39,969	—	—	100प्रति0	—
7	2प्रतिशस्टाम्प शुल्क	—	77,06,270	77,06,270	77,06,270	—	—	100प्रति0	—

---33

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

सम्परीक्षा आख्या भाग–"ख"के अनुच्छेद–4(ख) में सन्दर्भित परिशिष्ट–"5"

14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यो की सूची –

क0सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित धनराशि
1–	मो0महोलीपुरा में मुख्यमार्ग पर स्व0रानावीर सिंह जी के मकान के बगल से जानकी माली के घर के आगे मोड के पास तक सी0सी0रोड का कार्य	11,08,813=00
2–	कचेहरी रोड पर गोयल स्टोर से नानी रेहुआ मोड होते हुए पोस्ट आफिस तिराहे तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य	10,71,888=00
3–	मो0घसियारीपुरा में संचारन मन्दिर के गिल से सन्तोष कुमार के मकानर होतु हुए लल्लन शुक्ला के मकानतक नाली एवं इण्टरलाकिंग/सी0सी0रोड का कार्य	11,57,763=00
4–	मो0हमजापुरा,में निलाम के मकान से शमशाद अली के मकान होतु हुए बदलू के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग/सी0सी0रोड काक र्य	13,59,004=00
5–	मो0काजीपुरा उ0में गुड्डू खाँ के मकान से गुलाचीन मस्जिद तक इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	6,78,467=00
6–	मो0बडीहाट में इरफानुलहक के मकान से नरुला के मकान तक और मो0फारूख के मकान से कैलाश बाल्मीकि के मकान तक नाली व इण्टर लाकिंग/सी0सी0 रोड का कार्य	7,81,126=00
7–	मो0हमजापुरा मे श्री बृजपाल सिंह के मकान से बलराम तिवारी के मकान होते हुए.राजकुमार के मकान जाने वाले मार्ग पर नाली व इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	10,51,796=00
8–	मो0सलारगंज में सरदार दयाल सिंह के मकान से न्यू आई पब्लिक स्कूल तक इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	5,90,600=00
9–	मो0अकबरपुरा में मुख्य मार्ग पर शहादत अली के मकान के गिल से न्यू बे स्कूल तक नाली व इण्टर लाकिक/सी0सी0कार्य	7,99,832=00
10–	मो0छावनी में पर्दा हाउस के बगल से हरीशचन्द्र गिल एवं अजय चौधरी के मकान के पास तक इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	8,51,984=00
11–	मो0रामपुर राजा में सरदार सिंह के मकान से सुशील शुक्ला के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	6,00,450=00
12–	मो0काजीपुरा द0में आसिफ पेन्टर के मकान से जमील टेलर्स के मकान होतु हुए,विजय शुक्ला तक इण्टर लाकिंग/सी0सी0रोड का कार्य	5,28,516=00
13–	मो0काजीपुरा द0में बाबूठाकुर के मकान से मुसाफिर खाना के पा हसीब के मकान तक इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	7,47,072=00
14–	मो0रायपुर राजा में ए0पी0आवास के बगल से जेलरोड तक नाली एवं इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	12,40,600=00
15–	मो0नाजिरपुरा प0में मोबीन अहमद अंसारी के मकान से करामत अली के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	19,43,529=00
16–	मो0रायपुरा राजा में दिनेश शुक्ला के मकान के सामने से रंजीत कुमार वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	6,58,623=00
17–	मो0वजीरबाग में परमेश्वरी राम शाह के मकान से ओम मित्तल के मकान तक नाली इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड	9,27,233=00
18–	मो0बशीरगंज,उत्तरी में जमील अहमद के मकान से मकबूल अहमद तक गुलाचीन मस्जिद के पीछे से यूसुब अहमद के मकान होतु हुए कमलेश द्विवेदी ,,रक्षाराम तक नाली/इण्टरलाकिंग /आर0सी0सी0कार्य	6,14,572=00
19–	मो0नाजिरपुरा मे छप्पन चौराहा से श्री मो0इकबाल के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	13,64,178=00
20–	मो0शफीपुरा मे श्री अश्वनी यादव के मकान से ठाकुर यादव के मकान तक नाली एवं. इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	8,33,331=00
21–	मो0अकबरपुरा मे श्री विनय कुमार मिश्रा के मकान से गुड्डू के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	4,14,738=00
22–	मो0शफीपुरा में श्रीमती मालतीसिंह के मकान से प्रेमात्रिपाठी के मकान तक नाली इण्टरलाकिंग/सी0सी0रोड का कार्य	5,51,755=00
23–	मो0काजीपुरा द0में दिनेश के मकान से बाबा होजरी के मकान तक इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	10,48,107=00
24–	मो0बशीरगंज उ0में श्री रामहर्ष यादवजी के घर से कृपाराम यादव के मकान तक नाली इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	5,47,264=00
योग–		2,15,79,469=00

——34

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

सम्परीक्षा आख्या भाग—"ख"के अनुच्छेद—4(ग) में सन्दर्भित परिशिष्ट—"6"

2प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से कराये गये कार्यो की सूची —

क0सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित धनराशि
1—	मो0केवानगंज में घण्टाघर छावनी मुख्य मार्ग से इक्का स्टैण्ड होते हुए,सेन्ट्रल बैंक के सामने मेन रोड तक पेवर फिनीशर द्वारा सड़क सतह सुधार कार्य	8,34,256=00
2—	सीतापुर ऑख अस्पताल के बगल से नानपारा बस स्टैण्ड को जाने वाले मार्ग पर पेवर फिनीशर द्वारा सड़क सतह सुधार कार्य	11,07,351=00
3—	छावनी मुख्य मार्ग पर तोशीबा आटोपार्टस के बगल से दुलारा देवी के मकान तक पेवर फिनीशर द्वारा सड़क सतह सुधार कार्य	12,66,274=00
4—	मो0दरगाह शरीफ के नुरूद्दीन चक में ईदगाह के पीछे पुलिया एवं नाला निर्माण कार्य	15,33,492=00
5—	अघरोन चौराहे से छावनी चौराहे पर नफीस आटो केयर्स से ग्रेद घर गेट तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य	13,62,645=00
6	मो0डपालीपुरा में इण्टरलाकिंग रोड से मो0रफीक के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	6,01,178=00
7—	पीपल तिराहे से कोपरेटिव बैंक होतु हए राकेश ट्रेडिंग कम्पनी तक नाली /इण्टरलाकिंग/सी0सी0रोड का कार्य	7,23,752=00
8—	मो0रायपुर राजा में जेलरोड से पुलिया लाइन रोड पर जयराम के मकान से,,,, संतोष कुमार मिश्रा के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	16,11,601=00
9—	मो0खत्रीपुरा में भगौती के मकान से रामचन्दर धोबी के मकान तक नाली ,इण्टरलाकिंग /सी0सी0रोड का कार्य	6,40,331=00
10—	बशीर गंज द0में रिजवानउल्ला के मकान से मुबारक की दुकान तक नाली,इण्टरलाकिंग/सी0सी0रोड का कार्य	15,50,769=00
योग—		1,12,39,649=00

सम्परीक्षा आख्या भाग—"ख"के अनुच्छेद—4(ग) में सन्दर्भित परिशिष्ट—"7"

2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की आवंटित धनराशि रू0—49,45,511/—के सापेक्ष कराये गये कार्यो की सूची—

क0सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित धनराशि
1	मो0शखैयापुरा,मे डा0एस0पी0सिंह के मकान के बगल से उदय चन्द जैन के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क कार्य	4,99,390=00
2—	मो0नौरैयया में भोदूमिस्त्री के मकान से आगे से अब्दुल शमद के मकान के आगे तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क कार्य	4,91,791=00
3—	मो0बक्शीपुरा में मुनीर अहमद के मकान से इब्राहीम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य	1,63,502=00
4—	मो0नौरैयया में हसीना बानों के मकान के आगे से मुन्ना के मकान के पास तक नाली ,इण्टरलाकिंग कार्य	4,09,474=00
5—	मो0सलारगंज में रौजा के पास से नवीअहमद के मकान तक इण्टलाकिंग सड़क का कार्य	3,19,653=00
6	मो0नौरैयया में बन्ने के मकान से अनवर के मकान के आगे तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य	4,95,310=00
7	मो0नौरैयया में बब्बन के मकान से बन्ने के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य	4,64,855=00
8	मो0रायपुर राजा में मेनरोड से देव प्रकाश के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य	4,98,983=00
9	मो0नौरैयया में अब्दुल्ला के मकान से मदरसा तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य व गढ़ैया तक नाली निर्माण कार्य	4,98,149=00
10—	मो0बक्शीपुरा में बाबा हैरतशाह मस्जिद के पास ओवर ब्रिज के नीचे इण्टरलाकिंग का कार्य	3,27,261=00
11—	मो0सलारगंज,में मेनरोड पर मुटानी के दुकान से शफात के मकान तक नाली निर्माण कार्य	2,65,420=00
12—	मो0बक्शीपुरा में मुख्य मार्ग पर शमीम के मकान से जमाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य	4,69,356=00
13—	मो0नाजिरपुरा पूर्वी में आदर्श इण्टर कालेज,से सईद के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य	4,94,286=00
14—	मो0शखैययापुरा में नीरज श्रीवास्तव के मकान के पास से श्री महावीर चाटिया एडवोकेट के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य	1,65,787=00
योग—		56,93,903=00

xecutive Officer
unicipal Board
BAHRAICH

सम्परीक्षा आख्या भाग-"ख"के अनुच्छेद-4(ग) में

सन्दर्भित परिशिष्ट-"6"

मिज्जन रिपेयरिंग वर्क्स

(वाहन मरम्मत में वाहन पुर्जो की आपूर्ति)

क0सं0	वा0सं0 / तिथि	चेक संख्या	कुल भुगतानित धनराशि	देय विक्रीकर की धनराशि
1-	92,93,94,95 / 10-5716	5418	624500	24980
2-	101से106 / 24-5-16	5424	40609	1624
3-	120से127 / 31-5-16	5435	315700	12628
4-	71,72 / 10-6-16	5449	23135	925
5	5,6 / 4-7-16	42817	17900	716
7-	21 / 6-7-16	42827	98750	3950
8	41से 56 / 3-9-16	42864	194404	7776
9	109,110 / 9-9-16	42882	21500	860
10	202,203 / 28-9-16	42939	44650	1786
11-	137 / 27-10716	42942	69900	2796
12-	66 से 68 / 25-11-16	33920	45300	1812
13-	78 / 29-11-16	33924	99300	3972
14-	61 / 17-12-16	33937	38640	1546
15	86 / 13-1-17	33968	9310	372
16	165 / 16-2-17	2405	197500	7900
17-	37 से 45 / 3-3-17	52726	87204	3488
18-	63 से 65 / 3-3-17	52737	41210	1648
19	161से163 / 30-3-17	54543	247000	9880
20-	83,84 / 16-6-16	5459	35950	1438
21	175से 184 / 30-6-16	42801	173050	6922
			2425512	97019

सिजरा रिपेयरिंग वर्क्स

(वाहन मरम्मत में वॉछित पुर्जो की आपूर्ति)

क0सं0	वा0सं0 / तिथि	चेक संख्या	कुल भुगतानित धनराशि	देय विक्रीकर की धनराशि
1-	128से 135 तक / 31-5716	5436	89840	3594
2-	55से 61तक / 10-6-16	5447	89720	3589
3	189,190 / 30-6-16	42803	11930	478
4	22 / 6-7-16	42829	19500	780
5	27,28,29 / 13-7-16	42832	29510	1180
7	64 से 66 / 3-9-16	42866	29450	1178
8	130से 132 / 12-9-16	42888	14970	599
9	204 / 28-9-16	42940	1490	60
10-	144 / 27-10-16	42946	1510	60
11-	32 / 7-11-16	33906	1520	61
12-	45 से 47 / 21-11-16	33910	16130	645
13-	57से 69 / 17-12-16	33935	7670	307
14-	86से 84 / 13-1-17	33966	30100	1204
15	158 से 162 / 16-2-17	2403	32940	1318
16	68 से 71 / 6-3-17	52762	15065	603
17-	211से 213 / 31-3-17	54558	31880	1275
योग-			450665	18027

---36

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH

कार्यालय,उप निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ०प्र०देवीपाटन मण्डल,गोण्डा

प्रेषक,

उप निदेशक,

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ०प्र०

देवीपाटन मण्डल,गोण्डा ।

सेवा में

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका परिषद,बहराइच

जनपद–बहराइच ।

संख्या–दे०पा०मं० / ५५० दिनाँक– 12-3-18

विषय– सम्परीक्षा प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–2295 / आडिट–प्रमाणपत्र / 2015–16दिनाँक–12 मार्च,2018 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें । सन्दर्भित पत्र द्वारा वाँछित प्रमाणपत्र निम्नवत है –

" प्रमाणित किया जाता है, कि नगर पालिका परिषद,बहराइच के लेखाओं की वर्ष 2015–16 तक की लेखा परीक्षा पूर्ण करायी जा चुकी है ।"

भवदीय,

(श्याम सिंह)

उप निदेशक

देवीपाटन मण्डल,गोण्डा

Attested

Executive Officer
Municipal Board
BAHRAICH